लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 48 में अंक 41 से 52 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 45, शुक्रवार 27 अप्रैल, 1984/7 वैशाख, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2-21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 840, 841, 843, 846 और 849	2-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21-219
तारांकित प्रश्न संख्या : 842, 844, 845, 847, 848, 850 से 862	21-36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 9021 से 9035, 9037 से 9073, 9075 से 9168 और 9170 से 9256	36-219
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	221-227
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
69वीं से 76वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश	227
राज्य-सभा से संदेश	227
विश्व-भारती (संशोधन) विधेयक	
राज्य सभा द्वारा यथापारित	227
लोक-लेखा समिति	
191वां, 203वां और 209वां प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 197वां और 202वां प्रतिवेदन	228
प्राक्कलन समिति	
75वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश	228

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	
89वां तथा 92वां प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी कार्यवाही-सारांश तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 90वां और 93वां प्रतिवेदन	229
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	
9वां प्रतिवेदन	229
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	
50वां प्रतिवेदन	229
सभा का कार्य	230-236
जीवन बीमा निगम विधेयक	
संयुक्त समिति के सदस्यों की नियुक्ति	236- 37
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	
सदस्य निर्वाचित करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश	237
पंजाब वाणिज्यिक फसलें उपकर (संशोधन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	237-249
श्री मल्लिकार्जुन	237
श्री वासुदेव आचार्य	237
श्री गिरधारी लाल व्यास	240
श्री राजेश कुमार सिंह	242
श्री चन्द्रपाल शैलानी	244
श्री हरिकेश बहादुर	245
श्री मूलचन्द डागा	245
श्री चित्त बसु	246
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा	248
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	249-257
श्री मल्लिकार्जुन	249

विषय	पृष्ठ
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक	251-256
राज्य सभा द्वारा यथापारित	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री भागवत झा आजाद	251
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	252
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
76वां प्रतिवेदन	256
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने के बारे में संकल्प	256-291
श्री चन्द्रपाल शैलानी	257
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा	258
श्री गिरधारी लाल व्यास	261
श्री राम विलास पासवान	263
श्री अर्जुन सेठी	266
श्री राम लाल राही	268
श्री एस०बी० सिदनाल	270
श्री निर्मल सिन्हा	273
श्री एस०टी०के० जक्कायन	278
श्री बृजमोहन महन्ती	280
प्रो० सैफुद्दीन सोज	281
श्री पी०के० थुंगन	284
श्री सैफुद्दीन चौधरी	290
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प	
श्री राम लाल राही	291

विषय पृष्ठ

आधे घंटे की चर्चा 291-311

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के सम्बन्ध में किया गया अध्ययन

श्री राम विलास पासवान 292

श्री पी० वेंकटसुब्बैया 302

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 309

श्री अर्जुन सेठी 309

श्री अनादि चरण दास 309

श्री पी० राजगोपाल नायडू 310

विषय-सूची

अंक 45, शुक्रवार 27 अप्रैल, 1984/7 वैशाख, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2-21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 840, 841, 843, 846 और 849	2-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21-219
तारांकित प्रश्न संख्या : 842, 844, 845, 847, 848, 850 से 862	21-36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 9021 से 9035, 9037 से 9073, 9075 से 9168 और 9170 से 9256	36-219
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	221-227
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
69वीं से 76वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश	227
राज्य-सभा से संदेश	227
विश्व-भारती (संशोधन) विधेयक	
राज्य सभा द्वारा यथापारित	227
लोक-लेखा समिति	
191वां, 203वां और 209वां प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 197वां और 202वां प्रतिवेदन	228
प्राक्कलन समिति	
75वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश	228

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 251-256

राज्य सभा द्वारा यथापारित

विचार करने का प्रस्ताव

श्री भागवत झा आजाद 251

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती 252

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

76वां प्रतिवेदन 256

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने के बारे में संकल्प 256-291

श्री चन्द्रपाल शैलानी 257

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा 258

श्री गिरधारी लाल व्यास 261

श्री राम विलास पासवान 263

श्री अर्जुन सेठी 266

श्री राम लाल राही 268

श्री एस०बी० सिदनाल 270

श्री निर्मल सिन्हा 273

श्री एस०टी०के० जक्कायन 278

श्री बृजमोहन महन्ती 280

प्रो० सैफुद्दीन सोज 281

श्री पी०के० थुंगन 284

श्री सैफुद्दीन चौधरी 290

मीण क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प

श्री राम लाल राही 291

विषय	पृष्ठ
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	
89वां तथा 92वां प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी कार्यवाही-सारांश तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 90वां और 93वां प्रतिवेदन	229
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	
9वां प्रतिवेदन	229
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	
50वां प्रतिवेदन	229
सभा का कार्य	230-236
जीवन बीमा निगम विधेयक	
संयुक्त समिति के सदस्यों की नियुक्ति	236-37
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	
सदस्य निर्वाचित करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश	237
पंजाब वाणिज्यिक फसलें उपकर (संशोधन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	237-249
श्री मल्लिकार्जुन	237
श्री वासुदेव आचार्य	237
श्री गिरधारी लाल व्यास	240
श्री राजेश कुमार सिंह	242
श्री चन्द्रपाल शैलानी	244
श्री हरिकेश बहादुर	245
श्री मूलचन्द डागा	245
श्री चित्त बसु	246
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा	248
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	249-257
श्री मल्लिकार्जुन	249

विषय	पृष्ठ
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक	251-256
राज्य सभा द्वारा यथापारित	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री भागवत झा आजाद	251
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	252
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 76वां प्रतिवेदन	256
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने के बारे में संकल्प	256-291
श्री चन्द्रपाल शैलानी	257
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा	258
श्री गिरधारी लाल व्यास	261
श्री राम विलास पासवान	263
श्री अर्जुन सेठी	266
श्री राम लाल राही	268
श्री एस०बी० सिदनाल	270
श्री निर्मल सिन्हा	273
श्री एस०टी०के० जक्कायन	278
श्री बृजमोहन महन्ती	280
प्रो० सैफुद्दीन सोज	281
श्री पी०के० थुंगन	284
श्री सैफुद्दीन चौधरी	290
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प	
श्री राम लाल राही	291

विषय पृष्ठ

आधे घंटे की चर्चा 291-311

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के सम्बन्ध में किया गया अध्ययन

श्री राम विलास पासवान 292

श्री पी० वेंकटसुब्बैया 302

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 309

श्री अर्जुन सेठी 309

श्री अनादि चरण दास 309

श्री पी० राजगोपाल नायडू 310

लोक सभा

शुक्रवार, 27 अप्रैल 1984/7 वैशाख 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : सुब्रह्मण्यम् स्वामी जी, आज तो वाकई आ गये आप ?

श्री हरकेश बहादुर : सर, इनसे स्टेटमेंट देने के लिये कहिये ।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : स्पेशली ओन फीरोजपुर ।

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों अर्थात् सर्वश्री कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी और जसपत राय कपूर, के दुःखद निधन के बारे में सूचित करना है ।

श्री कामाख्या प्रसाद असम के दारांग निर्वाचन से 1952-57 के दौरान पहली लोक-सभा के सदस्य थे ।

स्वतन्त्रता सेनानी, श्री त्रिपाठी ने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गये ।

प्रसिद्ध मजदूर नेता, श्री त्रिपाठी ने विदेशों में कई अन्तरराष्ट्रीय मजदूर सम्मेलनों में भाग लिया । 1954 में उन्हें अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का सदस्य चुना गया ।

प्रसिद्ध सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अस्पृश्यता निवारण और प्रौढ़ शिक्षा एवं बुनियादि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये अनयक कार्य किया । वे अनेक शैक्षणिक एवं सामाजिक तथा अन्य संगठनों से सम्बद्ध थे ।

एक योग्य संसदविद् के रूप में वह सदन की कार्यवाहियों में गहरी दिलचस्पी लेते थे ।

श्री त्रिपाठी ने साहित्यिक, राजनैतिक एवं मजदूर यूनियन संबंधी विषयों पर कई पुस्तकें तथा अनेकानेक लेख लिखे ।

श्री त्रिपाठी का निधन 74 वर्ष की आयु में दिनांक 14 अप्रैल, 1984 को लखनऊ में आ ।

श्री जसपत राय 1946-52 के दौरान संविधान सभा और अन्तरिम संसद के सदस्य थे। तत्पश्चात् 1952 में और फिर 1956 में वे राज्य सभा के सदस्य चुने गये।

स्वतन्त्रता सेनानी, श्री कपूर ने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गये।

प्रख्यात संसदविद् श्री कपूर ने सदन की कार्यवाही में गहरी दिलचस्पी ली और वे कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे।

एक प्रमुख शिक्षाविद्, राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में वे अनेक शिक्षण संस्थाओं एवं अन्य संगठनों से सम्बद्ध रहे।

श्री कपूर का निधन दिनांक 22 अप्रैल, 1984 को 88 वर्ष की आयु में आगरा में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और सदन शोकसन्तप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देगा।

सदन के सदस्यगण अपना दुख व्यक्त करने के लिए कुछ क्षण के लिये मौन खड़े हो जायें।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर के लिए मौन खड़े हुए।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा खाड़ी के देशों के यात्रियों को परेशान किया जाना

*840. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाड़ी के देशों के यात्रियों से त्रिवेन्द्रम हवाई-अड्डे पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) जी, नहीं। तथापि, सामान नियम के अधीन अनुमत्य शुल्क-मुक्त मोक से अधिक के माल के शुल्क-निर्धारण के खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर निकासी किये गए यात्रियों की हैं। इस हवाई अड्डे पर जाने वाले यात्रियों की संख्या की तुलना में ऐसी शिकायतों की संख्या नगण्य है।

(ख) चूंकि इन शिकायतों का सम्बन्ध शुल्क-मुक्त मोक की मात्रा से और संविधिक नियमों के अधीन यथा-प्रभार्य शुल्क दर से है और चूंकि-सरकार ने इन दोनों पहलुओं पर अभी हाल में उस समय तवज्जह दी थी जब 1-3-1983 से इन मोकों को उदार बनाया गया था तथा शुल्क की दर कम कर दी गई थी, इसलिए इस संबंध में तत्काल कोई उपचारी कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है।

श्री स्कारिया थामस : माननीय मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया है कि अधिक असबाब पर शुल्क लेने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मन्त्री जी का कथन है कि उन्हें कुछेक शिकायतें ही मिली हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर उतरने वाले प्रत्येक यात्री ने इस प्रकार की शिकायत की है। खाड़ी के देशों से आने वाले यात्रियों के लिये त्रिवेन्द्रम का सीमा शुल्क कार्यालय एक आफत है। यात्रियों को परेशान करने सम्बन्धी समाचारों ने खाड़ी के मलयालियों में एक आतंक उत्पन्न कर दिया है। उनमें से अधिकांश लोग निर्धन मजदूर होते हैं जो देश के लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। अतः उनके लिए हमें अधिक सहानुभूति रखनी चाहिए। इस बारे में, मैं यह जानना चाहूंगा कि प्राप्त शिकायतों में सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और क्या मन्त्री जी ने सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए इस आशय के कोई अनुदेश जारी किए हैं कि खाड़ी से आने वाले मासूम यात्रियों को परेशान न किया जाए।

श्री एस० एम० कृष्णा : प्राप्त हुई शिकायतों के सन्दर्भ में ही हमने 1.3.1983 से नियमों को कुछ उदार बनाया है :

(क) व्यस्कों के लिए शुल्क-मुक्त असबाब की सीमा 1000 रुपये से बढ़ा कर 1250 रुपये की गई है।

(ख) अनुमत्य शुल्क मुफ्त असबाब के अन्तर्गत इलैक्ट्रोनिक्स के सामान को निशुल्क रेखा गया है।

(ग) उपयुक्त शुल्क मुक्त छूट से अधिक मूल्य पर ही शुल्क लिया जाता है।

(घ) 330% के अधिकतम स्लैब को कम करके 235% किया गया है (अब 240%)।

एक नया नियम भी बनाया गया है जो विशेष तौर पर खाड़ी देशों से आने वाले उन यात्रियों के लिए लाभप्रद है जो एक वर्ष के बाद नौकरी समाप्त होने पर वापस आते हैं। इसमें छः महीने तक प्रयोग में लाए गए 5000 रु० मूल्य तक के निजी सामान को शुल्क मुक्त लाने की अनुमति दी गई है।

सरकार को प्राप्त हुई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यवाही की गई थी। लेकिन यह सच है कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर बहुत भीड़-भाड़ होती है और खाड़ी के देशों से आने वाले यात्रियों की निकासी में कुछ देर होना अवश्यम्भावी है। यात्री को आप्रवासन

सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है और आप्रवासन प्राधिकारियों को भी निकासी करने में कुछ समय लग जाता है। हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि विमान से माल टर्मिनल बिल्डिंग तक आता है। हमें सारे समय को देखना चाहिए। इस कार्य से केवल सीमा शुल्क विभाग का ही सम्बन्ध नहीं है बल्कि आप्रवासन अधिकारी भी इससे सम्बद्ध हैं और इसमें विमान से टर्मिनल बिल्डिंग तक सामान ले जाने का कार्य भी शामिल है। अतः इन सभी बातों और त्रिवेन्द्रम में उपलब्ध अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए, किसी निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा।

श्री स्कारिया थामस : महोदय, वास्तविकता यह है कि सीमा शुल्क अधिकारी अनेकानेक स्वविवेकाधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठायेगी कि सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल इस ढंग से करें कि मासूम यात्रियों को कठिनाई का सामना न करना पड़े?

श्री एस० एम० कृष्णा : माननीय सदस्य जिस प्रकार के विवेकाधिकार की चर्चा कर रहे हैं, अधिकारियों को ऐसे विवेकाधिकार प्राप्त नहीं हैं। इस संदर्भ में 'रेड चैनल' और "ग्रीन चैनल" है और प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित मात्रा में शुल्क निर्धारित है तथा अधिकारी केवल इन्हीं के अनुसार ही कार्य करते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरयन : मन्त्री जी का यह दावा, कि त्रिवेन्द्रम से प्राप्त शिकायतें नगण्य हैं, सही नहीं है। यह हो सकता है कि उन्होंने कुछेक शिकायतें देखी हों। लेकिन हमें सैकड़ों शिकायतें मिल रही हैं। यदि आप बम्बई आने वाले और त्रिवेन्द्रम आने वाले यात्रियों की तुलना करें तो आप को ज्ञात होगा कि बम्बई आने वाले यात्रियों की संख्या त्रिवेन्द्रम की अपेक्षा बहुत अधिक है। लेकिन बम्बई की तुलना में त्रिवेन्द्रम से प्राप्त शिकायतें बहुत अधिक हैं। इस बात को नोट किया जाये।

एक माननीय सदस्य : इसीलिए वे बम्बई जा रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं इस बात से सहमत हूं। बम्बई सीमा शुल्क कार्यालय के बारे में अधिक शिकायतें नहीं है। आपने बताया है कि आप छः महीने प्रयोग की गई वस्तुओं के लिये 5000 रुपये की मूल्य तक छूट की सीमा निर्धारित की है। लेकिन सही स्थिति क्या है? इलैक्ट्रोनिक्स का सामान छह महीने या एक वर्ष या 2 वर्ष तक भी बिल्कुल नया प्रतीत होता है। लोग उसका रख-रखाव अच्छी तरह से करते हैं। ऐसी वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारी जिद करते हैं कि ये वस्तुएं नई प्रतीत होती हैं और वे उन वस्तुओं को जब्त कर लेते हैं। इन वस्तुओं को वापस लेने में उन्हें दो से तीन वर्ष तक का समय लग जाता है मैंने इस प्रकार की अनेक शिकायतें देखी हैं। मेरी धारणा है कि प्रत्येक यात्री के साथ एक यात्री की तरह नहीं बल्कि एक तस्कर जैसा व्यवहार किया जाता है। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों का यह मूलभुत दृष्टिकोण है और सीमा शुल्क अधिकारियों के इस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिए। जब कोई यात्री

कहता है कि उसने अमुक वस्तु एक वर्ष या 1½ वर्ष तक इस्तेमाल की है तो सीमा शुल्क अधिकारी इसके लिये प्रमाण क्यों मांगते है ? यात्री क्या प्रमाण दे सकते हैं ? वस्तुएं जब्त करके बेच दी जाती हैं और आप जानते है कि इसका परिणाम क्या हुआ है ? त्रिवेन्द्रम-खाड़ी अनुभाग में यात्रियों की संख्या कम हो गई है। ऐसी धारणा है कि यह सब कुछ प्राधिकारियों की मिली-भगत से किया गया है। और इसमें कोई घोटाला है।

मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या आप यह पता लगाने के लिए जाच कराने को तैयार हैं कि क्या यह आरोप सही है कि त्रिवेद्रम में बम्बई की अपेक्षा यात्रियों को अधिक परेशान किया जाता है ? और यदि जांच के उपरान्त आपको ऐसे अधिकारियों का पता चल जाता है जो ऐसी स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं तो क्या आप उन अधिकारियों को दण्ड देने के लिए तैयार हैं ?

श्री एस० एम० कृष्णा : जब सरकार की जानकारी में निश्चित मामले लाये जाते हैं तो हमें कार्यवाही करने और जांच कराने में भी कोई हिचक नहीं होती। लेकिन हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना पड़ता है। एक ओर यह मांग है कि बाहर से आने वाले यात्रियों की परेशानी को कम करना है। और दूसरी ओर यह आलोचना होती है कि देश में तस्करी का माल आ रहा है। लोक-लेखा समिति, 1983-84 के नवीनतम प्रतिवेदन में बताया गया है कि, मैं आपका ध्यान केवल एक वाक्य की ओर दिलाऊंगा, "समिति इस बारे में चिंतित है कि मार्च, 1983 में असबाब नियमावली को उदार बनाने के बाद, यात्रियों का नया वर्ग, अर्थात् कैरियर ट्रेड में लिप्त किराये के यात्री, पैदा हो गया है। ये व्यक्ति समय-समय पर भारत के पड़ोसी देशों का दौरा करते हैं और इस देश में विदेशी वस्तुएं लाते हैं।"

अब हम कहां सीमा निर्धारित करें ? मुझे विश्वास है कि सदन राजस्व विभाग की कठिनाई को समझेगा। हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाये रखना है कि अन्ततोगत्वा, सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मूल्यांकन करने सम्बन्धी निर्णय का प्रश्न है। हम सदन को विश्वास दिलाते हैं कि सरकार की समग्र नीति को ध्यान में रखते हुए, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्रियों की परेशानी कम हो और हम देश में वस्तुओं की तस्करी पर भी कड़ी नजर रखेंगे। हम तस्करी को रोकना चाहेंगे इसलिए इस नीति के दायरे के भीतर यदि कोई रचनात्मक सुझाव देता है। तो उसका स्वागत है।

श्री जेवियर अराकल : त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारी आजकल बड़े हतोत्साहित हैं। मुझे त्रिवेन्द्रम जाने का अवसर मिला था और वहां उन्होंने मुझसे भेंट की और कहा कि उन्हें कई तरह से हतोत्साहित किया गया है। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है लगभग 50% कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जा रहा है। उनमें से कई कर्मचारियों के नामों की, उनके द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कार देने हेतु सिफारिश की गई है। उन्होंने तस्करी की गई कई वस्तुओं को पकड़ा है और वस्तुओं की तस्करी करने में लगे कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मन्त्री जी ने जो निष्पक्ष व्यवस्था की बात कही उसका क्या हुआ ? एक ओर तो सारा विभाग

हतोत्साहित है। दूसरी ओर—जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा, यात्रियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनका इन दोनों दिक्कतों यथा सीमाशुल्क विभाग के हतोत्साहित कर्मचारी वर्ग तथा असंतुष्ट, परेशान यात्रियों के सम्बन्ध में क्या कुछ करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। स्थनांतरण करना सरकार की नियमित नीति है और स्थानांतरण की वजह से किसी को भी स्वयं हतोत्साहित महसूस नहीं करना चाहिए। सामान्य ढंग से कुछ कहना ठीक नहीं है। यदि कोई ऐसा विशेष मामला है तो उसे मेरे पास भेजें।

विमान में बिना टिकट यात्रा

*841. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
श्री त्रिलोक चन्द्र } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मार्च, 1984 के "नवभारत टाइम्स" में "विमान में भी बिना टिकट यात्रा" शीर्षक के अन्तर्गत हवाई यात्रा में अनियमितताओं के सम्बन्ध में छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अनियमितता के लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों का विवरण क्या है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार की गलतियों और अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(क) क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगेगी और क्या तत्संबधी ब्यौरा सभा-पटल पर रखा जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष, श्री बिलमोरिया द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, संक्षेप में निम्न प्रकार से है :

श्री बिलिमयोरिया ने अपने निजी सचिव से 16 जुलाई, 1983 की उड़ान संख्या आई० सी०

401 द्वारा श्रीमती साक्लट (श्री बिलमोरिया की सास) के नाम से दो टिकटें लेने को कहा। तद्नुसार, निजी सचिव ने कंचनजंगा भवन स्थित इंडियन एयरलाइन्स के आरक्षण कार्यालय में दो सीटें रुकवा दीं।

16 जुलाई, 1983 को, श्री बिलिमोरिया, श्रीमती साक्लट तथा कुमारी साक्लट के साथ हवाई अड्डे पर आए। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर यह पाया गया कि निजी सचिव ने टिकट डिलीवर नहीं किए थे। श्री बिलमोरिया ने यह अनुमान लगाया कि टिकट वास्तव में खरीद लिए गए थे परन्तु यात्रियों को दिए नहीं गये थे। इस गलत धारणा के कारण तथा इस बात को भी ध्यान रखते हुए कि बुजुर्ग औरत को, जोकि स्वस्थ नहीं थी, किसी प्रकार की परेशानी न हो, उनकी दयनीय स्थिति को विमान क्षेत्र-प्रबन्धक, श्री रमेश धाखर के ध्यान में लाया गया। इस अधिकारी ने, शिष्टाचार के नाते इस धारणा से कि उसे बाद में टिकट भेज दिए जायेंगे उन्हें "आरोहण कार्ड" जारी करके यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी।

परन्तु, बाद में यह बात श्री बिलिमोरिया के ध्यान में लाई गई कि वास्तव में टिकट खरीदे ही नहीं गए थे तथा यह सूचना मिलते ही श्री बिलिमोरिया ने पैसे का भुगान करके 21 जुलाई, 1983 को टिकटें खरीदने की व्यवस्था की।

श्री बिलिमोरिया द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण पर विचार कर लिया गया है। चूंकि श्री बिलिमोरिया की इस सम्बन्ध में कोई बदनीयत नहीं थी तथा चूंकि इंडियन एयरलाइन्स के सम्बन्धित अधिकारी ने नेकनीयत से काम किया था, अतः उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो विवरण सभा-पटल पर रखा है, उसमें आप देखें कि यह इतने बड़े स्कैंडल का मामला है और मन्त्री जी ने इस पर ऐसे अच्छे ढंग से लीपापोती की है कि बात समझ में नहीं आती है।

मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि 16 जुलाई को इंडियन एयरलाइन्स के चेयरमेन श्री बिलिमोरिया अपनी सास तथा साली को लेकर हवाई अड्डे पर पहुंचे और उन्होंने उन दोनों को बैठा दिया। बैठाने के बाद जब उनको पता चला कि उनका टिकट नहीं है और उन्होंने कहा कि हमारे प्राइवेट सैक्रेटरी ने टिकट घर पर छोड़ दिये हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब उनको पता चला, आपने कहा है कि हवाई अड्डे पर पहुंचने पर यह पाया गया कि निजी सचिव ने टिकट डिलीवर नहीं किये थे। बिलिमोरिया ने यह अनुमान लगाया कि टिकट वास्तव में खरीद लिये गये थे परन्तु यात्रियों को दिये नहीं गये थे, ये लोग जहाज तक कैसे पहुंचे ? इनको बोर्डिंग कार्ड कैसे मिला ?

जब उनके टिकट नहीं खरीदे गये थे तो ऐसे उच्च अधिकारी ने तुरन्त टिकट क्यों नहीं खरीदे ? जब उनको मालूम था कि टिकट नहीं हैं तो उनको दोबारा टिकट खरीदने में क्या आपत्ति थी ? अगर पहले के टिकट होते तो एक के पैसे बाद में वापिस भी हो सकते थे ?

मेरा स्पष्ट आरोप है और मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या विलिमोरिया जी की नियत इसमें यह नहीं थी कि उनकी पत्नी और उनकी लड़की के नाम से रिजर्वेशन न हो ? अगर उनकी पत्नी और लड़की के नाम से रिजर्वेशन था तो उनकी सास और साली ने इसमें कैसे यात्रा की ?

श्री खुर्शीद आलम खां : सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को यह स्पष्ट कर दूं कि इसमें ऐसी कोई हेरा-फेरा नहीं है जैसा कि उन्होंने कहा है। यह बड़ा साधारण सा मामला है। श्री विलिमोरिया ने अपने निजी सहायक से अपनी पत्नी तथा साली के लिए दो टिकट खरीदने के लिए कहा पर दुर्भाग्यवश ये टिकट हवाई अडडे पर उपलब्ध नहीं थे। अतः उन्होंने यह बात हवाई अड्डे के प्रबंधक को बताई और हवाई अड्डे के प्रबंधक ने इस इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के चेयरमैन के निजी सहायक की लापरवाही समझा जो कि टिकट डिलीवर नहीं कर सका तथा उन्होंने 'आरोहण कार्ड' जारी कर दिया व एक बार आरोहण कार्ड जारी होने पर सुरक्षा व्यवस्था आरोहण कार्डों के आधार पर ही की जाती है न कि टिकटों के आधार पर।

···(**व्यवधान**)···

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री : क्या इस उत्तर से हाउस संतुष्ट है ? खुले आम डकैती की जा रही है।···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा संयम से प्रश्न पूछिए। मेरा ख्याल है कि बात क्लीयर हो जाएगी। इतनी टेढ़ी बात नहीं है।···(**व्यवधान**)····

अध्यक्ष महोदय : राही जी आप बैठ जाइए। मैंने आपको एलाउ नहीं किया है। आप बैठ जाइए। आप सावल पूछिए। सावल इतना ही है कि यह कोई गाड़ी नहीं है कि आदमी बिना चैक किए हुए चला जाए। हर चीज चैक होकर जाती है। जो कुछ हुआ है आपको हिसाब से बतायेंगे। ऐसी कोई चिन्ता की बात नहीं है। यह बात छिपायी नहीं जा सकती है।

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री : मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर माननीय मन्त्री जी ने कम्पलीट नहीं दिया है। आप मेरे संरक्षक हैं, आप उन से पूरा उत्तर दिलवायें तब मैं उनसे दूसरा सवाल पूछंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई और स्पष्टीकरण दे दीजिए।

श्री खुर्शीद आलम खा : विवरण में सारा वृतांत स्पष्ट किया गया गया है; और इसमें और स्पष्टीकरण अपेक्षित नहीं है। मुझे इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के चेयरमैन की ईमानदारी तथा विश्वसनीयता पर पूरा भरोसा है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने फिर भुलावे वाला उत्तर दे दिया, यह तो इनका काम ही है। हाउस के सामने बात आ गई है। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है। 17

जुलाई को यह यात्रा की गई। इस यात्रा में सीट का रिजर्वेशन इंडियन एयरलाइन्स के चेयरमैन की पत्नी और उनकी लड़की के नाम से था। इसके बाद जब वे दिल्ली आ गए, तो चैकिंग के दौरान वहां के अधिकारियों को पता चला, तो उन्होंने बिलिमोरिया जी को पत्र लिखा। लेकिन माननीय मन्त्री जी के उत्तर में लिखा है कि बिलिमोरिया जी के ध्यान में यह बात लाई गई कि वास्तव में टिकट नहीं खरीदा गया था और फिर लिखा है कि कई दिन के बाद टिकट खरीद लिया गया। 952 रु०, 20 तारीख को यानि चार दिन के बाद टिकट खरीदा गया। इस उत्तर से स्पष्ट है कि जब वे यात्रा करने के लिए एरोड्रम पर आए तभी उनको पता चला कि बिलिमोरिया जी के सचिव सचिव ने टिकट खरीदा लेकिन कहीं रख दिया गया। सचिव टिकट खरीद चुके थे, बिलिमोरिया जी ऐसे उच्च अधिकारी हैं, उन को तुरन्त एयरपोर्ट पर सूचना देनी चाहिए थी कि टिकट वहां पर रह गया है। चार दिन के बाद टिकट खरीदने का क्या मतलब था ? हमारा रिजर्वेशन अपनी पत्नी और बेटी के नाम से कराकर अपनी सास और साली के नाम पर यात्रा करने का क्या मतलब था ? मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं—वे स्पष्टीकरण दें ?

श्री मनी राम बागड़ी : साली की तो छुट्टी होनी चाहिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : एक सवाल और क्या यह यात्रा प्रसिद्ध सिनेमा अभिनेत्री पदमिनी कोल्हापुरे के साथ नहीं की गई थी ? क्या यह यात्रा बीस दिन पहले कोल्हापुरे और श्री बिलिमोरिया की साली के साथ तय नहीं गई थी कि हम दोनों पिता जी के टिकटों के रिजर्वेशन पर यात्रा करेंगे ?

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय मुझे पद्मिनी कोल्हापुरे या किसी अन्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे इतनी ही जानकारी है कि ये टिकट 20 अगस्त को खरीदे गए थे। परन्तु दुर्भाग्यवश इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के चेयरमैन के निजी सचिव की गलती की वजह से जानकारी पूरी नहीं मिल सकी तथा वे प्रस्थान करते समय प्रस्तुत नहीं लिए जा सके। यह भी·····(**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह कैसे हो गया, आप ने जांच क्यों नहीं करवायी ? वह अधिकारी गलत हुआ या नहीं ?···

अध्यक्ष महोदय : ठहरिये, मैं एक सवाल पूछता हूं क्या बिलिमोरिया जी को स्वयं जब यह जानकारी हुई कि टिकट नहीं हैं, तो टिकट खरीद लिये या उन को याद दिलाया गया कि आप ने टिकट नहीं खरीदा है, इसलिये टिकट खरीदिये।

श्री खुर्शीद आलम खां : जब उन को यह मालूम हुआ कि टिकट नहीं लिये हैं तो उन्होंने 1892 रुपये फौरन भेज दिये ताकि टिकट खरीद लिये जाएं।···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होने स्वत : ही ऐसा किया या उन्हें याद दिलाया गया। 'आपने खरीदे

नहीं हैं'? उन को खुद पता लगा या दफ्तर ने कहा कि तुम्हारे पास टिकट नहीं हैं, तुम टिकट खरीदो ?

श्री खुर्शीद आलम खां : उन को दफतर में यह कहा गया कि टिकट नहीं आये हैं, तब उन को मालूम हुआ कि उन का पी०ए० टिकट नहीं ले सका था और उन्होंने 1892 रुपये भेज दिये।

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। ये गलत जवाब दे रहे हैं···

···(**व्यवधान**)···

इन के जवाब के पहली लाइन में इनका यह कहना है कि हवाई अड्डे पहुंचने पर...

श्री सतीश अग्रवाल : पहले तो मंत्री ने कहा कि चूंकि टिकट खरीदे गए थे, परन्तु हवाई अड्डे पर नहीं पहुंचाए गए थे, इसलिए आरोहण कार्ड जारी किए गए। आरोहण कार्ड बिना टिकट कभी भी जारी नही किए जा सकते हैं। आरोहण कार्ड कैसे जारी हुए ? यदि रिजर्वेशन उनकी पत्नी तथा पुत्री के नाम से था तो टिकटों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता था। यह विमान टिकट में लिखा होता है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर इन्होने हाउस क सभा-पटल पर रखा है, मैं उसको एक मिनट में पढ़ दूं—आप पहले उसको सुन लें। उससे सारी बात स्पष्ट हो जायेगी उसमें इन्होंने लिखा है कि बिलिमोरिया जी ने अपने सचिव से कहा.....

श्री मनीराम बागड़ी : यह सब तो उस में दिया हुआ है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इन्होंने जो उत्तर दिया है उसमें दो बातें हैं। एक बात तो यह बात तो यह है कि हवाई अड्डे पर जब श्री बिलिमोरिया अपने उन दोनों रिश्तेदारों को लेकर पहुंचते हैं तब उनको बोर्डिग-कार्ड ईशू नहीं होता है। इसलिये तभी उनको मालूम हो जाता है कि उनके पास टिकट नहीं है। उसके बाद वहां के अधिकारी ने सहानुभूति में आकर, जैसा कि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है उनको बोर्डिग-कार्ड जारी कर दिया। हम मंत्री जी की इस सहानुभूति की बात को भी मान लेते हैं कि उन्होंने बोर्डिग-कार्ड जारी कर दिया, क्योंकि वह बूढ़ी औरत थीं। लेकिन बिलिमोरिया जी को चाहिये था, वे इतने उच्च पद पर थे, कि तुरन्त प्राइवेट सैक्रेटरी से टिकट मंगवा लेते, जिससे उन को तुरन्त मालूम हो जाता कि टिकट नहीं खरीदे गये हैं। आप ने जवाब के दूसरे अंश में कहा है कि उसके चार दिन बाद उन को मालूम हुआ या उनके ध्यान में लाया गया कि टिकट नहीं खरीदे गये हैं और तब उन्होंने 952 रुपये मेज कर टिकट खरीदवाये। यहां पर दो बातें हैं एक तो हवाई अड्डे पर उनको मालूम हो रहा है कि टिकट नहीं हैं, दूसरी तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि चार दिन के बाद उन्होंने टिकट खरीदा—यह क्या बात है ? इसके बाद वे कह रहे हैं कि वह अधिकारी बिलकुल निदोष था, उसका स्पष्टीकरण पाकर हम

सन्तुष्ट हुए और उसको माफ कर दिया । मंत्री जी जो तथ्य दिये हैं उनसे मेरा स्पष्ट आरोप है कि मंत्री जी की खुद उसमें मिली-भगत है, उस अधिकारी से आप मिले हुए हैं···

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं इस आरोप का जोर देकर खंडन करता हूं कि मेरा इस मामले से कोई सम्बन्ध है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप एक करप्ट अधिकारी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं । हमें आप की निष्ठा पर शंका नहीं है ।

श्री खुर्शीद आलम खां : पहली बात तो यह है कि यह यात्रा 16 जुलाई को की गई न 17 जुलाई को और क्योंकि इंडियन एयरलाइन्स के कार्यान्वयन का सप्ताहांत था इसलिए यह निश्चित करने के लिए कि टिकट खरीदे गए थे, दो-तीन दिन का बिलम्ब·····**(व्यवधान)**

श्री त्रिलोक चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सवाल तो क्लियर हो गया लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं और माननीय मन्त्री जी से इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अगर कोई गड़बड़-घोटाला नहीं है, कोई बात नहीं है, तो एक बात तो उन्होंने जोड़ दी, और बिलिमोरिया जी की नीयत में कोई फर्क नहीं है लेकिन उनकी नीयत में फर्क है, यह साफ जाहिर होता है जब उन्होंने प्राइवेट सेक्रेटरी को भी इसमें जोड़ दिया और यह कह दिया कि उससे कहा था कि टिकट ले लेना । यह ठीक है । हो सकता है कि उन्होंने प्राइवेट सेक्रेटरी **को टिकट** के लिए कहा हो, मैं इस बात को मना नहीं करता, लेकिन अगर टिकट को कहा होता, तो टिकट ले लिया गया होता क्योंकि प्राइवेट सेक्रेटरी की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वह टिकट न खरीदे । मैं एक बात और कहता हूं कि मान लीजिए कि टिकट खरीदा नहीं गया और अकेले प्राइवेट सेक्रेटरी की अगर गलती होती, तो मैं यह कहता हूं कि जब बिलिमोरिया अपनी साली और अपनी सास को छोड़ने गये और टिकट उन के पास नहीं था, तो यह पद का दुरुपयोग हुआ कि बिना टिकट के उनको बोर्डिंग-कार्ड इशू कर दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में नियम क्या हैं । आप मिनिस्टर हैं और मैं एम० पी० हूं और जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, तो चैकिंग होती है, बाकायदा टिकट इशू होता है और बिलिमोरिया साहब क्योंकि चेयरमैन हैं, इसलिए न उनका कोई चैकिंग हुआ, न उनका नाम पूछा गया, न कोई पता पूछा गया और इसके अलावा **ऐज** का भी फर्क होगा । मैं नहीं जानता कि कितना **ऐज** में फर्क होगा लेकिन कम से कम सास और पत्नी में 20-25 साल का फर्क तो होगा ही लेकिन जो सुरक्षा अधिकारी था, उसने इस चीज को भी नहीं देखा क्योंकि वह उनकी साली और सास थी । इसलिए कोई चैकिंग नहीं हुई । मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में नियम क्या हैं और इनके बारे में मन्त्री जी बताएं । प्राइवेट सेक्रेटरी की कोई गलती नहीं है और उसको बेकार फंसाया जा रहा है । यह साफ जाहिर है कि बिलिमोरिया की नीयत क्या थी । उनके दबाव में आकर कर्मचारीगण कुछ नहीं कहेंगे और अपनी सास और साली को बिना टिकट यात्रा कराने की उनकी नीयत थी और उन्होंने यात्रा कराई और बाद में जब बात खुल गई, तो अब आप गोलमोल जबाव दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वे निर्दोष हैं । वे निर्दोष हैं, यह आप जाने लेकिन मैं कहता हूं कि जनता इस बात को नहीं बक्शेगी और यह जनता का ही सवाल नहीं है, यह मुल्क के अनुशासन का सवाल

है । अगर ऐसा होता रहा, तो कोई अनुशासन नहीं रहेगा । इन सब बातों का मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं और आप यह बतायें कि नियम क्या हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं नहीं मानता कि इंडियन एयरलाइंस के चेयरमैन के सम्बन्ध में यह संदेह उठ सकता है कि वह अपने रिश्तेदारों को विमान में मुफ्त भेजना चाहते थे । (**व्यवधान**)

श्री त्रिलोक चन्द्र : आप नियम बताइए ! बोर्डिंग-कार्ड इशू होने के क्या नियम हैं, यह आप बताइए । .....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नियम क्या हैं, उनकी वजाहत कर दीजिए ।

श्री खुर्शीद आलम खां : नियम तो सब जानते हैं ।.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब सब एक साथ बोलेंगे, तो जवाब कैसे देंगे ।

श्री खुर्शीद आलम खां : नियम तो यह है और सब जानते है कि एक घंटा पहले टिकट लेकर जाते हैं और उसके बाद बोर्डिंग-कार्ड मिलता है लेकिन स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि क्योंकि उनके टिकट वहां पर नहीं थे और यह ख्याल था कि टिकट रह गये हैं, इसलिए आफिसर ने बोर्डिंग-कार्ड दे दिये ।.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप सारे बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी ?

(**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें एक प्रश्न का उत्तर देने दीजिये । उन्होंने नियमों के बारे में पूछा है इसलिए उन्हें पहले नियम बताने दीजिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय उत्तर ठीक नहीं है ।

श्री रामलाल राही : क्या नियमों के विरुद्ध भी चला जा सकता है ?

(**व्यवधान**)

श्री सत्यस धन चक्रवर्ती : महोदय, मैं माननीय मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में यह नियम है कि बिना टिकट दिखाए आरोहण कार्ड जारी किए जा सकते हैं ? यदि ऐसे नियम हैं तो वे कौन से उपबन्ध हैं और यदि ऐसे कोई नियम नहीं हैं तो आरोहण कार्ड कैसे जारी किए गए और नियमों का उल्लंघन किसने किया किया ? नियमों का उल्लंघन किया गया है तो क्या मन्त्री नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं ? दूसरे, क्या किसी दूसरे के नाम से रिजर्व सीट पर कोई व्यक्ति यात्रा कर सकता है ? यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है तो ऐसे यात्रियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है ? यदि नियमों का उल्लंघन

किया गया है तो आपका इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के चेयरमैन के विरुद्ध चाहे वह कितने ही बड़े पदाधिकारी हैं क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, यह सही है कि आरोहण कार्ड, टिकट प्रस्तुत करने के बाद ही जारी किया जाता है परन्तु जैसा कि मैं शुरू में कह चुका हूं, ये आरोहण कार्ड यह मानकर जारी किए गए थे कि टिकट खरीदे जा चुके हैं तथा उन्हें प्रस्तुत कर.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चुपचाप बैठे क्यों नहीं रहते हैं ? पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए तब आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। वह कुछ बातें स्पष्ट कर रहे हैं.....

(व्यवधान)

श्री खुर्शीद आलम खां : परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया मैं फिर इस मामले पर गौर करूंगा तथा यह सुनिश्चित करूंगा कि इसमें कुछ लोगों की गलती रही है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति यह है कि आप इस बात की जांच करें कि क्या नियमों का उल्लंघन किया गया, क्या वह या कोई और ऐसा कर सकते थे, यदि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था तो वे ऐसा कैसे कर सकते थे और उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करें और तब सदन में अपना वक्तव्य दें।

सामुदायिक विकास खण्ड मुख्यालयों में शीर्ष (लीड) बैंकों की शाखाएं खोलना

*843. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य रूप से 20-सूत्री कार्यक्रम का तथा विशेष रूप से समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन और बेरोजगार मैट्रिक पास युवकों को स्व-रोजगार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड मुख्यालय में जिले के शीर्ष (लीड) बैंक की कम से कम एक शाखा खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक का इस सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही आरम्भ करने और यह सुनिश्चित करने का विचार है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से पहले 1984-85 में किसी जिले के सभी खण्ड मुख्यालयों में जिले के शीर्ष बैंक की शाखाएं स्थापित हो जायें;

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक "खण्ड स्तर पर योजना" तथा उसकी क्रियान्विति को सफल बनाने का उत्तरदायित्व स्वीकार करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि सातवीं

पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में ऋण प्राप्त करने के पात्र पाए गए लोगों को ऋण प्रदान करके के लिए मुख्य रूप से शीर्ष बैंकों को उत्तरदायी बनाया जाए; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या नीति बनाई गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) (क) से (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

जिले में काम करने वाली वाली सभी वित्तीय संस्थाएं विभिन्न विकास कार्यक्रमों में भाग लेती हैं, जिनमें 20 सूत्री कार्यक्रम भी शामिल है । केवल अग्रणी बैंक (लीड बैंक) ही इन कार्यक्रमों के लिए ऋण की व्यवस्था करने के वास्ते जिम्मेदार नहीं होते । यह जिम्मेदारी परस्पर सम्मत आधार पर जिले के सभी बैंकों में बांटी होती है जिनमें सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं ।

ऐसा जरूरी नहीं समझा जाता कि सभी खण्ड मुख्यालयों में सम्बद्ध अग्रणी बैंक कार्यालय हों । लेकिन विकास प्रशासन की योजनाओं में खण्ड मुख्यालयों के केन्द्रीय स्वरूप को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी खण्ड मुख्यालयों में जहां तक संभव हो, बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ।

जिला ऋण आयोजना एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें तीन मुख्य क्षेत्रों अर्थात् कृषि तथा संबंध कार्य, उद्योग एवं तृतीय क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की संबंधी आयोजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है । इसमें वर्तमान तथा प्रस्तावित आधारभूत और अन्य सुविधाओं के भीतर बैंकों द्वारा उत्पादन तथा निवेश का वित्त पोषण किए जाने के लिए तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य और आर्थिक दृष्टि से सक्षम योजनाओं का समावेश होता है । जिला ऋण आयोजना का कुल ऋण परिव्यय खण्डों के अनुसार विभाजित किया जाता है और आयोजना में दिखाया जाता है । मौजूदा सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए, जिला ऋण आयोजनाओं में राष्ट्रीय आयोजना के उद्देश्यों के अनुरूप, खण्डवार आयोजना को यथोचित महत्व दिया जाता है ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : महोदय, इस विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न के वास्तविक भाव को ध्यान में नहीं रखा गया है । जिला ऋण योजना, जिले के शीर्ष बैंक द्वारा अन्य बैंकों तथा अन्य जिला प्राधिकरणों के परामर्श से तैयार की जाती है, मैं इस बात पर जोर देना चाहता था कि चूंकि हम खंड स्तर पर योजना को अपनाने तथा लागू करने प्रक्रिया से गुजर रहे हैं अतः यह महत्वपूर्ण बात है कि बैंक इस प्रक्रिया में केन्द्रीय भूमिका अदा करें । विभिन्न कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि शीर्ष बैंकों की खंड मुख्यालयों में शाखाएं हों तथा वे जिले के शीर्ष बैंक होने चाहिएं । उदाहरणार्थ किन्नौर को लें जहां, शीर्ष बैंक पंजाब नेशनल बैंक है जिसकी केवल दो शाखाएं हैं जबकि दूसरे बैंक की पांच से अधिक शाखाएं हैं । ऐसी स्थिति में वहां कुछ विसंगतियां

हैं तथा शीर्ष बैंक अपनी प्रभावी भूमिका अदा नहीं कर सकते हैं। इस प्रयोजनार्थ क्या मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रस्ताव पर ठीक ढंग से विचार किया गया है तथा शीर्ष बैंक को केवल जिला मुख्यालय में ही नहीं बल्कि सामुदायिक विकास खंड मुख्यालयों में भी एक शाखा स्थापित करके प्रधान भूमिका प्रदान की गई है।

श्री जनार्दन पुजारी : शीर्ष बैंक की भूमिका को मुख्य उत्तर में ही बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। उसे जिला ऋण योजना, वार्षिक कार्य योजना निर्धारित तथा क्रियान्वित करनी होती है। विकास कार्यक्रमों को ऋण प्रदान करने की मुख्य जिम्मेदारी केवल शीर्ष बैंक की ही नहीं जिले के अन्य बैंकों की भी है। यह जिम्मेदारी जिले में स्थित सभी बैंकों को निभानी है। उन्हें अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभानी है इसमें यदि कोई कमी रहती है तो उस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : इस उत्तर से यह बात फिर भी स्पष्ट नहीं हुई कि जिले मे शीर्ष बैंक की भूमिका क्या है। यदि उस बैंक की खंड स्तर पर कोई शाखा नहीं है लेकिन खण्ड मुख्यालयों में केवल एक शाखा है और कतिपय बैंक उससे सहयोग नहीं करते हैं तो वह कैसे कार्य कर सकता है क्या इस प्रक्रिया को कारगर बनाकर तथा जिला मुख्यालयों तथा सभी खंडों में कम से कम एक शाखा खोलकर शीर्ष बैंक को प्राथमिक जिम्मेदारी प्रदान करना उचित नहीं होगा ताकि वह जिले का शीर्ष बैंक हो तथा समन्वय तथा क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केन्द्रीकृत की जा सके ?

श्री जनार्दन पुजारी : यदि शाखाएं नहीं हैं तो, शाखा लाइसेंस नीति के अनुसार राज्य सरकार के परामर्श से जिला परामर्शदात्री सभी समिति द्वारा केन्द्र विनिर्दिष्ट किए जाएंगे शाखा लाइसेंस नीति राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू की जाती है। शाखा लाइसेंस नीति के अनुसार राज्य सरकार ऐसे केन्द्र विनिर्दिष्ट करती है तथा राज्य सरकार रिजर्व बैंक को सिफारिश करती है। यदि ऐसे केन्द्र हैं जहां बैंक नहीं हैं तो उस पर जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया जाएगा। जहां तक शीर्ष बैंक द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का सवाल है, यदि बैंकों के कार्यचालन में कोई कमी है, और यदि बैंक प्रणाली ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं तो यह बात नोट की जाएगी तथा शीर्ष बैंक के ध्यान में लाई जाएगी। यदि किसी तरह की खामी का कोई खास दृष्टान्त मिलता है; और वह हमारे ध्यान में लाया जाता है तो उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

श्री जमीलुर्रहमान : जहां तक खंड स्तर पर बैंकों द्वारा ऋण देने का सवाल है, इस सत्र में इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, चाहे बहु एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, शिक्षित युवकों के स्वयं रोजगार के अधीन हो अथवा प्रधान मन्त्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, परन्तु लक्ष्य पूरे नहीं किए गए हैं। इस प्रयोजनार्थ सरकार ने यह निर्णय किया है कि खण्ड स्तर पर एक सलाहकार समिति बनाई जानी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या खंड स्तर पर ऐसी समितियां स्थापित की गई हैं जो कि एककृत ग्रामीण विकास

योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, शिक्षित युवकों के रोजगार आदि के कार्यकरण के संबंध में सलाह दे और यदि नहीं तो क्यों और यह कार्य कब सम्पन्न किया जाएगा ।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का संबंध है, 1983-8 में बैंकों, जिनमें सहकारी बैंक भी शामिल हैं, ने 714 करोड़ रु० का ऋण दिया । इसका मतलब यह हुआ कि हम 600 करोड़ रु० का लक्ष्य पार कर गए हैं । जहां तक इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का सम्बन्ध है, इसका समय 15 अगस्त, 1984 तक बढ़ा दिया गया है । आशा है कि इस कार्यक्रम को जोरदार ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा ।

जहां तक परामर्शदात्री समितियों का सम्बन्ध है, वित्त मन्त्री महोदय ने राज्य सरकारों को परामर्शदात्री समितियां बनाने के लिए लिखा है । बहुत से राज्यों में परामर्शदात्री समितियां बना ली गई हैं । यदि कोई राज्य ऐसा है जहां यह समिति नहीं बनाई गई है, तो उसके बारे में हमें बताया जा सकता है ।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहूंगा । परामर्शदात्री समितियों की नियुक्ति मैं नहीं कर सकता । इनकी नियुक्ति राज्य सरकारों को करनी है । मैंने मुख्य मन्त्रियों को भी लिखा है तथा उन्हें याद भी दिलाया है । कुछ मुख्य मन्त्रियों ने इस सम्बन्ध में पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है परन्तु कुछ मुख्य मन्त्रियों ने यह भी कहा है कि वे ये समितियां नहीं बनायेंगे ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि डिस्ट्रीक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स की तरफ से जो ऐजूकेटेड यूथ को रोजगार योजना चालू करने के लिए लोन्स रिकमेन्ड किये जाते हैं उन्हें इनके बैंकों की तरफ से टाला जाता है, समय पर पैसा नहीं दिया जाता है, और फिर बाद में पैसा देते हैं । तो क्या सही है कि जिन बैंकों को यह काम सुपुर्द किया है उन बैंकों ने इस योजना के तहत जो लोन रिकमेन्ड किया गया वह सारा द दिया है, या कितना परसेंटेज दिया है ?

अभी मंत्री ने बताया कि ब्लाक लेविल पर ऐसवाइजरी कमेटी बनाना स्टेट गवर्वमेंट का काम है । अगर ब्लाक लेविल की कमेटी सुपरवाइज नहीं कर सकती जब तक आप डिस्ट्रीक्ट लेविल की कमेटी न बनायें तब तक यह योजना ठीक प्रकार से नहीं चल सकती । इसलिये क्या डिस्ट्रिक्ट लेविल पर इस प्रकार की ऐडवाइजरी कमेटी बनाएंगे जो इन बैंकों के ऊपर निगरानी रखें कि लोगों को ठीक प्रकार से ऋण उपलब्ध करा रहे हैं कि नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह भी स्टेट गवर्नमेंट ही बनायेगी न ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह पहले निर्णय तो लें । अध्यक्ष जी पहले वाले प्रश्न का जवाब नहीं आया ?

अध्यक्ष महोदय : यह सारा काम राज्य सरकार को करना होगा ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अगर इन्होंने निर्णय ही नहीं लिया तो कैसे काम चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : वे कर सकती हैं। उन्होंने यही कहा है।

श्री रिजक राम : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या लीड बैंक तथा ऋण देने वाले बैंकों के प्रतिनिधि ऋण लेने वाले पात्र व्यक्तियों की सिफारिश करने या पता लगाने वाली समिति के सदस्य हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि लीड बैंक तथा ऋण देने वाले बैंक के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके लिए गये निर्णयों के बाद ऋण देने वाला बैंक पात्र पाये गए व्यक्तियों के आवेदनपत्र अस्वीकार कर देता है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की शिकायतें आपके ध्यान में भी आई हैं ? यदि यह सच है तो क्या माननीय मंत्री ऐसे निदेश जारी करेंगे कि बैंकों को उस बैठक में पात्र ठहराए गये व्यक्तियों के आवेदनपत्र अस्वीकार नहीं करने चाहिएं जिसमें उन्होंने स्वयं भी भाग लिया है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि शाखा स्तर पर जहां यह ऋण दिया जाता है, वहां अनुचित साधन अपनाये जाते हैं, यहां तक कि ऋण लेने के लिए पात्र पाये गए व्यक्ति के यदि बैंक कर्मचारियों को खुश नहीं कर पाते, जो उनके आवेदनपत्र अस्वीकृत कर दिये जाते हैं ? यदि मंत्री जी के ध्यान में ऐसी शिकायतें आई हैं तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपचारी उपाय किये गए हैं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : शायद माननीय सदस्य जिला उद्योग केन्द्र के अन्तर्गत स्व-रोजगार योजना की बात कर रहे हैं। यह सच है कि इस प्रकार की शिकायतें हमारे ध्यान में आई हैं कि कुछ मामलों में जिला उद्योग केन्द्र से सम्बन्द्ध परामर्शदात्री समिति जिसमें लीड बैंक का प्रतिनिधि भी उपस्थित था द्वारा की गई सिफारिश का बैंक की कुछ शाखाओं ने अनुपालन नहीं किया। मैंने उद्योग मंत्री तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की उपस्थिति में इस समस्या पर विचार-विमर्श किया था। तब हमने यह निर्णय लिया था क्योंकि एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि ये ऋण नहीं हैं। प्रत्येक परियोजना को सहायता दी जानी है तथा परियोजना व्यवहार्यता जांच की कसौटी के अनुसार ठीक होनी चाहिए यदि इसकी व्यवहार्यता जांच किसी गैर-विशेषज्ञ द्वारा की जाती है तो स्वभाविक है कि बैंक इसके लिए ऋण नहीं दे सकते। तत्पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उपयुक्त स्तर पर योजनाओं की जांच करने के बाद, एक छोटी समिति जिसमें विभिन्न बैंकों के वित्त विशेषज्ञ तथा सम्बन्धित क्षेत्र में काम कर रहे तीन या चार अन्य विशेषज्ञ हों, लगभग वे इसका शीघ्र से मूल्यांकन करेंगे और इस जांच के बाद ये प्रस्ताव संबद्ध बैंकों को भेजें जायेंगे ताकि इसके बाद शाखा स्तर पर कम-से-कम आवेदन पत्र रद्द हों। यह निर्णय ले लिया गया है। दूसरी बात, हमें यह बात भी ध्यान में रखनी होगी हमारी प्रणाली ऐसी है कि जब भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आपको इस विशिष्टतर अवधि में इतने मामले निपटाने हैं, यह प्रवत्ति होनी है कि योजना के गुणदोषों का व्यापक अध्ययन तथा इसकी जांच किये बिना उस लक्ष्य को तत्काल कृत्रिम ढंग से पूरा कर लिया जाए। इसलिए, मैंने उनको बताया कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। यह लक्ष्य 2,50,000 लोगों का है, यदि आप इन 2,50,000 या 3,00,000 लोगों

को सहायता देना चाहते हैं तो अनिवार्य रूप से कि लक्ष्य 31 मार्च तक ही पूरा करना जरूरी नहीं। आप यह योजना 15 अगस्त से शुरू कीजिये, तब आप कह सकते हैं कि देश भर में फैली 45,000 बैंक शाखाओं को यह लक्ष्य 31 मार्च तक पूरा करना होगा यदि आप इसको बहुत ही कम समय देते हैं तो स्वभाविक रूप से ऐसा लगेगा कि योजना उद्देश्य पूरा नहीं कर पायेगी। इसलिए, मैंने उनसे कहा है, आप निर्णय कर लीजिये. परन्तु मैंने यह अवधि 15 अगस्त तक बढ़ा दी जिसके बारे में मेरे माननीय सहयोगी पहले ही बता चुके हैं।

निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में सैनिक अधिकारियों के स्थायी अनुशस्ति (सेकन्डमेंट) की व्यवस्था का पुनः लागू न करना

*846. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निरीक्षण महानिदेशालय में सैनिक अधिकारियों की स्थायी अनुशस्ति (सेकन्डमेंट) को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो क्या इस आशय का कोई सरकारी पत्र जारी किया गया है;

(ख) क्या इसी प्रकार का निर्णय पहले अप्रैल, 1981 में भी लिया गया था और बाद में उसे बदल दिया गया था;

(ग) क्या अधिकारियों का एक वर्ग स्थायी अनुशस्ति (सेकन्डमेंट) की व्यवस्था को रखने के पक्ष में हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार जैसा कि विगत में हुआ था स्थायी अनुशस्ति की व्यवस्था को पुनः न लागू करना किस प्रकार सुनिश्चित करेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में सैनिक अधिकारियों की स्थायी उपनियुक्ति को समाप्त करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अप्रैल, 1981 में एक अन्तरिम निर्णय लिया गया था कि संवर्ग समीक्षा होने तक और एक अस्थायी उपाय के रूप में निरीक्षण महानिदेशालय में सैनिक अधिकारियों की स्थायी उपनियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त निर्णय एक अस्थायी किस्म का था इसलिए मार्च, 1982 में ये अनुदेश वापस ले लिए गये।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

श्री अजित कुमार साहा : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या रक्ष मंत्री की अध्यक्षता में 4 जनवरी, 1984 को एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी जिसमें रक्षा सचिव, सचिव (रक्षा उत्पादन) तथा संयुक्त सचिव और अन्य अधिकारी उपस्थित थे और जिसमें रक्षा मंत्री ने निरीक्षण महानिदेशालय में सैनिक अधिकारियों की स्थाई उपनियुक्ति समाप्त

करने के बारे में निर्णय किया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है । यदि हां, तो मैं मंत्री महोदय से इसका विवरण जानना चाहता हूं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अपने अधिकारियों के साथ हुई चर्चा के बारे में नहीं बता सकता । (**व्यवधान**)

श्री अजित कुमार साहा : यदि हम किसी विषय पर चर्चा ही नहीं कर सकते तो फिर प्रश्न पूछने का क्या फायदा ?

अध्यक्ष महोदय : कूछ बातों को प्रगट नहीं करना होता ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं निर्णयों के बारे में बता सकता हूं लेकिन चर्चा के बारे में नही बता सकता ।

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी सुरक्षा के लिए है ।

श्री अजित कुमार साहा : निरीक्षण महा निदेशक तथा सचिव (रक्षा उत्पादन)···

(**व्यवधान**)

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : आप हमें निर्णयों के बारे में क्यों नहीं बताते । हम बैठक में हुए विचार-विमर्श के बारे में जानना नहीं चाहते ।

श्री ए० के० राय : महोदय, इन्हें हमें निर्णयों की जानकारी देने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : ये निर्णयों के बारे में बताएंगे लेकिन आपके कहने पर नहीं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने उन्हें उत्तर दे दिया है जो आपने नहीं सुना । अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री अजित कुमार साहा : मैंने एक विशेष सवाल पूछा था कि क्या 4 जनवरी, 1984 को बैठक हुई थी ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं फिर कहता हूं कि कोई निर्णय नहीं किया गया है, विचार-विमर्श चल रहा है ।

श्री अजित कुमार साहा : निरीक्षण महानिदेशक तथा रक्षा उत्पादन सचिव ने निरीक्षण महा निदेशालय संगठन में सैनिक अधिकारियों की स्थाई उपनियुक्ति जारी रखने का समर्थन किया है । लेकिन रक्षा सचिव इस निर्णय के पक्ष में नहीं हैं । यह सच है या नहीं ?

श्री आर० वेंकटरामन : चर्चा में अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग बात कहते हैं तथा अलग-अलग मत प्रकट करते हैं । हम समिति या सम्मेलन में हुई सारी चर्चा को नहीं बता सकते । मैंने यही कहा, जब निर्णय किया जाएगा तो मैं बता दूंगा ।

भारतीय वायुसेना के उडान करने वाले तथा भूमि पर कार्य करने वाले तकनीकी कर्मचारियों की परिलब्धियों में असमानता

*849 **श्री ओस्कर फर्नान्डीस**
श्री उत्तम राठौर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** यह सच है कि भारतीय वायु सेना के भूमि पर रख-रखाव कार्य करने **वाले और** उड़ान करने वाले तकनीकी कर्मचारियों की दो श्रेणियों की परस्पर परिलब्धियों में **असमानता है;**

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इन असमानताओं के कारण रख-रखाव कार्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) इन असमानताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) भारतीय वायु सेना की उड़ान शाखा के फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक तक के अफसरों को उच्च वेतनमान दिया गया हैं और स्क्वाड्रन लीडर **और** विंग कमांडर के रैंक के अफसर ग्राउन्ड पर रख-रखाव कार्य में लगे अफसरों से पहले अपने वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंच जाते हैं। उन्हें वेतन में यह वृद्धि इसलिए दी गई है कि उन्हें संक्रियात्मक उड़ानों में असाधारण जोखिम का सामना करना पड़ता है और वे अपेक्षाकृत कम आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके कारण रख-रखाव कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री उत्तम राठौर : लड़ाई की तकनीक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का परिणाम है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमें इन तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में मेधावी इंजीनियर मिल रहे हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : हमारे यहां इनकी कमी नहीं है। मैं यह धारणा समाप्त करना चाहता हूं कि हमारे यहां इंजीनियरों की कमी है तथा इन इंजीनियरों के न मिलने के कारण हमें नुकसान हो रहा है।

श्री उत्तम राठौर : फ्लाइट आफिसर के मामले में स्थाई पद पर पदोन्नति एयर मार्शल के स्तर तक है तथा तकनीकी अधिकारी के मामले में यह पदोन्नति केवल एयर वाइस मार्शल के स्तर तक है। आपने (क) तथा (ख) के उत्तर में कहा है कि स्क्वैड्रन लीडर तथा विंग कमांडर के रैंक के अधिकारी ग्राउंड पर रख-रखाव कार्य में लगे अफसरों से पहले अपने वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंच जाते हैं। तो फिर इन लोगों को एयर मार्शल के स्तर तक जाने की अनुमति क्यों नहीं है ?

श्री आर० वेंकटरामन : एयर चीफ मार्शल का चयन योग्यता आधार पर होता है। यह रोजगार के इस वर्गीकरण पर नहीं होता कि क्या यह फ्लाइंग ब्रांच में है या अन्य ब्रांच में। नियम के अनुसार एयर चीफ मार्शल, यदि उसे समग्र सेना को कमान करना है तो उसका फ्लाइंग आफिसर होना जरूरी है। मैं नहीं समझाता कि एक ग्राउंड इंजीनियर एयर चीफ मार्शल बन सकता है।

श्री उत्तम राठौर : हमारे यहां फ्लाइंग इंजीनियर भी हैं। क्या आप उन्हें कोई अवसर देने को तैयार हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : जैसाकि मैंने कहा कहा है यह बात हर मामले के गुणदोष आधार पर निर्भर करेगी।

श्री राजेश पाइलट : क्या यह सच है कि विश्व के अन्य देशों में भी रक्षा सेवाओं में वेतन तथा पदोन्नति में यह अंतर विद्यमान है। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी है। क्या यह सच है या नहीं ?

श्री आर० वेंकटरामन : हमें अन्य देशों के मामलों में जाने की जरूरत नहीं। तीसरे वेतन आयोग ने स्वयं यह कहा कि उड़ान शाखा (फ्लाइंग ब्रांच) के व्यक्तियों को उच्च वेतनमान दिये जाने चाहिएं क्योंकि उनका काम अधिक जोखिम भरा है। यह भी सच है कि अन्य देशों में उड़ान शाखा में कार्यरत अधिकारी ग्राउंड सर्विस में लगे अधिकारियों की अपेक्षा अतिरिक्त वेतन लेते।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नए करेंसी नोटों का उपलब्ध न होना

*842. **श्री छोटू भाई गमित** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नए करेंसी नोट आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो नए करेंसी नोटों की सप्लाई में पर्याप्त वृद्धि करने और इस प्रकार के अनुचित लेन-देन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को करेंसी नोटों की कमी के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

(ख) नए नोटों के उत्पादन/पूर्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से, बैंक नोट प्रेस, देवास में आंशिक रूप से दूसरी पारी के साथ-साथ 7 - दिवसीय कार्य भी शुरू किया जा रहा है, इसके फलस्वरूप उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। इस प्रेस में चल रही प्रोत्साहन योजना को इस उद्देश्य से संशोधित किया गया है ताकि कर्मचारियों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले। करेंसी नोट प्रेस, नासिक के लिए प्रोत्साहन योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। विभिन्न अन्य उपाय भी विचाराधीन हैं।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की विमान परिचारिकाओं के लिए भूमि पर वैकल्पिक काम

*844. **श्री जलगाम कोण्डाला राव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दो राष्ट्रीय विमान कम्पनियों अर्थात् इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की विमान परिचारिकाओं को विवाह कर लेने पर भूमि पर कोई वैकल्पिक काम देने की समीचीनता पर किसी अवस्था पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) : मौजूदा सेवा शर्तों के अनुसार, ऐसी विमान परिचारिकाएं, जो चार वर्ष की सेवा के बाद विवाह कर लेती हैं, 45 वर्ष की आयु तक अथवा तीसरे गर्भ धारण करने तक, यदि उसके दो बच्चे जीवित हैं तथा वह डाक्टरी तौर पर स्वस्थ है विमान परिचारिकाओं के रूप में सेवा करना जारी रख सकती हैं। चूंकि विवाह करने के पश्चात् भी उन्हें विमान परिचारिकाओं के रूप में उड़ान करने का कार्य जारी रखने की अनुमति है, उनके विवाह कर लेने पर उन्हें वैकल्पिक कार्य उपलब्ध कराए जाने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। तथापि, भू-कार्यों के लिए ऐसी विमान परिचारिकाओं के आवेदन-पत्रों पर जो निर्धारित अपेक्षाएं पूरी करती हैं, हमेशा ही विचार किया जा सकता है।

भारत में ब्रिटिश राष्ट्रिकों को पेंशन

†845. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ब्रिटिश राष्ट्रीकों को भारत में ब्रिटिश सरकार की सेवा के लिए पेंशन दी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के ब्रिटिश राष्ट्रिक कितने हैं और उन्हें प्रतिवर्ष दी जाने वाली पेंशन की कुल राशि कितनी है; और

(ग) यह राशि विदेशी मुद्रा में दी जा रही है अथवा भारतीय रुपयों में ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०एम० कृष्ण) : (क) जी, नहीं। लेकिन कुछ ब्रिटिश राष्ट्रिक, जिन्होंने स्वतन्त्रता के बाद भारत सरकार की सेवा की थी तथा 31.3.1955 के बाद सेवा-निवृत्त हुए थे, भारत सरकार से पेन्शन पा रहे हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एशिया और प्रशांत महासागर के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट

*847 **श्री संतोष मोहन देव**
श्री आर० पी० गायकवाड़ } : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी रिपोर्ट के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग ने एशिया के कई विकासशील देशों में आर्थिक स्थिति में गिरावट आने पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में रिपोर्ट का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा; और

(ग) इन देशों को वर्तमान स्थिति से उबारने के लिए निर्गुट सम्मेलन के माध्यम से क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एशिया तथा प्रशान्त के लिए आर्थिक तथा सामाजिक सर्वेक्षण, 1983 के अन्तर्गत विकसित देशों मे मंदी की स्थिति को देखते हुए विकासशील एस्कैप अर्थव्यवस्थाओं के निष्पादन की समीक्षा की गई है। सर्वेक्षण में उल्लेख है कि कुछ अपवादों को छोड़कर विकासशील एस्कैप देशों को 1982 में अपनी विकास दरों में एक सुस्पष्ट तथा महत्वपूर्ण मन्दगति का अनुभव हुआ। विकास दरों में इस मन्दगति से उनके भावी विकास पर अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) हालांकि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई संस्थागत सम्बन्ध नहीं है जिसका एस्कैप एक प्रादेशिक संगठन है और हालांकि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर एक प्रादेशिक परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं करता, फिर भी चूंकि ये मुद्दे उन विकासशील देशों के सामान्य हित के हैं, जो 'नाम' के सदस्य हैं, अतः 'नाम' द्वारा एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाया जाता है और विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

एशिया तथा प्रशान्त के आर्थिक तथा सामाजिक सर्वेक्षण, 1983 का प्रकाशन एस्कैप सचिवालय द्वारा किया गया है। कुछ ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :—

2. सर्वेक्षण के अन्तर्गत उल्लेख है कि कुछ अपवादों को छोड़कर विकासशील एस्कैप देशों ने, जिनमें अत्यधिक महत्वपूर्ण चीन है, 1982 में अपनी विकास दरों में एक सुस्पष्ट तथा महत्व-पूर्ण मन्द गति का अनुभव किया।

3. 1982 में एस्कैप क्षेत्र के विकासशील देशों की विकास दरों में मन्द गति से उनके भावी विकास पर अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े। विशेष तौर पर अल्पकालिक परिणाम दक्षिण एशिया की कुछ अपेक्षाकृत कमजोर तथा गरीब अर्थव्यवस्थाओं के लिए और सामान्य तौर पर अल्पतम विकसित देशों के लिए अधिक गंभीर हैं।

4. सर्वेक्षण के अन्तर्गत उल्लेख है कि अधिकांश दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए 1982 का वर्ष हाल के समय में अत्यधिक मन्दी के वर्षों में से एक था जबकि पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशियाई प्रदेश के देशों के लिए 1982 का वर्ष हाल की समयावधि में संभवत: अत्यधिक कठिन वर्ष रहा।

5. केन्द्रीय स्तर पर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षण में उल्लेख है कि एस्कैप क्षेत्र की पांच केन्द्रीय स्तर पर योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्थाओं, अफगानिस्तान, चीन, लाओ जनवादी लोकतन्त्रीय गणराज्य, मंगोलिया तथा वियतनाम का विकास अनुभव शेष विकासशील एस्कैप देशों के अनुभव से कुछ भिन्न है। विदेश व्यापार पर उनकी अपेक्षतया का निर्भरता तथा विकसित बाजारू अर्थ-व्यवस्थाओं के साथ उनके विदेश व्यापार के सापेक्ष तौर पर कम समानुपात से यह अन्तर काफी स्पष्ट हो जाता है।

6. सर्वेक्षण के अन्तर्गत विकासशील एस्कैप देशों के प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन का भी विश्लेषण किया गया है। कृषि के सम्बन्ध में सर्वेक्षण के अन्तर्गत उल्लेख है कि 1982 में विकास-शील एस्कैप देशों में सकल-कृषि उत्पादन 1981 में 5·1% के विकास की तुलना में 3·2% बढ़ा।

7. उद्योग के सम्बन्ध में, सर्वेक्षण के अन्तर्गत उल्लेख है कि औद्योगिक विकास की गति विकासशील एस्कैप देशों में 1982 के दौरान काफी धीमी हो गई। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में सर्वेक्षण में बताया गया है कि विकासशील एस्कैप देशों की निर्यात आय से 1982 में उल्लेखनीय गिरावट आई।

8. सामान्य तौर पर अपेक्षाकृत कम निर्यात निष्पादन के परिणामस्वरूप भी क्षेत्र की अधिकांश विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 1982 तथा 1983 के दौरान सार्वजनिक व्यय में विस्तार की दर में तेजी से कमी आई।

9. मुद्रास्फीति के सम्बन्ध में सर्वेक्षण के अन्तर्गत बताया गया है कि विकासशील एस्कैप अर्थ-व्यवस्थाओं में से अधिकांश में पुन: कीमत स्थिरीकरण का आना 1982 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। यह प्रवृत्ति 1983 के दौरान और उसके तत्काल बाद के वर्षों में जारी रहने की संभावना थीं।

प्रति व्यक्ति आय और करों का अनुपात

*848. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले चार वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय और करों का वर्षवार अनुपात क्या है; और

(ख) प्रतिव्यक्ति आय बढ़ाने और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों पर करों का भार कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

निम्नलिखित सारणी में 1979-80 से 1982-83 तक के वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार का प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति सकल कर राजस्व का अनुपात दिया गया है । वर्ष 1983-84 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

	प्रति व्यक्ति आय (रुपए)	प्रति व्यक्ति कर राजस्व (रुपए)	प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति कर का अनुपात (प्रतिशत)
1979-80	1333	180	13·5
1980-81	1559	194	12·4
1981-82	1758	228	13·0
1982-83	1891	250	13·2

*सम्बद्ध वर्ष के दौरान केन्द्र के सकल कर राजस्व और अनुमानित जनसंख्या के आधार पर निकाला गया है ।

कर ढांचे का स्वरूप अवश्य ही वृद्धिशील है और इस बात के लिए हर कोशिश की जाती है कि कराधान का भार आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों पर कम से कम मात्रा में पड़े । व्यक्तिगत आय कर की 15,000 रुपए वार्षिक छूट की सीमा काफी अधिक है और इससे निम्न आय वर्गों पर प्रत्यक्ष करों के भार को यथा सम्भव कम रखने की सुनिश्चित व्यवस्था हो जाती है । अप्रत्यक्ष करों का ढांचा भी इस किस्म का बनाया गया है जिससे आम उपभोग की वस्तुओं को या तो करों से छूट मिल जाए अथवा उन पर कम दर पर कर लगे ।

प्रति-व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए जो कार्य नीति अपनाई गई है उसमें मुख्यत: अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश की दर बढ़ाकर और कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार लाकर, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर को बढ़ाने का प्रयत्न शामिल है ।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना का प्रस्ताव

*850. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अन्तर-राष्ट्रीय कारोबार के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

खारे पानी में झींगा मछली पालन को बढ़ावा देने की परियोजना

†851. **डा० प्रताप बाघ** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झींगा मछलियों का निर्यात हेतु उत्पादन करने के उद्देश्य से खारे पानी में झींगा मछली पालन को बढ़ावा देने की कोई परियोजना समुद्री उत्पादन विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) प्राउन का निर्यात उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्राउन पालन को बढ़ावा देने सम्बन्धी एक परियोजना समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कार्यान्वित कर रहा है । इस परियोजना के कार्यक्रम में शामिल है : प्राउन संवर्धन के लिए उपयुक्तता का अध्ययन करने हेतु खारे पानी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना, प्राउन पालकों तथा उद्यमियों को मुक्त तकनीकी सहायता देना, संस्थागत वित्त सुकर बनाने के लिए परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करना, जहां कहीं आवश्यक हो पालकों को लागत कीमत पर प्रोत्साहन के रूप में आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों की सप्लाई करना, प्राउन फार्म संचालित करने वाले व्यक्तियों तथा निरीक्षणकर्त्ता अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना एवं पालकों के क्षेत्रों में प्राउन संवर्धन का प्रदर्शन करना ताकि उन्हें प्राउन संवर्धन की आर्थिक तथा तकनीकी क्षमता के बारे में समझाया जा सके ।

मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

*852. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलों में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी नई शाखाएं खोली गई हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या वे सभी नई शाखाएं खोल दी गई हैं, जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च, 1984 तक लाइसेंस दिए गए थे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1·4 1980 से 31·12·1983 तक के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के अनुसंगी बैंक और 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन और सिहोर जिलों में 42 शाखाएं खोली थीं। इसके अतिरिक्त इन बैंकों के पास इन जिलों में शाखाएं खोलने के 11 प्राधिकार पत्र लम्बित पड़े हैं। बैंक वार और जिला-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

बैंक का नाम	निम्नलिखित जिलों में खोली गई शाखाओं की संख्या		
	विदिशा	रायसेन	सेहोर
1	2	3	4
भारतीय स्टेट बैंक	3	1	4
भारतीय स्टेट बैंक के अनुसंगी बैंक :			
स्टेट बैंक आफ इंदौर	6 (5)	—	1
राष्ट्रीयकृत बैंक :			
इलाहाबाद बैंक	1	—	—
बैंक ऑफ इंडिया	—	—	6 (4)
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	—	—	7 (1)
सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1	1	2
इंडियन ओवरसीज बैंक	1	—	—
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	—	—	1
पंजाब नेशनल बैंक	1	—	1 (1)

1	2	3	4
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1	—	—
यूनाइटेड कार्मशियल बैंक	3	—	1
कुल	17 (5)	2	23 (6)

कोष्ठकों में दी गई संख्या बैंकों के पास लम्बित पड़े प्राधिकारपत्रों से सम्बन्धित है।

बैंकों से लम्बित पड़े प्राधिकार पत्रों का जल्दी से उपयोग करने के लिए कहा गया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा भूमिहीन और सीमान्त किसानों को मंजूर दी गई धनराशि

*853. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **वित्त** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सरकारी भूमि पर निजी प्रयोजनों के लिए पेड़ लगाने हेतु भूमिहीन और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान उक्त बैंक द्वारा मंजूर की गई और दी गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (**श्री जनार्दन पुजारी**) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक निजी कृषि भूमि पर पेड़ लगाने के लिए किसानों को दिए गए ऋणों के बदले कुछ शर्तों के अधीन पात्र वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित सुविधा उपलब्ध करता है। यह पुनर्वित व्यवस्था, किसानों अथवा सहकारी समितियों जैसे किसानों के संगठनों द्वारा दीर्घावधिक पट्टे पर ली गई अपवर्गीवृत्त (डीग्रेडिड) सरकारी भूमि पर पेड़ लगाने के लिए दिए गए ऋणों के वास्ते भी उपलब्ध है।

भूमिहीन और सीमान्तिक किसानों को दिए गए ऋणों के लिए प्रदान की गई पुनर्वित्त व्यवस्था के आंकड़े अलग से तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 1982-83 में विभिन्न राज्यों में वानिकी के लिए की गई पुनर्वित्त व्यवस्था के सबसे हाल के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(लाख रुपए)

राज्य	पुनर्वित राशि	
	वर्ष में स्वीकृत	वर्ष में संवितारित
महाराष्ट्र	1856	215

1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	363	4
मध्य प्रदेश	—	90
गुजरात	27	37
पं० बंगाल	65	8
मेघालय	—	3
	2311	357

बैंकों द्वारा रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों को दिया गया धन

*854. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों को दी गई धनराशि 30 जून, 1982 को 2000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई;

(ख) यदि हां, तो क्या 459 बड़े उपक्रम थे, जिसमें से प्रत्येक ने 1 करोड़ रुपए के बैंक ऋण ले रखे थे;

(ग) यदि हां, तो अन्य उपक्रम कौन से हैं, जिन्होंने ऋण ले रखा है और उसे वापिस नहीं किया है;

(घ) उनमें से कितने उपक्रम छोटे हैं और कितने बड़े हैं;

(ङ) सरकार ने इन उपक्रमों की रुग्णता की वास्तविकता की कहां तक जांच की है; और

(च) रुग्ण उपक्रमों से ऋण वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) : जून, 1982 के अन्त तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से सहायता प्राप्त करने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या 28,428 थी जिनके नाम बैंकों की 2298·76 करोड़ रुपए की रकम बकाया थी ।

(ख), से (घ) : इन 28,428 रुग्ण एककों में से 435 एकक बड़े एकक थे (प्रत्येक को) एक करोड़ रुपए और उससे अधिक की बैंक ऋण सीमा प्राप्त थी 1,020 मध्यम और 26,937 छोटे रुग्ण औद्योगिक एकक थे ।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार किसी एकक को रुग्ण एकक की श्रेणी में तब रखा जाता है जब उसे एक वर्ष तक बराबर घाटा उठाना पड़ रहा हो और वित्त पोषक की नजर में उस एकक को चालू वर्ष के साथ-साथ अगले वर्ष भी नकद घाटा उठाने की आशंका हो और उसके वित्तीय ढांचे में भी असंतुलन आ गया हो जैसे चालू

अनुपात 1 : 1 से कम हो गया हो और ऋण इक्विटी अनुपात की स्थिति बिगड़रही हों 1 जून, 1982 के अंत तक सूचित सभी 28,428 औद्योगिक एकक के भारतीय रिजर्व बैंक की रुग्णता की परिभाषा के अन्तर्गत आते थे और इसलिए उन्हें वास्तव में रुग्ण माना जा सकता है।

सरकार की यह नीति है कि बैंकों को चाहिए की प्रारम्भिक अवस्था में ही औद्योगिक एकक की रुग्णता का पता लगाएं, उनका अर्थक्षमता अध्ययन करे और ऐसे एककों का वित्त पोषण करें जो संम्भाव्य रूप से अर्थक्षेम समझे जाएं। तदनुसार बैंक रुग्णता के लिए जिम्मेदार तत्वों को ध्यान में रखते हुए अर्थक्षेम रुग्ण एककों के मामले में पुनः स्थापना के मिले-जुले उपाय करते हैं ताकि वे एकक अपनी देनदारियों को चुकाने के योग्य हो सकें। अक्षम रुग्ण एककों के मामलों में बैंक अग्रिमों की वापसी की मांग कर सकते हैं। प्रतिभूतियों को लागू कर सकते हैं और देय रकमों की वसूली के लिए कानूनी तरीकों का सहारा ले सकते हैं।

लौह अयस्क की वसूली

*855. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या वाणिज्य मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80, 1 80-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान गोआ की खान मालिकों से ग्रेड वार कितना लौह अयस्क खरीदा गया और प्रत्येक से खरीदे गये अयस्क का मूल्य क्या था ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान गोआ में खान मालिकों के अतिरिक्त अन्य पार्टियों से लौह अयस्क की ग्रेड-वार कितनी मात्रा में खरीदी गई ; और

(ग) उपरोक्त मात्राओं के लिए किन-किन तारीखों को विदेशों के साथ करार किये गये तथा वसूली के लिए उपरोक्त पार्टियों को कितनी-कितनी मात्रा की खरीद के लिए आशय-पत्र ठेके दिए गए और उपरोक्त अवधि के दौरान इन पार्टियों से वास्तव में कितनी-कितनी मात्रा में खरीदी गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गोआ के खान मालिकों से खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1979-80 से 1982-83 के दौरान खरीदा गया ग्रेड-वार लौह अयस्क और प्रत्येक का मूल्य सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) गोआ में, सम्पूर्ण लौह अयस्क खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा केवल खान मालिकों से सीधे खरीदा जा रहा है।

(ग) बिक्री संविदाएं तथा खरीद के स्रोत के सम्बन्ध में ब्यौरा बताना खनिज तथा धातु व्यापार निगम के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

विवरण

गोआ में खान मालिकों से खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा खरीदा गयाग्रेड-वार लौह अयस्क ।

ग्रेड	1979-80		1980-81		1981-82		1982-83	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
फाइन								
65/63	—	—	3.14	3.45	2.98	3.76	1.29	1.64
62/62	—	—	—	—	0.98	0.62	0.47	0.47
62/60	14.77	10.64	14.97	13.05	20.72	19.76	8.96	9.22
60/60	0.66	0.51	5.24	4.96	0.54	0.52	1.27	1.18
योग	15.43	11.15	23.35	21.46	25.22	24.66	11.99	12.51
डैले :								
67/65	0.91	1.19	0.65	0.89	0.15	0.23	—	—
65/63	0.93	1.12	3.99	4.42	3.18	4.69	1.61	1.70

1	2	3	4	5	6	7	8	6
65/63 (काल)	—	—	0.97	1.16	—	—	—	—
62/62	—	—	—	—	0.10	0.14	0.17	0.25
62/60	—	—	1.45	1.14	—	—	—	—
62/60 (काल)	—	—	5.73	5.02	—	—	—	—
61/60	—	—	—	—	—	—	0.87	0.92
योग	1.91	2.31	12.79	12.60	3.43	5.00	2.65	2.87
महायोग	17.34	13.46	36.14	34.06	28.65	29.72	14.64	15.38

टिप्पणी : मूल्यों का ग्रेड-वार हिसाब नहीं रखा जाता है और उस हद तक उसका अनुमान लगाया जाता है ।

एल्युमिनियम का समय पर आयात न किए जाने के कारण एल्युमिनियम एककों निर्माताओं को कठिनाई

*856 **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी**
श्रीमती किशोरा सिन्हा } : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा पिछले वर्ष एल्युमिनियम का समय पर आयात न किये जाने के कारण लघु एल्युमिनियम प्रयोक्ताओं/निर्माताओं को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो इन निर्माताओं की कुल आवश्यकता कितनी है ;

(ग) उन्होंने खनिज तथा धातु व्यापार निगम से एल्युमिनियम की कितनी मात्रा मांगी थी ; और

(घ) खनिज और धातु व्यापार निगम ने उनकी मांग को किस सीमा तक पूरा किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) 1983-84 के दौरान, सभी श्रेणियों के प्रयोक्ताओं के लिए देश मे एल्युमिनियम का आकलित आवश्यकता (सी.जी. तथा ई सी. ग्रेडों के लिए) 2 50,000 मी० टन था। इसमें से केवल 30,000 मी० टन अर्थात् कुल वार्षिक मांग के 12 प्रतिशत की व्यवस्था खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयातों के जरिए की जानी थी। 30,000 मी० टन की मात्रा में से लघु स्तरीय एककों के सम्बन्ध में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा व्यवस्थित किए जाने वाले एल्युमिनियम की मांग 12.500 मी० टन (7,800 मी० टन सी जी. ग्रेड तथा ई.सी. ग्रेड 4,700 मी० टन) था। सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, खनिज तथा धातु व्यापार निगम को केवल सी.जी. ग्रेड एल्युमिनियम के लिए वास्तविक प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के गत 8 वर्षों के दौरान किसी वर्ष में उनके अधिकतम वार्षिक उठान के 25 प्रतिशत की सीमा तक पजीकृत करना होता है। ई सी. ग्रेड के लिए, इस्पात तथा खान मन्त्रालय में एल्युमिनियम नियंत्रक खनिज तथा धातु व्यापार निगम के लिए विशिष्ट प्रस्ताविक प्रयोक्ता-वार आबंटन करता है। सी.जी. ग्रेड एल्युमिनियम के लिए, खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने कुल मिलाकर उन सेल नोट्स के सम्बन्ध मे आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है जिनके लिए फरवरी, 1984 तक लघु स्तरीय वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा वित्तीय प्रबन्ध कर दिए गए थे। बन्दरगाह पर हड़ताल के कारण मार्च, 1984 में कुछ गिरावट रही है। ई सी. ग्रेड एल्युमिनियम के लिए, खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने आयात के लिए प्राधिकृत मात्राओं के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है। अत: ई सी. ग्रेड एल्युमिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने में रही कमी खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयातों में कोई कमी होने के कारण नहीं रहा है।

गुजरात में पर्यटन स्थलों का विकास

*857. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विशेषकर गुजरात में क्या कदम उठाये गए हैं या उठाने का विचार है ;

(ख) इस उद्देश्य के लिए कितनी पूंजी परिव्यय निर्धारित किया गया है : और

(ग) छठी योजना में पर्यटन विकास कार्यक्रम के लिए गुजरात को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और इस दिशा में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) : केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के मिश्रित संसाधनों से अवस्थानुसार ढंग से एकीकृत विकास के लिए विभाग ने विभिन्न राज्य सरकारों के परामर्श से कुल 61 यात्रा परिपथ निर्धारित किए हैं जिनके अन्तर्गत भारत के 441 केंद्र आते हैं ।

जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभाग ने निम्नलिखित स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता दी है :

1. ससनगीर में मिनी बस की व्यवस्था	1.30 लाख रुपए
2. उकई में नौकाओं की व्यवस्था	2.50 लाख रुपए
3. उकई में टेंटों वाले आवास की व्यवस्था	4.36 लाख रुपए
4. गुजरात में मेले और त्यौहारों का संवर्धन	0.50 लाख रुपए
	8.66 लाख रुपए

चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने अहमदाबाद में एक परिवहन एकक खोला है ।

24.39 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर सुरेन्द्रनगर जिले के अंतर्गत अंजर में वाइल्ड एस्स सैंकचूअरि में क्यूबा हट्स के निर्माण के बारे में राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है ।

भारतीयों द्वारा विदेशों में स्थापित किए जाने वाले होटल

*858. **श्री निहाल सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन होटल मालिकों का विवरण क्या है, जिन्होंने विदेशों में अपने होटल स्थापित किए हैं तथा उनका देशवार ब्यौरा क्या है ;

(क) क्या विदेशों में स्थित इन होटलों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी भारतीय हैं और यदि नहीं, तो उनमें कितने प्रतिशत कर्मचारी भारतीय हैं ;

(ग) उक्त होटलों में कितनी विदेशी पूंजी का निवेश किया गया है ; और

(घ) भारतीयों द्वारा निकट भविष्य में विदेशों में कितने नए होटल खोले जाने की सम्भावना है तथा उनका पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

"आयोध्या हिल" का विकास करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव

*859. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में "आयोध्या हिल" का विकास करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केंद्रीय सरकार ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) जी, हां । "आयोध्या हिल" पर 8 कुटीरों का निर्माण करने के बारे में राज्य सरकार से जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है वह राज्य सरकार के परामर्श से सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया है ।

1984-85 के दौरान निर्यात लक्ष्य

*860. **श्री हरीश रावत** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984-85 के दौरान निर्यात क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह लक्ष्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० संगमा) : (क) तथा (ख) 1984-85 के लिए निर्यात लक्ष्य तैयार किया जा रहा है ।

सेंचुरियन टैंकों के फालतू पुर्जे

*861 **श्री रशीद मसूद** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 1980 में सेंचुरियन टैंक के

जिन फालतू पुर्जों को "कबाड़" और उपयोग के अयोग्य समझा गया था और जिनका कुछ भाग बेच दिया गया था, उन्हें अब टैंकों के ओवरहाल और मरम्मत के लिए उपयोग के योग्य और उपयुक्त पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और 1980 में "कबाड़" घोषित किए गए फालतू पुर्जे टैंकों के ओवरहाल में अब कैसे उपयोग के योग्य और उपयुक्त पाए गए ; और

(ग) पहले के मूल्यांकन के आधार पर "कबाड़" घोषित किए गए और बेच दिए गए फालतू पुर्जों की मात्रा और मूल्य कितना है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) सेंच्यूरियन टैंक के फालतू पुर्जों को "कबाड़" और अनुपयोगी नहीं समझा गया था अपितु ये हमारी आवश्यकताओं से अधिक थे इसीलिए उन्हें बेच दिया गया था । इनको बाद में इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि इन टैंकों को फिर से उपयोग में लाने की सम्भावना नहीं है ।

(ग) फालतू पुर्जों की अधिक समझी जाने वाली 127 मदें 9 लाख अमेरिकी डालरों में बेच दी गई थीं ।

कुड्डप्पा के लिए वायुदूत सेवा

*862. **श्री के० ओबुल रेड्डी** : क्या **पर्यटन के नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुड्डप्पा से होकर वायुदूत सेवा अथवा एयरो सेवा चलाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो कुड्डाप्पा को जोड़ने के लिए वायुदूत सेवा चलाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) क्या कुड्डप्पा हवाई अड्डे की मरम्मत की जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) कुड्डप्पा उन स्टेशनों में से एक हैं जिन्हें वायुदूत सेवाओं के प्रचालन के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया गया है ।

(ख) वायुदूत ने इस बात का जायजा लेने के लिए कुड्डप्पा का एक यातायात सर्वेक्षण किया है कि क्या यातायात संभाव्यता से एक ऐसी सेवा का औचित्य सिद्ध होता है जो आर्थिक-दृष्टि से व्यवहार्य हो ।

(ग) हवाई अड्डे का विकास कार्य वायुदूत द्वारा यहां के लिए प्रचालन करने सम्बन्धी निश्चित योजनाओं का संकेत देने, तथा निधियां उपलब्ध होने पर ही आरम्भ किया जाएगा ।

सहकारी कताई मिलों द्वारा धागे का उत्पादन

9021. **श्री अशफाक हुसेन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 से 1982-83 के दौरान सरकारी कताई मिलों द्वारा मिल-वार और वर्ष-वार कितने धागे का उत्पादन किया गया ;

(ख) इस अवधि के दौरान मिल-वार और वर्ष-वार कितने हैंक-धागे और गैर-हैंक धागे का उत्पादन किया गया ; और

(ग) हथकरघा बुनकर सहकारी कताई मिलो, विद्युतचालित बुनकर सहकारी मिलों और कपास उत्पादकों की सहकारी मिलों द्वारा धागे के उत्पादन के उपर्युक्त सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) : से (ग) आंकड़े एकत्र कए जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिए जाएंगे ।

सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया दिल्ली नई दिल्ली में कोआपरेटिव सोसाइटियां

9022. **श्री टी० नागरत्नम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, दिल्ली/नई दिल्ली क्षेत्र के कर्मचारियों की कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड सोसाइटीज की संख्या क्या है ।

(ख) उपरोक्त प्रत्येक कोआपरेटिव सोसाइटी को बैंक द्वारा क्या सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं ;

(ग) क्या सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया वीकर सेक्शनस एम्पलाइज कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड द्वारा भी अन्य समितियों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की भांति समान सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए बैंक से अनुरोध किया गया है ;

(घ) क्या बैंक द्वारा कम सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया वीकर सैक्शन इम्पलाइज कोआपरेटिव थिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड के सदस्यों के वेतन से सोसाइटी की बकाया राशि को वसूल करने की सुविधा प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो प्रभावी तिथि क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिल्ली और दिल्ली के क्षेत्रों में सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों को कोआपरेटिव सोसाइटियों के नाम ये हैं :

1. सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया स्टाफ कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड चांदनी चौक, दिल्ली ।

2. नई दिल्ली सेंट्रल बैंक कर्मचारी थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी, जन-थ, नई दिल्ली ।

3 सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया वीकर सेक्शन एम्पलाइज कोआपरेटिव थिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लि०, सदर बाजार, दिल्ली ।

(ख) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया स्टाफ कोआपरेटिव थिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लि०, चांदनी चौक, दिल्ली को ओवर ड्राफ्ट की सुविधा दी गई है और परिसर भी दिया गया है । नई दिल्ली सेंट्रल बैंक कर्मचारी थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी, जनपथ, नई दिल्ली को केवल कार्यालय परिसर दिया गया है ।

(ग) से (च) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया वीकर सेक्शन एम्पलाईज कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी ने बैंक से ओवर ड्राफ्ट की सुविधाएँ और कार्यालय के स्थान के लिए कहा है जिस पर बैंक मैनेजमेंट विचार कर रहा है ।

मैसर्स संचेती फाइनेंस कारपोरेशन, मद्रास पर मारे गए छापे से वसूल किया गया कर और पुरस्कार की धन राशि का भुगतान

9023. **श्री राम लाल राही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 22 फरवरी, 1982 को मैसर्स संचेती फाइनेन्स कारपोरेशन आफ मद्रास पर मारे गये छापे के परिणामस्वरूप कर के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई और इस मामले की अब क्या स्थिति है ;

(ख) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय द्वारा यह प्रचार किया गया है कि सूचना देने वाले को अब पहले की भांति कर वसूली तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और काले धन को पकड़ने के तुरन्त पश्चात सूचना देने वाले को 2.5 प्रतिशत पुरस्कार का भुगतान कर दिया जायेगा और यदि आयकर आयुक्त अथवा निरीक्षण निदेशक उचित समझता है तो बकाया 7.5 प्रतिशत पुरस्कार भी दिया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में पुरस्कार धनराशि को न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) , (क) मैसर्स संचेती ग्रुप आफ मद्रास के मामलों में दिनांक 22 फरवरी, 1982 को ली गई तलाशी के दौरान 10.5 लाख रुपये की नकदी पकड़ी गई थी : धारा 132 (5) के अन्तर्गत पारित किए गए अन्तरिम आदेश में यह नकदी उस ग्रुप की छिपाई गई आय समझी गई थी । तथापि अन्तिम कर-निर्धारण अभी पूरे नहीं हुए हैं । आयकर अधिकारी ढेर-सारी लेखा पुस्तकों और पकड़े गए अन्य रिकार्ड की जांच कर रहा है ।

सूचनादाता को 25,000/- रुपये का अधिकतम अनुदेय अंतरिम पुरस्कार दिया जा चुका

हैं। कर-निर्धारणों के पूरा होने और कर वसूल किए जाने के बाद ही अंतरिम पुरस्कार का अभिनिश्चय किया जा सकता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राइवेट होटलों की शुद्ध आमदनी

9024. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान मौर्य शेराटन, ताज, ओबराय शेराटन जैसे प्राइवेट होटलों की शुद्ध आमदनी कितनी रही ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

ईस्ट इण्डिया होटल्ज, आई० टी० आई० सी० और भारतीय होटल कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार आय लाभ का ब्यौरा इस प्रकार है :

होटल-कम्पनी का नाम	स्वरूप	वर्ष 1982-83 के लिए	वर्ष 1983-84 के लिए
1) ओबराय टावर्ज बम्बई	कर के बाद लाभ	330 लाख रुपये	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। *
2) ओबराय इन्टर-कांटीनेंटल, नई दिल्ली	—वही—	162 लाख रुपये	-वही-
3) मौर्य शेराटन, नई दिल्ली	शुद्ध परिचालन लाभ	507.36 लाख रुपये	240.30 रु. (केवल जुलाई से जनवरी तक)
4) मुगल शेराटन, आगरा	—वही—	62.04 लाख रुपये	55.50 रु० (जुलाई से जनवरी तक केवल 7 मास के आंकड़े)
5) इण्डियन होटल कम्पनी ** ताज महल, दिल्ली ताज पैलेस, दिल्ली	कुल लाभ	449.00 लाख रुपये	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। *

1	2	3	4
	ताज महल, बम्बई ताज हालीडे विलेज, गोआ एवं फ्लाइट किचन दिल्ली और बम्बई के लिए ।		

नोट : x चूंकि वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, वर्ष 1983-84 के लेखा व परीक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

xx ताज ग्रुप होटल के अनुसार वे प्रत्येक एकक के अलग से लेखे नहीं रखते । एकक के अपने लेखे में केवल प्रत्यक्ष खर्च शामिल होते हैं । उसके बाद, संवर्धनात्मक दौरों, विदेशों में विज्ञापन, प्रशिक्षण और विकास के सम्बन्ध में विभिन्न संस्थानों पर कार्यरत कार्पोरेट स्टाफ बिक्री व आरक्षण कार्यालयों के संयुक्त खर्चों के लिए पुन: आबंटन किया जाता है । प्रत्येक यूनिट द्वारा आयकर भी अलग से नहीं दिया जाता और करपूरी कम्पनी के लाभ पर सामूहिक रूप से दिया जाता है ।

मैसर्स मझगाँव डाक लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन तालुक में दिघी में भूमि का अधिग्रहण

9025. **श्री जे० एस० पाटिल** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स मझगाँव डाक लिमिटेड ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन तालुक में दिघी में भूमि अधिग्रहीत की है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त सरकारी उपक्रम ने कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया है और किस उद्देश्य से किया है ;

(ग) स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यह भूमि किस अवधि के दौरान अधिग्रहीत की गई ;

(घ) क्या उक्त अधिग्रहण के लिए किसान सहमत हो गए थे और यदि हां, तो किस दर पर सहमति हुई थी ; और

(ङ) क्या किसानों को देय कोई मुगतान अभी भी बकाया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रायय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां ।

(ख) माझ गाँव डाक लिमिटेड की अपतटीय गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 128 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया जिसमें 114 एकड़ भूमि निजी है और 14 एकड़ भूमि सरकारी है ।

(ग) भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित अधिसूचनायें राज्य सरकार ने मार्च और अप्रैल 1982 में प्रकाशित की थीं।

(घ) भूमि का अर्जन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, इसीलिए कोई सहमति लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मुआवजा निर्धारित करने के लिए कलेक्टर का निर्णय मार्च, 1984 में दिया गया और माफ गाँव डाक लिमिटेड ने अपेक्षित निधियां दे दी हैं। कलेक्टर द्वारा किसानों को अदायगी करने की कार्यवाही की जा रही है।

तमिलनाडु स्माल स्केल सोप एण्ड डिटरजेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, मद्रास से प्राप्त ज्ञापन

9026. **श्री ई० लालानन्दन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें तमिलनाडु स्माल स्केल सोप और डिटरजेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, मद्रास से दिनांक 10 मार्च, 19 4 का ज्ञापन प्राप्त हुआ ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की विषय वस्तु क्या है ; और

(ग) क्या सरकार उस पर अपना निर्णय सूचित करेगी ताकि साबुन और डिटरजेंट के लघु निर्माता आयातित माल के लिए आवेदन दे सकें और उसकी कीमत दे सकें तथा अबाध रूप से अपना कारोबार कर सकें ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) और (ख) तमिलनाडु स्माल स्केल सोप और डिटरजेंटस मन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, मद्रास, से दिनांक 10 मार्च, 1984 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमे एसोसिएशन ने यह बताया है कि "राज्य व्यापार निगम ने लिनिअर ऐलकिल बेंजोन के कुछेक उपभोक्ताओं को यह सूचित किया था कि सामग्री की दर लगभग 19,000/- रुपये प्रति मी० टन होगी। ऐसा यह मान कर किया गया था कि लिनिअर ऐलाकिल बेंजीन पर सीमा शुल्क, डोडेसिल ऐलाकिल बेंजीन से कम था। किंतु, अब उन्हें यह सूचित किया गया है कि सीमा शुल्क विभाग दोनों सामग्रियों पर समान दर से शुल्क वसूल कर रहा है।" एसोसिएशन ने यह अनुरोध किया है कि "उनके हक में फैसला किया जाए ताकि राज्य व्यापार निगम लिनिअर ऐलाकिल बेंजीन के मूल्य को घटाकर वाजिब स्तर तक ला सकें।"

(ग) मामला विचाराधीन है।

विदेशी नौकाओं का पकड़ा जाना

9027. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1983 तक पिछले तीन महीने में कितनी विदेशी नौकाएं पकड़ी गईं और प्रत्येक मामले में नौका-वार न्यायालय का निर्णय क्या था ;

(ख) क्या न्यायालय के आदेश पर अनेक नौकाओं को जब्त कर लिया गया है और इन नौकाओं के उपयोग के लिए क्या कार्यवाही की गई है और प्रत्येक नौका के सम्बन्ध में ब्योरा क्या है 1

(ग) क्या कलकत्ता में उच्च न्यायालय में एक अपील में सरकारी वकील उपस्थित नहीं हुआ था और अपील एकतरफा निर्णय दे दिया गया था और वह निर्णय शासन के पक्षों में नहीं गया ;

(घ) यदि हां, तो उस वकील का विवरण क्या है और उसे इस अपील के लिए किसने नियुक्त किया था और उस वकील के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ;

(ड.) क्या उक्त वकील को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन की ओर से कोई सार-संक्षेप में दिया गया था ; और

(च) यदि हां, तो ऐसे मामले कौन से हैं और क्या आदेश प्रशासन के विपक्ष में गए अथवा पक्ष में और प्रत्येक मामले का अलग-अलग ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया—कोल में संख्या एल० टी० : 8299/84]

(ग) से (च) गृह मन्त्रालय अंडमान निकोबार प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है।

जनेवा में विश्व मौसम विशेषज्ञों के सम्मेलन में मौसम पर "ई०एल०एन०आई०एन०ओ०" के प्रभाव का अध्ययन

9028. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1983 में जनेवा में हुए विश्व मौसम विशेषज्ञों के सम्मेलन में भारत को "ई०एल०एन०आई०एन०ओ०" के प्रभाव का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने अब तक मौसम पर "ई०एल०एन०आई०एन०ओ०" के प्रभाव का गहन अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो "ई०एल०एन०आई०एन०ओ०" के प्रभाव को रोकने के लिए किए गए अध्ययन की उपलब्धियां क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क), से (घ) जी, नहीं। जनेवा सम्मेलन में "ई०एल०एन०आई०एन०ओ०" के प्रभाव का अध्ययन करने का कोई विशेष कार्य भारत को नहीं सौंपा गया था। तथापि, विश्व मौसम संगठन के दीर्घ परास पूर्वानुमान अनुसंधान सम्बन्धी कार्यक्रम में यह विषय सम्मिलित है। भारत विश्व मौसम संगठन के सदस्य देशों में से एक है तथा इसकी इस कार्यक्रम में रुचि है। भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय मौनसून पर "ई०एल०एन०आई०एन०ओ०" के प्रभाव का अध्ययन किया है। "ई०एल० एन०आई०एन०ओ०" तथा भारतीय मौनसूनी वर्षा के बीच कोई महत्वपूर्ण मेलजोल प्रतीत नहीं होता है। पिछले 100 वर्षों के दौरान 25 प्रमुख "ई०एल०एन०आई०एन०ओ०" वर्षों में से 5 में भारत में मौनसून के दौरान भयंकर सूखे की स्थिति रही।

खनिज और व्यापार निगम का अलौह धातुओं को हाईसीज आधार पर बेचना

9029. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने उद्योग की सभी अलौह वस्तुओं को 'हाई-सीज' आधार पर बेचने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक युक्तिसंगत है और मुख्य इस्पात बाजार के लेने-देन और कलकत्ता में व्यापार और उपभोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) पहले से ही कम उपलब्ध इन वस्तुओं में सट्टेबाजी और मूल्यों में कितनी वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम कुछ अलौह धातुओं को पहले ही खुले समुद्र आधार पर बेच रहा है तथा इसी आधार पर कुछ और धातुओं को बेचने का इरादा है। तथापि, ग्राहक अपनी इच्छानुसार खनिज तथा धातु व्यापार निगम के गोदामों में खरीद जारी रख सकते हैं जैसे कि इस समय है।

(ख) तथा (ग) अनेक पार्टियों ने अलौह धातुओं के लिए खुले समुद्र बिक्री आधार के लिए निरन्तर मांग की क्योंकि एक ओर इससे लागत में कमी होती है तथा दूसरी ओर पोत के पहुंचने के बाद उन्हें माल जल्दी प्राप्त होता है क्योंकि माल को खनिज तथा धातु व्यापार निगम के गोदामों में ले जाने में लगने वाला समय बच जाता है। खुली समुद्र बिक्री इसी उद्देश्य से शुरू की गई। खुले समुद्र में उन ग्राहकों को बिक्री से जो इस आधार पर खरीद को प्राथमिकता देते हैं, मुख्य इस्पात बाजार के लेन-देन अथवा कलकत्ता में व्यापार अथवा अन्य उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है। ऐसी बिक्रियों से मूल्य में वृद्धि होने अथवा सट्टेबाजी, अथवा किसी मद की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की भी आशा नहीं है।

रक्षा निपटान कोटा संसद सदस्यों/विधान सभा/सदस्यों को आबंटित जीपों के मूल्यों को निर्धारित करने का मानदण्ड

9030. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा निपटान कोटे से संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों को आवंटित जीपों के मूल्यों को निर्धारित करने का मानदण्ड क्या है;

(ख) क्या संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों से जो मूल्य लिया जाता है वह सार्वजनिक नीलामियां के माध्यम से बेची जाने वाली इसी प्रकार की जीपों के मूल्यों की तुलना में सामान्यत अधिक होती है;

(ग) क्या सरकार का संसद सदस्यों/विधान सभा के सदस्यों को बेची गई पुरानी जीपों की पुन: बिक्री पर लगी वर्तमान पाबंदी को समाप्त करने का और इसकी बिक्री सार्वजनिक नीलामियों के द्वारा बेची गई जीपों की भांति करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में रक्षा कोटे से विशेष मूल्यों पर जिन पर उनकी खरीद की जाती है, संसद सदस्यों/विधान सभा के सदस्यों को नई जीपों को आवंटित करेगी और वर्तमान की भांति जीपों के अन्तकरण और पुन: बिक्री पर पाबंदियां लगायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) रक्षा निपटान कोटे के वाहनों में से संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों को नियत मूल्य पर वाहन आबंटित किए जाते हैं। यह मूल्य प्रत्येक श्रेणी के वाहन की सार्वजनिक नीलामी से प्राप्त औसत मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब तक ये कीमतें पिछले छ: महीनों अर्थात् जुलाई से दिसम्बर और जनवरी से जून में हुई नीलामियों में प्राप्त कीमतों के आधार पर वर्ष में दो बार (जैसे अप्रैल/अक्टूबर) नियत की जाती थीं। परन्तु 1 अप्रैल, 1984 से वाहनों की कीमतें 1-4-1984 से 31-3-1982 तक एक वर्ष के लिए पिछले छ: महीनों के दौरान नीलामियों में प्राप्त औसत कीमतों के आधार पर नियत की जाएगी।

(ख) संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों से वाहन का मूल्य पिछले छ: महीने के दौरान नीलामियों में बिक्री वाहनों की कीमतों के औसत मूल्य के आधार पर वसूल किया जाता है जो नीलामियों में बिक्री अधिकतम कीमत से कम है लेकिन निम्नतम कीमत से अधिक होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी नहीं।

बेमौसम की वर्षा का अध्ययन करने के लिए विदेशी सहायता

9031. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बेमौसम की वर्षा, जिसके कारण आए वर्ष फसलों को नुकसान हो रहा है, का अध्ययन करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मलमल की साड़ी

9032. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मार्च, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि नवादीप कुछ चुने हुए बुनकर मलमल की इतनी महीन साड़ी बुनते हैं, जो किसी दुल्हन की अंगूठी में से निकल सकती है; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) सामग्री एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

खनिजों का आयात और निर्यात

9033. **श्री नवीन रावणी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान कुल कितने मूल्य के खनिजों का निर्यात किया गया और निर्यात किये गये महत्त्वपूर्ण खनिजों के नाम क्या हैं;

(ख) वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान कुल कितने मूल्य के खनिजों (तेल के अतिरिक्त) का आयात किया गया और आयात किये जा रहे मुख्य खनिजों के नाम क्या हैं; और

(ग) आगामी पांच वर्षों के दौरान खनिजों के आयात को कम करने और निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष 1980 81 तथा 1981-82 के दौरान निर्यात किये गये अपरिष्कृत खनिज पदार्थों तथा धात्विक लौह का कुल मूल्य क्रमशः 421 करोड़ रु० एवं 717 करोड़ रु० रहा । खनिज पदार्थों के निर्यात की महत्त्वपूर्ण मदें थी : लौह अयस्क, अपरिष्कृत तथा परिष्कृत पैट्रोलियन, अभ्रक एवं मैंगनीज अयस्क । 1981-82 के बाद के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ख) 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान खनिज तेलों को छोड़कर अपरिष्कृत खनिज पदार्थों एवं धात्विक लौह का आयात क्रमशः 258 करोड़ रु० एवं 309 करोड़ रु० रहा। इस समूह में आयात की महत्त्वपूर्ण मदें थीं गन्धक (उत्कृष्ट को छोड़कर) कच्चे उर्वरक (खनिज फास्फेट अनग्राउंड), एस्बेस्टोस, कुकिंग कोल, तांबा तथा निकल। वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) खनिज पदार्थों के आयात कम करने के सम्बन्ध से निम्नांकित महत्त्वपूर्ण उपाय किये जा रहे हैं :

(1) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) विशेष रूप से उन खनिज स्रोतों का खोज करने तथा मूल्यांकन के लिये देश के विभिन्न हिस्सों में भू-गौलिक वैज्ञानिक जांच में लगे हुए हैं जो कि आन्तरिक उद्योगों तथा हमारे राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के लिए आवश्यक हैं;

(2) भू-विज्ञान के अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नवीनतम विकास के अनुरूप, जी० एस० आई० आधुनिक प्रौद्योगिकी अपना कर अपनी परम्परागत प्रणालियों को बदल रहा है। जी० एस० आई० ने हाल ही में समुद्र-मंथन नामक एक गवेषणा-जलयान प्राप्त किया है ताकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में पूरी तरह से आर्थिक क्षेत्र का सुचारु ढंग से नक्शा तैयार किया जा सके। इसे 1984 में दो तटीय गवेषणा नौकाएं प्राप्त होंगी ताकि तटीय क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और मानचित्र तैयार किया जा सके। जी० एस० आई० अन्तरिक्ष विभाग का इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का भी उपयोग करेगा। भौगोलिक मानचित्र संशोधित करने के लिये हवाई चुम्बकीय सर्वेक्षणों के लिये अपना निजी हवाई जहाज प्राप्त करने के लिये योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

निर्यातों को बढ़ाने के लिए किये जा रहे उपायों के सम्बन्ध में, देश से खनिज पदार्थों तथा अयस्कों के निर्यात संवर्धन हेतु निम्नांकित प्रमुख उपाय किए गए हैं :

(1) दीर्घाविधि आधार पर निर्यात निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से पत्तनों पर अब स्थापना सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार लाया गया है;

(2) परम्परगत क्षेत्रों में बेहतर विपणन तकनीकें अपना कर निर्यातों में वृद्धि करने के लिए निरन्तर प्रयास किए गए हैं; और

(3) नए बाजारों में विविधता लाकर निर्यातों को बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं।

विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी करने वालों की गिरफ्तारी

9034. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 और वर्ष 1984 के पहले तीन महीनों के दौरान विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी करने वाले कितने लोग गिरफ्तार किए गए;

(ख) वे लोग किन शहरों में काम कर रहे थे;

(ग) कुल कितनी राशि की धोखा-धड़ी की गई; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) (क) से (घ) : वर्ष 1983 के दौरान प्रवर्त्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में विदेशी मुद्रा का अनधिकृत क्रय/विक्रय करने अथवा प्राप्त करने/प्रतिपूरक (हवाला) अदायगियां करने आदि तरीके से विदेशी मुद्रा की कथित जालसाजी के लिए, 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इन व्यक्तियों द्वारा किए गए इस प्रकार के अनधिकृत सौदेबाजी में ग्रस्त कुल राशि लगभग 14 करोड़ रुपये है।

1984 के पहले तीन महीनों अर्थात् 1-1-1984 से 31-3-1984 तक के दौरान निदेशालय द्वारा पकड़े गए ऐसे व्यक्तियों की संख्या तीन थी तथा इन व्यक्तियों द्वारा की गई अनधिकृत सौदेबाजी में ग्रस्त रकम लगभग 8 लाख रुपये है।

गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति बम्बई अथवा दिल्ली के निवासी हैं। चार व्यक्तियों को कोफेफोसा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया था।

इन व्यक्तियों के मामलों में से कुछ के खिलाफ विभागीय न्याय निर्णयन की कार्यवाही पहले ही आरम्भ की जा चुकी है। आठ व्यक्तियों के मामले में अदालतों में अभियोजन चलाए गए हैं। अन्य मामलों में जांच-पड़ताल जारी है। जांच-पड़ताल पूरी हो जाने पर कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में सामाजिक वानिकी परियोजना के लिए कनाडा के साथ करार

9035. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आध्र प्रदेश में एक बड़ी सामाजिक वानिकी परियोजना में सहयोग के लिए भारत और कनाडा के बीच हाल ही में एक ब्याज मुक्त ऋण के करार पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) और (ख) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश में सामाजिक वनपालन परियोजना में सहायता देने के लिये 23 मार्च, 1984 को 44 लाख कनाडी डालर के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस ऋण को 50 वर्ष की अवधि में वापस लौटाया जाना है, जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है। इस ऋण पर कोई ब्याज या वचनबद्धता प्रभार अथवा सेवा प्रभार नहीं लगेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों के रूप में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की नियुक्ति

9037. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 30 व्यावसायिक चार्टर्ड एकाउन्टेंटों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की नियुक्तियां करने के मानदण्ड क्या हैं और किस-किस राष्ट्रीयकृत बैंक में किस-किस चार्टर्ड एकाउन्टेंट को नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में अभी भी निदेशकों के 18 स्थान रिक्त हैं और

(घ) यदि हां, तो इन रिक्त पदों के किस तारीख तक भरे जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1970 और 1980 की धारा 3 की उपधारा (च) के अधीन सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के बाद 1982 में तीन वर्षों की अवधि के लिए, जब इन बोर्डों का गठन/पुनर्गठन किया था, 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक बैंक के निदेशक मण्डल में एक-एक चार्टर्ड लेखाकार को निदेशक के रूप में नियुक्त किया था पहली मार्च, 1984 से यथासंशोधित 1970 और 1980 की राष्ट्रीयकरण स्कीमों की धारा 9 के अधीन ये निदेशक केन्द्र सरकार के प्रसाद पर्यन्त अपना पदग्रहण करेंगे । चार्टर्ड लेखाकारों के नाम, जिन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. संलग्न विवरण (अनुबंध-I) में दिए गए हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 4300/84]

(ग) और (घ) : 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में निदेशकों की रिक्तियों की संख्या को दिखाने वाला विवरण (अनबंध-II) में दिया गया है। इन रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । [ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी०—4300/84)

मनुष्य के बालों का निर्यात

9038. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान मनुष्यों के बालों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उससे कितनी आय अर्जित की गई; और

(ख) मनुष्यों के बालों को एकत्र करने के तरीके में परिवर्तन करने और उन्हें और अधिक रचनात्मक स्वरूप देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1983-84 के दौरन 21,20 लाख रु० मूल्य के 310 मे० टन मनुष्य के बालों का निर्यात किया गया ।

(ख) इस समय निर्यातों के लिए मनुष्य के बाल एकत्र करने की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

विभिन्न विभागों द्वारा किया गया व्यय

9039. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों ने अपने प्रशासन पर कुल बजट व्यवस्था का कितना प्रतिशत व्यय किया है; और

(ख) उसका कितना प्रतिशत निर्माण, खरीद अथवा अन्य मुद्दों पर व्यय हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) केन्द्रीय सरकार (सिविल) के विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 1982-83 के दौरान प्रशासन (वेतन व भत्ते) पर 1034 करोड़ रुपये खर्च किए गए जबकि कुल राजस्व व्यय 14,464 करोड़ रुपये है। यह इसका 7.16 प्रतिशत है।

(ख) 1982-83 के दौरान निर्माण (लोक निर्माण, आवास और सड़क तथा पुल), इसमें खरीद तथा इससे सम्बद्ध अन्य मदें शामिल हैं, पर 299.83 करोड़ रुपये व्यय हुआ जबकि पूंजीगत व्यय 14,101 करोड़ रुपये हुआ। यह इसका 2.12 प्रतिशत है।

टिप्पणी : वर्ष 1983-84 के लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए वर्ष 1982-83 से सम्बन्धित जानकारी ही प्रस्तुत की गई है।

उपकर से प्राप्त कर

9040. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपकर से प्राप्त होने वाला कर कम एकत्रित हुआ है और सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए अध्ययन करवाया है;

(ख) वर्ष 1983-84 की प्रथम तिमाही में उपकर से कितना कर कम प्राप्त हुआ है और उन बड़ी 10 कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने उपकर कम दर्शाया है;

(ग) क्या यह सच है कि कम उपकर प्राप्त होने का मुख्य कारण उन उपभोक्ता उत्पादन कम्पनियों को लाभ कम होना है जिन्हें 20 प्रतिशत विज्ञापन की अनुमति नहीं दी गई है; और

(घ) उपभोक्ता उत्पादन कम्पनियों से प्राप्त होने वाले उपकर में कमी के कारण सरकार को कितना नुकसान हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०एम० कृष्णा) : (क) वित्तीय वर्ष 1980-81 से 1982-83 के दौरान उपकर की वसूली निम्न प्रकार से है :

वित्तीय वर्ष	अतिकर की वसूली
1980-81	21.54 करोड़ रु०
1981-82	48.73 करोड़ रु०
1982-83	69.31 करोड़ रु०

वर्ष 1983-84 से सम्बन्धित वसूली के आंकड़े दिसम्बर, 1983 तक उपलब्ध हैं। दिसम्बर 1982 तक वसूल किए गए 10.36 करोड़ रु० के मुकाबले 11.66 करोड़ रुपये की अतिकर वसूली की गयी, जिसे 1.30 करोड़ रुपये की वृद्धि का पता चलता है। उपर्युक्त आंकड़ों में अतिकर की वसूली में गिरावट की प्रवृत्ति नहीं दीख पड़ती। इस दृष्टि से अध्ययन करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

औषधि कम्पनियां का निर्यात-निष्पादन

9041. **श्री बालासाहब विखे पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार औषधि कम्पनियां अर्थात् फाइजर, ई० मर्क, जान्सन एण्ड जान्सन और साइनामिड निर्यात दायित्वों के मामले में रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निदेशों का पालन कर रही हैं;

(ख) वर्ष 1982-83, 1983-84 के दौरान उनका निर्यात-निष्पादन कैसा रहा है; और

(ग) इन फर्मों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की और भारतीय रिजर्व बैंक को उसकी जानकारी दी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) से (ग) चारों कम्पनियां के निर्यात दायित्व के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक कोई निदेश नहीं दिए हैं। इसलिए निर्यात सम्बन्धी अपनी उपलब्धियों के सम्बन्ध में उनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास रिपोर्ट भेजना जरूरी नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रेषणाओं का जो ब्यौरा एकत्रित किया है उससे यह प्रकट होता है कि इन चारों कम्पनियों ने 1980, 1981 तथा 1982 में निम्नलिखित निर्यात सम्पन्न किया :

कम्पनी का नाम	वर्ष	निर्यात
1	2	3
		रुपये
1. फाइजर लि०	1980	5,21,648
	1981	4,31,673
	1982	3,38,839
2. ई० मर्क	1980	81,20,235
	1981	1,05,46,372

1	2	3
	1982	1,08,15,941
3. जानसन एण्ड जानसन	1980	29,22,675
	1981	51,16,728
	1982	15,71,889
4. सिनेमिड इंडिया लि०	1980	12,79,523
	1981	2,77,210
	1982	8,60,218

1983 में इनके द्वारा किए गए निर्यात के आकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाओं की पुनरीक्षा

9042. **श्री बाजू बन रियान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाओं की पुनरीक्षा करने हेतु एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष सुविधायें बढ़ाने के संबंध में उनकी सिफारिशें क्या है;

(घ) क्या उक्त समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के सभी असैनिक कर्मचारियों को विशेष (ड्यूटी) भत्ता देने की सिफारिश की थी;

(ङ) क्या भारत सरकार ने यह विशेष (ड्यूटी) भत्ता केवल ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया है, जिनका बार-बार स्थानान्तरण होता है और जो आय कर देते हैं; और

(च) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के अन्य वर्ग के ऐसे कर्मचारियों को उक्त भत्ता न देने के क्या कारण हैं, जो उन्हीं कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं जिनमें अन्य (अधिकारी) काम कर रहे हैं जिनमें उक्त भत्ता मंजूर किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कार्यरत केन्द्रीय सिविल सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को स्वीकार्य भत्तों और सुविधाओं की समीक्षा करने तथा उनमें उचित सुधारों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है और ऐसी सिफारिशों जिनका इस मंत्रालय से संबंध हैं, के बारे में आदेश 14 दिसम्बर, 83 और 24 मार्च, 84 को जारी किये गये थे (प्रतियां संलग्न हैं)। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० —8301/84]।

(घ) से (च) समिति की सिफारिश के अनुसार, ऐसे केन्द्रीय सरकारी असैनिक कर्मचारियों को जिनका अखिल भारतीय स्तर पर स्थानान्तरण का दायित्व है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्सासन के रूप में विशेष (ड्यूटी) भत्ता मंजूर किया गया है। लेकिन इनमें से ऐसे कर्मचारी, जिन्हें आयकर से छूट मिली हुई हैं, विशेष (ड्यूटी) भत्ता के पात्र नहीं होगें। अन्य कर्मचारियों का कार्य क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग में सीमित होने के कारण, उन्हें विशेष (ड्यूटी) भत्ता जैसा कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन देना न्यायोचित नहीं पाया गया है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक में क्लर्क-कम कैशियर पदों के लिये एप्रेन्टिस ट्रेनीज की भर्ती

9043. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने कलर्क--कम-कैशियर पदों के लिये एप्रेन्टिस ट्रेनीज भर्ती किये थे और इसके राष्ट्रीयकरण के बाद भी उन्हें छः महीने के लिये 250 रू० प्रतिमाह दिये थे और छः महीने की इस अवधि की किसी भी प्रयोजन के लिये गिनती नहीं की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों को प्रतिमाह 250 रूपये की इतनी कम राशि दी जाती है;

(घ) यदि नहीं, तो पंजाब एण्ड सिंध बैंक में ऐप्रेन्टिस ट्रेनीज को राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों के क्लर्क-कम-कैशियर पदों के बराबर क्यों नहीं माना गया है; और

(ङ) उपर्युक्त एप्रेंटिसशिप ट्रेनीज को न्याय दिलाने और उन्हें छः महीने की बकाया राशि दिलाने तथा इस अवधि को नियमित सेवा मानने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) शास्त्री और देसाई एवार्डों के सम्बद्ध पैराग्रापों के अनुसार, बैंक अधिक से अधिक 12 महीनों के लिए एप्रेंटिस रख सकते हैं, लेकिन वे उन व्यक्तियों के मामले में ऐसा नहीं कर सकते हैं जो बैंकों में काम करते हों ताकि वे इंस्टिट्यूट आफ बैंकर्स की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकें एप्रेंटिसों को दी जाने वाली राशि बैंकों के विवेक पर छोड़ दी गयी है जो एप्रेंटिसों को दिए जाने वाले काम की मात्रा पर निर्भर करती है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रीकरण के बाद से उसने कोई नए एप्रेंटिस नहीं रखे हैं, लेकिन राष्ट्रीयकरण से पूर्व रखे गए कुछ एप्रेटिसों ने राष्ट्रीयकरण के बाद प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ऐसे एप्रेंटिसों को पत्तन नगरों में 300 रुपये प्रतिमास और अन्य नगरों में 250 रूपये प्रति मास के हिसाब से जेब खर्च भत्ता दिया गया था। प्रशिक्षार्थी के रूप में रखे जाने की शर्तों के अनुसार, एप्रेंटिस द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण से उसे बैंक में नौकरी का कोई हक नहीं मिल जाता। लेकिन उनमें से जो व्यक्ति बैंक में नियमित नियुक्ति के लिए आवेदन करते हैं उनके बारे में

नियमित नियुक्ति के लिए उस स्थिति में विचार किया जाता है यदि वे अन्यथा योग्य समझे जाएं। बैंक के अनुसार, चूंकि बैंक में की गयी एप्रेंटिसशिप नियमित नियुक्ति नहीं है, इसलिए एप्रेंटिसों को अन्य नियमित कर्मचारियों के समान मानने अथवा एप्रेंटिसशिप की अवधि की नियमित नियुक्ति के बराबर मानने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

बिजली करघों के बुनकरों द्वारा प्रायोजित सहकारी कताई मिलों को वित्तीय सहायता

9044. **श्री भोखाभाई** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम कपास उत्पादकों और सहकारिता हथकरघा बुनाई मिलों को वित्तीय सहायता दे रहा है; और

(ख) क्या यह सच है कि बिजली के करघों के बुनकरों द्वारा प्रायोजित सहकारी कताई मिलों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जी, हां।

बम्बई कस्टम हाउस में सीमा शुल्क अधीक्षक (निवारक) के खाली पद

9045. **श्री टी० एम० सावन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई कस्टम हाउस में 1980 से 1982 तक प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में सीमा शुल्क अधीक्षक (निवारक) ग्रुप "बी" के कितने पद खाली हुए हैं;

(ख) वर्ष 1980 से 1982 तक वर्ष-वार (एक) सामान्य श्रेणी अधिकारियों से, (दो) अनुसूचित जातियों के अधिकारियों से, (तीन) अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारियों से कितने खाली पदों को भरा गया है; और

(ग) उनमें से वर्ष-वार कितने खाली पद (एक) सामान्य श्रेणी, (दो) अनुसूचित जातियों की श्रेणी, (तीन) अनुसूचित जन-जातियों की श्रेणी के अधिकारियों को दिए गए है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पेनल का वर्ष	सीमा शुल्क अधीक्षक (निवारक) के ग्रेड में रिक्त पदों की कुल संख्या	निवारक अधिकारियों के ग्रेड से की गई पदोन्नतियों की संख्या			सामान्य श्रेणी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए रिक्त पदों की संख्या		
		सामान्य श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
1	2	3	4	5	6.	7	8
1980	13	10	3	--	10	2	1

(**टिप्पणी** : कोई अनुसूचित

1	2	3	4	5	6	7	8
					जनजाति का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था तथा नियमों के अनुसार प्वाइंट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से परस्पर विनिमेय था।)		
1981	17	12	4	1	12	3	2
					(**टिप्पणी** : केवल एक अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार उपलब्ध था और उसे पदोन्नत कर दिया गया था। नियमों के अनुसार अन्य प्वाइंट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से परस्पर विनिमेय थे।)		
1982	3	3	—	—	3	—	—

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष (ड्यूटी) भत्ता दिया जाना

9046. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अरुणाचल प्रदेश जनगणना कर्मचारी एसोशिएशन, शिलांग और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अनेक दूसरे संगठनों से क्षेत्र में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को विशेष (ड्यूटी) भत्ता देने के बारे में दिनांक 3 फरवरी, 1984 का कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को विशेष (ड्यूटी) भत्ता देने की पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगों के परिप्रेक्ष्य में अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० कृष्ण) : (क) अरुणाचल प्रदेश जनगणना कर्म-

चारी संघ, शिलांग से 3-2-1984 का ज्ञापन और कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों आदि से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि संपूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, अखिल भारतीय स्थानातंरण दायित्व और आयकर कानून के अंतर्गत आयकर की अदायगी से छूट की शर्त को ध्यान में रखे बिना, विशेष (ड्यूटी) भत्ता मंजूर किया जाए।

(ख) और (ग) विशेष (ड्यूटी) भत्ता ऐसे केन्द्रीय सरकारी असैनिक कर्मचारियों को जिनका अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व है, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में स्वीकृत किया गया है। लेकिन ऐसे कर्मचारी जिन्हें आयकर की अदायगी से छूट मिली हुई है, इस विशेष (ड्यूटी) भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे। अन्य कर्मचारियों का कार्य-क्षेत्र उत्तर-पूर्वी क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग में सीमित होने के कारण, उन्हें विशेष (ड्यूटी) भत्ता जैसे अन्य किसी प्रोत्साहन की मंजूरी को न्यायोचित नहीं पाया गया है। इस भत्ते की मंजूर उन कर्मचारियों को भी न्यायोचित नहीं पाई गई जिन्हें आयकर कानून के अंतर्गत आयकर की अदायगी से छूट मिली हुई है।

नकद सहायता के रूप में विदेशी मुद्रा की वसूली पर निगरानी रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और मुख्य नियन्त्रक, आयात और निर्यात के बीच निकट समन्यव

9047. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकद सहायता के रूप में विदेशी मुद्रा की वसूली पर निगरानी रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और मुख्य नियन्त्रक आयात और निर्यात के बीच निकट समन्वय बनाये रखने की कोई सुस्पष्ट प्रक्रिया बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात के अन्तर्गत क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को उन व्यक्तिक्रम करने वालों का एक विवरण भेजता है, जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत निश्चित अवधि के भीतर निर्यातित माल की बिक्री आय से सम्बन्धित विदेशी मुद्रा वसूल नहीं की है। इस विवरण के प्राप्त होने पर, लाइसेंसिंग प्राधिकारी, व्यतिक्रम करने वालों से पहले अदा की जा चुकी नकद मुआवजा सहयता की राशि लौटाने के लिए कहते हैं। इसके अतिरिक्त, लाइसेंसिंग प्राधिकारी, पार्टियों को पहले अदा की जा चुकी नकद सहायता की राशि को उनके द्वारा बाद में किए जाने वाले निर्यातों के आधार पर नकद सहायता की उनकी हकदारी में से समायोजित कर सकते हैं।

पूर्वी पाकिस्तान में छूट गई/खो गई सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति हेतु दावे

9048. **सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और बम्बई दोनों स्थानों पर 1 शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के पास तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) में खो गई / छूट गई सम्पत्ति की एवज में क्षतिपूर्ति का दावा करने के कितने आवेदन लम्बित हैं;

(ख) कितने आवेदनों को निपटा दिया गया है;

(ग) क्या क्षतिपूर्ति की उचित रूप से जांच किए गए दावों का पूरी तरह निपटान किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (बंगला देश) में छूट गई खो/गई सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति के सत्यापित दावों के निपटान के मामले में सरकार की आम नीति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क तथा (ख) भारतीय राष्ट्रिकों/कम्पानियों को, जिनकी परिसम्पतियां पाकिस्तान में 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तथा उसके बाद पाकिस्तान सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थीं, राहत पहुंचाने के लिये एक अनुग्रह योजना 1971 में घोषित की गई थी। दावे दर्ज करने की प्रारम्भिक तारीख 15 अप्रैल, 1972 तक अभिरक्षक के पास केवल 3944 दावे पंजीकृत किए गए थे। लगभग सभी दावे तय हो चुके हैं। दावे दर्ज करने की तारीख तीन बार बढ़ाई गई थी, आखिरी बार 31 जुलाई, 1977 तक बढ़ाई गई। परिणामस्वरूप, 53549 दावे अभिरक्षक के पास पंजीकृत किए गए। इसमें से 14,180 मामलों में भुगतान किया गया है। 24659 मामलों को समाप्त जैसा समझा गया है क्योंकि 21,820 दावेदारों ने दावे की अर्जियां अधूरी भरी थी और 2839 मामलों में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। कुल लम्बित मामले 14,710 हैं।

(ग) से (ङ) उन भारतीय राष्ट्रिकों/कम्पनियों पर, जिनकी परिसम्पतियां 1965 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थीं, लागू अनुग्रह योजना के उपबन्धों के अन्तर्गत दावों के सत्यापित मूल्य के केवल 25 प्रतिशत का भुगतान किया जाना है। योजना में दावों के सत्यापित मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक के भुगतान की व्यवस्था नहीं है। अनुग्रह योजना पर 15 मार्च, 1971 के संकल्प की एक प्रति संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एम० टी०—8302/84]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा लघु उद्योगों के लिए मंजूर की गई सहायता

9049. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 1981-82 और 1982-83 के वर्षों के दौरान देश के लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए मंजूर की गई सहायता का राज्य-वार कितना-कितना आवंटन किया गया; और

(ख) उसी अवधि के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक एककों के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा कितनी प्रतिशत सहायता मंजूर की गयी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आई०डी०बी०आई०) द्वारा पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र को (लघु सडक परिवहन चालकों सहित) मंजूर की गयी वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1981-82 (अप्रैल-मार्च) के दौरान निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में स्थित एककों को दी गयी वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्यौगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, साधारण बीमा निगम, राज्य वित्त निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों का हिस्सा क्रमश: 42.6%और 37.3% था।

विवरण

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों को मंजूर की गयी सहायता का राज्य-वार विवरण।

(करोड़ रुपयें)

क्रम सं०	राज्य	(जुलाई-जुन) 1981-82	(जुलाई-जून) 1982-83
1	2	3	4
1.	आंध्र-प्रदेश	55.93	58.43
2.	असम	7.34	7.94
3.	बिहार	17.75	35.60
4.	गुजरात	42.66	77.86
5.	हरियाणा	17.82	28.05
6.	जम्मू एवं कश्मीर	13.90	10.58
7.	हिमाचल प्रदेश	8.02	9.93
8.	कर्नाटक	34.34	54.29

1 2	3	4
9. केरल	11.29	20.81
10. मध्य प्रदेश	16.04	31.10
11. महाराष्ट्र	52.60	88.16
12 मणिपुर	0.73	0.45
13. मेघालय	2.15	1.36
14. नागालैंड	1.01	1.02
15. उड़ीसा	27.71	37.12
16. पंजाब	14.86	35.82
17 राजस्थान	38.50	57.11
18. सिक्किम	0.10	0.28
19. तमिलनाडु	56.85	83.50
20. त्रिपुरा	2.60	1.44
91. उत्तर प्रदेश	63.23	71.64
22. पश्चिम बंगाल	14.18	28 93
22 संघ राज्य क्षेत्र	20.85	33.29
जोड़ :	521.06	774.71

लघु सड़क परिवहन चालकों सहित।

रेशम के निर्यात पर रोक

9050. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेशम के निर्यात पर रोक लगाई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) आन्तरिक व्यापार और रेशम के मूल्य पर इस रोक से क्या प्रभाव पड़ा है अथवा पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

9051. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उड़ीसा के कोरापुट जिले में अपनी शाखाएं खोली हैं;

(ख) 1980 से 1983-84 तक ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकवार कितनी शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोली गई;

(ग) उड़ीसा के कोरापुट जैसे आदिवासी जिले में शाखाओं का विस्तार करने के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(घ) क्या इनके क्षेत्रीय मुख्यालयों द्वारा उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में सभी शाखाओं को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन शाखाओं ने उन उद्देश्यों को कहां-कहां तक पूरा किया है;

(च) क्या यह सच है कि कुछ ग्रामीण शाखाएं किन्हीं प्राइवेट क्वार्टरों में खोली गई हैं और इन क्वार्टरों के मालिक वे लोग हैं, जो किसी समय अपने क्षेत्र के धनी व्यक्ति थे और वे खासतौर पर कमजोर वर्गों के लोगों को ऋण दिए जाने के समय बैंकिंग मामलों में अपने प्रभाव का प्रयोग करते हैं तथा हस्तक्षेप करते हैं; और

(छ) यदि हां, तो शाखाओं को इस प्रकार के प्रभाव से बचाने के लिए मुख्यालय ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) से (छ) अप्रैल, 1982 मे मार्च, 1985 तक की अवधि वाली वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार लाना तथा देश में इनके कार्यालयों का विभाजन पहले से अधिक संतुलित करना है । सुचारू स्थानिक विकास का लक्ष्य प्राप्त पहाड़ी क्षेत्रों तथा छुट-पुट आबादी वाले आदिवासी इलाकों को विशेष महत्व दिया जाता है तथा बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में मौजूदा अन्तर रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में शाखा विस्तार की अपेक्षाकृत अधिक उदारता से अनुमति दी जाती है । बैंकों की शाखाएं क्षेत्र की न केवल बैंकिंग सम्बन्धी आवश्यकताएं ही पूरा करती है । बल्कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं जैसी सरकार की ऐसी विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने में भी सहायता प्रदान करती है जिनके लिए निवेश्य वस्तुओं के रूप में संस्थागत वित्त की आवश्यकता होता है । इन शाखाओं के अधिकारी पूर्णतः प्रशिक्षित होते हैं और ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा-पूरा एहसास होता है । ये शाखाएं उन केन्द्रों में यथोचित उपलब्ध स्थानों पर खोली जाती है जिनके वास्ते लाइसेंस जारी किया गया होता है ।

लेकिन जब कभी बैंक के प्रबंधकों अथवा सरकार का ध्यान किसी शाखा के कार्य के बारे में विशेष शिकायतों के जरिए आकृष्ट किया जाता है तब उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए उनकी जांच की जाती है।

"डोक्ता" पर उत्पादन शुल्क निर्धारित करना

9052. **श्री अजित बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में बनाए गए "डोक्ता" पर उत्पादन शुल्क निर्धारित करने में उत्पन्न कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो वे कठिनाइयां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उसमें तम्बाकू की मात्रा का पता लगाने के लिए "डोक्ता" के उचित वर्गीकरण के लिए कोई कार्यवाही शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है और उससे क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) और (ख) "डोक्ता" पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रभारित करने के प्रयोजनार्थ, उसके वर्गीकरण के संबंध में कुछ विवाद उत्पन्न होने की रिपोर्ट मिली थी। ये विवाद ऐसे तम्बाकू उत्पादों का वर्गीकरण, उनमें 50 प्रतिशत से अधिक अथवा उससे कम तम्बाकू अन्तर्वस्तु के आधार पर, किए जाने की वजह से उत्पन्न हुए थे।

(ग) और (घ) शुल्क-निर्धारण सम्बन्धी ऐसे विवादों को रोकने के उद्देश्य से, 1984 के बजट-प्रस्तावों में एक टैरिफ संशोधन पेश किया गया है ताकि खारा मसाला, किमाम, डोक्ता, जर्दा, सूंघा और सुरती जैसे उत्पादों को, उनकी तम्बाकू-अन्तर्वस्तु पर ध्यान दिए बिना, विशेष रूप से "खैनी तम्बाकू" नामक शीर्षक के अधीन लाया जा सके।

जे० के० रेयन वर्क्स यूनियन, कानपुर से ज्ञापन

9053. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जे० के० रेयन वर्क्स यूनियन, कानपुर से दिनांक 2 मार्च, 1984 के प्रधान मन्त्री को भेजे गए तथा वाणिज्य और उद्योग मन्त्रियों को प्रेषित किए गए ज्ञापन की प्रति प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा जे० के० रेयन, कानपुर को खोलने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) श्रमिक संघ ने सरकार से इस एकक का अधिग्रहण करने की मांग की है ।

(ग) औद्योगिक (विकास तथा विनिमन) अधिनियम, 1951 के अधीन इस कम्पनी के कार्यों की जांच करने के लिए 6 अगस्त 1983, को आदेश दिया गया था । इस कम्पनी के प्रबन्ध मण्डल ने दिल्ली उच्च न्यायालय से इस आदेश का कार्यचालन रोकने के लिए स्थगन आदेश ले लिया है और वह इस आदेश का प्रतिवाद कर रहा है । अतः यह विषय न्यायाधीन है ।

माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन में दिए गये कल्याणकारी उपाय

9054 **श्री ए० के० राय** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह जानकारी है कि माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों को पिकनिक के लिए कुछ धनराशि दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को प्रबन्धकों द्वारा दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को दी जाने वाली धनराशि में काफी अन्तर है जिससे असतोष उत्पन्न हो रहा है और इस प्रकार अच्छे कल्याणकारी उपाय का उद्देश्य ही समाप्त हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) अधिकारियों तथा स्टाफ के पिकनिक के लिए इस प्रकार की कोई धनराशि नहीं दी जाती है एम०एम०टी०सी० के कल्याण नियमों के अन्तर्गत, जिनका अनुपालन मिटको करता है, प्रति कर्मचारी, अर्थात् स्टाफ एवं अधिकारियों के लिए, प्रतिवर्ष विभिन्न एककों के मनोरंजन क्लबों को खेलकूद, यदि पिकनिकों का कोई आयोजन हो, तो उसके सहित, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की खरीद के लिए, 180 रु० की राशि अदा करता है। एम०एम०टी०सी० के नियम कर्मचारियों पर लागू नहीं होते । तथापि, मिटको स्वयं ही, पिकनिक के लिए प्रति कर्मचारी को प्रतिवर्ष 10 रु० का भुगतान कर रहा है ।

(ग) तथा (घ) चूंकि, अधिकारियों तथा स्टाफ के मामले में, मिटको का नियंत्रक कल्पना के कल्याण नियमों के अन्तर्गत जोकि कर्मचारियों पर लागू नहीं होते, कुछ धनराशि मनोरजन क्लबों को उपलब्ध करवाई जाती है, और कर्मचारियों को, मिटको द्वारा स्वयं के कल्याण उपायों के रूप में पिकनिक उत्पादन के रूप में प्रति व्यक्ति, प्रतिवर्ष 10 रु० अलग से दिये जाते हैं, अतः अधिकारियों तथा स्टाफ और कर्मचारियों के बीच असमानता का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

रूमानिया के साथ व्यापार

9055. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रूमानिया में आर्थिक सहयोग के क्षेत्र का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच किन वस्तुओं के मामले में व्यापार सम्बन्धों का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) व्यापार कारोबार में वृद्धि करने तथा उत्पादन मिश्रण में विविधीकरण लाने के दोहरे उद्देश्य से रोमानिया के साथ भारत का व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त आयोग की समय-समय पर बैठकें होती हैं और वार्षिक व्यापार योजनाओं पर वार्ता की जाती है ।

सी०ओ०डी० छिओकी, इलाबाद में नई डिफेंस कालोनी का निर्माण

9056. **श्री दया राय शाक्य** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी०ओ०डी० छिओकी, इलाहाबाद में वहां के कर्मचारियों के लिए नई डिफेंस कालोनी के निर्माण हेतु कुछ धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) नई डिफेंस कालोनी के निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी;

(ग) क्या सी०ओ०डी० छिओकी, इलाहाबाद में नई डिफेंस कालोनी का निर्माण पूरा कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और वर्तमान स्थिति क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, नहीं । लेकिन फरवरी, 1984 में इलाहाबाद में (स्टेशन के आधार पर) रक्षा सिविलियनों के लिए 57.99 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर परिवार आवास की व्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया है । परियोजना अभी निर्माण कार्य के लिए दी नहीं गई है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संघ, जिला बस्तर जगदलपुर की मांगें

9057. **श्री सुनीता मैत्रा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संघ, जिला बस्तर, जगदलपुर से 12 मार्च, 1984 का ज्ञापन संख्या सी०जी०आई०एफ०/1/3 प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि बस्तर जिले के आदिवासी और पिछड़े जिलों में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सामने भी वही समस्याएं हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामने हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को हाल ही में दी गई सुविधायें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी देने का विचार है ताकि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके; और

(ङ) क्या सरकार बस्तर क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की मांग पर विचार कर रही है, यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ जिला बस्तर, जगदलपुर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित/आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले अपने कर्मचारियों को वैसी ही सुविधाएं स्वीकृत करने सम्बन्धी आदेशों के आधार पर, मूल वेतन का 30 प्रतिशत विशेष भत्ता, मूल वेतन का 25 प्रतिशत मकान किराया भत्ता आदि जैसी रियायतों की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के उन्नयन के लिए उपयुक्त गुणवता, क्षमता और कुशलता वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए अनुसूचित/आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले अपने कर्मचारियों को 10 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक विशेष भत्ता और अन्य सुविधाएं स्वीकृत की हैं। चूंकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी आदिवासी क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नहीं है इसलिए उन्हें उपर्युक्त भत्ते और सुविधाएं मंजूर करना न्यायोचित नहीं पाया गया है।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति

9058 **श्री सूरज भान** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का गठन करते समय यह सोचा था कि यह संगठन किसी स्थिति में वित्तीय रूप में स्वावलम्बी बन जायेगा;

(ख) यदि हां, तो यह उद्देश्य कहां तक पूरा हुआ है ?

(ग) वर्तमान अध्यक्ष द्वारा कार्यभार सम्भालने के समय रक्षित कोष में कितनी धनराशि थी; और

(घ) तब से अब तक इस कोष में कोई कमी अथवा वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के, वित्तीय वर्ष 1982-83 के अन्त से उसके शुरू होने से, आय तथा व्यय खाते से पता चलता है कि यह प्राधिकरण वित्तीय सहायता की दिशा में

निरन्तर प्रगति करता रहा है। अपने कार्यचालन के पहले चार वर्षों में आय की तुलना में व्यय अधिक रहा। उस समय के बाद से स्थिति बदल गई है और 1981-82 तथा 98_-8. के दौरान व्यय की तुलना में आय अधिक रही।

(ग) तथा (घ) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण की आरक्षित पूंजी, उन वित्तीय पूंजी परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध ढंग से उपयोग करने के लिए तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए है जिन्हें प्राधिकरण आरम्भ करना चाहता हो। जब वर्तमान अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला उस समय भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण की आरक्षित पूंजी 2.79 करोड़ रु० (31 मार्च, 1980 को) थी। 3 .3-1984 को प्राधिकरण की अनुमनित आरक्षित पूंजी 2.68 करोड़ रु० है।

आयकर के निर्धारण के लिए पत्नी की आय को पति की आय के साथ जोड़ा जाना

9059. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में अथवा देश के किसी अन्य भाग में आयकर के निर्धारण के लिए पत्नी की आय को उसके पति की आय के साथ जोड़ा जाता है; यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या उक्त योजना के अनुसार पत्नी को मुसीबत के अवसरों पर पति की आय के कुछ भाग के लिए दावा करने का हक मिलता है; और

(ग) क्या बम्बई उच्च न्यायालय में इस प्रकार का एक मामला आया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और न्यायालय के निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० कृष्णा) : (क) से (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 में यह व्यवस्था है कि किसी भी व्यष्टि की कुल आय की संगणना करने में ऐसी सब आय सम्मिलित की जाएगी जो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: निम्नलिखित से उद्भूत होती है :

(i) कोई कारबार चलाने वाली ऐसी फर्म में जिसमें ऐसा भागीदार है, ऐसे व्यष्टि के पति या पत्नी को पति की सदस्यता से;

(ii) किसी ऐसे समुत्थान से जिसमें उस व्यष्टि का पर्याप्त हित है, ऐसे व्यष्टि के पति या पत्नी को वेतन, कमीशन, फीस या किसी अन्य रूप में पारिश्रमिक से चाहे नकद या वस्तु रूप में। लेकिन, यदि पति या पत्नी तकनीकी या वृत्तिक अर्हताएं रखते हैं और वह आय अनन्यत: उनके तकनीकी या वृत्तिक ज्ञान अथवा अनुभव प्रयोग के कारण हुई है तो ऐसी आय व्यष्टि की आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

ऐसे पति या पत्नी के हाथों में आय सम्मिलित की जाएगी जिसकी आय (ऊपर उल्लिखित आय को छोड़कर) अपेक्षाकृत अधिक है।

2. पुर्तगाली सिविल संहिता के उपबंधों के अन्तर्गत, विवाह के अस्तित्व के दौरान पति और पत्नी प्रत्येक का उनकी कुल आय और संपत्ति में 50 प्रतिशत हिस्सा होता है । लेकिन, उक्त संहिता के उपबन्धों के आधार पर दादर और नागर हवेली तथा गोआ, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत सामान्य संपत्ति की पद्धति द्वारा व्यक्तियों के संगम अथवा व्यष्टियों के निकाय को, जिसमें पति और पत्नी होते हैं, आयकर अधिनियम के प्रतोजनों के लिए कर-निर्धारित समझा जाता है ।

3. आयकर आयुक्त, मैसूर बनाम पुरषोत्तम गंगाधर भेंड़े (1977) 106 आई०टी० आर० 932 के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विवाह के अस्तित्व के दौरान पति और पत्नी में से प्रत्येक का, संपत्ति और आय में एक निर्धारित और निश्चित आधा हिस्सा होता है, जिसका पता तलाक द्वारा सहभागिता की समाप्ति, सम्बन्ध-विच्छेद अथवा मृत्यु पर लगाया जा सकता है । इसलिए, 'व्यष्टियों के निकाय' की आय पर कर-निर्धारण न करके उनमें से प्रत्येक के हाथों में बराबर के हिस्सों पर अलग-अलग कर-निर्धारण किया जाना चाहिए । विभाग ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की है । यह अपील, उच्चतम न्यायालय के फैसले के लिए पड़ी है ।

छत्र गोबरोरा और मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं द्वारा मंजूर राशि की अदायगी न किया जाना

9060. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मन्त्री क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मधुबनी की शाखाओं की शिकायतों और कार्यपद्धति की जांच के बारे में दिनांक 23 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4457 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब कमजोर वर्ग के 28 व्यक्तियों को ऋण मंजूर किए गए थे तब छत्र-गोबरोरा और मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अन्य शाखाओं के पास नकद राशि उपलब्ध नहीं थी और उन्हें एक वर्ष से अधिक समय तक अदायगी नहीं की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उन दिनों बैंक की शाखाओं के पास वास्तव में कितनी राशि थी;

(घ) क्या विष्णुपुर शाखाओं द्वारा मंजूर ऋण की अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लोगों को अभी तक अदायगी नहीं की गई है और एक वर्ष पश्चात वसूली नोटिस जारी कर दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) किसी शाखा में ऋण आवेदनों पर की जाने वाली कार्रवाई और उनकी मंजूरी एक लगातार प्रक्रिया है और इसका उस शाखा में नकदी की उपलब्धता से कोई सम्बन्ध नहीं । अनुमानित भुगतान के आधार पर नकदी को एक शाखा से दूसरी शाखा में ले जाया जाता है । अतः किसी शाखा द्वारा बड़ी संख्या में मंजूर किए गए ऋण केवल नकदी की कमी के कारण बिना भुगतान के नहीं रह सकते । अलबता बैंक से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है ।

(घ) और (ङ) बताया गया है कि ऋण राशि का वास्तविक भुगतान किए बिना वापसी अदायगी के वास्ते नोटिस जारी कर दिए जाने की गलती का पता लगते ही बैंक ने ऋण खाते में की गई प्रविष्टियों का प्रत्यावर्तन कर दिया है और ऋण खाते में रकम जमा में दिखा दी है। बैंक से आवेदक को मंजूरी की स्थिति की सूचना देने के लिए कहा गया है ।

मूल्यों में वृद्धि

9061. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्यों में संचयी वृद्धि 1982-83 की 6.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1983-84 के दौरान लगभग 10 प्रतिशत थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 के दौरान किन मदों के मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई थी और 1982-83 की तुलना में किन मदों के मूल्यों में कम वृद्धि हुई; और

(ग) मूल्यों के बढ़ते हुए रूख पर नियंत्रण रखने के लिये आगामी वर्ष के दौरान क्या विशेष उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) थोक मूल्य सूचकांक में 1982-83 को 6.4 प्रतिशत (संशोधित) संचयी वृद्धि की तुलना में 1983-84 में 9.1 प्रतिशत संचयी वृद्धि हुई । 31 मार्च, 1984 को बिन्दु-प्रति-बिन्दु आधार पर मुद्रा-स्फीती की वार्षिक दर 8.8 प्रतिशत (अनन्तिम) थी। मुख्य वस्तु समूहों में हुई घटबढ़ नीचे दी गई है :

(प्रतिशत घटबढ़)

	31 3.84	26.3.83
	26.3.83	27.3.82
1	2	3
समस्त वस्तुएं	+9.1	+.6.4
1. प्राथमिक वस्तुएं	+9.6	+.8.0
(i) खाद्य वस्तुएं	+7.0	+7.9
जिसमें से दालों से भिन्न अनाज	—5.7	+16.4
(ii) खाद्य-भिन्न वस्तुएं	+20.9	+7.4
(iii) खनिज	+2.1	—11.3
2. ईंधन, पावर, बिजली और लुब्रीकेंट	+6.5	+9.0
3. विनिर्मित उत्पादन	+9.5	+4.3
(i) खाद्य उत्पादन	+21.2	नगण्य

1	2	3
जिसमें से चीनी, खाण्डसारी और गुड़	+28.5	—5.5
खाद्य तेल	+15.8	+5.9

(ग) सरकार की मुद्रा स्फीती-निरोधी नीति में मुख्यतः पूर्ति और मांग के प्रभावी प्रबन्ध पर बल डाला जा रहा है। इसमें, अन्य बातों के साथ साथ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना खाद्यान्नों, खाद्य तेलों और चीनी को अधिक मात्रा में जारी करना तथा बैंकिंग प्रणाली से मुद्रा-बाहुल्य को समेटना शामिल है।

इण्डियन एयरलाइन्स और इण्डिया के बोइंग और एयरबस के निर्माताओं को लाभ

9062. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोइंग एयरबस के निर्माताओं के बीच वर्तमान प्रतिस्पर्धा को इण्डियन एयरलाइंस और एयर इण्डिया को हवाई जहाज का चयन किये बिना वित्तीय रूप से लाभ होगा;

(ख) यदि हां तो दोनों निर्माताओं द्वारा दी जाने वाली छूट के परिणामस्वरूप होने वाली बचत के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) जहां तक एयर बस के साथ-साथ बोइंग 757 की उड़ानों के सम्बन्ध में प्रचालन के प्रश्न का सम्बन्ध है इण्डियन एयरलाइन्स की पसंद का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया फिलहाल विभिन्न प्रकार तथा मेक के विमानों का मूल्यांकन कर रहे हैं। उनके विमान बेड़े में सम्मिलित किए जाने वाले विमानों के प्रकार के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। अतः इस समय यह प्रश्न केवल कल्पनामात्र ही है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं है।

बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में व्यक्तियों की सहायता करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों की ओर से आनाकानी

9063. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेषकर बिहार के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में किसानों बटाईदारों, निहित स्वामित्व वाली भूमि के आवंटियों, शिल्पकारों और बेरोजगार, युवकों को सहायता देने में राष्ट्रीयकृत बैंकों की ओर से आनाकानी किये जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से समाज के कमजोर वर्गों के अर्थक्षम धंधों के लिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह को तेज करने के प्रयास करने के लिए बराबर कहा जाता है । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों की एक अवधारणा बनाई गई है जिसमें छोटे और सीमांतिक किसान, भूमिहीन मजदूर, बटाई-दार, शिकमी किसान, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों, विभेदी ब्याज दर योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारी, कारीगर और कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग आते हैं । सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि मार्च, 1985 तक उनके कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋणों का कम से कम 25% हिस्सा इस समूह को मिलना चाहिए । विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन सहायता का 40% और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन सहायता का 30% हिस्सा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के ऋणकर्त्ताओं के लिए निर्धारित कर दिया गया है । तुरन्त अनुमानों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में समाज के कमजोर वर्गों के 99.3 लाख उधार खातों में सितम्बर 1983 तक अग्रिम की 2475 करोड़ रुपये तक रकम बकाया थी । यह राशि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 19.3% बैठती है । इस प्रयोजन के लिए अलग से राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

रानीगंज (पश्चिमी बंगाल) में पंजाब नेशनल बैंक और सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की शाखाएं खोलना

9064. **श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीगंज (पश्चिमी बंगाल) में पंजाब नेशनल बैंक और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की एक शाखा खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को रानीगंज वाणिज्य मंडल से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पश्चिमी बंगाल के रानीगंज केन्द्र को इस समय 9 बैंक कार्यालयों की सेवाएं प्राप्त हैं । और उसे अभी हाल में इस स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक या सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की शाखा खोलने के लिए रानीगंज चेम्बर आफ कामर्स से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

भारत पर्यटक विकास निगम को मुनाफा

9065. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1983 तक आई०टी०डी०सी० को 4 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हो रहा था;

(ख) यदि हां, तो उसका यूनिट-वार/डिविजन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आई० टी० डी० सी० के प्रबन्धकों द्वारा सितम्बर, 1983 के पश्चात 4 करोड़ रुपये के घाटे को कम करके 1983-84 के दौरान 1 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाने के लिए उठाये गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई० टी० डी० सी० में वेतमान-वार डिविजन/यूनिट-वार कितने अधिकारी थे तथा उनके विशिष्ट कार्य क्या थे;

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान आई०टी०डी०सी० द्वारा यूनिट वार/डिवीजन-वार कितना कारोबार किया गया और आई०टी०डी०सी० के अधिकारियों को दिए गए वेतन की प्रतिशतता क्या थी; और

(च) होटल कारोबार अर्जित करने के लिए विपणन और अशोक ट्रैवलस और टूअर्स डिविजनों द्वारा क्या भूमिका अदा की गई तथा उपर्युक्त दोनों डिविजनों के रख-रखाव पर हुए व्यय की तुलना में 1983-84 के दौरान प्रत्येक के द्वारा कितने ग्रुप बुक किए गए ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) सूचना अनुबन्ध I में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०—8303/84]

(ग) वर्ष के दौरान अच्छी वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, निगम ने विभिन्न उपचारात्मक उपाय किये हैं, यथा जोरदार विपणन, उत्पादन में सुधार और लागत नियंत्रण, विदेशों में परामर्शी सेवाओं के क्षेत्र में प्रभावी प्रारूप से प्रवेश, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के आगमन विश्राम कक्षों में शुल्क मुक्त दुकानें खोलना, प्रशासनिक व्यय में कड़ी किफायत बरतने के उपाय, आदि।

(ख) और (ङ) सूचना अनुबन्ध II और III में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 8303/84]

(च) विपणन प्रभाग भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के लिए व्यवसाय बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 1983-84 के दौरान अशोक आरक्षण सेवाओ ने 10 करोड़ रुपये के अनुमानित टर्नओवर के साथ 6 लाख रुपये की अतिथि-रात्रियों का आरक्षण किया। अशोक ट्रैवल्स एंड टूअर्स विपणन प्रभाग की सहायता करता है और कमीशन के आधार पर गैर भारत पर्यटन विकास निगम होटलों के लिए बुकिंग भी करता है। 1983-84 के दौरान इस प्रभाग के टूअर सैल की आय, अशोक ट्रैवल्स एंड टूअर्स सैल के रख-रखाव और विभिन्न होटलों को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए किए गए भुगतान पर 60.62 लाख रुपये के व्यय की तुलना में, 70.12 लाख रु० (अनन्तिम) आंकी गई है।

केन्द्र में नियुक्त कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

9066. **श्री चिगवांग कोन्याक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के नागालैण्ड में नियुक्त वे कर्मचारी, जिन्हें किराया रहित आवास नहीं दिया गया है; गृह मन्त्रालय के दिनांक 3.10 1964 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 30/48/62 भाग तीन के अनुरूप वित्त मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(47) ई० 11 (बी) 60 दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 के अनुसार बी-2 श्रेणी के शहर की दर से मकान किराया भत्ते के हकदार हैं;

(ख) क्या कोहिमा नागालैण्ड में नियुक्त सभी केन्द्रीय सहकारी कर्मचारी अर्थात् महालेखाकार डाक तथा तार कर्मचारी आदि, गृह मन्त्रालय के जनगणना निदेशालय के कर्मचारियों को छोड़कर 15 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नागालैण्ड में नियुक्त जनगणना कर्मचारियों और केन्द्र सरकार के अन्य कर्मचारियों के बीच भेदभाव और विसंगति को दूर करने का है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) : जी हां, केन्द्रीय सरकार के नागालैण्ड में तैनात वे कर्मचारी, जिन्हें निःशुल्क आवास नहीं दिया गया है, पहले की बी-2 श्रेणी नगर (जो अब ग-श्रेणी नगर हैं) की दर से मकान किराया भत्ते के हकदार हैं।

(ख) : जी, नहीं। कोहिमा में तैनात सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी 7½ प्रतिशत की दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) : मकान किराया भत्ते की अदायगी के मामले में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नही है।

इराक में बमबारी के कारण भारतीय निर्माण कम्पनियों को नुकसान

9067. **श्री के प्रधानी**
श्री सनत कुमार } : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार भारतीय सिविल निर्माण एजेन्सियों की इराकी सरकार की ओर कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) भुगतान की संभावनाएं बहुत कम हैं यदि हां, तो सरकार का विचार विशेषकर इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंण्डिया) लिमिटेड द्वारा चलाई गई परियोजनाओं का भुगतान कैसे प्राप्त करने का है जिसके इराक में निर्मित किये जा रहे अन्य भांडानगर इरान की बमबारी से नष्ट हो गये हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओ के लिये कोई युद्ध जोखिम बीमा कराया गया था, यदि हां, तो बीमा कम्पनियों द्वारा युद्ध में हुई हानि के लिये धन का भुगतान किये जाने की क्या संभावना है; और

(घ) इराक में स्थित इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस भारतीय उपकरणों, संयंत्र, मशीनों और कर्मचारियों को स्वदेश लौटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारतीय सिविल निर्माण एजेंसियां इस समय भी इराक में परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं तथा किए गए कार्य के लिए बिलों को समय-समय पर प्रस्तुत किया जाता है ।

(ख) भारत सरकार ने 1983 व 1984 में किए गए कार्यों किए जाने वाले कार्य के संबंध में भुगतानों की सुविधा के लिये इराक सरकार के साथ करार किये हैं तथा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लि० की बाकूवा ग्रेन स्लाइड प्रोजेक्ट को इस भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत कवर किया गया है । हवाई बमबारी के कारण हुई हानि का अनुमान इराक पक्ष द्वारा स्थापित की गई एक समिति द्वारा किया जायेगा ।

(ग) संविधान में विशेष जोखिम धारा व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय कम्पनियों द्वारा युद्ध से हुई हानियों के लिए क्षतिपूर्ति के दावे किए जा सकते हैं ।

(घ) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया इस समय भी इस के परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों की सेवा शर्तें

9068. **श्री विगम्बर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 1 अप्रैल 1984 को राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैन प्रबन्ध निदेशकों और निदेशकों के नाम तथा उनकी सेवा शर्तें क्या है;

(ख) मनोनीत निदेशक किन पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं; और

(ग) इन निदेशकों का समय-समय पर चयन और नियुक्ति किस प्रकार की जाती है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सम्बन्धित सूचना अनुबन्ध में दी गयी है । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4304/84] इन निदेशकों की नियुक्त सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना, 1970 और 1980 की धारा 3 में निर्धारित मानदण्डों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात की गयी थी।

पालिएस्टर स्टैपल फाइबर का आयात

9069 **श्री मनोहर लाल सैनी** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980, 1981, 1982, 1983 और 1984 (मार्च तक) वर्षों के दौरान पालिएस्टर स्टेपल फाइबर की कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार को इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि रद्दी (वेस्ट सिथेटिक के नाम पर) देश में अच्छी किस्म के पालिएस्टर स्टेपल फाइबर का आयात किया जा रहा है;

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार रहे; और

(घ) इस प्रकार के आयात के परिणामस्वरूप राजस्व की कितनी हानि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) 1979-80 से 1981-82 के दौरान पोलिएस्टर स्टैपल रेशे का आयात दर्शाने वाला विवरण संलग्न है 1981-82 के आंकड़े के बाद अभी उपलब्ध नहो है ।

विवरण

(ख) से (घ) अभ्यावेदन प्राप्त हो गया है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

1979-80 से 1981-82 तक के वर्षों में कताई के लिए उपयुक्त सिथेटिक रेशों के आयात की मात्रा ।

मात्रा मे० टन में

क्रमांक मद का विवरण	आई टी सी रेव-2 कोड सं०	1979-80 मात्रा	1980-81 मात्रा	1981-82 मात्रा
कताई के लिए उपयुक्त सिन्थेटिक रेशे	266			
1. पोलिएस्टर (अर्थात टेरीलोन डेक्रोन स्टेपल रेशा)	266.5200	9422	4018	2570

स्त्रोत : डी० जी० सी० आई० एण्ड एस०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मन्थली एटेंटिस्टिक्स आफ दि फारेन ट्रेड आफ इंडिया, वाल्यूम-2 (इम्पोर्टस) ।

टिप्पणी : 1981-82 के बन्द के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी में शपथ लेने वाले छावनी बोर्डों के सदस्य

9070. **श्री समीमुद्दीन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से मार्च. 1984 तक देश में कितने छावनी बोर्डों के चुनाव हुए हैं तथा कितने छावनी बोर्डों के चुनाव होने अभी शेष हैं; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान औरंगाबाद, बदामीबाग, लखनऊ, सिकन्दराबाद, माउ, फैजाबाद और दानापुर छावनियों के लिए निर्माण कितने और किन-किन सदस्यों ने, पृथक पृथक रूप से हिन्दी उर्दू और अंग्रेजी में शपथ ली ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जनवरी, 1980 से मार्च, 1984 तक 62 छावनियों में से 30 में चुनाव किए गए हैं।

अक्तूबर 1983 में छावनी अधिनियम 1924 में व्यापक संशोधन किया गया है। शेष छावनियों में संशोधित अधिनियम के अनुसार चुनाव किए जाएंगे।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण "क" में दिए गए हैं:

विवरण

छावनी का नाम	निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या	हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी में शपथ लेने वाले निर्वाचित सदस्यों की संख्या और नाम	
1	2	3	
औरंगाबाद	सात	1. श्री बाबू लाल —	अंग्रेजी
		2. श्री मोरे दामोदर शंकर —	,,
		3. श्री चन्दू लक्षमैया —	,,
		4. श्री एम० ए० कुरेशी —	,,
		अन्य तीन चुने गए सदस्यों ने मराठी में शपथ ली।	
बदामी बाग	छः	1. श्री मोहम्मद सुल्तान बट —	उर्दू
		2. ,, अब्दुल गनी वानी —	,,
		3. ,, गुलाम अहमद लोन —	,,
		4. ,, सांई दास —	,,
		5. ,, हाजी हबीबुल्ला मलिक —	,,
		6. ,, गुलाम रसूल बट —	अंग्रेजी
लखनऊ	सात	1. श्री दलीप कुमार अग्रवाल —	अंग्रेजी
		2. ,, छोटे लाल यादव —	हिन्दी
		3. ,, बी० डी० अग्रवाल —	हिन्दी
		4. ,, राम कुमार अग्रवाल —	हिन्दी
		5. ,, दुली चन्द आर्य —	हिन्दी

1	2	3		
		6. ,, हरी राम गुप्ता	—	हिन्दी
		7. ,, मोहम्मद युसुफ	—,	हिन्दी
दानापुर	सात	1. श्री शम्भू नाथ गुप्ता	—	हिन्दी
		2. ,, सरयुग लाल	—	,,
		3. ,, श्याम नन्दन प्रसाद	—	,,
		4. ,, श्याम विहारी लाल	—	अंग्रेजी
		5. ,, सूरज भान प्रसाद	—	,,
		6. ,, श्री केदार नाथ सिंह	—	,,
		7. ,, मोहन अन्सारी	—	उर्दू

फैजाबाद, मऊ और सिकन्दराबाद छावनियों में जनवरी, 1980 से मार्च, 1984 के दौरान चुनाव नहीं हुए।

सरकारी कर्मचारियों और रक्षा सेवाकर्मियों का गृह निर्माण के लिए ऋण

9071. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **वित्त** मंत्री सरकारी कर्मचारियों और रक्षा सेवाकर्मियों को गृह निर्माण के लिए ऋण के बारे में 30 मार्च 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5701 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिनांक 22-2-1983 का एक कार्यालय ज्ञापन संख्या 15(3)/78 डब्ल्यू०आई०पी० जारी किया है जिसमें सेना, नौसेना और वायु सेना सामूहिक बीमा योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप आवास, वित्तीय विकास निगम, नई दिल्ली जैसी वित्तीय संस्थाएं रक्षा सेवा कर्मियों के आवेदन स्वीकार नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय का उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में सेना, नौसेना और वायु सेना सामुहिक बीमा योजना अंतः स्थापित करते हुए उसे संशोधित करने का विचार है ताकि उस सुविधा का लाभ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की भांति सशास्त्र सेनाओं के जवानों को भी दिया जा सके और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन और जारी किए गए उसमें संशोधन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० कृष्ण) : (क) से (ग) वित्त मंत्रालय का 22 फरवरी, 1983 का कार्यालय ज्ञापन सख्या 15(3)/78—डब्ल्यू०आई०पी० (प्रति संलग्न) (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०8305/84) समूह बीमा योजना, 1980 के

अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं, जो कि, अन्यों के साथ-साथ, सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों पर लागू नहीं होता है, जिनकी अपनी अलग योजनाएं हैं। इसलिए सेना, नौसेना और वायु सेना समूह-बीमा योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले रक्षा सेवा कार्मिकों पर इसे लागू करने के आशय से, उक्त कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा मुख्यालय में नैमित्तक श्रमिकों को नियमित किया जाना

9072. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या रक्षा मंत्रालय में नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के बारे में 30 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5819 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थल सेना मुख्यालय की तुलना में सेना और वायु सेना मुख्यालय में अधिक संख्या में श्रमिकों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं, जबकि थल सेना मुख्यालय आकार और विविधता की दृष्टि से कई गुणा बड़ा है; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार प्रतिदन नैमित्तिक श्रमिकों की आवश्यकता की बारीकी से जांच करने का है, क्योंकि स्थान बदलने और सप्लाई को सतत कार्य नहीं माना जा सकता और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) नैमित्तिक श्रमिकों की जो संख्या अतारांकित प्रश्न सं० 5819 के उत्तर में दी गई थी, वह 23 मार्च, 1984 तक की स्थिति के अनुसार थी। नैमित्तक श्रमिकों की आवश्यकता आकस्मिक किस्म के और समय-समय पर किए जाने वाले कार्यों की आवश्यकता के आधार पर बदलती रहती है। प्रत्येक मुख्यालय में नैमित्तक श्रमिकों की संख्या अनिवार्य रूप से मुख्यालय/संगठन की संख्या शक्ति पर आधारित नहीं होता है।

(ख) काम की जरूरत के अनुसार श्रमिकों की आवश्यकता की बराबर समीक्षा की जाती है।

लक्ष्मी रतन काटन मिल, कानपुर द्वारा कम लम्बाई की धोतियों का उत्पादन

9073. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन शुल्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा एक मामले का पता लगाया गया है, जिसके अनुसार लक्ष्मी रतन काटन मिल, कानपुर कम लम्बाई की धोतियों का उत्पादन करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो मिल द्वारा प्रति माह कितनी धोतियों का उत्पादन किया गया और इस प्रकार कम लम्बाई की धोतियों का उत्पादन करके कितनी मात्रा में कपड़े की बचत की गई; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने अधिकारियों को दोषी पाया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) उत्तर प्रदेश सरकार के तौल तथा माप विभाग के अधिकारियों द्वारा 12 सितम्बर, 1983 को की गई जांच के दौरान लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर द्वारा बनाई गई एक धोती लम्बाई में 20 से० मी० कम पाई गई ।

(ख) यह मिल प्रतिमास औसत दर पर 6000/6500 जोड़े धोतियों बनाता है । इस बताए गए मामले के अलावा, इस मिल द्वारा बनाई गई कम लम्बाई वाली धोतियों का और मामला नही पाया गया ।

(ग) केवल एक धोती की लम्बाई में थोड़ा सा फर्क अज्ञानवश मानवीय गलती मानी गई है । अत: किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नही की गई ।

सीमा-शुल्क अधिसूचना सं० 6/84

9075. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या वित्त मंत्री भारत के असाधारण राजपत्र भाग दो, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित वित्त मन्त्रालय की 10 जनवरी, 1984 की सीमा शुल्क अधिसूचना 6/84 जी०सी०आर० 14 (ई)-15(ई) के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अधिसूचना के व्याख्यात्मक-ज्ञापन में इस कथन का आधार क्या है कि "इन अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप 8.4 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होने का अनुमान है" ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : यह अनुमान लगाया गया था कि दिनांक 10 जनवरी, 1984 की अधिसूचना सं० 6/84-सी० शु० तथा सं० 7/84-सी० शु०, दोनों के तहत दी जाने वाली रिआयतों के परिणामस्वरूप जो हानि होगी वह राजस्व में होने वाली उस हानि के 10% के बराबर होगी जिसका हिसाब 1000 सी० सी० से अनधिक क्षमता के इंजिन वाली ईंधन मितव्ययी कारों ने निर्माणार्थ आयातित-सघटकों को 5 वर्षों की अवधि के दौरान शुल्क-छूट देते समय लगाया गया था ।

वित्त मंत्रालय के भूतपूर्व रक्षा प्रभाग के उच्च श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति

9076. **श्री केशवराव पारधी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्रालय के भूतपूर्व रक्षा प्रभाग के कर्मचारियों की रक्षा मन्त्रालय में एकीकरण और स्थानान्तरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है;

(ख) क्या वित्त मन्त्रालय के भूतपूर्व रक्षा प्रभाग के कुछ उच्च श्रेणी लिपिकों को न तो रक्षा मन्त्रालय और न ही वित्त मन्त्रालय की वरिष्ठता सूची में शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने उच्च श्रेणी लिपिक है और उन्हें सूची में शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में उनसे कनिष्ठ उच्च श्रेणी लिपिकों को पदोन्नत कर दिया गया है और यदि हां, तो रक्षा मन्त्रालय में पदोन्नत किए जाने के लिए उनके नामों पर विचार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) वित्त मन्त्रालय के भूतपूर्व रक्षा प्रभाग का रक्षा मन्त्रालय में 1 अगस्त, 1983 से मिला दिया गया था। इसके परिणामत: उस तारीख तक रक्षा प्रभाग (वित्त) की स्वीकृत क्षमता के वास्तविक स्टाफ को रक्षा मंत्रालय की संख्या शक्ति में ले लिया गया और उसे संयुक्त वरिष्ठता सूची में सम्मिलित कर दिया गया। वित्त मन्त्रालय के भूतपूर्व रक्षा प्रभाग के ग्यारह उच्च श्रेणी लिपिकों को रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी संयुक्त वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि एकीकरण के समय वे रक्षा प्रभाग से बाहर प्रतिनियुक्ति पर थे। उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि प्रतिनियुक्ति से लौटने पर वे रक्षा मंत्रालय में शामिल होगें अथवा वित्त मंत्रालय के संवर्ग में अब यह मामला वित्त मंत्रालय से सलाह करके सुलझा लिया गया है और यह निर्णण किया गया है कि उन उच्च श्रेणी लिपिकों को रक्षा मन्त्रालय के संवर्ग में सम्मिलित किया जाएग। इससे वे रक्षा मन्त्रालय की संयुक्त वरिष्ठता सूची में अपनी स्थिति के अनुसार पदोन्नति के पात्र होगें।

हैरोइन का पकड़ा जाना

9077 **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को इस बात की जानकारी है कि देश में हैरोइन की तस्करी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में पकड़ी गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री : एस० एम० कृष्ण) (क) और (ख) मन्त्रालय के पास मौजूद सूचना के अनुसार, हाल ही के वर्षों से, मध्य-पूर्व समीपवर्ती देशों के लिए अभिप्रेत हैरोइन के अवैध-व्यापार हेतु, भारत को मार्गस्थ केन्द्र के रूप में इस्तेमाल किये जाने की आशंका बनी हुई है।

नारकोटिक आयुक्त को मिली सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान कुल 162.018 किलोग्राम (अनन्तिम) हिरोइन पकड़ी गई है।

नये मिलों की स्थापना के लिए कालातीत परमिटों के नवीकरण को इन्कार करना

9078. **श्री सत्यनरायण जटिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेक्सटाइल कमिश्नर द्वारा कालातीत परमिटों का नवीनकरण

इस आधार पर नहीं किया जा रहा है कि क्षमता पहले ही अधिक है और सिंथेटिक क्षेत्र की भी यही हालत है;

(ख) क्या इसी कार्यालय द्वारा अतिरिक्त 'ड्रा टैक्स्चुरइजिंग मशीनें' लगाने के लिए परमिट देने से भी इन्कार किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार टैक्सटाइल कमिश्नर आफिस की उक्त कार्यवाही की गंभीरता से जांच कर रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं। नवीनकरण की अनुमति, सावधानी पूर्वक जांच करके और यह निश्चित करके कि पार्टी ने अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वियन की ओर पर्याप्त प्रभावकारी उपाय किये हैं, दी जाती है।

(ख) जी, नहीं। तथापि स्वतंत्र टैक्स्चुएइजिंग यूनिटों का पंजीकरण पिछड़े हुए क्षेत्रों के उपयोगीकरण को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मशीन उद्योग के सहायक क्षेत्र की सहायता के लिए पुर्जों का आयात बन्द करने का प्रस्ताव

9079. **बनवारी लाख बैरवा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीन उद्योग का सहायक क्षेत्र मुख्य मशीन उद्योग के साथ कदम मिला कर चल रहा है और इस समय पुर्जों और सहायक पुर्जों की पूरी मांग भारतीय सहायक क्षेत्र द्वारा पूरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मिलों के लिए फालतू पुर्जों के आयात का आयात नीति में अभी भी उदार बनी हुए है और बड़ी मात्रा में फालतू पुर्जों का आयात किया जा रहा है जिसके कारण उन भारतीय उत्पादकों को भारी नुक्सान हो रहा है जिन्होंने अपने उत्पादन के लिए भारी पूंजी निवेश किया हुआ है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सहायता क्षेत्र की सहायता के लिए पुर्जों के आयात में छूट को बन्द करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सुनिश्चत जानकारी दे पाना संभव नही है क्योंकि प्रत्येक उद्योग की स्थिति भिन्न-भिन्न होगी।

(ख) तथा (ग) आयात नीति में वास्तविक प्रयोक्ताओं व अन्यों द्वारा अतिरिक्त पुर्जों तथा संघटकों का आयात करने की व्यवस्था है। स्वदेशी उत्पादन जैसे संगत तत्वों को देखते हुए, संघटकों तथा अतिरिक्त पुर्जों के आयात पर समुचित प्रतिबंध पहले से ही लागू हैं। तकनीकी विकास के महानिदेशक तथा विकास आयुक्त (एस० एस० आई०) ने सूचित किया है कि आयात नीति के प्रावधानों के कारण सहायक क्षेत्र को हानि पहुंचने की कोई सूचना नहीं है।

ऊनी कम्बल निर्माताओं के सामने संकट

9080. **श्री ननमोहन टुडु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में हर समय ऊनी कम्बल बनाने वाले एकक संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऊनी कम्बल एककों में संकट के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) संकट पर काबू पाने के लिए सरकार ने ऊनी कम्बल एककों की मदद के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री० पी० ए० संगमा) : ऊनी कम्बल विनिर्माताओं के सम्मुख आने वाले संकट के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

सामान्य बीमा निगम द्वारा "फायर रिस्क पालिसियां" जारी करना

9081. **श्री गुफरान आजम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवनों, इमारतों और कार्यालयों आदि के लिए "फा र रिस्क पालिसियों" के कारण सामान्य बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों के बीमा कर्ताओं में से दावेदारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार का विचार सामान्य बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा "फायर रिस्क पालिसियां" जारी करने से पहले इन इमारतों और भवनों में अग्नि सुरक्षा दरवाजे और फायर प्रूफशट्टर अनिवार्य करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और न केवल अग्नि सुरक्षा दरवाजों के प्रयोग बल्कि "फायर रिस्क पालिसियां" लेने से पहले अपनी इमारतों में ऐसे दरवाजे लगवाने वालों के लिए प्रीमियम की कम दरें निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख टेरिफ सलाहकार समिति द्वारा तैयार की गई अग्नि टेरिफ सम्बन्धी मौजूदा व्यवस्थाओं के अनुसार अग्नि बीमा पालिसियों को जारी करने के लिए पूर्व अपेक्षा के रूप में भवनों इमारतों, कार्यालयों आदि में अग्नि सुरक्षा दरवाजे तथा फायर प्रूफ शटर लगाना अनिवार्य नहीं है । किन्तु जो बीमाकृत व्यक्ति अग्नि टेरिफ विशिष्टियों के अनुसार पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली दीवारों की व्यवस्था करके इमारतों/भवनों के खण्डों को पृथक-पृथक रखेंगे तथा अग्नि निरोधी (फायरप्रूफ) दरवाजों की व्यवस्था करेंगे उनसे कम दर पर प्रीमियम लिया जाता है ।

लैन्सडाउन छावनी बोर्ड का नामजद सदस्यों के बिना कार्य संचालन

9082. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लैन्सडाउन छावनी बोर्ड अक्तूबर, 1983 से नामजद सदस्यों के बिना कार्य कर रहा है और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सुधारात्मक उपाय उठाए जाने हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि समान्य तौर पर पिछले बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए था और यदि हां, तो लैन्सडाउन छावनी बोर्ड के लिए इस प्रक्रिया को न अपनाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मत्रालय में राज्य मत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) लैन्सडोन छावनी बोर्ड का कार्यकाल 7 अप्रैल, 1983 से छः महीने की अवधि के लिए अथवा बोर्ड के पुनर्गठन होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है और श्री एन०एस० बिष्ट को बोर्ड का सिविलियन सदस्य नियुक्त किया गया है ।

(ख) बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसके पुनर्गठन के लिए छावनी अधिनियम, 1924 में कोई व्यवस्था नहीं है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्लू० बी० ए० बी० ओ०) लि० कलकत्ता के प्रबंध के अंतर्गत प्रत्येक मिल का उत्पादन मूल्य, संस्थापित क्षमता का उपयोग

9083. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्लू० बी० ए० बी० ओ०) लि० कलकत्ता के प्रबन्ध के के अंतर्गत प्रत्येक मिल द्वारा पिछले छः महीनों के दौरान कितने प्रतिशत उत्पादन मूल्य प्राप्त किया गया और संस्थापित क्षमता का उपयोग किया गया;

(ख) क्या उपर्युक्त प्रबन्ध के अंतर्गत अनेक मिलें कपास, कच्चे माल और भंडार की सप्लाई प्राप्त न होने के कारण संकट का सामना कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक यूनिट को अब कितनी राशि की उत्पादन हानि, जनदिवसों के कारण हानि और अन्य प्रकार की हानि का सामना करना पड़ा; और

(घ) बेहतर प्रबंध के मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मत्रालय में उपमत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है ।

(ख) तथा (ग) इस सहायक निगम के अन्तर्गत मिलों को हानियां हो रही हैं क्योंकि उन्हें भंडारों तथा कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई, पावर सप्लाई के नियमित और बड़े पैमाने पर

कम करने, स्टाकों के मन्द उठान आदि के कारण अपनी उपयोग क्षमता में कटौती करनी पड़ी। अक्तूबर, 1973 से मार्च, 1984 तक की अवधि के दौरान कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन की क्षति दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(घ) स्थिति में सुधार के लिए निम्नोक्त महत्वपूर्ण उपाय किए गए/किए जा रहे हैं :

1. विभिन्न उपलब्ध चैनलों से रूई की समबद्ध वसूली के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं।
2. उठाई गई नकद हानि तक लगी हुई पूंजी फिर से पूरी की जा रही है।
3. अतिरिक्त उपान्त रकम की व्यवस्था की गई है।
4. बैंकों से ऋण सीमाओं की अवधि संशोधन के लिए सिफारिश की जा रही है।
5. उपलब्ध स्रोतों के बेहतर प्रबन्ध के लिए अनुषंगी स्तर पर प्रबन्धमण्डल को मजबूत बनाया जा रहा है।
6. स्टाक निर्धारित करने के लिए प्रभावशाली प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-I

क्रमांक	मिल का नाम	प्रस्थापित क्षमता को कताई अक्तू०, 2983 से मार्च, 1984	प्रतिशत उपयोगिता बुनाई अक्तू०, 1983 से मार्च 1984	(लाख रु० में) अक्तू०, 1983 से मार्च, 1984
1	2	3	4	5
1.	बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स	41·69	49·00	55·44
2.	सैन्ट्रल काटन मिल्स	24·23	26·71	25·92
3.	रामपुरिया काटन मिल्स	22·98	22·47	35·85
4.	श्री महालक्ष्मी मिल्स	48·75	58·41	50·18
5.	बंगासिरी काटन मिल्स	44·54	32·79	31·81
6.	गया काटन एंड जूट मिल्स	14·87	4·44	13·56
7.	बंगाल फाइन स्पी० एंड बीवि० मिल्स (नं० 1)	41.41	44·05	32·37
8.	मनिन्द्रा मिल्स	—	55·05	16·19
9.	ज्योति बीविंग फैक्ट्री	—	41·35	8·17

1	2	3	4	5
10.	लक्ष्मीनारायण काटन मिल्स	48·37	—	42·00
11.	आरती काटन मिल्स	47·00	—	23·85
12.	बंगाल टैक्सटाइल मिल्स	49·97	—	14 87
13.	कानोरिया इन्डस्ट्रीज	40 70	—	15·68
14.	बंगाल फाइन स्पी० एंड बी० मिल्स (नं० 2)	50·00	—	16·66
15.	सोदेपुर काटन मिल्स	60·43	—	20·02
16.	बिहार कोओप्रेटिव मिल्स	35·39	—	14·33
17.	एसोसिएटिड इन्डस्ट्रीज	41·30	—	14·51
18.	उड़ीसा काटन मिल्स	56·84	—	42·69

विवरण-2

क्रम सं०	मिल का नाम	कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन में हुई क्षति	
		बाजार यार्न (लाख किग्रा० में) अक्तू०, 1983 से मार्च, 84	कपड़ा (लाख मी० में) अक्तू० 1983 से मार्च, 84
1	2	3	4
1.	बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स	0·19	6·40
2.	सैन्ट्रल काटन मिल्स	0·34	8·61
3.	रामपुरिया काटन मिल्स	0·47	9·57
4.	श्री महालक्ष्मी मिल्स	0·19	5·05
5.	बंगारसी काटन मिल्स	0·06	2·50
6.	गया काटन एंड जूट मिल्स	1·24	6·47
7.	बंगाल फाईन नं० 1	1·06	0 03

1	2	3	4
8.	मनिन्द्रा मिल्स	—	1·78
9.	ज्योति वीविंग फैक्ट्री	—	0·08
10.	लक्ष्मीनारायण काटन मिल्स	—	1·40
11.	आरती काटन मिल्स	—	0·29
12.	कानोरिया इन्डस्ट्रीज	—	0·18
13.	बंगाल टैक्सटाइल मिल्स	—	0·53
14.	बंगाल फाइन नं० 2	—	0·24
15.	सौदेपुर काटन मिल्स	—	0·44
16.	बिहार कोऑप्रेटिव बीवर्स स्पीनिंग मिल्स	—	0·12
17.	एसोसिएटिक इन्डस्ट्रीज	—	0·89
18.	उड़ीसा काटन मिल्स	—	0·89

गलत छपे नोटों का चलन

9084. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अप्रैल, 1984 के नवभारत टाइम्स के पृष्ठ 8 पर प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छापे गए करेंसी नोटों की नई गड्डियों में अर्ध मुद्रित या गलत मुद्रित नोट भी अधिकारियों की लापरवाही के कारण परिचालन में आते हैं परन्तु ऐसे नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा अन्य किसी बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता ;

(ख) इस प्रकार के मामले सरकार के ध्यान में कब लाए गए तथा इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और उन्हें कब दोषी पाया गया ;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है ; और

(घ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार ने दिनांक 7 अप्रैल, 1984 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार को देखा है। करेंसी नोट प्रेस, नासिक

और बैंक नोट प्रेस, देवास में, जहां ऐसे नोट छापे जाते हैं, परिचालन के लिये भारतीय रिजर्व बैंक को नोट भेजे जाने से पहले खराब नोटों का पता लगाने और उनको हटाने के लिये किस्म नियन्त्रण सम्बन्धी विस्तृत उपाय किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में भी नोटों, विशेष रूप से 100 रुपए और 50 रुपए के ऊंचे मूल्य वर्गों के नोटों, की निर्गम से पूर्व पुनः जांच की जाती है। तथापि, प्रेसों में नोटों की जांच हाथ से की जाती है इसलिए कभी-कभी खराब नोटों का, किस्म नियन्त्रण जांच के दौरान, पता नहीं चलता और वे परिचालन में चले जाते हैं। परन्तु ऐसे अवसर विरले ही आते हैं।

खराब नोट, यदि वे अन्यथा और प्रामाणिक पाए जाते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों और करेंसी चेस्टों में मूल्यानुसार बदले जा सकते हैं। जब भी इस प्रकार के खराब नोट प्रेसों में वापस प्राप्त होते हैं, जिन व्यक्तियों ने ऐसे खराब नोटों को रिजर्व बैंक को भेजने के लिए पास किया होता है उनके विरुद्ध, नियमों के अनुसार उचित जांच के पश्चात्, कार्रवाई की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किस्म नियन्त्रण प्रक्रियाओं का सतर्कतापूर्वक पालन किया जा रहा है, लगातार प्रयास किए जाते हैं, ताकि नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजने से पूर्व उनमें से खराब नोटों को हटाया जा सके।

इंडियन ओवरसीज बैंक, त्रिवेंद्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कर्मचारियों के बारे में शिकायत

9085. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ओवरसीज बैंक मुख्य शाखा, त्रिवेन्द्रम के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों ने बैंक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रतिपिड़ित किए जाने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को मिलने वाले आरक्षण के विरुद्ध प्रचार करने के लिए वहाँ पर एक सवर्ण जातियों के दल के गठन के बारे में शिकायत भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) शिकायत की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के वास्ते उसे बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को भेज दिया गया है।

मैसर्स सोसियादादे-दे-फोमेंटों इंडस्ट्रीज पा०लि० गोआ को जारी किया गया आयकर भुगतान प्रमाणपत्र

9086. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर आयुक्त कर्नाटक-बंगलौर (के मध्य) ने मैसर्स

सोसियादादे-दे-फोमेंटों इण्डिस्ट्रियल (प्रा०) लि० मारगोआ, गोआ के मामले को मंजूरी दे दी है और उन्हें 23 जनवरी 1981 को निर्यात लाइसेंस और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आयकर मुगतान प्रमाणपत्र जारी कर दिया है ;

(ख) क्या छापे के लम्बित पड़े रहने और जांच के दौरान मुगतान प्रमाणपत्र जारी किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को किन कारणों से आयकर मुगतान प्रमाणपत्र जारी करना पड़ा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) आयकर अदायगी प्रमाणपत्र उस स्थिति में जारी किया जाता है यदि पार्टी की तरफ कोई कर बकाया नहीं हो तथा वह पार्टी कर-निर्धारणों को पूरा करने में सहयोग देती हो । चूंकि ये शर्तें पूरी हो गई थीं, इसलिए 10-4-1981 को मैसर्स सोसियादा-दे-दीफोमेंटो इन्डस्ट्रियल (प्रा०) लिमिटेड को आयकर अदायगी प्रमाणपत्र जारी किया गया था ।

राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स, भवानी मंडी, झालावाड़ को लाइसेंस जारी करना

9087. **श्री चतुर्भुज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स, भवानी मंडी, झालावाड़ की यूनिट की संख्या-2 को फिर से चलाने के लिए कोई लाइसेंस फिर से जारी किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे लाइसेंस की शर्तों के अनुसार कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) क्या इस गिल का कार्यालय प्रबन्ध-टाइगर, गेट-नियम और श्रम कानून वही है जोकि यूनिट संख्या 1 के लिए अथवा इनका अलग से प्रावधान किया गया है और क्या औद्योगिक सतर्कता तंत्र से इसकी जांच कराई जाएगी और जांच की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार के पास उपलब्ध रिकार्डों से राजस्थान टैक्सटाइल मिल, भवानी मण्डी, झालावाड़ के किसी भी यूनिट नं० 2 के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

नेपाल द्वारा भारतीय पत्तनों के बजाए बंगलादेश पत्तन से आयात करना

9088. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने अपना आयात भारतीय पत्तनों की बजाय बंगलादेश में चटगांव पत्तन से करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक पड़ोसी मित्र द्वारा उस प्रकार की नीति में परिवर्तन करने के कारणों पर विचार किया है ;

(ग) क्या नेपाल सरकार द्वारा किए जा रहे आयात पर कुछ अनुचित प्रतिबन्ध लगाए गए थे जिन्हें बांगलादेश द्वारा समाप्त कर दिया गया और जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश को हानि हो रही है, और

(ग) क्या सरकार का विचार आयात के लिए कांडला पत्तन के उपभोग की अनुमति देने का है जोकि बांगलादेश पत्तन की अपेक्षा नेपाल के बहुत ही नजदीक है जिससे देश को आर्थिक दृष्टि से तथा मैत्री सम्बन्धों को मजबूत करने में लाभ हो सकता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि नेपाल ने अपने आयात का काम भारतीय पत्तनों से हटाकर उसकी बजाय बांगलादेश में चिटगांव पत्तन से करना आरम्भ कर दिया है या नहीं। तथापि अन्य देशों और नेपाल के बीच होने वाले परिवहन-व्यापार से इस देश के हितों पर प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ख) इसका प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऐसा कोई प्रताव नहीं है।

तेल कम्पनियों से ली गई जमा धनराशि

9089. **श्री टी० आर० शामन्ना** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के बजट तथा 1983-84 के संशोधित अनुमानों में जमा राशि के रूप में तेल कम्पनियों से कुल कितनी धनराशि ली गई।

(ख) वर्ष 1984-85 के बजट में तेल कम्पनियों से जमा राशि के रूप में कितनी धन-राशि रखी गई ; और

(ग) तेल कम्पनियों से इस प्रकार की धनराशि किस मद के अंतर्गत ली जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) 1983-84 के बजट अनुमानों में तेल क्षेत्र की अधिशेष जमा रकमों की प्राप्तियों को हिसाब में नहीं लाया गया था। 1983-84 के संशोधित अनुमानों में इन रकमों के सम्बन्ध में 1100 करोड़ रुपए तथा 1984-85 के बजट अनुमानों में 1000 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। ये जमा रकमें भारत के लोक खाते में रखी जाती हैं।

छोटे पत्तनों पर बुनियादी सुविधाएं

9090. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शत्रु द्वारा आक्रमण के फलस्वरूप कुछ बड़े पत्तनों के अस्थाई रूप से प्रयोग न किए जा सकने की स्थिति में सप्लाई लाइन को बनाए रखने के लिए कितने, छोटे पत्तन उपयुक्त रूप में प्रयोग किए जा सकने की स्थिति में हैं ;

(ख) इन छोटे पत्तनों पर बुनियादी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या महत्वपूर्ण पत्तनों की शत्रु के आक्रमण से रक्षा करने के सम्बन्ध में कोई नीति है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) मध्यवर्ती सामरिक पत्तनों की संख्या 24 और छोटे पत्तनों की संख्या 115 है ।

(ख) इन पत्तनों में बुनियादी सुविधाओं का ब्यौरा राज्य सरकारों के पास है क्योंकि इनका विकास और प्रबन्ध उन राज्यों द्वारा किया जाता है जहां ये स्थित हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इन पत्तनों का ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा ।

कम्पनी समूहों द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट

9091. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेश में कम्पनी समूह अनेक ट्रस्ट चला रहे हैं और क्या ऐसे समूहों के ट्रस्टों की संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो ट्रस्टों की संख्या कितनी है जिनको 1981-82 तथा 1982-83 के वर्षों के लिए उनकी आय पर किसी प्रकार के कर की अदायगी से छूट प्राप्त थी ;

(ख) देश के व्यापक हित में, आम जनता के हित तथा देश के विदेशी ऋणों के हित में सरकार का इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ; और

(ग) कितने मामलों में ट्रस्ट की निधियों के दुरुपयोग का पता चला और उपरोक्त अवधि में उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) ऐसे न्यास, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) (IV)/(V) के अधीन कर से छूट देने के लिए अधिसूचित किया जाता है, लोक पूर्त और धार्मिक संस्थाएं होती हैं और इनकी, शायद दान प्राप्त करने के अलावा, किसी विशेष निगमित समूह के साथ कोई समरूपता नहीं होती । इस बात को ध्यान में रखते हुए उसमें मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) केंद्रीय सरकार के इस बात से आश्वस्त हो जाने के बाद कि न्यासों/संस्थाओं से सम्बन्धि अपेक्षित शर्तें पूरी हो गई हैं, उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) (IV)/(V) के अधीन अधिसूचित किया जाता है । ये अधिसूचनाएँ सीमित अवधि के लिए जारी

की जाती हैं। बाद की अधिसूचना जारी करने के समय, इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि ये न्यास/संस्थान कानून की अपेक्षाओं को बराबर पूरा करते रहे हैं।

न्यास आय विवरणी दाखिल करके भी आयकर अधिकारी से इस आधार पर छूट कर-छूट का दावा कर सकती हैं कि उन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने से सम्बन्धित अपेक्षित सांविधिक शर्तें पूरी कर ली हैं। यह छूट इन शर्तों के पूरा होने पर ही दी जाती हैं। आयकर अधिनियम, 1961 में वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा संशोधन किए गए हैं, ताकि ऐसे पूर्त और धार्मिक न्यासों के, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अधीन छूट का दावा करते हैं, कार्यालयों को अधिक प्रभावी ढंग से विनियमित किया जा सके। वित्त विधेयक, 1984 के द्वारा इस दिशा में अनेक उपायों का प्रस्ताव रखा गया है।

(ग) अधिसूचित संस्थाओं के मामले में न्यास-निधियों के दुरुपयोग का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है। यदि छूट का दावा नियमित कर-निर्धारण कार्यवाहियों में किया जाता है, तो छूट की मंजूरी से सम्बन्धित अन्तिम स्थिति एक ऐसा मामला है, जिसे कर-निर्धारण, अपील, आदि की नियमित प्रक्रिया द्वारा तय किया जाना होता है।

मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के असैनिक कर्मचारियों के ग्रुप बी, सी तथा डी संवर्ग पुनरीक्षा के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की सिफारिशें

9092. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के असैनिक कर्मचारियों के अधीक्षक ग्रेड I और II, ड्राफ्ट्समैन और स्टोरमैन की संवर्ग पुनरीक्षा के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 25वें प्रतिवेदन के क्रमांक 75 की सिफारिश के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) मिलिट्री इंजीनियरिंग में सहायक इंजीनियरों का संवर्ग शुरू करने और इंजीनियर संवर्ग से सर्वेयर संवर्ग के विलय को समाप्त के बाद ई. ई. एस. और ए. एस. डब्ल्यू एस के भर्ती सम्बन्धी नियमों को अन्तिम रूप देने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) प्राक्कलन समिति (7वीं लोक सभा) के 75वें प्रतिवेदन में यह अनुरोध किया गया है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में अधीनस्थ कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जाएं। सरकार ने समूह "ख", "ग" और "घ" के पदों के लिए एक संवर्ग समीक्षा समिति का गठन किया है और इस प्रकार की समीक्षा के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित आंकड़े उन श्रेणियों के लिए एकत्रित किए जा रहे हैं जिन पर पहली बार विचार किया जाना है।

(ख) सहायक सर्वेक्षण निर्माण-कार्य के भर्ती नियमों और कार्यपालक इंजीनियरों के भर्ती नियमों में संशोधन करने के प्रस्तावों पर शीघ्र अन्तिम निर्णय लिया जा रहा है।

विजयन्त टैंक के लिए इंजन

9093. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मार्च, 1984 के "नवभारत टाइम्स" में "विजयन्त टैंक - ब्रिटेन से इंजन आयात मामले, पर विवाद" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की ब्रिटेन से विजन्त टैंकों के इंजन आयात करने की कोई योजना है ;

(ग) क्या देश में निर्मित इंजन ब्रिटेन में बने इंजनों से सस्ते और बेहतर सिद्ध हो सकते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन योजना का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) अभी सरकार के पास ब्रिटेन से विजयन्त टैंक के इंजन आयात करने की कोई योजना नहीं है ।

(ग) और (घ विजयन्त टैंक के बेड़े को पुनः शक्तिशाली बनाने के लिए देश में और विदेशों में निर्मित कुछ इंजनों पर विचार किया जा रहा है । इन इंजनों का परीक्षण तथा मूल्यांकन करने के बाद एक उपयुक्त इंजन को उसकी कार्यकुशलता और लागत के आधार पर चुने जाने का प्रस्ताव है ।

पुणे छावनी बोर्ड द्वारा स्वीकृत भवन-निर्माण उप-नियमों संबंधी संकल्प

9094. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुणे छावनी बोर्ड द्वारा 28 जुलाई, 1982 को पुणे नगर निगम की भांति भवन-निर्माण उप-नियम स्वीकार करने के सम्बन्ध में एक संकल्प पारित किया गया, यदि हां, तो क्या रक्षा मंत्रालय द्वारा संकल्प को मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) क्या सरकार पुणे छावनी बोर्ड को भवन-निर्माण को उन सभी अनुमतियों को रद्द करने का आदेश देगी जो प्रस्तावित उप-नियमों के अनुरूप नहीं हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संकल्प को मंजूर करने में होने वाले विलंब के कारण निहित स्वार्थ फायदा उठा रहे हैं और पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पुणे छावनी बोर्ड ने 28.7.1982 को एक संकल्प पारित किया जिसमें समेकित भवन निर्माण उप-नियमों के प्रारूप को अनुमोदित किया गया और उसे जांच तथा अनुमोदित के लिए सरकार को भेजा था । विधि मन्त्रालय और पुणे छावनी बोर्ड के साथ परामर्श करके रक्षा मंत्रालय फिलहाल इस उप-नियमों की जांच कर रहा है ।

(ख) और (ग) यह कहना सही नहीं है कि निहित स्वार्थ वाले लोग इन उप-नियमों के अनुमोदन में विलम्ब का फायदा उठा रहे हैं। इन उप-नियमों के प्रारूप को अन्तिम रूप देने में होने वाले संभावित विलम्ब का पूर्वानुमान लगाते हुए दक्षिण कमान के जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ ने छावनी अधिनियम 1924 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भवन निर्माण प्रतिबन्ध योजना पहले ही लागू कर दी है। यह मामला कि क्या सरकार पुणे छावनी बोर्ड को भवन निर्माण की उन सभी अनुमतियों को रद्द करने का निर्देश देगी जो प्रस्तावित उप-नियमों के अनुरूप नहीं होंगे, फिलहाल एक काल्पनिक मामला है क्योंकि सरकार ने प्रस्तावित उप-नियमों को अभी अनुमोदित नहीं किया है।

स्विस सरकार द्वारा "नाबार्ड" के लिए ऋण दिया जाना

9095. **डा० कृपा सिंह भोई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्विस सरकार ने भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए "नाबार्ड" को 1300 लाख स्विस फ्रैंक का ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस ऋण को किन योजनाओं के लिए प्रयोग किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) भारत सरकार तथा स्विटजरलैंड सरकार के बीच अब तक हस्ताक्षरित तीन करारों के अन्तर्गत, स्विटजरलैंड की सरकार ने राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को निम्नलिखित परिमाप में वित्तीय सहायता प्रदान की है, अर्थात्

	(दस लाख स्विस फ्रांक)
20 दिसम्बर, 1979	40.00
	(19.24 करोड़ रुपए)
11 दिसम्बर, 1982	25.00
	(12-02 करोड़ रुपए)
12 दिसम्बर, 1983	30.00
	(14.43 करोड़ रुपए)

(ग) नाबार्ड को जो स्विस सहायता दी गई है, वह छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू किए गए ग्रामीण विकास कार्यों तथा अत्यधिक छोटे और विकेन्द्रीयकृत क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करने से संबंधित नाबार्ड के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करने, ग्रामीण विकास कार्य के सामाजिक एवं आर्थिक लाभों में वृद्धि करने के प्रयोजन से

अध्ययन शुरू करने तथा नाबार्ड द्वारा अपने सामान्य क्रियाकलापों और प्रशिक्षण सम्बन्धी क्षेत्रों में कार्यकुलशता को बढ़ाने के लिए उसे उपस्करों की खरीद करने के लिए लिए दी गई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में खिलाड़ियों के लिए पदों का आरक्षण

9096. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कुछ पद आरक्षित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो 1980 से अब तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितने खिलाड़ियों को रोजगार दिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) सरकार ने केंद्रीय सरकारी उद्यमों में खिलाड़ियों के लिए पदों के आरक्षण के विषय में कोई अनुदेश जारी नहीं किये हैं।

128 सरकारी उद्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित स्थिति का पता चला है :

(1) केवल दो उद्यमों ने सूचित किया है कि विशिष्ट खिलाड़ियों को भर्ती करने का उनके नियमों में प्रावधान है।

(2) 45 उद्यमों ने सूचित किया है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोजगार में अधिमान्यता दी जाती है, बशर्ते कि वे इन पदों के लिए निर्धारित अन्य अपेक्षायें पूरी करते हों।

(3) 17 सरकारी उद्यमों ने सूचित किया है कि उन्होंने 1980 से लेकर 394 खिलाड़ियों को भर्ती किया है।

जाली भारतीय मुद्रा बनाना

9097. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जाली मुद्रा भेजने सम्बन्धी मामलों में की गई विभिन्न जांच के परिणामों से केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह पाया है कि जाली भारतीय मुद्रा बनाने का मुख्य केन्द्र बैंकाक हो सकता है ;

(ख) क्या इण्टरपोल द्वारा की गई जांच भी भारत के केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्षों से मेल खाती है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने थाईलैंड सरकार से दो नागरिकों अर्थात् मिस्टर सिचार्ट और मिस्टर टीटू मेहेरे को भारत को सौंप देने पर जोर दिया है क्योंकि ये दोनों बैंकाक में जाली मुद्रा छापने वाले गिरोह के सरगना हैं ;

(घ) क्या थाइलैण्ड सरकार की पुलिस ने भारत सरकार के अनुरोध का कोई उत्तर नहीं दिया और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विदेशों से नकली और जाली भारतीय मुद्रा के आने को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच से पता चला है कि दो मामलों से सम्बन्धित सौ रुपए मूल्य वर्ग के जाली करेंसी नोटों का निर्माण थाईलैंड में किसी स्थान पर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन, इण्टरपोल मुख्यालय और बैंकाक तथा कोलम्बो के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो को, इस सम्बन्ध में पूछताछ करने का अनुरोध किया गया था। उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। थाईलैंड के प्राधिकारियों से भी तथाकथित अपराधी जिसके उस देश में होने की सूचना मिली है, को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया है। इस मामले में थाईलैंड के प्राधिकारियों के साथ आगे कार्रवाई चल रही है।

स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और नकली करेंसी नोटों के मुद्रण और परिचालन के सभी मामलों की जाँच तत्परतापूर्वक की जा रही है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर का आधुनिकीकरण

9098. **श्री रामविलास पासवान**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी } : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर का आधुनिकीकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय को कहा गया है कि रा० कै० कोर के संबंध में भावी पंचवर्षीय योजना तैयार करें जो 1985-90 की अवधि तक के लिए हो। जिसमें छात्रों के लिए और कार्यकलाप आरंभ करने और प्रशिक्षण के नवीनतम साधनों से राष्ट्रीय कैडेट कोर यूनिटों को सज्जित करने जैसे कुछ ठोस नीति निर्देशों का समावेश हो। इस संबंध में निदेशालय द्वारा एक व्यापक योजना अभी अन्तिम रूप से तैयार की जानी है।

एशियाई और अफ्रीकी देशों को प्याज का निर्यात

9099. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एशियाई और अफ्रीकी देशों को प्याज का निर्यात कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1-4-83 से 15-3-84 तक की अवधि के दौरान एशियाई तथा अफ्रीकियाई विभिन्न देशों को प्याज के निर्यातों के गंतव्य स्थान, मात्राएं तथा मूल्य दिए गए हैं ।

विवरण

1-4-83 से 15-3-84 के दौरान एशियाई तथा अफ्रीकिवाई देशों को प्याज का निर्यात

गंतव्य स्थान	मात्रा (एम० टी०) (अन्तिम)	मूल्य (लाख रु० (अन्तिम)
1	2	3
मलेशिया	38,735	859.08
सिंगापुर	14,213	325.47
दुबई	76,609	1284.36
दोहा	984	16.30
बेहतरीन	2,734	47.04
कुवैत	8,253	116.11
दमाम	3,743	55.87
द. अरेबिया	544	10.00
सल्लाह	450	8.14
शहराज	1,310	25 49
दिजिबाउटी	30	0.70
जद्दा	2,116	34 98
मस्कत	60	1.15
कतर	100	1.80
कोलम्बो	12,022	259.00
सिचेल्स	328	44.60

1	2	3
पाकिस्तान	8,414	235.20
मालदीव	1,019	26.67
बंगलादेश	50	1.56
मारिशस	1,480	22.96
रियूनियन	40	1.12
मिना	30	0.54
नेपाल	2,109	24.93

अरब देशों को हीरों का निर्यात

9100. **श्री बापू साहिब परुलेकर**
श्री सुब्रामण्यम् स्वामी
श्रीमती किशोरी सिन्हा } : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय फर्मों को अरब देशों को हीरों का निर्यात करने से हाल ही में रोका गया है;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन फर्मों को रोके जाने के कारणों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के ब्यौरे क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का भुगतान किए जाने के बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

9191. **श्री चित्त महाटा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसे ही सरकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा करती है देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की घोषणा करते समय और उसके बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने का है;

(ग) क्या सरकार का बिचार निकट भविष्य में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की पांच किस्तें देने का है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और सरकार देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाएगी; और

(ङ) यदि इस मामले में सरकार का कोई कदम उठाने का विचार नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०एम० कृष्ण): (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें सूचना दी गई है।

(ख), ने (ङ) सरकारी नीति का मुख्य जोर विभिन्न अनिवार्य वस्तुओं और विशेषकर उन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने पर है जिनकी सप्लाई कम है। कुछ महत्वपूर्ण अनिवार्य वस्तुओं, जिनकी सप्लाई कम है, की देश में उपलब्धता की अनुपूर्ति करने के लिए आयात भी किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसके माध्यम से लोगों को उचित मूल्य पर अनेक अनिवार्य वस्तुओं का वितरण किया जाता है, का विस्तार किया जा रहा है और उसे मजबूत बनाया जा रहा है। राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे जमाखोरी कालाबाजारी और अन्य असामाजिक कार्यकलापों को रोकने के लिए अनिवार्य वस्तु अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं और ऐसे ही अन्य विधानों को कड़ाई से लागू करें। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को क्रमशः 1.8.83, 1.10.83, 1.11.83, 1.1.84 और 1.2.84 से महंगाई भत्ते की 5 किस्तें विचार किए जाने योग्य हो गई। सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1. 8. 83 1.10.83 और 1.11.83 से महंगाई भत्ते की 3 किस्तें देने का निर्णय किया है। इस आशय की एक घोषणा वित्त मंत्री द्वारा 18. 4. 1984 को लोक सभा में पहले ही कर दी गई है। शेष दो किस्तों की अदायगी की स्वीकृति के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है।

विवरण

1983 के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की घोषणा की तारीखों अर्थात् 13.4. 1983 तथा 22.9.1983 के तुरन्त बाद कुछ चुने हुए सप्ताहों के लिए चुनी हुई वस्तुओं के थोक मूल्यों का सूचकांक

मदें	16.4.83	23.4.83	30.4.83	7.5.83	24.9.83	1.10.83	8.10.83	15.10.83
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चावल	276.9	281.1	281.3	281.2	312.1	308.5	306.1	304.8
गेहूं	226.8	221.6	210.9	211.1	213.7	211.8	211.4	213.6
ज्वार	223.1	221.6	224.6	225.3	240.5	236.1	238.7	244.9
बाजरा	241.7	244.8	252.0	259 8	215.3	209.7	211.5	207.2
चना	279.6	236.4	286.7	285.4	302.2	300.8	301.2	300.7
अरहर	339.4	343.4	344.2	348.0	395.7	394.5	393.9	391.7
मूंग	315.7	318.6	331.3	330.2	323.5	316.9	313.0	319.7
मसूर	286.1	291.2	307.0	307.0	328.8	331.8	327.5	323.2
उड़द	312.6	311.3	311.7	314.9	347.7	355.7	344.8	344.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आलू	165.5	172.4	196.5	204.8	256.6	246.2	246.2	247.8
प्याज	271.8	272.5	289.6	299.15	59.6	514.7	516.0	504.6
वनस्पति	254.8	254.5	254.5	254.5	257.2	255.1	255.1	25.44
मूंगफली का तेल	289.4	295.1	259.0	299.2	352.2	350.0	351.8	336.7
सरसों का तेल	241.9	246.1	249.6	241.3	289.8	290.0	290.0	294.2
जिन्जली तेल	292.7	308.5	312.5	314.5	284.1	280.8	282.8	281.9
दूध	239.6	231.3	241.3	254.6	254.6	255.6	255.7	255.7
मछली	466.4	449.1	451.6	456.6	447.8	431.6	472.1	4472
मांस	375.6	375.6	375.6	375.6	376.7	376.7	376.7	376.7
चीनी	225.4	229.1	229.2	233.4	227.5	226.4	225.7	226.3
गुड़	279.6	286.4	302.8	311.9	399.9	398.5	406.4	412.8
मिट्टी का तेल	341.1	341.1	341.1	341.1	343.2	343.2	343.2	343.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
साफ्ट कोक	463.5	463.5	463.5	463.5	463.5	463.5	463.5	463.5
मिर्चे	117.5	117.9	117.2	115.8	108.4	106.5	108.2	111.6
चाय	362.6	366.3	379.8	386.7	438.1	432.9	439.5	453.4
माचिस	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0
नमक	203.8	207.6	207.6	207.6	213.6	213.6	213.6	213.6
साबुन	240.6	247.0	247 0	247.0	258.7	258.7	258.7	258.7
सूती कपड़ा मिल	250.3	251.4	251.4	251.4	252.9	252.9	253.0	253.0
नारियल का तेल	260.0	251.3	254.5	259.6	323.1	328.2	332·2	342.9

महंगाई भत्ते के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वास्तविक आय में वृद्धि

5102. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न वेतनमानों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पृथक-पृथक कहां तक वृद्धि हुई है ;

(ख) महंगाई भत्ते में वृद्धि के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी आयकर-दाताओं की श्रेणी में आ गए हैं;

(ग) क्या सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि को वास्तविक अर्थों में आय में वृद्धि मानती है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसा मानने से महंगाई भत्ते में वृद्धि का विशेष प्रयोजन वास्तव में व्यर्थ हो गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो वास्तविक आय मूल्य वृद्धि और महगाई भत्ते द्वारा वास्तविक आय में परिणामों में कमी के निष्प्रभाव में परस्पर क्या सम्बन्ध है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ङ) महंगाई भत्ते की अदायगी कर्मचारियों के वेतन से सम्बन्धित है, न कि वेतन-मानों से । कुछ चुने गए वेतन स्तरों पर पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्वीकार्य महंगाई भत्ते की राशि नीचे दी गई है :

वेतन स्तर	निम्नलिखित की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य महंगाई भत्ते (अतिरिक्त महंगाई भत्ते तथा तदर्थ महंगाई भत्ते को मिलाकर) की राशि ।				
1	2	3	4	5	6
रुपए	1.1.80	1.1.81	1.1.82	1.1.83	1.1.84
	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
400	228	298	410	474	522
1000	460	610	820	940	1030
1600	460	610	864	960	1050
2000	460	550	1080	1200	1300
2500	450	550	1350	1500	1625

1	2	3	4	5	6
3000	300	450	1500	1650	1800
3500	300	450	1500	1655	1800

(ख) महंगाई भत्ते में वृद्धि के परिणामस्वरूप आय-कर दाताओं की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में आगे से कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) से (ङ) सरकार की मान्य नीति यह रही है कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों तथा सरकारद्वारा समय-समय पर किए गए संशोधनों के आधार पर महंगाई भत्ते/अतिरिक्त महंगाई भत्ते/तदर्थ महंगाई भत्ते के रूप में मूल्यों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की जाए महंगाई भत्ते की विद्यमान योजना के अन्तर्गत जैसा कि वह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू है, 400 रुपए प्रति मास तक वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के मामले में महंगाई भत्ते की एक किश्त 100 प्रतिशत निराकरण प्रदान करती है। इस वेतन स्वर से ऊपर 1000 रुपए प्रति मास के वेतन तक निराकरण 75 प्रतिशत है तथा उसके बाद निराकरण का प्रतिशत कम होता है।

बर्मिघेम-अमृतसर मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों की सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच

9103. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मिघम (ब्रिटेन) से अमृतसर तक और अमृतसर से बर्मिघम तक सप्ताह में दो सीधी उड़ाने हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा यात्रियों की ठीक तरह से जांच नहीं की जाती है;

(ग) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने अपने जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०एम० कृष्ण) : (क) इस समय अमृतसर से बर्मिघम और बर्मिघम से अमृतसर के लिए एक सप्ताह में केवल एक ही उड़ान होती है। किन्तु, 17·1·1984 से पहले, बर्मिघम से अमृतसर और अमृतसर से बर्मिघम के लिए दो उड़ानें होती थीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

स्टील अथारटी आफ इंडिया को नकद मुआवजा सहायता

9104. **श्री चित बसु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बिक्री योग्य इस्पात के निर्यात हेतु स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को नकद मुआवजा सहायता देने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

त्रिपुरा में दूसरी जूट मिल की स्थापना

9105. **श्री अजय बिश्वास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा में एक और जूट मील की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जी, हां। दिसम्बर, 1983 में त्रिपुरा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि त्रिपुरा में कच्चे जूट की अधिक मात्रा उगाई जाने की वजह से त्रिपुरा में एक दूसरी जूट मिल स्थापित किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

(ग) इस मंत्रालय में प्रस्ताव की समीक्षा की गई थी । विचार करते समय जब यह तथ्य पाया गया कि विद्यमान जूट मील की लाइसेंसीकृत क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका और जूट उद्योग को मांग में गंभीर मन्दी का सामना करना पड़ रहा था तो क्षमता में और अधिक वृद्धि करना उचित नहीं पाया गया । तदनुसार, राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था ।

आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता

9106. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार के अनुदेश हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के सभी कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ते का भुगतान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो किन सेवाओं और संवर्गों के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ते का भुगतान किया जाता है;

(ग) क्या आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले राष्ट्रीयकृत और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को यह भत्ता नहीं दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आदिवासी क्षेत्र में बैंक कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ते का भुगतान न करने से उनमें असंतोष फैलेगा और आदिवासी क्षेत्रों के बैंकों में कार्य और विशेषत: आई०आर०डी०पी० से संबंधित कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०एम० कृष्ण) : (क) और (ख) आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी किए जाने के बारे में वित्त मन्त्रालय के कोई अनुदेश नहीं हैं। किन्तु, गृह मन्त्रालय ने, 7वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के आधार पर, विभिन्न राज्य सरकारों को आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी की सिफारिश करने में 7वें वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उपयुक्त गुणवत्ता तथा क्षमता वाले व्यक्तियों को आकर्षित किया जा सके। चूंकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी आदिवासी क्षेत्र की आयोजनाओं के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं, इसलिए उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के आधार पर मिलने वाले भत्ते और सुविधाओं को मंजूरी न्यायोचित नहीं पाई गई है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (च) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक आफ इंडिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाती कल्याण संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन

9107. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आप इंडिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ (पंजीकृत) ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की दशा सुधारने के लिए बनाई गई नीतियों के मामले में असंगतियों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंक आफ इण्डिया

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ (पंजीकृत) ने दो ज्ञापन दिए हैं एक का संबंध अधीनस्थ संवर्ग से लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति में आरक्षण से है और दूसरे का अधिकारियों के एक वेतन ग्रेड से अगले उच्च वेतन ग्रेड में पदोन्नति में आरक्षण तथा इन्टरव्यू पैनलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों को शामिल करने से है। बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि वह सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार आरक्षण नीति का पालन कर रहा है।

छावनी बोर्डों में किए गए निर्वाचन और उर्दू में शपथ लेने वाले निर्वाचित सदस्यों की संख्या

9108. **श्री कुंवर राम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे छावनी बोर्डों की संख्या कितनी है जिनमें जनवरी, 1980 और दिसम्बर, 1982 के बीच निर्वाचन हुए थे और उन कैंटोनमेंट बोर्ड की संख्या कितनी है जिनमें निर्वाचन अभी तक होने हैं; और

(ख) औरंगाबाद, बदामी बाग, झांसी, कानपुर, महू, सिकन्दराबाद, फैजाबाद और दानापुर के छावनी बोर्ड में निर्वाचित उन सदस्यों के छावनीवार नाम और संख्या कितनी है जिन्होंने उर्दू भाषा में शपथ ली है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० के० पी० सिंह देव) : (क) जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1982 तक 62 छावनियों में से 30 छावनियों में चुनाव हुए हैं।

अक्तूबर, 1983 में छावनी अधिनियम 1924 में व्यापक संशोधन किया गया है। शेष छावनियों में संशोधित अधिनियम के अनुसार चुनाव किए जाएंगे।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

छावनी बोर्ड का नाम	निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या	उर्दू में शपथ लेने वाले सदस्यों का नाम
1	2	3
1. औरंगाबाद	7	शून्य
2. बादामी बाग	6	मोहम्मद सुल्तान बट
		श्री अब्दुल गनी वानी
		श्री गुलाब अहमद लोन
		श्री सेन दास
		हाजी हबी बुल्ला मलिक

1	2	3
3. झांसी	7	शून्य
4. कानपुर	7	शून्य
5. दानापुर	7	श्री मोहन मंसारी

फैजाबाद, मऊ और सिकन्दराबाद छावनियों में जनवरी, 1980 और दिसम्बर, 1982 के बीच कोई चुनाव नहीं हुए।

विदेशी चार्टर मत्स्य पोतों पर आयकर अधिनियम लागू करना

9109. **श्री दौलत सिंह जी जडेजा** : क्या वित्त मंत्री विदेशी चार्टर मत्स्य पोतों पर आयकर अधिनियम लागू करने के बारे में 2 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1731 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि विदेशी चार्टर मत्स्य पोतों द्वारा पकड़ी गई मछली को अवैध रूप से विदेशों को न भेजा जाए जिससे हमारे देश को देय सीमा शुल्क आदि से वंचित होना पड़ता है;

(ख) क्या विदेशी चार्टर पोतों द्वारा मछली पकड़ने की गतिविधि को अन्य ऐसी गतिविधियों में शामिल किया गया है, जिन पर आयकर वसूल किया जा सकता है;

(ग) वर्ष 1982, 1983 में अनुमानित वर्ष 1984 में करों के संभावित नुकसान के आंकड़ों सहित विदेशी मत्स्य गतिविधि पर आयकर वसूल न किये जाने के कारण आयकर की अनुमानतः कितनी वार्षिक हानि हुई है; और

(घ) चार्टर रूप से मछली पकड़ने की अत्याधिक लाकारी गतिविधि पर आयकर की वसूली शुरू न करने के क्या कारण हैं जबकि हमारे मत्स्य उद्योग को आयकर से मुक्त नहीं रखा गया है अथवा छूट प्रदान नहीं की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) चार्टर शर्तों के अनुसार विदेशी मत्स्य जल पोतों (ट्रावलर्स) को विदेशी पत्तनों की ओर रवाना होने से पहले पकड़ी गई मछलियों के मूल्यांकन हेतु सीमा शुल्क अधिकारियों के पास रिपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे चार्टर जलपोतों के बारे में, जो सीमा शुल्क अधिकारियों के मूल्यांकन के बगैर "हाई सी" से अपनी मछलियों का निर्यात अथवा उनका यानान्तरण कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं मिली है। इसके अलावा माल के यानान्तर पर कोई सीमा शुल्क उदग्रहणीय नहीं होता है।

(ख) से (घ) राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम 1976 (1976 का 80) की धारा 6 की उपधारा 6 के खंड (क) तथा धारा 7 की उपधारा (7) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम को, इस संशोधन के अध्यधीन कि उक्त अधिनियम केवल विनि-

दिष्ट क्रिया-कलापों के संबंध में लागू होगा, भारतीय महाद्वीपीय मग्नतट भूमि तथा भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर लागू किया है। चूंकि, आयकर अधिनियम में जैसाकि उसे केवल आर्थिक क्षेत्र में लागू किया गया है, उक्त क्षेत्र में विदेशी मत्स्य जलपोतों का वाणिज्यक प्रचालन नहीं आता है, इसलिए उक्त क्षेत्र में ऐसे जलपोतों के प्रचालन से अनिवासियों द्वारा प्राप्त आय के संबंध में किसी प्रकार के कर का निर्धारण करने तथा वसूल करने का प्रश्न विचाराधीन है।

स्वनियोजन योजना के अन्तर्गत तकनीकी व्यक्तियों और चिकित्सा स्नातकों को वित्तीय सहायता

9110. **श्री पलानीअप्पन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्व-नियोजन योजना के लिये तकनीकी व्यक्तियों और चिकित्सा स्नातकों को प्रोत्साहन, राजसहायता सहित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ख) सलेम जिले में विशेषकर इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक यूनाईटेड कमर्शियल बैंक और सिंडीकेट बैंक द्वारा स्वनियोजन योजना के अन्तर्गत ऋण की मंजूरी न देने वाले बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्व-रोजगार योजना 18 से 35 वर्ष तक के सभी उन व्यक्तियों के लिए है जो कम से 10 वीं पास हों और जो बैंकों से ऋण सहायता लेकर कोई धन्धा शुरू करना चाहते हैं। इस प्रकार इसमें तकनीकी व्यक्ति और चिकित्सा स्नातक भी आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त, डाक्टरों और इन्जीनियरों सहित शिक्षित व्यक्तियों के लिए बैंकों ने स्व-रोजगार की योजनाएं तैयार की हैं। ऐसे व्यक्तियों के मामले में बैंक, सामान्यत: मार्जिन मानदण्ड और गारन्टी सम्बन्धी अन्य रियायती शर्तें लगाते हैं। उदाहणार्थ सिंडिकेट बैंक की योजना में बिना किसी मार्जिन के डाक्टरों और इन्जीनियरों को वित्तीय सहायता के अन्तर्गत एक लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। सम्बद्ध क्षेत्र के अनुभव वाले तकनीकी उद्यमकर्ताओं को बैंक बिना मार्जिन के 3 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 31.12.1983 तक इस बैंक ने तमिलनाडु राज्य में 349 व्यक्तियों को स्वरोजगार के धंधों के लिए 111.27 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी थी।

जबकि बैंक इन्जीनियरों और चिकित्सा स्नातकों आदि को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करते हैं लेकिन प्रत्येक प्रस्ताव की उसकी अर्थक्षमता और तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर जांच की जाती है और केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाता जो इन कसौटियों पर खरे उतरते हैं।

बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने से इन्कार करने की खास-खास शिकायतें प्राप्त होने पर उन्हें यथा सम्बन्ध दूर करने के लिए संबधित बैंक के साथ लिखा-पढ़ी की जाती है।

मैसर्स इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरो एलाय उड़ीसा के विरुद्ध शिकायतों की जांच

9111. **श्री रेशमा मोतीराम भाये**
श्री डूंगर सिंह } : क्या **वाणिज्य** मंत्री मैसर्स इण्डियन मेटल लिमिटेड, उड़ीसा द्वारा अपने शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट से स्वदेशी बाजार में चार्ज क्रोम की बिक्री के बारे में 19 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4255 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इण्डियल मैटल एण्ड फैरो एलाय लिमिटेड, उड़ीसा के विरुद्ध शत-प्रतिशत निर्यातन्मुखी यूनिट की सरकार की योजना का उल्लंघन करने के आरोपों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की इस बीच विस्तृत जांच की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का इस प्रकार उल्लंघन करने के लिए उपर्युक्त फर्म के विरुद्ध सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) ब्यौरेवार जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

हल्का परिवहन विमान परियोजना के लिए दीर्घकालीन ऋण के लिए वार्ता

9112. **श्री विष्णु प्रसाद**
श्री जी० वाई० कृष्णन } : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हल्का परिवहन विमान परियोजना के लिए 200 मिलियन डालर के दीर्घकालीक ऋण के लिए वार्ता कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जर्मन संघीय गणराज्य की फर्म मैसर्स डोरानियर जी०एल०बी०एच० के साथ उड़ान योग्य कुछ विमान प्राप्त करने और डी० ओ० 228 विमान का हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (हाल) में लाइसेंस उत्पादन करने के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि नागरिक तथा रक्षा प्रयोक्ताओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस प्रयोजना के लिए लगभग 200 करोड़ ड्यूश मार्क ऋण के रूप में लेने के लिए जर्मन संघीय गणराज्य के कुछ बैंकों के साथ बातचीत की जा रही है । प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के बाद अन्तिम निर्णय लिया जाएगा ।

संयुक्त भारत-चेकोस्लोवाकिया पैनल की बैठक

9113. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1984 में संयुक्त भारत-चेकोस्लोवाकिया पैनल की बैठक बुलाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जैसाकि दिनांक 23 फरवरी, 1984 के "इकनामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उस देश के दौरे के समय मंत्री महोदय के साथ जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों के नाम और पदनाम क्या हैं;

(ग) उक्त बैठक कब होने की संभावना है;

(घ) उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की जायेगी; और

(ङ) हाल ही में भारत के दौरे पर आये चेकोस्लोवाकिया के शिष्टमण्डल के नेता और सदस्यों के नाम और पदनाम क्या हैं, किन विषयों पर चर्चा की गई है, उसके क्या परिणाम निकले और भारत की ओर से किन्होंने भाग लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) भारत-चैकोस्लोवाक संयुक्त समिति का ग्यारहवां अधिवेशन मई, 1984 के उत्तरार्द्ध में नई दिल्ली में होनी निश्चित हुई है। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व, जिसमें भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि होंगे, वाणिज्य मंत्री द्वारा अपनी संयुक्त समिति के सह-अध्यक्ष की हैसियत से किया जाएगा। संयुक्त समिति द्वारा भारत तथा चैकोस्लोवाक के बीच आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक तथा तकनीकी सहयोग सम्बन्धी द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किये जाने की संभावना है।

(ङ) चैकोस्लोवाकिया के प्रधान मन्त्री, जिनके साथ चैकोस्लोवाकिया के विदेश व्यापार मन्त्री तथा अन्य अधिकारी भी थे, भारत के प्रधानमन्त्री के निमंत्रण पर आये भारत और दोनों पक्षकारों द्वारा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

संसद सदस्यों को रक्षा निपटान से अम्बेसडर कारों को आवंटन

9114. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान विभिन्न सेना वाहन डिपुओं में (डिपोवार) रक्षा निपटान की छठी श्रेणी की कितनी अम्बेसडर कारों की नीलामी की गई;

(ख) नीलाम की गई कारों का औसतन कितना मूल्य मिला;

(ग) क्या रक्षा निपटान की छठी श्रेणी की अम्बेसडर कारें संसद सदस्यों को भी आवंटित की जाती हैं और उनके लिए इन कारों की निर्धारित कीमत 18,000रुपए से अधिक है, जोकि कारों की नीलामी में प्राप्त हुई कीमत से काफी अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो संसद सदस्यों को आवंटित और नीलामी में बेची गई छठी श्रेणी की कारों की कीमतों में कितना अन्तर है तथा संसद सदस्यों को आवंटित कारों की कीमत अधिक निर्धारित करने का क्या औचित्य/आधार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

अवधि	नीलामी के जरिए बेची गई अम्बेसडर कारों की संख्या	डिपो का नाम	प्रति कार के लिए दी गई औसत कीमत
1.1.83	4	सी० वी० डी०	18200 रु०
से 30.6.83		पागनागढ़	
1.7.83	2	—वही—	16250 रु०
से 31.12.83			

(ग) और (घ) संसद सदस्यों को रक्षा निपटान स्टाक में से एम्बेसडर श्रेणी—6 कार आवंटित की जाती है। 1.10.1983 से इन कारों की कीमत 18200 रु० प्रति कार है जो जनवरी से जून, 1983 के दौरान नीलामी में बेची गई कारों की औसत के मूल्य बराबर है। यह उल्लेखनीय है कि संसद सदस्य उपलब्ध स्टाक में से सबसे बढ़िया वाहन खरीदते हैं और उनके द्वारा दो बार नामंजूर की गई कारें सार्वजनिक नीलामी से बेची जाती हैं। स्पष्ट है कि इन कारों की कीमत संसद सदस्यों द्वारा चुनी गई/खरीदी गई कारों की कीमत की तुलना में कम होती है। अम्बेसडर कार की कीमत की सितम्बर, 1984 में 1.1.1984 से 30.6.84 तक की अवधि के दौरान किये गये नीलाम को यदि किया गया। यदि कोई हो के आधार पर समीक्षा की जायेगी।

गुजरात में बन्द और रुग्ण कपड़ा मिलों की समस्याओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में उच्च शक्ति सम्पन्न समिति की रिपोर्ट

9115. **श्री ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में बन्द और रुग्ण कपड़ा मिलों की समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिये केन्द्र द्वारा नियुक्त उच्च शक्ति सम्पन्न समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गुजरात में बन्द तथा रुग्ण वस्त्र मिलों की समस्याओं के बारे में जो अधिकारी समूह गौर कर रहा है, उसने अपनी अन्तिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को दिए गए ऋण

9116. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों को उनके आर्थिक पुनर्वास के लिए ऋण उपलब्ध जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कुल कितनी राशि के ऐसे ऋण प्रदान किए गए हैं; और

(ग) ऐसे ऋणों पर कितना ब्याज लिया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अन्तर्गत कमजोर वर्ग की एक अवधारणा बनाई गयी है जिसमें ये आते हैं :

(1) वर्तमान परिभाषा के अनुसार छोटे और सीमांतिक किसान, भूमिहीन मजदूर, शिकमी किसान और बटाईदार;

(2) कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग;

(3) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारी;

(4) अनु० जातियां और अनु० जन० जातियों; और

(5) विभेदी ब्याज दर के हिताधिकारी ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह सुनश्चित करने के लिए कहा गया है कि मार्च, 1985 तक उनके द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिमों का 25 प्रतिशत हिस्सा इस वर्ग को मिलना चाहिए । यह परिकल्पना समूचे आधार पर की गयी है और राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं । तुरंत अनुमानों के अनुसार कमजोर वर्गों के 99.3 लाख से अधिक ऋणकर्ताओं के नाम अग्रिम की 2475 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी जो सितम्बर, 1983 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 19.3% बैठती है । इन अग्रिमों के राज्यवार आंकड़ों का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है । ऊपर बताए गए ब्यौरे के अनुसार अग्रिमों के अलग-अलग लक्ष्यों तथा उनके पर्यवेक्षण के बारे में अनुदेश फरवरी, 1983 में ही जारी किए गए थे । इसलिए पिछले तीन वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले अधिकांश अग्रिमों के ब्याज की दर 10% से 12.5% के बीच होती है । विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत अग्रिमों के ब्याज की दर केवल 4प्रतिशत है ।

भारत पर्यटन विकास निगम के अकबर होटल में कार्यरत मजदूर संघ

9117. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के अकबर होटल में कितने मजदूर संघ हैं;

(ख) प्रत्येक मजदूर संघ के सदस्यों की संख्या क्या है;

(ग) क्या उनमें से कोई संघ मान्यता प्राप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम के अकबर होटल में केवल एक यूनियन है और उसके सदस्यों की संख्या 448 है।

(ग) और (घ) यूनियन को 9.10.1979 से दो वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी। इसने मान्यता के पुनर्वैधीकरण हेतु आवेदन नहीं भेजा है।

पश्चिमी एशियाई मार्गों पर जाने वाली विमान उड़ानों के लिए किराया निर्धारित करने का आधार

9118. **श्री बी० के० नायर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न एयरलाइनों द्वारा पश्चिम एशियाई मार्गों पर अन्तरर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए किराया निर्धारित करने का आधार क्या है;

(ख) क्या दूरी की प्रति यूनिट पर लिये जाने वाले किराये के मामले में इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मार्गों में कुछ अन्तर है;

(ग) क्या यह सच है कि इन देशों में कार्यरत भारतीयों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन उड़ानों के लिए भारत आने और जाने के लिये लिया जाने वाला किराया इतनी ही दूरी की अन्य उड़ानों की तुलना में काफी अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो किराया कम करने और अन्य मार्गों पर उड़ानों के समान किराया करने के लिए एयर इण्डिया ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अन्य अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों की तरह पश्चिम एशियाई मार्गों पर यात्री किरायों का निर्धारण, विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जिनमें निहित दूरी, लगाई गई औसत क्षमता, मार्केट परिस्थितियां, अतिरिक्त पर्यटक यातायात प्रजनित करने की आवश्यकता आदि सम्मिलित हैं, संबंधित एयरलाइनों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ के मंच में किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित किरायों को सम्बन्धित सरकारों द्वारा उनका अनुमोदन कर दिए जाने के बाद ही लागू किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) क्योंकि किराये विभिन्न एयरलाइनों की समान सहमति मिल जाने तथा बाद में उनकी सम्बन्धित सरकारों द्वारा उनका अनुसमर्थन कर दिए जाने पर ही निर्धारित किया जाता है, अत: एयर इण्डिया अथवा भारत सरकार इकतरफा तौर पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती।

भारतीय पटसन निगम द्वारा अध्यक्ष (कार्मिक और प्रशासन) के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ता पर किया गया व्यय और कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता

9119. **श्री नीरेन घोष** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन निगम ने वर्ष 1983 के दौरान और विशेषकर जनवरी और फरवरी 1984 के दौरान अध्यक्ष (कार्मिक और प्रशासन) के लिए विमान किराया/रेल किराया सहित यात्रा और दैनिक भत्ते पर कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) भारतीय पटसन निगम के कर्मचारियों को 1982 और 1983 के दौरान समयोपरि भत्ते की कुल कितनी राशि की अदायगी की गई; और

(ग) वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान स्टाफ कार के रख-रखाव पर भारतीय पटसन निगम द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारतीय जूट निगम द्वारा वर्ष 1983 के दौरान और विशेषरूप से जनवरी और फरवरी, 1984 के दौरान अध्यक्ष (कार्मिक तथ प्रशासन) के लिए विमान किराया/रेल किराया सहित यात्रा और दैनिक भत्ते पर व्यय की गई कुल राशि निम्नोक्त प्रकार है :

अवधि	विमान/रेल किराये के रूप में दी गई राशि	दैनिक भत्ते के रूप में दी गई राशि	योग
	रु०	रु०	रु०
1983	11,928.00	5,097.45	17,025.45
1984			
जनवरी	4,162.00	947.50	5,109.50
फरवरी	1,892.00	542.00	2,434.00
कुल योग	17,982.00	6,586.95	24,568.95

(ख) भारतीय जूट निगम के कर्मचारियों को 1981-82 और 1982-83 के दौरान दी गई समयोपरि भत्ते की कुल राशि निम्नोक्त प्रकार है .

अवधि	समयोपरि भत्ते के रूप में दी गई राशि
(जुलाई-जून)	रु०
1981-82	4,75,898.00
1982-83	5,52,298 00

(ग) भारतीय जूट निगम द्वारा 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान स्टाफ कारों के रखरखाव पर खर्च की गई कुल राशि निम्नोक्त प्रकार है :

अवधि	स्टाफ कारों के रखरखाव पर खर्च की गई राशि
जुलाई-जून	रु०
1980-81	3,42,929.00
1981-82	4,16,628.00
1982-83	3,65,186.00

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप कंपनियों से उत्पाद शुल्क की बकाया राशि की वसूली

9120. **श्री ईरा मोहन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्माण-पश्चात् लागत पर उत्पाद शुल्क लगाने के सरकार के अधिकार की पुष्टि के हाल के निर्णय के पश्चात्, उत्पाद शुल्क की 400 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) कम्पनियों के नामों सहित उनसे अब तक कितनी राशि वसूल की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) उच्चतम न्यायालय ने तथाकथित निर्माणोत्तर खर्चों को, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाये जाने के प्रयोजन से, शुल्क निर्धारण योग्य मूल्यों में शामिल करने के बारे में दि० 7.10.1983 को निर्णय दिया था । निर्माताओं द्वारा देय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम की वसूली करने के लिए तत्काल उपाय किये गये, जैसे—बकाया पड़े शुल्क-निर्धारणों को अन्तिम रूप देना; जिन-जिन न्यायिक एवं अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के पास फैसले के लिए मामले विचाराधीन पड़े हैं उन्हें, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, आगे की कार्यवाही करने के लिए अनुरोध करना और देय शुल्कों की वसूली के लिए अनुनय-विनय करना ।

(ख) 31 मार्च, 1984 तक लगभग 91 करोड़ रुपये की रकम की वसूली की जा चुकी है । कम्पनियों के नाम इकट्ठे करने में समय तथा श्रम अनुपातत: कहीं अधिक लगेगा क्योंकि उनकी संख्या

बहुत बड़ी है। यदि माननीय सदस्य किसी कम्पनी-विशेष के बारे में जानकारी चाहें तो वह प्रस्तुत कर दी जाएगी।

राज्यों का बजट घाटा

9121. **श्री जेवियर अराकल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों का वर्ष 1983-84 के लिए राज्यवार बजट घाटा कितना है तथा वर्ष 1984-85 के लिए सरकार का क्या करने का विचार है; और

(ख) राज्यों के बजट घाटों को पूरा करने के लिए वर्ष 1980 से लेकर अब कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) अधिशेष/घाटे के संशोधित अनुमानों का एक विवरण जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सभा-पटल पर रखा जाता है। मणिपुर के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथा प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

वर्ष 1984-85 के लिए अधिकांश राज्यों के आयोजनागत परिव्यय को, उनकी आयोजना-भिन्न वचन-बद्धताओं की पूरी तरह व्यवस्था करने के पश्चात् अन्तिम रूप दे दिया गया है। शेष राज्यों के मामले में वर्ष के दौरान इसी प्रकार की कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी।

(ख) राज्यों के घाटों को पूरा करने के लिए उन्हें अप्रैल, 1980 से 1980-81, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान क्रमशः 61.87 करोड़ रुपये, 1743.46 करोड़ रुपये तथा 499.12 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करायी गई।

विवरण

	1983-84 संशोधित अनुमान) के लिए राज्यों का अधिशेष	(+)/घाटा (—)
		(करोड़ रुपये)
1.	आन्ध्र प्रदेश	—110.47
2.	असम	+27.30
3.	बिहार	—27.36
4.	गुजरात	—23.04
5.	हरियाणा	+16.34
6.	हिमाचलप्रदेश	+10.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	—3.20
8.	कर्नाटक	—76.15

1	2	3
9.	केरल	+1.48
10.	मध्य प्रदेश	+84.67
11.	महाराष्ट्र	—32.14
12.	मणिपुर	×
13.	मेघालय	+0.31
14.	नागालैण्ड	+1.59
15.	उड़ीसा	+33.70
16.	पंजाब	15.30
17.	राजस्थान	—31.00
18.	सिक्कम	—2.89
19.	तमिल नाडु	—123.26
20.	त्रिपुरा	—2.64
21.	उत्तर प्रदेश	—34.86
22.	पश्चिम बंगाल	—51.21
	कुल राज्यों का जोड़ :	—329.53
		—520.22 +190.69

× सूचना बाद में दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा मांगे गए ऋण

9122. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कानून के अनुसार गन्ने के मूल्य की अदायगी के लिए 56 करोड़ रुपये के ऋण की माँग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) जी, हाँ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार को 1 .12.1983 को 15 करोड़ रुपये का आर्थोपाय अग्रिम स्वीकृत किया गया था।

अशोक यात्री निवास, दिल्ली की दरों में वृद्धि

9123. **श्री पी० जे० कुरियन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम के अन्य पंचतारा होटलों के दबाव में आकर अशोक यात्री निवास की दरों को बढ़ाया गया है :

(ख) क्या सरकार का अशोक यात्री निवास जैसे जनता होटलों के लिए एक अलग संगठन बनाने का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पंचतारा होटल सरकारी क्षेत्र में सस्ते और शान-शौकत रहित होटल खोले जाने के विरुद्ध हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार वित्त शान-शौकत रहित साधारण होटल खोलने में, जिससे मध्यम वर्गीय भारतीयों को फायदा हो, क्यों हिचकिचा रही है ?

पर्यटन और और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) पब्लिक सेक्टर द्वारा और अधिक साधारण होटलों का निर्माण करना आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

भारत से शीरे का निर्यात और औद्योगिक मद्यसार (अल्कोहल) का आयात

9124. **श्री अमल दत्त** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत से शीरे के निर्यात के आँकड़े क्या हैं और किस-किस देश को निर्यात किया गया तथा प्रत्येक देश को निर्यात की गई मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान औद्योगिक मद्यसार (एल्कोहल) के आयात के आकड़े क्या हैं और किस-किस देश से आयाम किया गया और प्रत्येक देश से किए गये आयात का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1977-78 से 1981-82 तक तक भारत का शीरे का निर्यात निम्नोक्त प्रकार था :—

वर्ष	मात्रा (मे० टन)
1977-78	40,149
1978-79	39,472
1979-80	4,19,873
1980-81	21,026
1981-82	4,020

निर्यात के प्रमुख गन्तव्य स्थान थे, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी तथा नीदरलैंड्स। अलग-अलग देशों को

निर्यात में आंकड़े डी० जी० आई० एण्ड एस०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित "दि मंथली स्टेटिसटिक्स आफ दि फारन ट्रेड आफ इण्डिया—वाल्यूम-I, एक्सपोर्ट्स" में उपलब्ध हैं ।

(ख) 1977-78 से 1981-82 तक मद्यसार तथा उनके उससे व्युत्पन्न पदार्थों का भारत में आयात निम्नोक्त प्रकार था :—

वर्ष	मात्रा
	(मे० टन)
1977-78	10,214
1978-79	17,281
1979-80	20,179
1980-81	37,776
1981-82	67,175

आयात मुख्यतः लिबिया, अमरीका, पश्चिमी जर्मनी, आस्ट्रेलिया, जापान तथा बेल्जियम से किए गये । देशवार आयात डी० जी० सी० आई० एण्ड एस०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित "दि स्टेटिसटिक्स आफ दि फारन ट्रेड आफ इंडिया —वाल्यूम-I-इम्पोर्ट", में उपलब्ध हैं ।

भारी औद्योगिक मशीनों और संचार उपकरणों का आयात

9125. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुपयों में व्यापार वाले देशों के साथ व्यापार असंतुलन को कम करने के लिये कुछ देशों से भारी औद्योगिक मशीनों और संचार उपकरणों के आयात का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) रूपया भुगतान क्षेत्र के देशों के साथ सन्तुलित द्विपक्षीय रुपया व्यापार प्रबन्धों और आयात की मदों के विविधीकरण की जरूरत को देखते हुए व्यापार योजनाओं में विभिन्न मशीनरी तथा अन्य मदों के आयात के लिए समय-समय पर समुचित उपबन्ध किये जाते हैं । तथापि, अलग-अलग खरीद संबंधी निर्णय सक्षम क्रेता प्राधिकारियों द्वारा विशिष्ठियों, कीमतों, सुपुर्दगी अवधि आदि जैसे विभिन्न संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किये जाते हैं ।

ई०ई०सी० सूती कपड़ा कोटा का समान वितरण

9126. **श्री के० रामपूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह निर्णय लेने कि 1984 के उत्तरार्ध (जून-दिसम्बर) के लिये उपलब्ध ठेका आरक्षण के आधार सूती कपड़ा कोटा पूर्वार्ध में नहीं लाया जायेगा, के क्या कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे कई कपड़ा मिलों को ई०ई०सी० कोटा प्राप्त नहीं हो सकेगा; और

(ग) ई०ई०सी० कोटा का समान वितरण किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार को सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् (टैक्सप्रोसिल) जो कि वस्त्रों तथा तैयार वस्त्रों के लिए दूसरी अवधि से मात्राओं को जारी करने के लिए निर्यात हकदारी वितरण नीति चलाने का एक अभिकरण है, से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) जहां कहीं पहली अवधि (1 जनवरी, 84 से 30 जून, 84 तक) के लिए नियंत्रण सीमा पूर्ण रूप से नियत कर दी गई है वहां आबंटन के लिए अतिरिक्त मात्राएं दूसरी अवधि (1 जुलाई, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक) में उपलब्ध होंगीं ।

(ग) निर्यात हकदारी का वितरण सरकार द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 1983 की निर्यात व्यापार नियंत्रण सार्वजनिक सूचना सं० 40-ई०टी०सी० (पी०एन०)/8 द्वारा घोषित योजना के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है ।

गुजरात में बंद पड़ी कपड़ा मिलों को फिर से खोला जाना

9127. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बंद पड़ी कपड़ा मिलों के मामले पर उनके साथ बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में इन कपड़ा मिलों को फिर से खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी ,हां ।

(ख) गुजरात में बंद पड़ी मिलों की समस्याओं पर गौर करने के लिए अधिकारियों का एक समूह नियुक्त किया गया है जो उनके पुनर्वास तथा पुरुद्धार के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा ।

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापार

9128. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत देश में 1 अप्रैल, 1984 को, राज्य-वार और संघ राज्य-क्षेत्र-वार, कितने व्यापारी पंजीकृत थे;

(ख) देश में 1 अप्रैल, 84 को, राज्य-वार और संघ-राज्य-क्षेत्र-वार; आभूषणों का व्यापार करने वाले कितने व्यापारी थे;

(ग) उक्त अधिनियम के लागू होने से लेकर अब तक के वर्षों के दौरान वर्ष-वार (पंजीकरण से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत मुश्किल से 10 से 20 आभूषण व्यापारी पंजीकृत है और गैर-पंजीकृत व्यापारी गुप्त रूप से धन इकट्ठा कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो या तो स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को समाप्त करने अथवा अधिनियम के अन्तर्गत सभी आभूषण व्यापारियों के लिये पंजीकरण आवश्यक करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) क्या स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम से सरकार अथवा देश को लाभ हुआ है, यदि हां, तो कितना लाभ हुआ है और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) सोने का व्यापार केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 27 के अन्तर्गत उसे मंजूर किया गया वैध लाइसेंस हो। 1-4-1984 की स्थिति के अनुसार लाइसेंस शुदा स्वर्ण व्यौहारियों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी। तथापि, इस प्रकार के ब्यौरे प्रत्येक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय के क्षेत्राधिकार के अनुसार रखे जाते हैं न कि राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्रवार। स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 के लागू होने के बाद से लाइसेंस फीस वसूली गई राशि के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं तथा उन्हें भी सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। तथापि, वैध लाइसेंस के बिना स्वर्ण व्यापार करना एक अपराध है तथा लाइसेंस के बिना सोने का व्यापार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ, जब कभी उल्लंघन का पता लगता है, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

(ङ) तथा (च) स्वर्ण व्यौहारियों को लाइसेंस देने तथा स्वर्णकारों के प्रमाणीकरण करने और निर्धारित लेखे रखने तथ विवरणियां प्रस्तुत करने की प्रणाली द्वारा स्वर्ण व्यापार का पहले ही नियमन किया जाता है।

जिन उद्देश्यों केलिए स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम को लागू किया गया था वे अभी भी संगत है तथा अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों द्वारा इनको पूरा किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों का पता लगाने के लिऐ सर्वेक्षण

9129. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थलों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। तथापि, केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों के मिश्रित संसाधनों के जरिए पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास करने के लिए विभाग ने राज्य सरकार के परामर्श से तीन यात्रा परिपथ निर्धारित किए हैं जिनके अन्तर्गत 27 केन्द्र आते हैं।

भारतीय इन्टरप्रिन्योरशिप डेवलमेंट इन्स्टीट्यूट की स्थापना

9130. **श्री पीयुष तिरकी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने भारतीय इन्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट इन्स्टीटयूट की हाल ही में स्थापना की है;

(ख) यदि हां तो देश के विभिन्न भागों में, और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार में इन्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष कार्यक्रम सम्मिलित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सावधि ऋणदात्री संस्थाओं अर्थात् भारतीय ओद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर इंटरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट आफ इंडिया (ई०डी०आई०आई०) की स्थापना की है। ई०डी०आई०आई० को 20 अप्रैल, 1983 को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्टर करवाया गया था इस संस्था का उद्देश्य देश के सभी भागों में उद्यमवृत्ति प्रषिक्षण, विकास तथा अनुसंधान के प्रयत्नों की पहल करना, उनको समर्थन प्रदान करना और उन्हें तेज करना है। ई० डी० आई० आई० के उद्देश्यों में आदर्श उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम (ई०डी०पी०) का आयोजन करना और देश भर में उद्यम वृत्ति का विकास करने के लिए कुशल प्राशिक्षकों तथा प्रेरकों का संवर्ग तैयार करना शामिल है। शुरू में ई०डी०आई० आई० ने बिहार और पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा गोआ सहित कुछ राज्यों के उद्यमियों के लिए उद्यमवृत्ति प्रशिक्षिण कार्यों की योजना बनाई है। बिहार में, बिहार औद्योगिक तथा तकनीकी परामर्श संगठन लि० ने ई० डी० आई० आई के सहयोग से उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम शुरू किया है। ई०डी०आई०आई० के मार्ग निर्देशन में, पश्चिम बंगाल परामर्श संगठन लि० ने 5 उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम चलाने की योजना को अन्तिम रूप दिया है।

ई०डीआई०आई० ने केरल, अंडमान तथा निकोवार द्वीप समूह और गोआ में पहले ही आदर्श उद्यम-वृत्ति विकास कार्यक्रम शुरू किये है। ई०डी०आई०आई० की भूमिका बुनियादी तौर पर इस संस्था के समग्र उद्देश्यों के संदर्भ में उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रमों के प्राशिक्षकों को प्राक्षित करने की है। इसके अलावा इस संस्था से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के लिये उद्यमवृत्ति प्रशिक्षिण कार्यक्रम तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये पहले से ही कुछ उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम तैयार कर लिये गये हैं। ई० डी० आई० आई० ने बिहार इलेक्ट्रानिकी निगम के साथ महिलाओं के लिये एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति इलेक्ट्रानिकी कार्यक्रम के वास्ते बात-चीत की जा रही है।

(ङ) :—यह सवाल पैदा ही नहीं होता है।

आयात ओर निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय द्वारा निपटाये गये मामले

9131. **श्री रवीन्द्र वर्मा**
श्री मनोहर लाल सैनी
श्री भोम सिंह } : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय द्वारा निपटाये गए बहुत से मामलों में न्यायालयों में अन्तिम निर्णय हेतु अपील दायर की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितने मामले निपटाये गये;

(ग) उनमें से कितने मामलों में न्यायालयों में अपीलें दायर की गईं;

(घ) आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय में उक्त मामलों का निपटान करने वाले अधिकारियों का ओहदा और कानूनी अर्हताएं क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय में कानूनी अर्हताओं वाले उच्च अधिकारियों द्वारा इन मामलों का निपटान करने की व्यवस्था करने का है ताकि अपीलकर्त्ता स्वयं वहां पर ही उनके मामलों में किये गये निर्णयों से सन्तुष्ट हो सकें ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) यह सही नहीं है कि मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात के कार्यालय द्वारा निपटाई गई अनेक दूसरी अपीलों/समीक्षा याचिकाओं के सम्बन्ध में, पार्टियां अन्तिम अपील के लिए न्यायालय को जाती हैं क्योंकि ऐसे आदेशों के एक प्रतिशत से भी कम को न्यायालय में चुनौती दी जाती है।

(ख) 1462 दूसरीं अपीलें तथा समीक्षा याचिकाएं।

(ग) 7/

(घ) इस कार्यालय में अपीलों तथा समीक्षा याचिकाओं का आमतौर पर निपटान क्रमश: संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात और अपर मुख्य नियन्त्रक, आयात व निर्यात के स्तर पर होता है। यह आवश्यक नहीं है कि इन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के पास कानूनी योग्यताएं हों क्योंकि इन अपीलों/समीक्षाओं को भरने की पद्धति प्रशासनिक प्रकार की है। तथापि, न्यायालय के सभी मामलों में कानूनी सलाहकार की राय ली जाती है।

(ङ) वर्तमान प्रबन्धों में कोई परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उन्हें संतोषजनक माना गया है।

निर्यात की स्थिति

9132. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े देशों के बाजार में निर्यात की स्थिति बेहतर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) यद्यपि विश्वव्यापी मन्दी तथा उद्योगीकृत देशों द्वारा अपनाई गई प्रतिबन्धी व्यापार पद्धतियां भारतीय निर्यातों की महत्वपूर्ण वृद्धि में लगातार बाधक रही हैं फिर भी प्रमुख देशों के बाजरों में भारतीय निर्यातों में वृद्धि हो रही है।

(ग) विभिन्न उपायों जैसे (i) प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान, (ii) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता, (iii) क्रय-विक्रय बैठकों को आयोजित करना (iv) बाजार सर्वेक्षण तथा जानकारी का प्रचार, और (v) हमारे निर्यातों में आने वाली रूकावटों का सरकारी स्तर पर विचार-विमर्श के जरिए विदेशी बाजारों में भारतीय निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

अशोक होटल की मीनार पर रिवॉल्विंग रेस्तोरां

9133. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम का अशोक होटल की मीनार पर रिवाल्विंग रेस्तोरां बनाने का विचार है; और

(ख) इस परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख)

वर्ष 1984-85 के लिए आई०टी०डी०सी० की वार्षिक योजना में अशोक होटल टावर पर एक रिवाल्विंग रैस्टोरैंट के निर्माण के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है ।

हीरों का निर्यात

9134. **श्री राम कृष्ण मोरे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1983-84 के दौरान हीरों के निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1 984-85 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) 1983-84 के दौरान हीरों के निर्यात कुल लगभग 1190 करोड़ रु० (अनन्तिम आंकड़े) के हुए जो 1982-83 में हुए लगभग 913 करोड़ रु० के हीरों के निर्यातों की तुलना में 30% अधिक हैं ।

(ग) 1984-85 में निर्यातों के संभावित स्तर का अनुमान लगाया जा रहा है ।

जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें

9135. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल के एक फैसले में जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में शुरू की गयी इकतरफा योजना को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन के अधिकारियों का विचार अब अपने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नया विधान लाने का है;

वित्त मंत्रायल में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान तथा अन्य सेवा की शर्तों का युक्ति- करण और संशोधन) द्वितीय संशोधन योजना, 1980 को, जिसे प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारी संघों के साथ हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, 30 सितम्बर ,1980 को अधिसूचित किया गया था, उच्चतम न्यायालय ने अपने 21-3-1984 को दिए गए निर्णय के अनुसार रद्द कर दिया है । इस फैसले का प्रभावी भाग संलग्न विवरण में दिया गया उच्चतम न्यायालय द्वारा 'समुचित रिटें' जारी किए जाने के पश्चात् उनके प्रभावों तथा फैसले की जांच की जाएगी तथा फैसले के अनुसार आगे समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

विवरण

हमने मामले का जिस रूप में अवलोकन किया है उसके अनुसार, "ये आवेदन सफल सिद्ध होते हैं तथा 1980 की इस अपेक्षित योजना को दोषपूर्ण माना जाए क्योंकि साधारण बीमा कारबार

(राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत यह केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है इन मामलों में अन्तरिम आदेश के रूप में पारित आदेश के द्वारा इस योजना के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इसलिए इस आक्षेपित योजना को रद्द किया जाता है तथा इसको प्रभावी नहीं किया जाएगा। पक्षकारों को अपने अधिकारों का समायोजन करने की पूरी स्वतन्त्रता होगी मानों कि यह योजना बनाई ही नहीं गई थी। हस्तक्षेप संबंधी आवेदनों को स्वीकार किया जाता है। 1980 की इस योजना को रद्द करने के लिए समुचित रिटें जारी की जाए। परन्तु इस फैसले के कारण सरकार पर, यदि ऐसी सलाह हो और वह ऐसा करना उचित समझें तो, कोई दूसरी योजना तैयार करने पर कोई प्रतिबध नहीं होगा। इन मामलों के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेषकर इस बात को देखते हुए कि एक समय याचिकादाताओं ने स्वयं ही इच्छा प्रकट की थी कि केन्द्रीय सरकार एक नई योजना तैयार करे, हम निदेश देते हैं कि पक्षकार इन सभी मामलों में खर्चा स्वयं ही वहन करें। उपर्युक्त सीमा तक इन नियमों को अंतिम बना दिया गया है।"

रेशम के धागे की कमी

9136. **श्री ईरा अनवारासु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेशम उद्योग को धागे की कमी का सामना करना पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप हमारी रेशम निर्यात क्षमता कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो रेशम के धागे की कमी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का रेशम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये रेशम का धागा निर्धारित मूल्य पर सप्लाई करने हेतु रेशम के धागा (बैंक सिल्क यानं बैंक) की स्थापना करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) इस समय रेशम के धागे के बैंकों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। रेशम के निर्यात बढ़ाने के उपाय के तौर पर सरकार ने निर्यातकों को आर० ई० पी० तथा एल० एस० योजनाओं के अन्तर्गत रेशम के आयात की सुविधाओं की अनुमति दी है।

राष्ट्रीयकृत बैंक की विदेशों में शाखाएं

9137. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशों में कितनी शाखाएं हैं तथा उनके स्थानों के बारे में क्या ब्यौरा है; और

(ख) कौन-कौन सी बैंकों ने नये उद्यमियों की सहायता करने के लिये दिल्ली तथा अन्य नगरों में अपनी शाखाएं खोली हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) केवल नए उद्देश्यों की सहायता के लिए अलग से कोई शाखा नहीं खोली गयी है। सितम्बर, 1983 के अंत की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित महानगरीय, शहरी और अर्धशहरी केन्द्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या नीचे दी गयी है :

महानगरीय	4129
शहरी	4812
अर्ध-शहरी	7804

विवरण

31 दिसम्बर, 1983 की स्थिति के अनुसार विदेशों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	बैंक का नाम	देश	स्थान	कार्यालयों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	भारतील स्टेट बैंक	श्री लंका	अनुराधापुर	1
		तदैव	कोलम्बो	1
		यूनाइटेट किंग्डम	लंदन	2
		तदैव	साउथआल	1
		तदैव	गोल्डर्स ग्रीन (लंदन)	1
		तदैव	बिस्टल	1
		तदैव	नार्टिघम	1
		संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	न्यू-यार्क	1
		तदैव	थिकागो	1
		तदैव	लास एंजिस	1
		तदैव	(केलिफोर्निया)	1
		तदैव	फ्लसिंग	1
		तदैव	न्यूयार्क	1

1	2	3	4	5
		माल्दीव द्वीप समूह	माली	1
		पश्चिम जर्मनी	फैंक्फुर्त	1
		बंगला देश	ढाका	1
		बहामास	नासू	1*
		बहरीन	बहरीन	1*
		सिंगापुर	सिंगापुर	1*
		हांगकांग	हांगकांग	1*
		कैमेन द्वीप समूह	कैमेन द्वीप समूह	1
		जापान टोकियो	टोकियो	1
		पनामा	पनामा	1
		फ्रांस	पेरिस	1
		बेल्जियम	एटवेर्ष	1
		यू०के०	लंदन	24
2.	सेन्टल बैंक आफ इंडिया			
		यू०के०	लंदन	1
		तदैव	ईस्ट हैम लंदन	1
		तदैव	बर्मिघम	1
				3
3.	बैंक आफ इंडिया	जापान	टोकियो	1
		तदैव	ओसाका	1
		भू० के०	लंदन	1
		तदैव	मान्चेस्टर	1
		तदैव	बर्मिघम	2
		तदैव	लीस्टार	2
		ये० के०	लीडस	1
		तदैव	वेम्बली (लंदन)	1
		तदैव	प्रेस्टन (लंकाशायर)	1
		तदैव	फिकले (लंदन)	1

1	2	3	4	5
		तदैव	हडरसफीड	1
		तदैव	ग्लासगो (स्काटलैंड)	1
		केनिया	मोंबासा	1
		तदैव	नेरोबी	1
		हांगकांग	त्सिम शा इस्युर्टइ (नौलन)	1
		तदैव	हांगकांग	1
		फ्रांस	पेरिस	1
		यू०एस०ऐ०	सान फांससिको	1
			केल कलिफोनिया	1
		तदैव	न्यूयार्क	2
		सिंगापुर	सिंगापुर	1
		चैनल		1
		द्वीपसमूह	जर्सी	1
		केमैन द्वीप समूह	ग्रांड केमैने	1*
				24
4.	बैंक आफ बड़ोदा	फिजी द्वीप समूह	लकेबा	1
		तदैव	सुवा	2**
		तदैव	लोटोका	1
		तदैव	बा	2**
		तदैव	लूबासा	1
		तदैव	नांडी	1
		तदैव	राकी राकी	1
		तदैव	सिंगाटोका	2**
		गुयाना	जार्जटाउन	1
		तदैव	न्यू एम्सटर्डम	1
		केनिया	मोम्बासा	2
		तदैव	नेरोबी	2
		तदैव	किसुमू	2

1	2	3	4	5
		तदैव	थिका	2
		मोरिशस	पोर्टलूइस	1
		तदैव	रोज हिल	1
		तदैव	गुरेपाइप	1
		तदैव	वेंकाआस	1
		तदैव	क्वोटे बोनंस	1
		यू०के०	लंदन	1
		तदैव	साउथहाल, लंदन	1
		तदैव	हैंडसवर्थ	1
		तदैव	स्टेथम	1
		तदैव	ब्रैडफोड	1
		यू०के०	कवेंन्ट्री	1
		तदैव	मान्चेस्टर	1
		तदैव	इलफोर्ड	1
		तदैव	ब्रैंट	1
		तदैव	किलबर्न	1
		तदैव	लुटन	1
		तदैव	बोल्टन	1
		तदैव	स्लफ (बर्कशायर)	1
		तदैव	क्रोइडों (सर्रे)	1
		तदैव	व्हाइट चैपल	1
		तदैव	लंदन	1
		दुबई यू०ए०ई०	दुबई	1
		तदैव	डेरा	1
		अबूधाबी (यू०ए०ई)	अबूधाबी	2
		रस अल खमेह	रस अल खमेह	1
		फेयूजेरह (यू० ए० ई०)	फेयूजेरह (यू० ए० ई)	1
		अम अल कुवैन (यू०ए०ई०)	अम०अल कुवैन	1
		शरजाह (यू०ए०ई०)	शरजाह	1

1	2	3	4	5
		ओमाल	मुत्राह	1
		तदैव	रूवी (मसक्त)	1
		तदैव	सलालाह	1
		तदैव बेल्जियम	ब्रुसेल्स	1
		शेसेल्स	शेसेल्स	1
		यू०एस०ए०	न्यूयार्क	1
		बहामास	नसाउ	1
		बहरीन	बहरीन	1*
				57
5.	यूनाइटेड कमार्शियल बैंक	हांगकांग	हांगकांग	2
		तदैव	नार्थ पाइंट	1
		तदैव	हांगकांग	1
		सिंह सिंगापुर	सिंगापुर	3
		यू० के०	लंदन	1
		तदैव	लीस्टर	1
				9
6.	इंडियन बैंक	‡श्री लंका	कोलम्बो	1
		सिंगापुर	सिंगापुर	1
				2
7.	इंडियन ओवरसीज बैंक	साउथ कोरिया	सियोल	1
		सिंगापुर	सिंगापुर	1
		हांगकांग	हांगकांग	1
		तदैव	कोलोन	1
		तदैव	कौसवे	1
		तदैव	मांगकांग	1
		तदैव	नोन टांग	1
		तदैव	त्सिम शात्सूई	1

1	2	3	4	5
		तदैव	क्वाईचुंग	1
		‡श्री लंका	कोलम्बो	1
		तदैव	मातरा	1
				11
8.	सिंडिकेट बैंक	यू०के०	लंदन	1
9.	पंजाब नेशनल बैंक	यू०के०	लंदन	1
		तदैव	वुल्वर हैम्पटन	1
		तदैव	ग्रावेस एंड	1
		तदैव	बर्मिधम	1
10.	पंजाब एंड सिंध बैंक	यू०के०	साउथहाल (लंदन)	1
11.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	यू०के०	लंदन	1
12.	केनरा बैंक	यू०के०	लंदन	
		कुल जोड़		138

*उप-तटीय

**एक चलती फिरती एजेंसी धामिल है।

‡इसके अतिरिक्त इंडियन बैंक की कटुनायक (श्री लंका) में मुक्त व्यापार क्षेत्र के विदेशी मुद्रा बैंकिंग यूनिट है।

शिल्पियों की समस्याओं का अध्ययन

9138. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया हैण्डलूम एण्ड हैंडीक्राफ्ट बोर्ड ने देश में शिल्पियों की समस्याओं का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि बोर्ड कार्य शिल्पियों के मानवीय; सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, वित्तीय, कलात्मक और संगठनात्मक पहलुओं का अध्ययन करना और इसके विकास के लिये कदम उठाना हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) अखिल भारतीय

हथकरघा तथा हस्तशिल्प बोर्ड का गठन हथकरघा तथा हस्तशिल्प क्षेत्रों में सम्पूर्ण विकास कार्यक्रमों के विनियमन में सरकार को सलाह देने के लिए किया गया था। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, विकासात्मक कार्यक्रम बनाने के लिए समय-समय पर हस्तशिल्प के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षण/अध्ययन करता रहता है। कुछ किए गये/किए जा रहे महत्वपूर्ण अध्ययनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1. हस्तशिल्प सहकारिता के लिए विकास नीति—वैकुन्ठ राष्ट्रीय मेहता सहकारी प्रबन्ध संस्थान पूना (1979), द्वारा किया गया अध्ययन-विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा प्रायोजित।

2. स्वदेशी कच्ची ऊन का विपणन—पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात की राज्य रिपोर्ट जो फाउन्डेशन यू० एड इंडस्ट्रियल रिकवरी, नई दिल्ली द्वारा बनाई गई० विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा प्रायोजित।

3. श्री के० चक्रवर्ती द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में हस्तशिल्प (सीप और मुक्ते काष्ठ कार्य, बेंत तथा व्यास पोटरी, कशीदाकारी आदि) का सर्वेक्षण/अध्ययन (1982) —विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा प्रायोजित।

4. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा किया गया केरल तथा तमिलनाडु (चुनिंदा केन्द्र) का धातु के कलात्मक उद्योग का सर्वेक्षण (1981-82)।

5. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन-आर्थिक तथा सामाजिक अध्ययनों के लिए सोसायटी, नई दिल्ली, द्वारा किया गया प्रथम चरण (ऊनी कालीन) (1983)—विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा प्रायोजित।

6. भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा किया गया सूरत के हीरा कटाई उद्योग का अध्ययन-विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा प्रायोजित।

7. हस्तशिल्प के क्षेत्र में ऋण प्रवाह/जरूरतें तथा विपणन समस्याओं के सम्बन्ध में नेशनल काउन्सिल आफ एपलाइड इकोनामिक्स रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा अध्ययन-विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा प्रायोजित।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए अन्तरिम सहायता

9139. **श्री पीताम्बर सिंह** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमान, नगर प्रतिपूरक भत्ते और महंगाई भत्ते की दरों में केन्द्रीय कर्मचारियों के साथ जनवरी, 1973 से संशोधन किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने सरकारी/स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिये अन्तरिम भत्ते की अनुमति दे दी है जब कि उक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये अन्तरिम सहायता से इन्कार कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को अन्तरित सहायता देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(घ) यदि ऐसे कर्मचारियों पर औद्योगिक महंगाई भत्ता लागू कर दिया जाता है, तो ऐसे कर्मचारियों पर प्रतिशत पर आधारित महंगाई भत्ते की प्रणाली समाप्त कर औद्योगिक महंगाई भत्ता प्रणाली लागू करने से उन्हें होने वाले नुकसान को सरकार किस प्रकार पूरा करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) जी, हाँ ।

(ख) और (घ) सरकार ने चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक अपने कर्मचारियों को अन्तिरिम सहायता मंजूर की है। अन्तिरित सहायता महंगाई भत्ते के रूप में नहीं है । सरकारी क्षेत्र के उद्यम वेतन आयोग के विचार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं हैं इसीलिए केवल सरकारी कर्मचारियों के अन्तरिम सहायता के आदेश जारी किये जाने के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उधमों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दिए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । इसके अलावा, ऐसे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मकान किराया भत्ता जैसे भत्ते अधिक दरों पर प्राप्त किया जाता है । सरकार की नीति यह है कि सभी सरकारी उद्यमों को औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न अपना लेना चाहिए । जो उद्यम केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न को अपना रहे हैं, वे औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न को अपना रहे हैं, वे औद्योगिक महंगाई भत्ता सूत्र अपनाने के साथ-साथ वेतनमानों के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। औद्योगिक महंगाई भत्ता अपना लेने पर वेतनमानों के परिशोधन हो जाने तक सरकार प्रत्येक मामले के गुणावगुण के अनुसार समयबद्ध आधार पर अन्तरिम भुगतान करने के किसी प्रस्ताव पर उचित रूप से तथा निष्पक्ष रूप से विचार करने के लिए भी तैयार है । उद्यमों अर्थात् भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गैर-कार्यपालक संवर्ग के बारे में ऐसे अन्तरिम भुगतानों को सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है ।

यह कहा जाता है कि किन्हीं अवस्थाओं में औद्योगिक महंगाई भत्ता दरें केन्द्रीय महंगाई भत्ता दरों की अपेक्षा अधिक लाभप्रद हैं ।

कम्पनियों में जमा राशियों के निकाले जाने की दर में वृद्धि

9140. **श्रीमती कृष्ण साही** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों के दौरान निगमित क्षेत्र में कम्पनियों में जमा राशियों के निकाले जाने की दर में तेजी में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्तमान आँकड़ा प्रणाली से उस ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार मांगी गयी है। कानून के अनुसार कम्पनियों को जमा राशियों की वापसी की सूचना नहीं देनी होती। वर्ष 1983 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा जुटाई गयी जमा राशियों के लिए वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार इन कम्पनियों की कुल जमा राशियां मार्च, 1981 के अन्त में 4188 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च, 1982 के अन्त में 5491.8 करोड़ रुपये की हो गयीं।

एयर इण्डिया को लोकप्रिय बनाने के लिए उठाए गए कदम

9141. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व की विभिन्न एयरलाइन्स की लोकप्रियता के सम्बन्ध में अमरीका की एक मासिक व्यापार और उद्योग पत्रिका "इंस्टीटयूशन इनवैस्टर" में प्रकाशित सर्वेक्षण रिपोर्ट को देखा है;

(ख) क्या यह सच है कि "एयर इण्डिया" का स्थान विश्व की 20 सर्वोत्तम एयर लाइन्स में कहीं भी नही है; और

(ग) विश्व के सर्वोत्तम विमान सेवा के रूप में एयर इण्डिया की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने और इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिये आर०डी०वी० अधिनियम के दायरे के भीतर रहते हुए सरकार का यदि कोई कदम उठाने के विचार हैं तो वे क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) : (क) से (ग) सरकार ने सर्वेक्षण, रिपोर्ट नहीं देखी है। तथापि, एयर इण्डिया ने अपनी सेवाओं में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें सभी 747 विमानों में एग्जक्यूटिव सीटों की संख्या में वृद्धि करना, एग्जीक्यूटिव श्रेणी के यात्रियों के लिए जांच सुविधाओं की अलग व्यवस्था करना, बेहतर उड़ानगत सेवा तथा समय पर उड़ान करने सम्बन्धी बेहतर निष्पादन सम्मिलित हैं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम में भारी घाटे के कारण प्रबंध मण्डल के उच्चाधिकारियों में परिवर्तन

9142. **श्री सूर्य नारायण सिंह**
श्री एस०टी०के० जक्कायन } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम शुरू होने के बाद वर्ष 1983-84 में पहली बार इसमें हुए भारी घाटे को देखते हुये सरकार का विचार प्रबन्ध मण्डल के उच्चाधिकारियो में कोई परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय पर्यटन विकास निगम की प्रबन्ध व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने नए कार्यकारी पद बनाये गये हैं; कितने पदों को पुनः पदनामित किया गया है और विभाग-वार, वेतन-वार कितने पद भरे गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) निगम ने अपने प्रबन्ध-मण्डल को कारगर बनाया है और वित्तीय व्यवहार्यता हासिल करने के लिए विभिन्न प्रभावी उपाय किए हैं। बढ़ी हुई कक्ष क्षमता और पर्यटन भेजने वाली मार्केटों में आर्थिक मंदी की वजह से भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में निम्न आकुपैंसी के बावजूद इन उपायों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने समग्र कार्य-निष्पादन में लाभ दर्शाया है।

(ग) आवश्यक सूचना अनुबन्ध I और II में दी गई है। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या ए०एल०टी०— 8306]

एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

9143. **श्री मती प्रमिला दंडवते** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारी हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं; और

(ग) उनके विवादों का निपटारा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) हाल में एयर इण्डिया अथवा इण्डियन एयरलाइन्स में से किसी के भी मान्यता-प्राप्त संघों/संगठनों ने ऐसा कोई हड़ताल का आह्वान नहीं किया है जिसमें अखिल भारत आधार पर कार्यवाही की जानी हो। तथापि, कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा औद्योगिक कार्यवाही करने की कुछ घटनाएं हुई हैं जिनमें एक दिन की सांकेतिक हड़ताल तथा कुछ घण्टों के लिए कार्य बन्द करना सम्मिलित थे।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए, प्रश्न नहीं है।

जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की शिकायतें

9144. **श्री उत्तमभाई एच० पटेल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की सेवा तुम्हें मूल वेतन में कटौती तथा सेवा की समाप्त आदि के बारे में संसद सदस्यों अथवा अन्य रूप में नेशनल

फेडरेशन आफ इंश्योरेंश फील्ड वर्कर्स आफ इण्डिया (अहमदाबाद डिवीजन) से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या-क्या मुख्य शिकायतें हैं; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) नेशनल फेडरेशन आफ इंश्योरेंश फील्ड वर्कस आफ इण्डिया के विभिन्न एकक दिसम्बर, 1978 में अधिसूचित लागत मान-दण्डों की सांविधिक योजना के विरुद्ध एक जैसे अभ्यावेदन देते आ रहे हैं। उन्होंने सांविधिक योजना के संशोधन की मांग की है। इन भागों की जाँच कर ली गई है और यह पाया गया कि उनमें कोई वजन नहीं है।

कुछ विकास अधिकारियों ने इस योजना के विरुद्ध विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाएं भी दायर की हैं। हालाँकि आन्ध्र प्रदेश, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, पटना और पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालयों ने उपर्युक्त योजना की पुष्टि कर दी है किन्तु अन्य उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में यह मामला अभी न्यायाधीन है।

आयकर विभाग में पदों के वर्गीकरण की योजना

9145. **सोमजी भाई डामोर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर विभाग में आयकर अधिकारियों में पद-वर्गीकरण योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी रूपात्मक क्या है और आयकर विभाग में कार्य को युक्तिपरक बनाने में कितनी सहायता मिलेगी;

(ग) क्या यह सच है कि आयकर विभाग में आयकर अधिकारियों में पद-वर्गीकरण योजना का आयकर निरीक्षकों की पदोन्नति के अवसरों पर असर पड़ेगा जो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पदोन्नति की प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस योजना को छोड़ देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (घ) समूह "क" तथा "ख" आयकर अधिकारियों की तैनाती के प्रयोजनार्थ आयकर अधिकारियों के पदों का मोटे तौर पर वर्गीकरण किया गया है। इस मौटे तौर पर किये गये वर्गीकरण के अनुसार बड़े (सीनियर) प्रभारों में समूह "क" अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं जबकि समूह "ख" अधिकारियों को छोटे (जूनियर) प्रभारों में तैनात किया जाता है। इस वर्गीकरण के परिणाम: समूह "ख" आयकर अधिकारियो के 258 पदों को समूह "क" में पदोन्नति किया जा रहा है। इस योजना से आयकर निरीक्षकों की पदोन्नति के अवसरों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वित्त कम्पनियों द्वारा करोड़ों रुपये की धोखा-धड़ी

9145. **स्वामी इन्द्रवेश :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
श्री रघुनाथ सिंह वर्मा
श्री दौलतराम सारण
श्री जगपाल सिंह
} क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

श्री जयपाल सिंह कश्यप :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 मार्च, 31 मार्च, 1984 वर्ष 16 अंक 7 के "जन संसार" प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें वित्त कम्पनियों द्वारा राजस्थान तथा अन्य भागों में करोड़ों रुपये की धोखा-धड़ी करने तथा लोगों के करोड़ों रुपये हड़पने की शिकायतों के बारे में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रीगल फाइनेंस कम्पनी, सुदाश सुदर्शन फाइनेंस कम्पनी, इम्पीरियल फाइनेंस कम्पनी, किनारा जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी तथा अन्य चिट फंड कम्पनियों के विरुद्ध कोई उच्चस्तरीय जांच कराई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है और जिनको गिरफ्तार किया गया है और उन व्यक्तियों की भी संख्या क्या है जिनके विरुद्ध अभियोग चल रहे हैं और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जिप फास्टनर्स की तस्करी

9147. **श्री जी० एस० निहालसिंहवाला** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिप फास्टनर्स के निर्माताओं के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें भारत में जिप फास्टनर्स की बड़े पैमाने पर तस्करी और इस प्रकार के अवैध आयात के लघु उद्योग क्षेत्र के देशी उद्योग पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इतनी जानकारी है कि पिछले दिनों "जिप्स" की तस्करी नेपाल के माध्यम से होती थी परन्तु नेपाल सरकार द्वारा "जिप्स" के आयात पर रोक लगाने से तस्करी ने अब दक्षिण में अपनी गतिविधियां प्रारम्भ कर दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या अब भारत में अधिकतर तस्करी श्रीलंका से हमारे दक्षिण पूर्वी तट-वर्ती क्षेत्रों के जरिये होती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि जिप-कसनियां, भारत में तस्कर-आयात के आकर्षण वाली मदों में से एक है। भारत नेपाल सीमाओं के रास्ते से जिप-कसनियों की तस्करी किसी बड़े पैमाने पर नहीं होती है। जिप कसनियों का बड़ी मात्रा में तस्कर-आयात भारत के दक्षिण-पूर्वी समुद्री तट के जरिये श्रीलंका से हो रहा है।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए मंजूर पद

9148. **श्री राजेन्द्र कुमार सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क उत्पादन शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, टेक्नीकल आफिसर और कोर्ट मास्टर के कितने पद मंजूर किए गये और इनमें से कौन से पद राजपत्रित/अराजपत्रित हैं; और

(ख) इन पदों के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं क्या निर्धारित की गई हैं और नियुक्ति के लिए चयन की पद्धति क्या है ?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित सारणी में दी गई है :

पदनाम	पदों की संख्या	राजपत्रित/गैर राजपत्रित
1. रजिस्ट्रार	एक	राजपत्रित
2. उप रजिस्ट्रार	दो	राजपत्रित
3. तकनीकी अधिकारी	पांच	राजपत्रित (31-10-84 तक केवल पद शामिल है।)
4. कोर्ट मास्टर	पांच	गैर राजपत्रित (इसमें एक पद शामिल है जो 1-11-84 से लागू होगा)

(ख) उपर्युक्त पदों के लिए भर्ती नियम अभी तक तैयार नहीं किए गये हैं। भर्ती नियमों को अन्तिम रूप न दिए जाने तक, उपर्युक्त पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भर लिया गया है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में गिरावट

9149. **श्री आर० प्रभु** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता मूल्यसूचकांक और थोक मूल्यसूचकांक में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) क्या मंत्रालय को आशा है कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० कृष्ण) : (क) से (ग) औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यसूचकांक (आधार 1960 = 100) में फरवरी, 1984 (नवीनतम उपलब्ध) में .2 प्वाइन्ट की कमी हुई और यह 561 हो गया। थोक मूल्यसूचकांक, जो फरवरी, 1984 के अन्तिम सप्ताह में 322.7 का घटकर, मार्च, 1984 के अन्तिम सप्ताह में 321.7 हो गया। यद्यपि, मंत्रालय हाल की कीमतों की प्रवृत्ति का स्वागत करता है तथापि, पूर्णत आत्मसंतुष्ट बैठ जाने की गुंजाइश नहीं है और आगामी महीनों में कीमतों की स्थिति पर लगतार निगरानी रखना जरूरी होगा।

ऋण अनुमोदन योजना के अंतर्गत ऋण संबंधी उद्योग-वार मानदंडों में संशोधन

9150. **हरिहर सोरन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण अनुमोदन योजना के अंतर्गत ऋण संबंधी उद्योग-वार मानदंडों में संशोधन किया है :

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक उद्योग के लिए निर्धारित मानदंड क्या है;

(ग) इस संबंध में बैंकों द्वारा क्या मार्गदर्शी सिद्धांत भेजे गये हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) नवम्बर, 1983 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यचालन पूंजी की सीमाओं (वाणिज्यिक हुण्डी बट्टा सहित) के विभाजक बिन्दू (कट-आफ़-प्वांइट) को सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिए 3 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 4 करोड़ रुपये कर दिया था। उन निर्यात प्रधान निर्माण एककों के संबंध में, जिनका वार्षिक औसत निर्यात कारोबार पिछले 3 कैलेण्डर वर्षों से उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के कुल कारोबार से 25% अधिक हो और जिनके निर्यात कारोबार के आगामी वर्षो में कुल कारोबार के 25% से कम होने की संभावना न हो, उनके लिए अक्टूबर, 1982 से यह विभाजक बिन्दू पहले से ही 5 करोड़ रुपये है। ऋण प्राधिकार योजना के कार्य की समीक्षा करने के लिए नियुक्त समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को उन मामलों में ऋण प्रधिकार योजना में अतिरिक्त सीमाओं की मंजूरी देने का अधिकार दे दिया है जो बैंकों और ऋणकर्त्ताओं द्वारा बैंक ऋण के उपयोग के मामले में पर्याप्त अनुशासन का पालन करने से सम्बन्ध

कतिपय अपेक्षाओं को पूरा करते हों । ऋण प्राधिकार योजना के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अतिरिक्त कार्यचालन पूंजी की समाओं की मंजूरी के प्रस्तावों पर तेजी से कार्रवाई की जा सकती है और बैंक अपने विवेकानुसार, भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त होने की अपेक्षा किये बिना, मांगी गयी अतिरिक्त सीमाओं के 50% तक धनराशियां दे सकते हैं । निर्यात प्रधान उन निर्माता एककों के संबंध में, जिनका वार्षिक औसत निर्यात कारोबार पिछले 3 वर्षों में उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के कारोबार से 75 से कम न हो और और अगले 3 वर्षों में उनके निर्यात करोबार के 75% से कम होने की संभावना न हो, बैंकों को उनके विवेकानुसार 75% तक अतिरिक्त सीमाओं की मंजूरी देने की अनुमति दे दी गयी है ।

बैंक ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में मार्गनिर्देश तैयार करने के लिए नियुक्त अध्ययन दल (टण्डन समिति) ने 15 विभिन्न उद्योगों के लिए तालिकागत सामान और प्राप्य सामान के वास्ते मापदण्ड निर्धारित किये थे । ये मापदण्ड इस समय लागू हैं । समिति एक निवेश समिति (कमेटी आन डायरेक्शंस) की स्थापना की भी सिफारिश की है जो 1975 से भारतीय रिजर्व बैंक में काम कर रही है । इस समिति द्वारा उन समस्याओं पर विचार किया जाता है जो समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के मामले में पैदा हों और इसके द्वारा मापदण्डों की लगातार समीक्षा की जाती है । निदेश समिति ने वर्तमान मापदण्डों की समीक्षा करने के लिए 5 उप समितियां गठित की हैं । मापदण्डों को लागू करने में लचीलापन अख्तियार करने के लिए, बैंकों को 2 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यचालन पूंजी की सीमाओं वाले ऋणकर्ताओं के मामले में, विशेष परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मापदण्डों में परिवर्तन करने की भी अनुमति दे दी गयी है । 2 करोड़ रुपये और उससे अधिक की कार्यचालन पूंजी की सीमाओं वाले ऋणकर्त्ताओं के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से ही मापदण्डों में परिवर्तन किया जा सकता है ।

सीमा शुल्क के गोदामों में जब्त की गई वस्तुएं

9151. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति देश में जब्त की गई वस्तुओं को विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से बेचना है;

(ख) सीमा शुल्क गोदामों में वर्ष 1982, 1983 और 1984 को 31 मार्च तक जब्त की गई वस्तुओं का कुल मूल्य कितना था;

(ग) सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार से गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने मूल्य की वस्तुएं बेची गई हैं;

(घ) क्या यह सच है कि इन सहकारी समितियों को केरों में वस्तुएं उठाने के लिये कहा जाता है और इसके परिणामस्वरूप उनको न बिकने वाली वस्तुओं के लिये घाटा उठाना पड़ता है; और

(ङ) जब्त की गई वस्तुओं को बेचने के संबध में सरकार की स्पष्ट नीति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) अभिगृहीत/जब्तशुदा उपभोक्ता माल के निपटान के स्वीकृत तरीकों में से एक तरीका, उक्त माल की बिक्री, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लि०, राज्य सहकारी महासंघों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित तथा सहकारी समिति अधिनियम के अधीन विधिवत् पंजीकृत सहकारी समितियों को करना है।

(ख) सीमा शुल्क गोदमों, में 31 मार्च 1982, 1983 और 31 दिसम्बर, 1983 की स्थिति के अनुसार, जिनके सम्बन्ध में आंकड़े तत्काल उपलब्ध हैं, जब्तशुदा माल का कुल मूल्य इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

31 मार्च, 1982	31 मार्च, 1983	31 दिसम्बर, 1983
42.38	46.14	60.01@

@अनन्तिम

(ग) अपेक्षित वर्षों के दौरान, विशेष तौर पर सुपर बाजार, केन्द्रीय भण्डार आदि के संदर्भ में माल के निपटान सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा। तथापि, वर्ष 1982 और 1983 के दौरान (जिनके सम्बन्ध में आंकड़े तत्काल उपब्लध हैं) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ, लि० सहकारी समितियों आदि सहित निपटान के अनुमोदित विभिन्न माध्यमों के जरिए निपटाये गये जब्तशुदा माल का कुल मूल्य इस प्रकार है :—

1982	1983
24·90	41.07×

×अनन्तिम

(घ) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ, समितियों आदि को जब्तशुदा उपभोक्ता माल की बिक्री की शर्तों के अनुसार, उन्हें सीमा-शुल्क विभाग द्वारा "लाट" में पेश किये गये माल को उठाना होता है। उन्हें माल की छंटाई करने की छूट नहीं दी जाती, सिवाय इसके कि यदि "लाट" में कुछेक मदे क्षतिग्रस्त पाई जाएं, तो उन मदों को उठाना आवश्यक नहीं होता है। ऐसे माल की बिक्री, सामान्यतया "जैसा है, जहां है" के आधार पर नीलाम/निविदा द्वारा की जाती है।

(ङ) विभिन्न वर्गों के अभिगृहीत/जब्तशुदा माल के बारे में सरकार द्वारा यथा-निर्धारित निपटान के तरीके संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

विभिन्न वर्गों के माल के निपटान का तरीका

विवरण	निपटान का तरीका
1	2
1. व्यापारिक माल	रासायनिक पदार्थ, अद्योगिक कच्चा माल, मशीनों के पुर्जे, मोटर-गाड़ियों के पुर्जे आदि जैसे व्यापारिक माल का निपटान सार्वजिनक नीलामी द्वारा किया जाता है ।
2. यान	जलयान और वाहन जैसे यान सार्वजनिक नीलामी द्वारा तथा निविदा द्वारा बेचे जाते हैं । सरकारी विभागों के लिए उपयुक्त जलयानों और भारतीय गाड़ियों को विभागीय इस्तेमाल के लिये भी रख लिया जाता है ।
3. सोना और चांदी	सोना और चांदी सरकारी टकसालों में जमा कर दिये जाते हैं ।
4 भारतीय और विदेशी मुद्रा	भारतीय और विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक में सरकार के खाते में जमा कर दी जाती है ।
5. हथियार और गोला-बारुद	.38 और .32 बोर के रिवाल्वरों/पिस्तौलों और उनके गोला-बारूद से उनके गोला-बारूद का निपटान नीचे दिये गये तरीकों के अनुसार किया जाता है :— (क) स्टेनगनें गृह मन्त्रालय को लेने के लिए कहा जाता है और जिनकी उसे जरूरत नहीं होती, वे रक्षा-मंत्रालय को बेची जाती हैं । (ख) निषिद्ध बोर के सभी हथियारों और उनके गोला बारूद का निपटान आयुध निर्माण कारखानों (रक्षा-मन्त्रालय) को किया जाता है । (ग) देशी मेक के कूड हथियार केन्द्रीय जांच ब्यरो को, उसके संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए दिये जाते हैं । .32, .38 और .12 बोर से भिन्न बोर के अनिषिद्ध हथियार उन सरकारी अधिकारियों/संसद-सदस्यों, विधान सभा सदस्यों को भी बेचे जाते हैं, जिन्हें अपनी आत्म-रक्षा हेतु इन हथियारों की जरूरत होती है । (ङ) अन्य सभी हथियारों का निपटान, जिनके लाइसेंस, जनता को जारी किये जाते हैं, सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाता है । (च) .12 बोर के हथियार और उनके गोला-बारूद की बिक्री राज्य वन सचिवों/मुख्य वन संरक्षकों/मुख्य वन्य जीव वार्डनों को सरकारी इस्तेमाल के लिए की जाती है ।

(छ) .38 और .32 बोर के रिवाल्वर/पिस्तौलें और उनके गोला बारुद विभागीय के लिए रख लिये जाते हैं।

6. प्राचीन वस्तुएं — प्राचीन वस्तुएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को मुफ्त दे दी जाती हैं, ताकि वह उन्हें विभिन्न संग्रहालयों अथवा संस्थाओ को उपहार-स्वरूप दे दे अथवा यदि आवश्यक समझे तो उनका अन्य तरीके से निपटान कर दे।

7. वन्य-जीव-उत्पाद — ये शैक्षिक ओर अनुसंधान सस्थाओं, संग्रहालयों, आदि को नाम मात्र मूल्य पर बेचे जाते हैं अथवा वन्य जीवों प्राधिकरणों को उन अन्य देशों के साथ विनिमय के प्रयोजनार्थ मुफ्त दे दिये जाते हैं, जिन देशो ने सी० आई० टी० ई० एस० पर हस्ताक्षर किये हैं। सर्प-चर्म भारत चमड़ा निगम को निर्यात हेतु उत्पादों के निर्माण के लिए बेच दिए जाते हैं।

8. (क) संश्लिष्ट और धातु धाग : — संश्लिष्ट और धातु धागा, बुनकर सहकारी समितियों/धातु धागा संघों को और वास्तविक प्रयोक्तओं को बेचा जाता है।

(ख) मछली पकड़ने के नाइलान के जाल — मछली पकड़ने के नाइलान के जाल राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी महासंघ लि० को और राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित मछुआरा सहकारी समितियों को बेचे जाते हैं। यदि वे उन्हें नहीं लेते हैं तो उनकी बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्राप्त की जाती है।

9. शराब — शराब की बिक्री, राज्य आबकारी अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए, भारतीय पर्यटन विकास निगम से पूछे बिना, सीधे ही शराब के आवश्यक लाइसेंस-धारी सभी होटलों, रेस्तराओं और क्लबों को तथा कैन्टीन स्टोर विभाग (भारत) को चली जाती है।

10. हीरे — बि । पालिश किए और बिना तराशे हीरे आयात लाइसेंसधारियों को नीलामी अथवा निविदा द्वारा बेचे जाते हैं और उनके लाइसेंसों में मुजरे किए जाते हैं। तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे केवल निर्यात के लिए बेचे जाते हैं।

11. हीरों से भिन्न रत्न और उप-रत्न — बिना पालिश किए और बिना तराशे रत्नों और उपरत्नों की बिक्री देशी बाजार में आयात लाइसेंसधारियों को नीलामी अथवा निविदा द्वारा उनके लाइसेंसों में मुजरे करके की जाती है। हीरों से भिन्न तराशे और पालिश किए रत्न और उपरत्न नीलामी अथवा निविदा द्वारा देश में ही बेचे जाते हैं।

12. घड़ियां — घड़ियां निम्नलिखित को बेची जाती हैं :—

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० को।

(ख) सैनिक और अर्ध-सैनिक संगठनों को, उनके कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए; और

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ राज्य सिविल सप्लाई निगमों, राज्य सहकारी महासंघों तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित तथा सहकारी समिति अधिनियम के अधीन विधिवत पंजीकृत समस्त सहकारी समितियों को।

(घ) यन्त्र चालित तथा इलैक्ट्रानिक दोनों ही प्रकार की घड़ियों की बिक्री सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालयों में खुदरा बिक्री काउंटरों से, इस शर्त के अधीन खुदरा बिक्री के द्वारा भी की जाती है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक घड़ी नहीं बेची जाएगी।

13. इलैक्ट्रानिक/बिजली का सामान जिसमें वीडियो कैसेट रिकार्डर भी शामिल हैं

ऐसा माल जिसमें गणित्र, टेपरिकार्डर और टाइपराइटर तथा फोटोग्राफी सामान शामिल है, सरकारी विभागों को, सरकारी प्रयोग के लिए और साथ ही शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं को, जिनमें सांस्कृतिक संगठन, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी शामिल हैं, बेचा जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ, राज्य सिविल सप्लाई निगमों, राज्य सहकारी महासंघों को, तथा सहकारी केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित तथा सहकारी समिति अधिनियम के अधीन विधिवत पंजीकृत सभी सहकारी समितियों को भी इन मदों की बिक्री की जाती है। वीडियो कैसेट रिकार्डरों, टू-इन-वन, म्यूजिक सिस्टम, रंगीन टेलीविजन सेटों आदि जैसी उच्च मूल्य की मदें भी इस उपलब्ध के अध्यधीन रहते हुए खुदरा बिक्री द्वारा बेची जाती हैं कि एक व्यक्ति को इन मदों का एक से अधिक नग/सेट नहीं बेचा जाए।

14. फीचर फिल्में

(i) फीचर फिल्में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को बेची जानी होती हैं।

अथवा

(ii) ये भारतीय राष्ट्रीय अभि-लेखागार, पुणे को, मुफ्त दे दी जाती हैं।

15. लौंग और अन्य मसाले

पहले इनकी पेशकश राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ को करनी होती है। यदि उक्त महासंघ उन्हें नहीं खरीद पाता है तो उनकी बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जाती है।

16. औषध द्रव्य और औषधियां

सरणीबद्ध औषध द्रव्यों की बिक्री की पेशकश माध्यम एजेंसियों को ऐसे मूल्यों पर की जानी होती है जो लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य तथा सीमाशुल्क शामिल करके और उस पर 15 प्रतिशत का बट्टा देकर निकलता है। परन्तु, यदि माध्यम एजेंसियां माल नहीं उठातीं तो उसका

निपटान नीलामी द्वारा वास्तविक प्रयोक्ताओं को किया जा सकता है। मानक स्तर की पायी जाने पर औषध निर्मितियों का निपटान/मोचन, केवल अस्पतालों के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। जिन अन्य श्रेणियों की औषध निर्मितियों पर औषध द्रव्य और औषध अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार लेबल नहीं लगा होता उनकी और उनमें बनाये गये माल को नष्ट किया जाना होता है।

17. संश्लिष्ट टैक्स्टाइल अभिगृहीत/जब्त-शुद्धा उपभोक्ता माल, जिसमें घड़ियां और संश्लिष्ट टैक्स- और उपभोक्ता माल स्टाइल भी शामिल हैं, को थोक बिक्री, केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित तथा सहकारी समिति अधिनियम के अधीन विधिवत पंजीकृत समस्त सहकारी समितियों को और राज्य सिविल सप्लाई निगमों/राज्य सहकारी महासंघों को और उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपर बाजारों सहकारी भण्डारों आदि के जरिये वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचने हेतु राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ को, तथा सैनिक और अर्ध सैनिक, संगठनों को अपने कार्मिकों के इस्तेमाल के लिए की जाती है।

18. कई प्रकार का फुटकर माल — यात्रियों के सामान, डाक पार्सलों, नगर-अभिग्रहणों आदि से थोडी-थोड़ी मात्रा में पकड़े गये कई प्रकार के फुटकर माल को तथा सहकारी समितियों, सिविल सप्लाई निगमों, राज्य सहकारी महासंघों, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ, सैनिक और अर्ध-सैनिक संगठनों द्वारा नहीं खरीदे गये उपभोक्ता माल की खुदरा बिक्री, सीमाशुल्क खुदरा काउंटरों के जरिये उपभोक्ताओं को की जाती है।

कालीनों पर उत्पाद शुल्क में छूट

9152. **श्री तारिक अनवर**

(प्रो० अजित कुमार मेहता) } : क्या **वित्त** मन्त्री यह **ताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1144 (उसकी धारा 3 के अन्तर्गत) की प्रथम अनुसूची की मद 22-जी के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त मदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाथ से बुने हुए, हाथ से गुच्छित और हाथ से बनाये गये कालीनों को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत उन पर एउद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या कालीन निर्माता संघ पानीपत से भी 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 61/79 सी० ई० 21 मार्च, 1979 और 3 जून, 1983 को यथा संशोधित का निर्वाचन करते समय उत्पाद शुल्क विभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा परेशान करने वाले तरीके अपनाये जाने के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत कालीन निर्माताओं को उत्पाद शुल्क से क्या राहत दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 22-छ के अधीन हस्त-निर्मित कालीनों को दिनांक 3 जून, 1983 की अधिसूचना सं० 167/83—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क द्वारा उत्पादन शुल्क से पूरी छूट प्राप्त है ।

(ग) और (घ) दिनांक 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना सं० 61/79—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का, दिनांक 21 मार्च, 1979, की अधिसूचना सं० 129/79—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क द्वारा संशोधन किया गया था । तथापि, इस अधिसूचना का, दिनांक 3 जून, 1983 की अधिसूचना सं० 167/83—कन्द्रीय उत्पादन शुल्क द्वारा अतिक्रमण कियागया था । ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है कि अधिसूचना सं 167/83—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अर्थ-निरुपण के कारण परेशान किया जा रहा है ।

राज्यों को आबंटित किया गया नियंत्रित कपड़ा

9153. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के लिये नियंत्रित कपड़े का कोटा किस आधार पर निश्चित किया जाता है; और

(ख) 1983-84 में विभिन्न राज्यों को आवंटित किये गये नियंत्रित कपड़े का ब्योरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) विभिन्न राज्यों को नियंत्रित कपड़े के कोटे का निर्धारण मुख्यतया जनसंख्या के आधार पर किया जाता है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1983-84 में विभिन्न राज्यों को आबंटित किए गए नियंत्रित कपड़े का ब्यौरा

(मात्रा प्रत्येक 1500 वर्ग० मीटर की एस० टी० डी० गांठों में)

राज्य	1983-84 के दौरान आवंटित मात्रा
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	15,265.50
2. असम	3,791.25

1	2
3. बिहार	11,275.25
4. गुजरात	13,608.00
5. हरियाणा	1,448.75
6. हिमाचल प्रदेश	697.00
7. जम्मू तथा कश्मीर	523.25
8. कर्नाटक	7,489.25
9. केरल	6,259.60
10. मध्य प्रदेश	8,807.50
11. महाराष्ट्र	10,023.00
12. मणिपुर	113.25
13. मेघालय	75.00
14. नागालैंड	257.25
15. उड़ीसा	10,615.75
16. पंजाब	2,099.75
17. राजस्थान	9,443.50
18. सिक्किम	63.75
19. तमिलनाडु	12,952.25
20. त्रिपुरा	15.00
21. उत्तर प्रदेश	45,331.00
22. पश्चिम बंगाल	14,301.25
संघ राज्य क्षेत्र	
23. अण्डमान	50.25
24. अरुणाचल प्रदेश	60.75
25. चंडीगढ़	72.50
26. दादरा नगर हवेली	72.25
27. दिल्ली	8,715.50
28. गोआ	190.75
29. लक्षद्वीप	23.00
30. मिजोरम	585.00
31. पांडिचेरी	77.75

लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड का राष्ट्रीकरण

9154. **श्री एम० एस० के० सतियेन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्ष्मी कामर्शियल बैंक लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण किया जाने वाला है और किसी अन्य राष्ट्रीकृत बैंक के साथ उसका विलय किया जाऐगा;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीकरण के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंक घाटे में चल रह है और इसका कार्य संतोषजनक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) और (घ) दिसम्बर, 1982 के अन्त तक लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के प्राप्त अद्यतन प्रकाशित लेखाओं के अनुसार बैंक घाटे में नहीं चल रहा है । गैर-सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के परिचालन की देखरेख भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अधीन समय-समय पर उनका निरीक्षण भी करता है, इन उपबधों के अनुसार निरीक्षण रिपोर्टों की विषयवस्तु प्रकट नहीं की जा सकती ।

कारों के लिए आयात लाइसेंस

9155. **श्री ई० के० इम्बिचिबाबा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान कारों के लिये आयात लाइसेंसों हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने लाइसेंस जारी किये गए; और

(ग) इस समय सरकार के पास कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 3262 ।

(ख) 2057 ।

(ग) 523 (शेष 682 अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिये गए हैं) ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

9156. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंधकों द्वारा छोटे ऋणों पर जामिन और अनुषांगिक प्रति-

भूति पर जोर दिये जाने के कारण समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लाभ प्रदान करना पूरी तरह से सम्भव नहीं हो सका है;

(ख) छोटे ऋण के लिए क्या माप-दंड है और यदि इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई परामर्श दिए गये हैं तो वे क्या हैं; और

(ग) गरीबों की सहायता की योजना का वेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम जारी किए गये अनुदेशों में यह अपेक्षा की गई है कि ऋण को सहायता से प्राप्त सम्पत्ति को दृष्टिबंधक रखे जाने के अलावा छोटे को ऋणों के मामले में कोई अतिरिक्त जमानत न ली जाए। इस कार्यालय के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए उठाए गये अन्य कदमों में बैंक स्टाफ का उचित प्रशिक्षण, स्थानीय सम्भाव्यता साधनों और कौशलों के आधार पर विविधीकृत योजनाओं की तैयारी वापसी अदायगी के वास्ते वास्तुपरख अवधि का निर्धारण और लम्बित पड़े आवेदनों के निपटान के लिए विशेष दलों की नियुक्ति शामिल हैं।

स्थायी कमीशन के लिए इन्जीनियरिंग स्नातकों को अल्प सेवा कमीशन के लाभ

9157. **श्री अनवर अहमद** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी न्यायालय ने फैसला दिया है कि इन्जीनियरिंग स्नातकों की अल्प सेवा कमीशन की अवधि पूर्व तारीख से वरिष्ठता जो कि उन्हें तकनीकी योग्यता प्राप्त करने के लिए मंजूर की जाती है के अतिरिक्त पदोन्नति कमीशन सेवा की अवधि वरिष्ठता आदि के सभी लाभों के लिए मान्य होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) न्यायालय का निर्णय कब से प्रभावी होगा;

(घ) क्या इंजीनियरिंग स्नातकों को इसकी पूर्व सूचना दी गई थी कि उन्हें मंजूर अल्प सेवा कमशीन केवल वेतन-वृद्धि और पेंशन के लिए मान्य होगी। और किसी प्रयोजन के लिए नहीं होगी; और

(ङ) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार उन अल्प सेवा कमीशन की अवधि के देय लाभ सभी प्रयोजनों के लिए देने का है और यदि नहीं तो उसका क्या औचित्य है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) जनवरी, 1977 में

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वायुसेना के एक भूतपूर्व अफसर के मामले में यह निर्णय दिया कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान मंजूर की गई अल्प सेवा कमीशन की अवधि, पेंशन के लाभों के लिए जोड़ी जाए। उपर्युक्त निर्णय का अनुसरण करते हुए आदेश जारी किए गए कि अल्प सेवा कमीशन के बाद स्थाई कमीशन मिलने पर अफसर द्वारा परिवीक्षाधीन रहते हुए अल्प सेवा कमीशन में की गई सेवा की अवधि को पेंशनरी लाभों के लिए जोड़ा जाएगा।

उपर्युक्त निर्णय, सभी पुराने मामलों पर लागू हो सके इसलिए उसे पिछली तारीख से लागू किया गया।

(घ) और (ङ) स्थाई कमीशन प्रदान करने सम्बन्धी प्रावधानों को सभी सम्बन्धियों के ध्यान में लाया जाता है और उनका व्यापक प्रचार किया जाता है।

सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यातकों की कठिनाइयां

9158. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यातकों द्वारा विदेशी खरीदारों को सिले-सिलाये वस्त्र भेजने हेतु लदान हो रही असाधारण देरी के कारण निर्धारित समय पर माल भेजने में हो रही कठिनाइयों का पता है;

(ख) यदि हां, तो सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यातकों की सहायता करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : जी, हां। सरकार को मालूम है कि परिधान निर्यातकों द्वारा निर्यात हेतु परिधानों की कार्गो क्लियरेंस में हाल में कुछ कठिनाई हुई।

(ख) तथा (ग) नागरिक उड्डयन महानिदेशक को पिछले बकाया माल को क्लियर करने के उद्देश्य से अतिरिक्त शाखा उड़ान करने के लिए भारत होकर चलाए जा रहे वाहकों से अनुरोधों की अनुमति के लिए प्राधिकृत किया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने अतिरिक्त कार्गो उड़ानों को करने के लिए कुछ एअरलाइनों को पहले ही अनुमति दे दी है। यदि कोई अन्य एअरलाइन अतिरिक्त कार्गो उड़ान करने के लिए आगे आती है तो जब तक वर्तमान पिछला बकाया माल जारी रहे तब तक के लिए उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जायेगी। इसके अतिरिक्त एअर इण्डिया ने अनेक अतिरिक्त शाखा उड़ानें की हैं।

प्रशीतित (प्रसोजन) लाब्स्टर, झींगी तथा मेंढक की टांगों का निर्यात

9159. **श्री निर्मल सिन्हा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 और 1983-84 में प्रशीतित (प्रसोजन) लाब्सटर, झींगी तथा मेंढक की टांगों से कितना लाभ कमाया गया; और

(ख) पूरे भारत में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के मछली पालन और मेंढक पालन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1982-83 तथा 1983-84 अप्रैल, 83 से जनवरी, 84) के दौरान समुद्री उत्पादों की इन मदों के निर्यात निम्नलिखित हैं :

मद	1982-83	1983-84
		(अप्रैल-जनवरी)
		(लाख रु० में)
प्रशीतित लोबेस्टर की पूछ	685.51	398.13
श्रिम्प	31,666.94	26,051.93
प्रशीतित मेंढक की टांगें	471.92	482.50

(ख) प्रान फार्मिंग का विकास करने के उद्देश्य से निःशुल्क तकनीकी सहायता देने के लिए जिसमें मछली फार्म तथा उद्यमियों को प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण शामिल है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, प० बंगाल तथा आन्ध्र प्रदेश में 5 क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए हैं। तमिलनाडु, गुजरात तथा महाराष्ट्र में तीन और केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। जहां तक मेंढक की फार्मिंग का सम्बन्ध है, अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा मेंढक प्रजनन तथा पालन प्रौद्योगिकी का अभी विकास किया जा रहा है और इसलिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने मेंढक फार्मिंग को बढ़ावा देने की कोई योजना अभी शुरू नहीं की है।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के प्रधान कार्यालय की मरम्मत

9160. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के प्रधान कार्यालय की मरम्मत के बारे में अतारांकित 30 मार्च, 1984, अतारांकित प्रश्न संख्या 5680 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटिड कमर्शियल बैंक के प्रधान कार्यालय, कलकत्ता की मरम्मत का कार्य मै० डालमिया को पहले ही सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस फर्म को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा काली सूची में रखा गया था सरकार ठेके पर पुन विचार करने हेतु निदेश देगी;

(ग) यदि बैंक को उस फर्म के काली सूची में होने की जानकारी नहीं थी (जैसा कि उत्तर

में उल्लिखित है) तो उनके परामर्शदाता मैं० कोठारी एंड एसोसिएटस ने तथ्यों का पता लगाने तथा बैंक को तदनुसार सुझाव देने हेतु क्या कदम उठाए थे;

(घ) यदि उन्होंने स्थिति की जांच नहीं की तो उसके क्या कारण हैं और क्या जांच करने तथा रिपोर्ट देने का उनका उत्तरदायित्व था ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के अनुसार बैंक द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से पूछताछ किए जाने पर पता चला है कि रिकार्ड से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता की मैसर्स डालमिया और कम्पनी को कभी काली सूची में रखा गया था और/या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उसे सूची से निकाल दिया गया था । इसलिए बैंक ने अपने मुख्यालय की मरम्मत का काम मैसर्स डालमिया एंड कं० को सौंपने का फैसला किया है ।

पर्यटन उद्योग में सुधार के लिए प्रस्तावित कदम

9161. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन उद्योग ने 1983-84 में आमतौर पर अच्छा कार्य-निष्पादन प्रदर्शित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) वित्तीय वर्ष 1984-85 में पर्यटन कार्य निष्पादन में सुधार के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों के आंकड़े कैलेण्डर वर्ष के आधार पर संकलित किए जाते हैं । 1983 के दौरान पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को छोड़कर कुल पर्यटक यातायात पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है । पर्यटक भेजने वाले प्रमुख देशों में मंदी के हालात और कुछ पड़ौसी देशों में गड़बड़ी के हालात को दृष्टि में रखते हुए उपर्युक्त वृद्धि दर संतोषजनक समझी जाती है ।

(ग) और (घ) पर्यटन संवर्धन के सामान्य कार्यकलापों के अलावा 1984-85 के दौरान जो विशिष्ट कदम उठाने का प्रस्ताव है उनमें ये शामिल हैं—चार्टर यातायात का संवर्धन, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/समागमों की मेजबानी और संभाव्यता रखने वाली मार्केटो में विदेश-स्थित कार्यालय खोलना । इसके अलावा, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से, जब कभी भी जरूरी होता है, विभाग पर्यटक केन्द्रों पर सुविधाओं के विकास, वर्तमान हवाई अड्डों के विस्तार और नए एयरपोर्ट टर्मिनलों के निर्माण, थल परिवहन सुविधाओं की क्वालिटी और उपलब्धता में सुधार लाने

की ओर विशेष ध्यान दे रहा है और यह आमतौर पर पर्यटकों के लिए सीमांत औपचारिकताओं में ढील देने तथा उन्हें आसान बनाने के लिए कार्य करता है।

तिरूनेलवेली में स्काईलार्क परियोजना का ठेका उत्तर प्रदेश में फर्म को दिया जाना

9162. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिरूनेलवेली जिले में स्काईलार्क परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश में एक फर्म को ठेके दिए गए हैं और यदि हां, तो स्थानीय लोगों के हितों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि तिरूनेलवेली जिले में महेन्द्रगिरि रक्षा परियोजना के लिए गैर स्थानीय लोगों की भरती की गई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त विषयों पर जनता से प्राप्त अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) स्काईलार्क परियोजना के लिए रक्षा मन्त्रालय ने सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम मैसर्स त्रिवेणी स्ट्रक्च्युरल लिमिटेड के साथ हाल ही में एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक रक्षा परियोजना के लिए भारत और विदेश स्थित कई निजी और सरकारी क्षेत्र की इंजीनियरी सम्बन्धी प्रसिद्ध फर्मों का सविस्तार से मूल्यांकन करने के पश्चात इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को यह ठेका दिया गया। तथापि, सिविल निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेके स्थानीय ठेकेदारों को भी दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। तिरूनेलवेली जिले में कोई महेन्द्रगिरि रक्षा परियोजना नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

धनराशि एकत्रित करने वाली सरकारी कम्पनियां

9163. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन सरकारी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने जनता से धनराशि प्राप्त की है तथा प्रत्येक कम्पनी द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त की गई और उनके द्वारा क्या ब्याज दर की पेशकश की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से है। सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों ने धनराशि एकत्रित की है, उनके नामों, प्रत्येक कम्पनी द्वारा जमा की गई राशि तथा उस पर प्रस्तावित देय ब्याज दरों का विवरण संलग्न है।

सरकारी क्षेत्र के घन राशि एकत्रित करने वाले उपक्रमों का विवरण

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	जमा राशि (करोड़ रुपयों में)	
1. भारतीय तेल निगम लि०	90.00	31.12.83 को
2. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०	29.09	—तदैव—
3. इण्डियन पेट्रोलियम कारपो० लि०	22.01	—तदैव—
4. भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०	23.05	—तदैव—
5. मद्रास रिफायनरीज लि०	7.79	—तदैव—
6. बामेर लारी एण्ड कम्पनी लि०	1.80	31.1 84 को
7. एण्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लि०	0.53	31.12.83 को
8. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०	17.08	—तदैव—
9. भारत हैवी इलेक्ट्रोनिक्स लि०	82.45	—तदैव—
10. भारतीय सीमेंट निगम लि०	6.90	—तदैव—
11. फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि०	0.46	—तदैव—
12. हिन्दुस्तान जिंक लि०	14.55	—तदैव—
13. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	19.74	—तदैव—
14. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०	20.91	—तदैव—
15. इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०	3.87	31.1.84 को
16. ताझगांव डॉक लि०	7.12	31.12.83 को
17. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०	9.63	—तदैव—
18. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	49.20	31.1.84 को
19. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०	27.00	31.12.83 को

हिन्दुस्तान केबल्स को अनुमति दी गई है परन्तु इसने अभी तक यह योजना चालू नहीं की है।

कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित ब्याज-दरें

1. संचयी जमा राशि योजना

अवधि	जमा राशि	अवधि पूर्ण हो जाने पर लौटाई जाने वाली राशि
3 वर्ष	1000 रुपये	1515 रुपये

10,00,000 रुपये या उससे अधिक की सकल जमा राशि पर संचयी जमा राशि योजना के अधीन अवधि पूरी हो जाने पर 1,000 रुपये के बदले 1,525 रुपये मिलेंगे ।

2. साधारण वार्षिक ब्याज-दर

एक वर्ष	11.5%
दो वर्ष	12.5%
तीन वर्ष	14.0%

कम्पनी और मान्यता प्राप्त धर्मार्थ न्यासों के जमाकर्त्ता सेवारत/भूतपूर्व कर्मचारियों को 0.5% की वार्षिक दर से अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा ।

मैसर्स भास्कर टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड झारसुगुदा, उड़ीसा का बन्द होना

9164. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जानकारी है कि मैसर्स भास्कर टैक्सटाइल मिल्स, लिमिटेड झारसुगुदा (उड़ीसा) पिछले 17 महीनों से अधिक समय से बन्द पड़ी है;

(ख) क्या उन्हें यह भी जानकारी है कि उक्त मिल के बन्द होने के कारण लगभग 3000 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(ग) प्रबन्धकों द्वारा मिल्स को बन्द करने की कार्यवाही के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि प्रबन्धकों द्वारा मिल को बन्द की कार्यवाही को औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास भेजा गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय दे दिया है;

(च) क्या यह भी सच है कि मिल को फिर से चालू करने के प्रश्न पर आई०आर०सी० आई० के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है;

(छ) यदि हां, तो इस मिल को फिर से चालू करने के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ज) क्या सरकार इस मिल के राष्ट्रीयकरण पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) प्रबन्धकों द्वारा एकक के बन्द होने का कारण श्रमिक अनुशासनहीनता, पावर कटौती तथा उच्च श्रमिक निविष्टि बताया गया है ।

(घ) राज्य सरकार ने प्रबन्धकों द्वारा एकक को बन्द किए जाने का प्रश्न औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार अधिनिर्णायक को भेज दिया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) वस्त्र आयुक्त से अनुरोध किया गया है यदि एकक सक्षम है तो वह आई० आर० सी० आई० के साथ विचार-विमर्श करके पुनर्वास पैकेज तैयार करे।

(छ) तथा (ज) : सरकार ने एकक के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय नहीं किया है।

साउथ इण्डिया विस्फोट कम्पनी वर्कर्स यूनियन का ज्ञापन

9165. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को साउथ इण्डिया विस्कोज कम्पनी वर्कर्स यूनियन (सी० आई० टी० यू०) से दिनांक 22 फरवरी, 1984 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त ज्ञापन साउथ इण्डिया विस्कोज कम्पनी लिमिटेड, सिसमुगाई, कोयम्बतूर की समस्याओं से सम्बन्धित है;

(ग) सरकार कपड़ा उद्योग के लिये अत्यावश्यक कच्चे माल का उत्पादन करने में सक्षम इस जीवन क्षम एकक को बचाने के लिये क्या उपाय कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो की गई कार्यवाही का स्वरूप क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) इस सम्बन्ध में सरकार के सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, एकक के कार्य की मानीटरिंग कर रही है।

सहकारी समितियों को एन०ए०बी०ए०आर०डी० और सरकार की सहायता

9166. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सहकारी समितियों के लिए एन०ए०बी०ए०आर०डी० और सरकार द्वारा क्या सहायता दी गयी है;

(ख) क्या सरकार जिन राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जन-संख्या छोटे और सीमांत किसान तथा अन्य कमजोर वर्ग अधिक हैं उनमें चल रही सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए भिन्न मानदण्ड बनाने पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि हाँ, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सहकारी समितियों को दी गयी सहायता और 30 जून, 1983 की स्थिति के अनुसार प्राप्त सुविधा के अन्तर्गत बकाया रकम का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

सुविधा	बकाया रकम
	(करोड़ रुपये)
1. राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधिक ऋण	707
2. राज्य सहकारी बैंकों को मध्यावधिक ऋण	29
3. विभिन्न प्रकार की सहकारी ऋण समितियों में शेयर पूंजी अंशादान के लिए राज्य सरकारों को स्वीकृत ऋण	125
4. निम्नलिखित को पुनर्वित्त सहायता :	
राज्य भूमि विकास बैंक और	1065
राज्य सहकारी बैंक	65

निम्नलिखित चार केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत सहकारी ऋण संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा दी गयी सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:

योजना	सहायता
	(करोड़ रुपये)
1. नाबार्ड से लिये गये ऋण के लिए अतिदेय भिन्न कवर की व्यवस्था करने की योजना	30.04
2. शीर्षस्थ सहकारी बैंकों की कृषि ऋण स्थिरीकरण निधियों को मजबूत करने की योजना।	120.04
3. राज्य सहकारी बीमा विकास बैंकों के साधारण/विशेष ऋण पत्रों की योजना	261.42
4. प्राथमिक स्तरीय ऋण संस्थाओं में वेतन प्राप्त और प्रशिक्षित सचिवों/प्रबन्धकों की नियुक्ति के लिए संवर्ग निधि की योजना।	6.45

जहां तक छोटे और सीमांतिक किसानों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों का सम्बन्ध है। उनके लिए ऋणों की राशि को बढ़ाने के लिए विशेष उपाय किये गये हैं। इस सम्बन्ध में जो उपाय

किये गये हैं उनमें से कुछ ये हैं; अन्य सदस्यों की तुलना में पूंजी अंशदान में कम हिस्सा, भूमि की जमानत पर सहायक धन्धों के लिए ऋण, विवाह, शिक्षा आदि जैसी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 0.50 एकड़ से कम अथवा भूमिहीनों के लिए उपभोग ऋण, दीर्घावधिक ऋणों के लिए कम नकद अदायगी अथवा मार्जिन और दीर्घावधिक ऋणों के लिए वापसी अदायगी की लम्बी अवधि आदि। सहकारी ऋणों के सम्बन्ध में कमजोर वर्गों को कुछ और रियायतें भी दी गयी हैं जिनमें छोटे और सीमांतिक किसानों को नये ऋणों के लिए व्यवस्था भी शामिल है चाहे उनके पूर्व ऋणों के मामले में 10% तक की चूक भी हो।

देश में सहकारी विकास अभियान का मुख्य जोर अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन-जातियो सहित कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक कृषि समितियों ने कमजोर वर्गों की सदस्यता को बढ़ाने लिए विशेष उपाय किये हैं। सहकारी समितियों के प्रबन्धक बोर्डों में कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए विधायी उपबन्ध भी किये गये हैं। बड़े आकर की बहुउद्देशीय समितियों का आदिम जाति क्षेत्रों में गठन किया गया है। बड़े आकार की बहुउद्देशीय समितियों सहित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की सदस्यता 1973-74 में 41.5 लाख से बढ़कर 1981-82 में 129.2 लाख हो गयी है। इस अवधि मे दिये जाने वाले ऋणों की राशि 69.31 करोड़ रुपये से बढ़कर 159.88 करोड़ रुपये हो गयी है राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने अब तक कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को कुल 39.72 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है जिसमें से बड़े आकार की बहुउद्देशीय समितियों और जन-जाति विकास सहकारी निगमों जैसी जन जाति सहकारी समितियों को दी गयी 14.97 करोड़ रुपये की सहायता शामिल है। इसी प्रकार राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने मार्च 1083 तक उन सहकारी समितियों के लिए 205.18 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है जिसके सदस्य मुख्यतः अनुसूचित जातियों से सम्बद्ध हैं।

बीड़ी पर एकत्र किया गया उत्पाद शुल्क

9167. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 1982-83 के दौरान बीड़ी पर कितना उत्पाद शुल्क एकत्र किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : बीड़ियों पर वित्त वर्ष 1982-83 के दौरान वसूल किये गये उत्पादन शुल्क का ब्यौरा इस प्रकार है :

उत्पादन शुल्क का स्वरूप	राजस्व (करोड़ रुपयों में)
(क) मूल उत्पादन शुल्क	87.34
(ख) विशेष उत्पादन शुल्क	4.37
(ग) बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क	29.18

राज्य सरकारें बीड़ियों पर कोई उत्पादन शुल्क वसूल नहीं करती हैं ।

देश में राडार और उसके उपकरणों के निर्माण सम्बन्धी नीति

9168. **श्री नवीन रावणी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राडार और उससे संबद्ध उपकरणों के वर्तमान नीति क्या है;

(ख) यदि कोई दीर्घावधि की योजना है, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन राडारों का प्रयोग मौसम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है और उन्हें समुद्र तट पर स्थापित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो अब तक स्थापित किए गए राडारों की संख्या क्या है और ये कहां-कहां स्थापित किए गए हैं;

(ङ) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में एक राडार संस्थापित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) मौसमी राडारों तथा सम्बद्ध उपकरणों का निर्माण पहले से ही एक सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम, मैसर्स भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) जी, हां । इन राडारों को चक्रवातों का पता लगाने तथा उनका मार्ग निर्धारण करने के लिए समुद्र तटों पर प्रतिस्थापित किया जाता है । अब तक बम्बई, गोवा, कराईकल, कलकत्ता, पारादीप, विशाखापत्तनम्, मछलीपत्तनम् तथा मद्रास में आठ चक्रवात पता-सूचक राडार प्रतिस्थापित किए गए हैं ।

(ङ) और (च) जी, हां । गुजरात राज्य में भुज में प्रतिस्थापित किए जाने वाले एक राडार के निर्माण के लिए मैसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड को आदेश दिये गये हैं । भवन निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है तथा भवन योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अलग-अलग वेतनमान

9170. **श्री एन० सेलवाराजु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में एक समान संवर्ग के अधिकारियों के लिए अलग-अलग वेतनमान और भत्ते दिए जाते हैं जिससे अधिकारियों में निराशा फैलती है तथा एक ही मंत्रालय के नियंत्रणधीन उपक्रमों के वेतनमानों में अन्तर है; और

(ख) क्या सरकार का समान संवर्ग वाले सभी अधिकारियों के लिए एक समान वेतनमान बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) और (ख) ऐतिहासिक कारणों से कार्यपालक संवर्ग के वेतनमान एक ही मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उद्यमों सहित एक उद्यम से दूसरे उद्यम में अलग-अलग हैं। किन्तु, सरकार व्यापक क्षेत्र के अनुरूप सभी सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों के वेतन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास कर रही है। उद्यम की भुगतान क्षमता, उद्योग की किस्म, जिसमें यह कार्यरत हैं, आदि के कारण वेतनमानों में मामूली कमी-वेशी होना तो अपरिहार्य है। सभी सरकारी उद्यमों में उनके कार्य-निष्पादन, उद्योग के स्वरूप, प्रौद्योगिकीय स्तर आदि का विचार किए बिना ही एक समान वेतनमान लागू करना व्यवहार्य नहीं समझा जाता है।

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों की संख्या

9171. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में 1947 की तुलना में इस समय कितनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां चल रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एम० कृष्ण) : दिनांक 6 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 6794 के ऊपर में दी गई जानकारी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। 30 सितम्बर 1983 को फेरा कम्पनियों, शाखाओं तथा सांझेदार फर्मों की संख्या 161 थी। वर्ष 1947 के संबंध में ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में वर्दियों की खराब सिलाई

9172. **श्री अनन्त रामुलु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत पर्यटन विकास निगम में चैम्बरमेडस आदि को दी जाने वाली वर्दियों की ठीक से सिलाई नहीं की जाती है और इसका कभी-कभी पर्यटकों पर अच्छा प्रभाव नहीं पडता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच पड़ताल की जाती है क्योंकि जब नई दिल्ली में कुछ विदेशी बैठक प्रायोजित की जाती हैं तो इन होटलों में बड़ी संख्या में विदेशी यात्री ठहरते हैं; और

(ग) क्या सरकार का इन होटलों में चैम्बरमेडस कर्मचारियों को रेशमी साड़ियां सप्लाई करने का विचार है जोकि हमारा राष्ट्रीय परिधान है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) आई० टी० डी० सी० होटल के कर्मचारियों की वर्दी की सिलाई प्रत्येक कर्मचारी के माप के

अनुसार की जाती है। कुल मिलाकर चैम्बरमेडस आदि को दी जानी वाली बढ़ियां पसन्द की गई हैं।

(ग) उनके कार्य की परिचालन सम्बन्धी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, निगम चैम्बरमेडस का साडियां सप्लाई करने के पक्ष में नहीं है।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के दावों का निपटारा

9173. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पतियों के लिए मुआवजे हेतु सरकार को आज तक कुल कितने दावे प्राप्त हुए हैं तथा 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक और इससे अधिक के दावों के अलग-अलग कितने मामले हैं;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित श्रेणियों के कितने मामलों में श्रेणीवार सत्यापित धन राशि की 25% धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के दावों के निपटारे के सम्बन्ध में अब तक कुल कितनी धनराशि वितरित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग). उन भारतीय नागरिकों/कम्पनियों को सहायता देने के लिए, पाकिस्तान में जिनकी परिसम्पत्तियां पाकिस्तान सरकार द्वारा, 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान और उसके बाद जब्त कर ली गई थीं, 1971 में एक अनुग्रह योजना की घोषणा की गई। 15 अप्रैल, 1972 तक, जो कि दावे दायर करने के लिए शुरू में रखी गई अन्तिम तारीख थी, अभिरक्षक के पास 3944 दावे दर्ज हुए। ये दावे लगभग निपटा दिये गये हैं। दावे दायर करने की तारीख को तीन बार बढ़ाया गया, आखिरी तारीख 31 जुलाई, 1977 थी। अभिरक्षक के पास 53549 दावे दर्ज हुए। लम्बित पड़े हुए दावों की कुल संख्या 14,710 है, जिनमें से 9,000 मामले सत्यापन के लिए विशेष सेवा अधिकारी, कलकत्ता, के पास लम्बित पड़े हुए हैं और 5,710 मामले अभी शत्रु सम्पत्तिअभिरक्षक, बम्बई द्वारा विशेष सेवा अधिकारी कलकत्ता को भेजे जाने हैं। शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, बम्बई द्वारा विशेष सेवा अधिकारी, कलकत्ता को भेजे जाने हैं। शत्रु संपति अभिरक्षक, बम्बई के पास लंबित पड़े हुए 5,710 मामलों में से 2,467 मामले एक लाख रु० तक, 2,049 मामले 5 लाख रु० तक, 981 मामले 10 लाख रु० तक, तथा 200 मामले 50 लाख रु० तक और 13 मामले 50 लाख रु० से अधिक के हैं। 14,180 मामलों में अनुग्रह भुगतान पहले ही किया जा चुका है जिनमें से 9,814 मामले एक लाख रु० तक, 4,071 मामले 5 लाख रु० तक, 230 मामले 10 लाख रु० तक, 65 मामले 50 लाख रु० तक के हैं। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक कुल 56,88,56,265 रु० की राशि वितरित की गई है।

कलकत्ता में शत्रु सम्पत्ति के संरक्षक के कार्यालय का कार्यकरण

9174. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित उनके मंत्रालय के अन्तर्गत शत्रु सम्पत्ति के संरक्षण का एक कार्यालय तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्ला देश में रह गई सम्पत्तियों के दावों के सत्यपन का कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कार्यालय का क्या ढांचा है और यह कब से कार्य कर रहा है;

(ग) अब तक इस कार्यालय द्वारा कितने मामलों को निपटाया गया है और इसके पास कितने मामले और कब से लम्बित हैं और वर्षवार पृथक रूप से ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार को कथित कार्यालय के कार्याकरण के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो मुख्य आरोप क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) क्या यह भी सच है कि पिछले कुछ महीनों से प्रतिकर सम्बन्धी मामलों का सत्यापन नहीं किया गया है अथवा उनको प्राधिकारियों के पास नहीं भेजा गया है यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) उप सचिव स्तर के एक विशेष कार्य अधिकारी को कलकत्ता में 14.1.1980 को पदासीन किया गया था । मार्च, 1982 तक वहां 6 समूह "ग" कर्मचारियों व एक समूह "घ" कर्मचारी थे। 1982-83 के दौरान कर्मचारियों की संख्या में आगे बृद्धि करने के बाद कर्मचारी संख्या बढ़कर 14 समूह "ग" तथा 5 समूह "घ" हो गई और इस प्रकार कुल कर्मचारी संख्या 22 हो गई जिसमें विशेष कार्य अधिकारी भी शामिल था ।

(ग) अनुग्रह योजना के अन्तर्गत पंजीकृत 53,529 मामलों में से 14,180 मामलों में अदायगियां की गई हैं। 24,659 मामलों को समाप्त समझ लिया गया है क्योंकि 21, 820 मामलों में दावेदारों से दावा आवेदन पत्र विधिवत पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हुए हैं। 2,839 मामलों में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । इसलिए इन मामलों को प्रारम्भ में ही निरस्त कर दिया गया है और समाप्त समझ लिया गया है । लम्बित मामलों की कुल संख्या 14,710 है।

(घ) दावेदारों को गलत अदायगियों के बारे में कतिपय शिकायतों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है ।

(ङ) मुख्य आरोप कतिपय दावेदारो द्वारा छद्म व्यक्तिता, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने, विशेष कार्य अधिकारी के साथ सांठ-गांठ करके तथा धोखा-धड़ी व गलत तथा प्रस्तुत करके कतिपय दावेदारों द्वारा अनुग्रह अदायगियां प्राप्त करने के बारे में हैं ।

(च) गत कुछ महीनो से, जांच कार्य और विशेष कार्य अधिकारी के अपने मूल संगठन के

प्रत्यावर्तन और उनके स्थान पर नियमित आधार पर एक उपयुक्त अधिकारी का चयन करने में लगे समय के कारण सत्यापन की गति अपेक्षतया धीमी रही है ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में केन्द्रीय रेशम उत्पादन का अनुसंधान केन्द्र खोलने के लिए अभ्यावेदन

9175. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में केन्द्रीय रेशम उत्पादन का अनुसंधान केन्द्र खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह कब और किससे प्राप्त हुआ था; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) नवम्बर, 1982 में, माननीय सदस्य ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र में एक अनुसंधान केन्द्र खोलने का सुझाव दिया था तदनुसार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड से, द्वीप समूह में रेशम उत्पादन आरम्भ करने की सम्भाव्यता के बारे में एक अध्ययन करने के लिए कहा गया । बोर्ड ने इस उद्देश्य के लिए द्वीप समूह में एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का प्रस्ताव किया है और इस अध्ययन को सुविधा-जनक बनाने के लिए कुछ आधारभूत आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों से निवेदन किया है । तथापि, अपेक्षित जानकारी की प्रतीक्षा है । इन आंकड़ों के प्राप्त होने पर, बोर्ड अध्ययन आरम्भ करेगा तथा द्वीपसमूह में अनुसंधान केन्द्र खोले जाने के प्रश्न पर तब विचार किया जायेगा ।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना पर किया गया व्यय

9176. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना पर वर्षवार कितना व्यय किया गया है;

(ग) कितने प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और क्या उन्हें लाभप्रद रोजगार प्राप्त करके इसका फायदा पहुंचा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन किस सीमा तक प्रमाणिक पाये गये हैं और इस योजना पर किया गया व्यय उपयोगी पाया गया है और किस सीमा तक ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना पर किए गए वर्ष वार खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) उन प्रशिक्षणार्थियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने 1978-1981 में प्रशिक्षण पूरा कर लिया, कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए 1983 में एक प्रायोगिक अध्ययन किया गया था।

(ग) तथा (घ) अभी तक 1,09,303 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अध्ययन सप्रयोजन अटकलच्यू सैम्पलिंग पर आधारित था तथा एक स्वतन्त्र अनुसंधान संगठन द्वारा किया गया था। भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों के शिल्प में खपाये जाने की औसत, जैसी कि अध्ययन से पता चला है, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब केन्द्रों में 54.5 प्रतिशत से लेकर जम्मू तथा कश्मीर के केन्द्रों में 85.5 प्रतिशत तक भिन्न भिन्न है।

विवरण

वर्ष	खर्च (लाख रु० में)
1976-77	152.07
1977-78	378.25
1978-79	733.06
1979-80	353.37
1980-81	424.15
1981-82	415.27
1982-83	445.94
1983-84	463.84 (अनुमानित)

विदेशों का दौरा करने वाले भारतीय पर्यटकों पर खर्च की गई धनराशि

9177. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष विदेशों का पर्यटकों के रूप में और धार्मिक कार्यों, व्यापार और अध्ययन कार्यों के लिए दौरा करने वालों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ख) इनके दौरों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने में उनके मन्त्रालय द्वारा प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है;

(ग) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में पृथक-पृथक उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) विदेशी पर्यटकों पर सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है और वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चार प्रमुख पोर्ट्स बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता से वायु और समुद्र मार्ग द्वारा विदेश जाने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या नीचे दी जाती है :

(संख्या लाख में)

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या
1981	12.51
1982	11.81
1983	13.94*

*अनुमानित

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अनुसार उनकी विदेश यात्राओं के उद्देश्य डाक्टरी इलाज, व्यापार, अध्ययन दौरे (प्रशिक्षण सहित) और सम्मेलनों आदि में भाग लेना आदि थे। इस सम्बन्ध में अलग से इस आशय के विस्तृत ब्यौरे (ब्रेक-अप) उपलब्ध नहीं हैं कि उनमें ये कितने पर्यटक थे और कितने धार्मिक, व्यापारिक या अध्ययन सम्बन्धी उद्देश्यों से गए थे।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा विदेश जाने वाले भारतीयों की निजी यात्राओं पर कोई खर्च नहीं किया जाता।

(घ) इसी प्रकार से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की निजी यात्राओं पर भी कोई खर्च नही किया जाता। तथापि, सरकार अन्य विभागों से सम्पर्क बनाए रखने के अतिरिक्त विपणन और संवर्धन तथा निम्न आय वर्गों के लिए विशिष्ट सैक्टरों में आवास निर्माण सहित आधारिक संरचना के विकास संबंधी विविध कार्यक्रमों को हाथ में लेती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा इन कार्यकलापों पर किया गया खर्च नीचे दिया जाता है :

(लाख रुपयों में)

वर्ष	धनराशि
1981-82	355.34
1982-83	532.97
1983-84	500.00*

*फाइनल अकाउंटिंग होनी है।

नकद सहायता प्राप्त करने वाली परन्तु विदेशी मुद्रा वसूल न कर पाने वाली पार्टियां

9178. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान उन पार्टियों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है जिन्होंने नगद सहायता तो प्राप्त की है परन्तु विदेशी मुद्रा वसूल करने में असमर्थ रही हैं; और

(ख) उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अन्तर्नियमों में संशोधन

9179. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के समान सभी 27 संस्थानों के लिए एकल सार्वभौमिक अखिल-भारतीय निर्वाचक मण्डल (कालेज) के आधार पर सदस्यों द्वारा निर्वाचित मतदान की विभिन्न श्रेणियों के सदस्यों को मताधिकार प्रदान करने के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अन्तर्नियमों में संशोधन कर दिया गया है; और

(ख) आगामी चुनाव कब होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां । अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद की संस्था नियमावली में संशोधन किया गया है । ताकि इसके सभी सदस्यों को वोट देने का अधिकार दिया जा सके कार्यकारी समिति के एक तिहाई सदस्यों का, जो प्रत्येक आम वार्षिक बैठक में क्रम से रिटायर होते हैं, निर्वाचन कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद ने सूचित किया है कि परिषद की आगामी आम वार्षिक बैठक 14 मई, 1984 के लिए निश्चित की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्यकारी समिति के लिए निर्वाचन करने का भी विचार है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

9180. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, जो कि अपने कर्मचारियों के वेतनमानों के मामले में केन्द्रीय सरकार के नियमों या तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करते हैं अपने कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के प्रश्न को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को भेजना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम अपने वेतनमान वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रखते हैं;

(घ) क्या सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम से अपने कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने सम्बन्धी कोई मामला प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ङ) चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने तक सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता मंजूर की गई है। अन्तरिम सहायता महगाई भत्ते के रूप में नहीं है। सरकारी क्षेत्र के उद्यम वेतन आयोग के विचार-क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं हैं और इसलिए, केवल सरकारी कर्मचारियों के अन्तरिम सहायता के आदेश जारी किये जाने के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों में भी भत्ते जैसे मकान किराये भत्ते की दरें अधिक हैं। इन्हीं कारणों से दिये जाने सरकारी क्षेत्र का कोई ऐसा उद्यम जो अन्तरिम भुगतान करना चाहता है उसे जैसा कि नीचे दिया गया है अपना प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय को भेजना होगा जिस पर सरकारी उद्यम कार्यालय से परामर्श किया जाएगा। इस समय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 44 उद्यम हैं जो गैर-कार्यपालकों के लिए वही वेतनमान अपनाते हैं जो भारत सरकार के विभागों में प्रचलित हैं। सरकार की नीति यह है कि सभी सरकारी उद्यमों को औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न अपना लेना चाहिए। केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने वाले उद्यम औद्योगिक महंगाई भत्ता सूत्र अपनाने के साथ-साथ वेतनमानों के परिशोधन के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। औद्योगिक महंगाई भत्ता अपना लेने पर वेतनमानों के परिशोधन हो जाने तक सरकार प्रत्येक मामले के गुणावगुण के अनुसार समय बद्ध आधार पर अन्तरिम भुगतान करने के किसी प्रस्ताव पर उचित रूप से तथा निष्पक्ष रूप से विचार करने के लिए भी तैयार है। दो उद्यमों अर्थात् भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गैर-कार्यपालक संवर्ग के बारे में ऐसे अन्तरिम भुगतानों को सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार

9181. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार वर्ष प्रति वर्ष कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान दोनों देशों के बीच हुए व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार में गिरावट के मुख्य कारण क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान पाकिस्तान को किए गए निर्यात और पाकिस्तान से किए गए आयात का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) तथा (ख) : वर्ष 1981-82 के

दौरान भारत तथा पाकिस्तान के बीच 59.65 करोड़ रु० का तथा 1982-83 के दौरान 38.88 करोड़ रु० का व्यापार किया गया। 1983-84 के लिए अबके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन वर्तमान संकेतों के अनुसार, ये पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो सकते हैं।

(ग) जबकि पाकिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने सरकारी क्षेत्र के कुछ अभिकरणों के माध्यम को छोड़कर भारत से होने वाले आयातों को अनुमति देना जारी रखा।

(घ) भारत से पाकिस्तान को होने वाले निर्यातों की मुख्य मदें, लौह अयस्क लोहा तथा इस्पात निर्मित माल, चाय, बीड़ी के पत्ते, पान, क्लीनिंग पाउडर, ताजा अदरक, इमली आदि रही हैं। पाकिस्तान से होने वाले आयातों की मुख्य मदें नेपथा, भट्टी-क्रा तेल, रोक साल्ट, कच्चा लोहा उर्वरक रही हैं।

रेशम का उत्पादन, मांग और आयत

9182. **श्री मोहन लाल पटेल**
श्री अमरसिंह राठवा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कच्चे रेशम की वार्षिक मांग और उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि मांग से कहीं कम उत्पादन होता और यदि हां, तो कच्चे रेशम की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कच्चे रेशम का अयात किया जा रहा रहा है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और कितनी राशि का रेशम आयात किया गया,

(घ) किन देशों और किन एजेंसी के माध्यम से इसका आयात किया गया; और

(ङ) वर्ष 1984-85 के दौरान कच्चे रेशम के आयात के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए०संगमा) : (क) से (ङ) वर्ष 1982-83 के दौरान देश में कच्चे रेशम का उत्पादन 5,700 मे० टन रहा है। आमतौर पर, देश में उत्पादित कच्चा रेशम घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में रेशम उत्पादन के विकास के लिए अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में, विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :—कर्नाटक में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना, 8 राज्यों को कवर करने वाली भारत-स्विटजरलैंड टसर परियोजना, और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में मूगा रेशम के सघन विकास के लिए परियोजना।

आमतौर पर, स्थानीय रेशम उत्पादन उद्योग को जो कि देश में बड़ी संख्या में कृषक परिवारों की जीविका का साधन है, समर्थन देने के लिए नीति के तौर पर घरेलू खापत के लिए कच्चे

रेशम के आयात को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । वर्तमान नीति के अन्तर्गत, आयात के लिए रेशम एक सरणीबद्ध मद है, और रेशम के सीधे आयात के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड सरणीकरण अभिकरण है । 1981-82 में घरेलू उत्पादन में कमी होने के परिणामस्वरूप, देश में वास्तविक प्रयोक्ताओं में वितरण के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड को चीन से 5 39 करोड़ रु० मूल्य के 250 मे० टन कच्चे रेशम का आयात करने की अनुमति दी गई थी । इसके पश्चात् आर० ई० पी० तथा ए० एल० एस० के अन्तर्गत निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए आयातों के अतिरिक्त, रेशम के कोई आयात नहीं हुए हैं ।

हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब और हरियाणा के सरायों के निर्माण में विलम्ब

9183. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब और हरियाणा राज्यों में ऐसे स्थानों पर जिनके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान सराय स्वीकृत की गई थी, यात्री आवास विकास समिति द्वारा सरायों के निर्माण में असाधरण विलम्ब किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा तथा पूरा करने के लक्ष्य की तिथियां क्या हैं तथा विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) छठी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत इनको पूरा करने की संभावित तिथियां क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) भारतीय यात्री आवास विकास समिति ने नैनी देवी, हिमाचल प्रदेश में एक यात्रिका का निर्माण अनुमोदित कर दिया है, लेकिन टेंडर नोटिसों के समुचित उत्तर न मिलने के कारण इस परियोजना के कार्य में देरी हो गई है । समिति अब इस परियोजना के लिए कन्ट्रैक्टर्ज खोजने हेतु अन्य उपायों का पता लगा रही है । समिति के पास जम्मू और कश्मीर के अन्तर्गत वैष्णों देवी और चन्दनवाडी में एक-एक यात्रिका के निर्माण का भी प्रस्ताव है, किन्तु समिति को इन स्थानों पर भूमि प्राप्त करने में कठिनाई का समाना करना पड़ रहा है । वर्तमान छठी योजना के दौरान पंजाब और हरियाणा में किसी यात्रिका परियोजना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनसंख्या मानदण्ड में ढील

9184. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हिमालय प्रदेश, जम्मू और काश्मीर जैसे पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों के राज्यों, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में, जिनमें दुरुह है भौगोलिक क्षेत्र और बहुत कम जनसंख्या है, बैंक रहित स्थानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोलने के संबंध में जनसंख्या तथा दूरी संबंधी मानदण्डों में ढील दी है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शाखएं खोलने के लिए मानदण्ड क्या हैं और उपरोक्त क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए दी गयी ढील क्या है;

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान इन क्षेत्रों में ढील प्राप्त मानदण्डों के अनुसार कितनी शाखायें खोली गयीं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सामान्य रूप से 20-सूत्री कार्यक्रम तथा विशेष रूप से सम्भावित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि वाली वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार लाना तथा उससे भी अधिक देश में इनके कार्यालयों का पहले से अधिक सुचारु स्थानिक वितरण का लक्ष्य प्राप्त करना है। पहाड़ी क्षेत्रों तथा छूट-पुट आबादी वाले आदिवासी इलाकों को विशेष महत्त्व दिया जाता है तथा बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में मौजूदा अन्तर, आर्थिक गतिविधियों के विकास आदि को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में शाखा विस्तार की अपेक्षाकृत अधिक उदारता से अनुमति दी जाती है।

अतिरिक्त केन्द्रों पर कार्यालय खोलने के प्रस्तावों पर उन केन्द्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न में उल्लिखित राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में मानदंडों के अनुसार अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की नीति अवधि के दौरान कार्यालयों की अनुमानित आवश्यकताओं तथा अब तक बैंकों को आवंटित किये गए केन्द्रों की संख्या के संबंध में उपलब्ध नीचे आंकड़े दिये गए है :—

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	अनुमानित तथा आवश्यकता	अब तक आंवटित केन्द्रों की संख्या
हिमाचल प्रदेश	25	78
जम्मू तथा कश्मीर	35	156
पूर्वोत्तर क्षेत्र		
असम	469	274
मणिपुर	37	31
मेघालय	17	40
नागालैंड	10	10
त्रिपुरा	12	26
अरुणाचल प्रदेश	5	9
मिजोरम	3	16

रिजर्व बैंक के अनुसार असम सरकार ने आयोजना के अन्तर्गत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रों का सुझाव अभी तक नहीं दिया है ।

हिमाचल प्रदेश में बैंकों की शाखाएं खोलना

9185. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में उन स्थानों के जिलावार नाम क्या हैं जिनमें (एक) पंजाब नेशनल बैंक (दो) सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया (तीन) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और (चार) स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने पिछले तीन वर्षों में विशेषकर वित्तीय वर्ष 1983-84 सहित सर्वेक्षण करके भारतीय रिजर्व बैंक को नई शाखाएं खोलने की सिफारिश की है;

(ख) उन स्थानों के जिलावर नाम क्या हैं जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 1984 तक शाखाएं खोलने की मंजूरी दी है;

(ग) इनमें से उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ वास्तव में शाखाएं खोल दी गयी हैं; और

(घ) शेष स्थानों के लिए लाइसेंस जारी न करने के क्या कारण हैं यद्यपि उक्त बैंकों में से किसी ने भी शाखाएं खोलने को न्यायोचित बताया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पटना में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

9186. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना जिले में ब्लाक मुख्यालयों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोली गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बैंकों की नई शाखाएं खोलने के कुछ आवेदन विभिन्न बैंकों के पटना स्थित कार्यालयों में लम्बित पड़े हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना पद्धति से बैंकों की ब्लाक-वार शाखाओं के आंकड़ों का पता नहीं चलता अलबत्ता, उपलब्ध आकड़ों के अनुसार पटना जिले का कोई भी ब्लाक मुख्यालय बैंक रहित नहीं बताया गया है । जिससे यह भी बनता है कि सभी ब्लाक मुख्यालयों को वहां पर या नजदीकी केन्द्रों से बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त हैं ।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पंजाब नेशनल बैंक से दो केन्द्रों अर्थात् पटना जिले में भरतपुर और चिरोरा, के लिए प्राप्त आवेदन लम्बित पड़े हैं।

मद्रास और बंगलौर हवाई अड्डों पर घोषणा करने के नियमों का पालन न करना

9187. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हवाई जहाजों और हवाई अड्डों में पहले हिन्दी में घोषणा की जाती है और बाद में अंग्रेजी में;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि मद्रास, बंगलौर और कुछ अन्य हवाई अड्डों में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है और वहां पर घोषणाएं केवल अंग्रेजी में की जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि घोषणाएं दोनों भाषाओं में की जायें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। मद्रास तथा बंगलौर में भूमि पर उदघोषणाएं हिन्दी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में उसी क्रम में की जाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली से पटना तक सांध्य उड़ान चालू करना

9188. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दिल्ली से पटना तक कोई सांध्य विमान सेवा नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से पटना तक एक सांध्य विमान सेवा चालू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) समय की तंगी के कारण, इण्डियन एयरलाइंस की फिलहाल पटना के लिए सायंकालीन सेवाएं आरम्भ करने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

भविष्य निधि खातों में लापता जमा (मिसिंग क्रेडिट) की शिकायतें

9189. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवारत और सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों की उनके भविष्य निधि खातों में लापता जमा (मिसिंग क्रेडिट) की शिकायतों में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो 1 अप्रैल, 1983 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और महालेखाकार-वार कथित लापता जमा की धनराशि कितनी थी; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान महालेखाकार-वार उचन्ती खातों में कितनी धनराशि थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) जहाँ तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, भविष्य निधि खातों का रख-रखाव विभागों द्वारा किया जाता है, महालेखाकारों द्वारा नहीं। कुछ राज्यों ने भी यह कार्य महालेखाकारों से अपने पास ले लिया है और शेष राज्य धीरे-धीरे ऐसा कर रहे हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों की गुमशुदा जमा राशियों के बारे में शिकायतें इस मंत्रालय में बहुत कम प्राप्त होती हैं। राज्यों में लेखाओं के विभागीयकरण की प्रक्रिया के पूरा हो जाने पर ऐसी शिकायतें कम हो जाएंगी।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचायती ग्राम बैंक द्वारा शाखाएं खोलना

9190. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचायती ग्राम बैंक द्वारा उड़ीसा के कोरापुट जिले में अब तक कितनी शोखाएं खोली गयी हैं और ये शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोली गयी हैं;

(ख) नई शाखाएं खोलने के लिए चुने गए स्थानों के नाम क्या हैं और वर्ष 1983-84 के दौरान नई शाखाएं खोलने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) कोरापुट जिले में ग्रामीण बैंक अर्थात के० पी० जी० बैंक खोलने का उद्देश्य क्या था जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों को जिले के ग्रामीण क्षेत्र में शाखाएं खोलनी थीं; और

(घ) यदि के० पी० जी० बैंक को ग्रामीणों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सेवा के लिए लाइसेंस दिया गया था, तो शाखाओं की स्थापना से अब तक निर्धारित संख्या में लोगों को वित्त प्रदान करने के लिए लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और अब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कितने लोग

लाभान्वित हुए हैं और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कुल कितने ऋण का वितरण किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) और (ख) यथाउपलब्ध सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ) कोराटुर पंचबटी ग्राम्य बैंक सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने का उद्देश्य यह है कि पहले से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत लाया जाय और ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों के वास्ते अधिक ऋण सहायता सुनिश्चित की जाए । तदनुसार सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने ऋण सम्बन्धी क्रियाकलापों को कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत छोटे और सीमान्तिक किसानों तक ही सीमित करना पड़ता है और कृषि भिन्न क्षेत्रों में केवल उन व्यक्तियों तक सीमित करना पड़ता है जिनकी वार्षिक आय 6500 रुपए से अधिक न हो ।

उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि जून 1983 तक कोरापुट ग्राम्य बैंक की 66 शाखाएं थीं और इन में 1,27,465 ऋण खातों के अन्तर्गत अग्र अग्रिमों की 11.85 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी । बैंक के ऋणकर्त्ताओं में अनुसूचित जाति/अ०ज० जाति के ऋण कर्त्ताओं के सम्बन्ध में अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

जिला कोरापुट, उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा दिए गए ऋण

9191. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा फरवरी, 1984 तक उड़ीसा के कोरापुट जिले में कुल कितना ऋण दिया गया;

(ख) प्रत्येक ग्रामीण शाखा द्वारा केन्द्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग के लोगों को कितने ऋण दिये गये और समृद्ध लोगों, धनी वर्ग के लोगों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु कितने ऋण दिये गये;

(ग) क्या ऋण लेने वाले धनी वर्ग के लोगों द्वारा किस्तों की अदायगी नियमित रूप से की जाती है;

(घ) यदि नहीं, तो प्राधिकरणों द्वारा उनसे देय तारीखों पर किस्त प्राप्त करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या कुल ग्रामीण शाखाओं में चूक कर्त्ताओं की बड़ी संख्या के कारण कमजोर वर्गों हेतु विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए ऋण राशि प्राप्त करना कठिन है और ऋण वितरण में विलम्ब हो रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) कोरापुट जिले (उड़ीसा) में

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल अग्रिमों के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े मार्च, 1983 के अन्तिम शुक्रवार के हैं। उस दिन उड़ीसा के कोरापुर जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल अग्रिमों की राशि 30.38 करोड़ रुपये थी।

(ख) से (ङ) — बैंकों की आंकड़ा सूचना और समेकन पद्धति से उस ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार प्रश्न में पूछी गई है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के ऋण कर्त्ताओं को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अन्तर्गत दिए गए अग्रिमों के सम्बन्ध में सूचना केवल राज्यवार आधार पर ही उपलब्ध है। दिसम्बर, 1981 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्राथकिता प्राप्त क्षेत्रों के अन्तर्गत इन समुदायों के ऋण कर्त्ताओं के 2.13 लाख ऋण खातों के अन्तर्गत दिए गए अग्रिमों की राशि 28.74 करोड़ रुपये थी। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ग्रामीण शाखाओं में वापसी अदायगी में चूक होने के कारण कमजोर वर्गों के वास्ते बनाई गई स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर उड़ीसा में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1983-84 के दौरान फरवरी 1984 के अन्त तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में 1.54 लाख ऋणकर्त्ताओं में 22.59 करोड़ रुपये की राशि बांटी गई। इस कर्यक्रम के अधीन जिन हिताधिकारियों का वित्त पोषण किया गया उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों की संख्या 70,264 थी अर्थात् 45 प्रतिशत से ऊपर थी।

उड़ीसा में मोटल स्थापित करने के लिए सहायता

9192. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने कोरापुट जिले मे मोटल खोलने के लिए कौन-कौन से स्थानों को चुना है और इसके लिए वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं और सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुसर उन मोटलों में क्या सुविधाएं दिये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने मोटलों के निर्माण के लिए उड़ीसा सरकार को सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो उसकी धनराशि कितनी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ.) जहां तक केन्द्रीय पर्यटन विभाग का सम्बन्ध है, राज्य सरकार से कोरापुट में एक यूथ होस्टल

के निर्माण का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तथापि, पर्यटन विभाग के सीमित संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम को केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत प्रारम्भ कर पाना संभव नहीं होगा। कोरापुट में मोटल के निर्माण के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पर्यटन स्थलों के विकास पर व्यय

9193 **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पर्यटन के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन के विकास के लिए किए गए व्यय के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया-देखिये संख्या एल० टी०—8307/84]

बिहार के बीड़ी निर्माताओं द्वारा उत्पादन शुल्क के भुगतान में कथित अनियमितताएं

9194. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बीड़ी निर्माता केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की अदायगी के मामले में बीड़ी पैमाने पर अनियमितताएं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० कृष्ण) : (क) बिहार में बीड़ी निर्माताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी के सिलसिले में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं किए जाने के सम्बन्धी कोई मसला जानकारी में नहीं आया है। तथापि, जहां-कहीं भी अनियमितताएं पाई गई हैं, बिहार में बीड़ी-निर्माताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा लेखों की निवारक-जांच और लेखा-परीक्षा की जा रही है ताकि राजस्व की सुरक्षा की जा सके।

बिहार में विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने वाले नये स्थान

9195. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों में उपलब्ध विमान सेवाओं की तुलना में बिहार में उपलब्ध विमान सेवाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने वाले बिहार के नये स्थानों के नाम क्या हैं और इन स्थानों के लिए कब तक विमान सेवा चालू कर दी जायेगी; और

(ग) क्या पटना से रात्रि विमान सेवा चालू करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) फिलहाल बिहार में किन्हीं नए नगरों के लिए विमान सेवायें प्रारम्भ करने के कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

सामान्य बीमा कम्पनी में अनुशासन और कार्यकुशलता

9196. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्य बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसमें अनुशासन और कार्यकुशलता में भारी कमी आई है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकरण के बाद सामान्य बीमा कम्पनियों में भ्रष्टाचार में बढ़ोत्तरी हुई है; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

अभ्रक व्यापार निगम के माध्यम से सामान्य मुद्रा क्षेत्रों में अभ्रक के निर्यात में गिरावट

9197. **श्री ए० के० राय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभ्रक सम्बन्धी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अभ्रक व्यापार निगम के माध्यम से भारत में अभ्रक का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रणाली के लागू होने के समय से सामान्य मुद्रा क्षेत्रों में अभ्रक का निर्यात कम होता जा रहा है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि निजी उपक्रम के अभ्रक क्षेत्र और व्यापारी सरकार पर दबाव डालने के लिए इस प्रक्रिया में रुकावट डाल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां। साधित अभ्रक तथा अभ्रक स्क्रैप के निर्यात भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि०, पटना की मार्फत सारणीबद्ध किए जाते हैं।

(ख) जी नहीं। सरणीकरण की नीति के फलस्वरूप सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को निर्यातों में गिरावट नहीं आई है। वस्तुतः वर्ष 1972-73 में अर्थात् सरणीकरण के तुरन्त बाद निर्यात वर्ष 1971-72 के निर्यातों से अधिक थे। बाद के वर्षों में जबकि साधित अभ्रक के निर्यातों में उतार-चढ़ाव रहा है, फैब्रिकेटिड तथा बिनिर्मित अभ्रक के निर्यात सामान्य मुद्रा क्षेत्रों के भाग के स्वरूप में परिवर्तन होने से बढ़ते रहे हैं। श्रमिक लागतों में बढ़ोतरी व तीव्र प्रौद्योगिकीय प्रगति से सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देश संसाधित अभ्रक की बजाय फेब्रिकेटिड अभ्रक का आयात करने को तरजीह दे रहे हैं।

(ग) ऐसा कोई उदाहरण सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नही उठता।

चाय-उत्पादकों को चाय के लाभकारी मूल्य न मिलना

9198. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अच्छी विपणन व्यवस्थाओं के अभाव और बिचोलियों के रहने के कारण चाय उत्पादकों को चाय के लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो सके; और

(ख) चाय उत्पादकों की सहायता के लिए तथा उन्हें शोषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) भारतीय चाय से मिलने वाली कीमतें अन्य चाय उत्पादक देशों की चाय से मिलने वाली कीमतों से तुलनीय हैं। 1983 से उत्पादकों द्वारा नीलामी के लिए आफर की गई चाय की कीमतों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। चाय विपणन में सुधार के लिए उठाये गए कदमों में नकद प्रतिपूर्ति सहायता, शुल्क वापसी, चाय बोर्ड द्वारा ब्रान्ड संवर्धन तथा भण्डारण और साथ ही विदेश स्थित इस के कार्यालयों तथा चाय परिषदों के माध्यम से संवर्धनात्मक अभियान के लिए सहायता के रूप में प्रोत्साहन शामिल हैं। चाय विपणन में सुधार के लिए विनियामक उपायों में चाय (निर्यात लाइसेंसिंग का विनियमन) आदेश, 1984 और चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 1984 शामिल हैं।

चाय उत्पादन के लिए एक बागान प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

9199. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उत्पादन में वृद्धि और विकास के लिए सरकार का विचार एक बागान प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का है; : और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) चाय के कार्यकारी दल द्वारा तैयार की गई सातवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में 50 लाख रु० की अनुमानित लागत से बागान प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल है।

विदेशों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं

9200. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के नाम क्या हैं जिनकी विदेशों में शाखाएं हैं;

(ख) उन देशों के नाम तथा इन देशों में भारतीय राष्ट्रीकृत बैंकों की शाखाओं की संख्या क्या है; और

(ग) ये वाणिज्य बैंक कहां-कहां स्थित है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना अनुबंध में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०—8308]

वित्त मंत्रालय की रक्षा डिवीजन का रक्षा मंत्रालय में विलय करने के कारण कर्मचारियों को पदोन्नति पर प्रभाव

9201. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय के रक्षा डिवीजन का रक्षा मंत्रालय के साथ विलय कर दिया गया है तथा कर्मचारियों को पदोन्नति प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की असंगति से बचने हेतु रक्षा मंत्रालय के सामान्य वरीयता संवर्ग में रख लिया गया है;

(ख) क्या रक्षा मंत्रालय और इसके वित्तीय डिवीजन के संवर्ग को अब पुनः अलग करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं कि इन परिवर्तनों से कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां। रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग का रक्षा मंत्रालय के साथ 1-8-1983 से विलय कर दिया गया है तथा दोनों के कर्मचारियों की एक सामान्य वरिष्ठता सूची बना ली गई है।

(ख) और (ग) कुछ कर्मचारियों द्वारा वरिष्ठता के निर्धारण के विरोध में किए गये अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए विलय के कारण उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनेक संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। परन्तु विलय की योजना के उद्देश्य और भावना को छोड़ने का कोई विचार नहीं है।

भारत तथा बंगलादेश के बीच व्यापार

9202. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष मार्च के महीने में एक भारतीय व्यापार शिष्टमण्डल द्वारा बंगलादेश का दौरा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल द्वारा क्या भारत तथा बंगलादेश के बीच व्यापार में वृद्धि करने के लिए क्या सुझाव दिए गये; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं। तथापि, 9 से 15 मार्च, 1984 तक पी० एच० डी० वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने बंगलादेश का दौरा किया।

(ख) तथा (ग) ऐसा समझा जाता है कि बंगलादेशी उद्यमियों के साथ प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की बातचीत मुख्यतया रसायन, वस्त्र तथा चलचित्र निर्माण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम की संभाव्यताओं पर केन्द्रित रही। व्यापार के विस्तार के सम्बन्ध में अभी तक सरकार को कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कर्नाटक में चित्र-दुर्ग को एक पर्यटक महत्व के स्थान के रूप में शामिल करना

9203. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कर्नाटक में चित्रदुर्ग को एक पर्यटक महत्व के स्थान के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) किसी स्थान को पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाये जाते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पर्यटक अभिरुचि के एक स्थान का अभिनिर्धारण विदेशी या स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की उसकी संभाव्यता और ऐतिहासिक, पुरातात्विक धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा प्राकृतिक दृश्य सम्बन्धी उसके महत्व पर आधारित होता है।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति

9204. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि विदिशा जिले के शीर्ष बैंक स्टेट बैंक आफ इन्दौर न कृषि, लघु सिंचाई, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, लघु उद्योग, स्वनियोजन योजना और डी० आर० आई० के लिए वित्त पोषण हेतु पिछले चार वर्षों के दौरान अर्थात् 31 मार्च, 1984 तक अपने जिला ऋण योजना में निर्धारण के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्त कर ली है; और

(ख) : यदि हां, तो विदिशा जिले में 1980 81, 19881-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान उपयुक्त शीर्षों में वित्त पोषण शाखावार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली से आंकड़ों का इस रूप में पता नही चलता जिसमें ये पूछे गए हैं। आंकड़े जिस प्रकार मांगे गए है। उस प्रकार आंकड़े एकत्रित करने में जितना समय, धन और श्रम खर्च करना पड़ेगा, निकलने वाले परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे।

अलबत्ता, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले की वार्षिक कार्यवाई आयोजनाओं के अधीन लक्ष्यों और उपलब्धियों की उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1981, 1982 तथा 1983 के वास्ते अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है :—

(लाख रुपये)

वर्ष	कृषि		उद्योग		सेवाएं		जोड़	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1981	684.04	675.76	25.24	46.06	32.32	88.50	741.60	810.32
1982	775.91	549.96	39.01	20.25	32.09	57.66	847.01	827.87
1983	697.60	617.24	32.45	50.90*	53.79	77.23*	783.84*	745.37

*सितम्बर 1983 तक

रायसेन जिले में कार्यरत सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्राप्त लक्ष्य

9205. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायसेन जिले के प्रमुख बैंक सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने गत चार वर्षों के दौरान अर्थात् 31 मार्च, 1984 तक अपनी वार्षिक ऋण योजना में परिकल्पित कृषि, लघु सिंचाई, समेकित ग्रामीण विज्ञा विकास कार्यक्रम, लघु दर्जे के उद्योगों सूक्ष्म-नियोजन योजना और डी० आर० आई० वित्त पोषण सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं; और

(ख) यदि हां तो रायसेन जिले में गत चार वर्षों के दौरान उपर्युक्त शीर्षों के अन्तर्गत किये गये वित्त पोषण का शाखा वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) आंकड़े एकत्रित करने की वर्तमान प्रणाली में सूचना उस रूप में नहीं रखी जाती जिस रूप में वह मांगी गई है । अलबत्ता, वर्ष 1980 से 1983 तक रामसेन जिले की वार्षिक कार्रवाही आयोजनाओं के अन्तर्गत सभी वित्तीय संस्थाओं के लक्ष्य तथा उनकी उपलब्धियां नीचे दी गई हैं ।

रामसेन जिले के वास्ते वार्षिक कार्रवाई आयोजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों के कार्य-निस्पादन

(लक्ष्य तथा उपलब्धियां—लाख रुपयों में)

वर्ष	कृषि		उद्योग		सेवाएं		जोड़	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1980	378.56	401.62	5.00	8.02	20.00	43.26	403.56	452.90
1981	579.25	583.47	12.71	22.64	23.22	81.83	555.18	687.94
1082	715.40	84.22*	26.46	5.04	22.30	11.10	764.16	110.46
1983	547.55	324.02**	5.068	14.24	43.76	31.78	641.99	409.94

*मार्च 1982 तक।

**सितम्बर, 1983 तक।

मैसर्स सोसियादेद-दे-फोमेन्टों इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० के कार्यकलापों की जांच

9206. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स सोसियादेद-दे-फोमेन्टों इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० के कार्यकलापों को मई, 1980 में राजस्व आसूचना द्वारा जांच की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कम्पनी से संबद्ध कितने मामलों की जांच की गई;

(ग) उनमें से कितने मामलों की जांच पूरी हो गई है;

(घ) शेष मामलों की जांच पूरी न होने के क्या कारण हैं;

(ङ) जिन मामलों में जांच पूरी हो गई है उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(च) जाच पूरी हुए उपर्युक्त मामलों के आकलन का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या शेष मामलों की जांच चालू वर्ष के अन्त तक पूरी हो जायेगी;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) आयकर विभाग ने राजस्व आसूचना के सहयोग से नहीं बल्कि प्रवर्तन निदेशालय के सहयोग से मैसर्स सोसियादेद-दे-फोमेन्टों इन्डस्ट्रियल प्राइवेट लि०, गोआ के मामलों में मई, 1980 में जांच-पड़ताल की थी।

(ख) से (छ) केवल एक मामले की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच पड़ताल की गई थी तथा जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई है और 16 फरवरी, 1982 को दो कारण बताओ नोटिस जारी करके मैसर्स सोसियादेद-दे-फोमेन्टों इण्डस्ट्रियल प्रा० लि०, इसके दो निदेशकों तथा एक प्रबन्धक के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनयमन अधिनियम के उपलब्धों के अन्तर्गत निम्नानुसार न्याय निर्णयन कार्यवाहियां आरम्भ कर दी गई हैं :

(1) 2,19;865.04 अमरीकन डालर की विदेशी मुद्रा को स्वदेश में वापिस नहीं भेजने के कारण विदेशी मुद्रा विनयमन अधिनियम, 1973 की धारा 14 का उल्लंघन; और

(11) 32,660.12 अमरीकन डालर की रकम को वसूल न करने के कारण विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 16 (1) का उल्लंघन।

विदेशी मुद्रा विनिययन अधिनियम के अन्तर्गत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किया जाने वाला कोई मामला शेष नहीं है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत न्याय निर्णयन कार्यवाहियां की जा रही हैं।

दूसरी तरफ, पकड़े गए रिकार्डों की छानबीन करने के बाद कर निर्धारण वर्ष 1 78-79 तथा 1979-80 के आयकर निर्धारणों को, मैसर्स सोसियादेद-दे-फोमेन्टों इन्डस्ट्रियल प्रा० लि०, गोआ के मामले में (इन दो वर्षों में) कुल क्रमश: 1.23 करोड़ रुपए की वृद्धि करके तथा 1.30 करोड़ रुपये की नामंजूरी दे कर अन्तिम रूप दे दिया गया है।

रेशम का आयात करने के लिए कर्नाटक सरकार का अनुरोध

9207. **श्री के० मालन्ना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने रेशम के आयात के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) कर्नाटक सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध किया है कि प्रतिपूर्ति योजना तथा अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत कच्चे रेशम का आयात रोक दिया जाये । जूंकि इन स्कीमों का उद्देश्य निर्यात बढ़ाना और अन्य मदों को कवर करना है, अत: कोई रोक लगाने का विचार नहीं है । तथापि, कच्चे रेशम के ए० एल० एस० आयातों के लिये 100% मूल्य वर्द्धन की शर्त लगाकर आयात में सख्ती कर दी गई है ।

स्टैंडर्ड सोने की कीमतें

9208. **श्री के० मालन्ना** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 के अन्त में और जनवरी, 1984 में स्टैंडर्ड सोने का प्रति दस ग्राम मूल्य कितना था;

(ख) क्या स्टैंडर्ड सोने की कीमतों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो वर्षवार कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) सोने की कीमतों में वृद्धि को रोकने और जनता को इसे उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) बम्बई में स्टैंडर्ड सोने की कीमत वर्ष 1979 के अन्त में 1308 रुपए प्रति दस ग्राम और जनवरी, 1984 के अन्त में 1900 रुपये प्रति दस ग्राम थी ।

(ख) जी, हां । बम्बई में 1979 से 1983 तक दिसम्बर के अन्त में स्टैन्डर्ड सोने की जो कीमत थी और उसमें जो वृद्धि हुई थी उसका वर्षवार ब्यौरा दिया गया है :

दिसम्बर के अन्तिम कार्य दिवस को	कीमत प्रति 10 ग्राम (रुपए)	वृद्धि (प्रतिशत)
1979	1308	53.88
1980	1690	29.20
1981	1725	2.07
1982	1750	1.45
1983	1875	7.14

(ग) सोना आवश्यक वस्तु नहीं है और इसकी कीमत के नियंत्रित करना आवश्यक नही समझा जाता है ।

लीजिंग वित्तपोषक कम्पनियां

9209. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में लीजिंग के माध्यम से वित्तपोषण में जिसकी मंजूरी उनके मंत्रालय द्वारा दी गई थी लगी हुई उन "लीजिंग" वित्तपोषक कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) उनके मंत्रालय के पास उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार उनके पास उनकी स्वयं की प्राधिकृत पूंजी की तुलना में कुल जमा राशि क्या है; और

(ग) उनके कार्यचालन और इस कार्य में लाभ कमाने पर भारतीय रिजर्व बैंक अथवा उनके मंत्रालय द्वारा क्या रोक लगाई जाती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान पैंतीस कम्पनियों को, जिनके उद्देश्यों में, अन्य उद्देश्यों के साथ बट्टांतरण (लीजिंग) भी एक उद्देश्य था पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत, 60.56 करोड़ रुपये मूल्य की पूंजी-शेयर तथा ऋणपत्र जारी किए जाने के लिए अनुमोदन किए गए। इन कम्पनियों के नाम संलग्न सारणी में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम
* 1.	ट्वेंटियथ सेंचुरी लीजिंग लि०
2.	लॉसविन बिजनेस फाइनेंस एण्ड लीजिंग कं० लि०
3.	फर्स्ट लीजिंग कं० आफ इंडिया लि०
4.	हाडा लीजिंग लि०
5.	बंगलौर लीजिंग लि०
* 6.	नागार्जुन फाइनेंस लि०
7.	एक्सप्रेस लीजिंग लि०
8.	मोहता फाइनेंस एण्ड लीजिंग कं० लि०
9.	रोस मुराकरा फाइनेंस लि०
10.	जिंदल लीजिंग लि०
11.	टाटा इंडस्ट्रीज लि०
12.	नागार्जुन इंवेस्टमेंट ट्रस्ट लि०
13.	स्टैन्डर्ड मेडिकल लीजिंग लि०
14.	दक्कन फाइनेंस एण्ड लीजिंग लि०
15.	फर्स्ट ग्रोथ फन्ड आफ इण्डिया लि०
16.	स्वदेशी लीजिंग कं० लि०
17.	इंटेग्रेटिड फाइनेंस कं० लि०

1	2
18.	परवरदिगार लीजिंग लि०
19.	मिडवेस्ट लीजिंग लि०
20.	मेग्ना लीजिंग एण्ड फाइनेंस लि०
21.	हिफको ग्रोथ फण्ड लि०
22.	न्यू सेंचुरी लीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लि०
23	प्रेसमैन लीजिंग लि०
24.	एच० बी० लीजिंग एण्ड फाइनेंस कं० लि०
25.	मर्केन्टाइल क्रेडिट कारपो० लि०
26.	ट्वेंटियथ सेंचुरी, ओरियन्ट लीजिंग लि०
27.	श्री मर्केन्टाइल लीजिंग एण्ड फाइनेंस कारपो० लि०
28.	मजदा लीजिंग लि०
29.	संचती लीजिंग लि०
30.	हिफ्को लीजिंग लि०
31.	स्टर्लिंग लीज फाइनेंस लि०
32.	मिडलैंड लीजिंग लि०
33.	अशोक लीजिंग एण्ड हायर पर्चेसिंग कं० लि०
34.	शक्ति फाइनेंस लि०
35.	बेंचर कैपिटल लीजिंग लि०

* क्रम संख्या 1 तथा 6 में दर्ज कम्पनियों को वर्ष 1983-84 के दौरान दो सहमति आदेश (कंसेंट आर्डर) दिए गए थे।

बिहार के व्यापारियों के यहां आयकर विभाग का छापा

9210. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि 'रांची एक्सप्रेस' और 'आवाज' नायक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है आयकर अधिकारियों ने जनवरी-फरवरी 84 में हजारीबाग, रामगढ़ और बिहार के कोयला क्षेत्रों में बड़े व्यापारियों के परिसरों पर छापे मारे और बड़ी संख्या में काला धन और जेवरात बरामद किए;

(ख) क्या यह आरोप लगाया गया है कि उक्त अधिकारों ने बाद में उन व्यापारियों से साठ-गांठ कर ली;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छापों के दौरान और छापों के बाद होने वाली संधावित अनियमितताओं को रोकने के लिए यह अनिवार्य बनाने का है कि जब्त की गई वस्तुओं और धनराशि दर्शने वाली सूची पर स्थानीय मुखिया, संरक्षक या वार्ड कमीश्नर के हस्ताक्षर कराए जाएं;

(घ) उक्त छापों के संबंध में जिन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनका ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस बारे में एक उच्चस्तरीय जांच करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) आयकर विभाग ने 5 दिसम्बर 1983 को रामगढ़, हजारी बाग और रांची में कर-निर्धारितियों के 5 समूहों के रिहायशी और व्यापारिक परिसरों की तलाशियां ली थी । इन तलाशियों में कुल लगभग 39.58 लाख रुपये की प्रथमदृष्ट्या लेखाबाह्य परिसंपत्तियां पकड़ी गई ।

(ख) रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री से इस आरोप की पुष्टि नहीं होती कि अधिकारियों और तलाशी ली गई पार्टियों के बीच कोई सांठ-गांठ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जिन समूहों की तलाशी ली गई थी, उनके नाम निम्नानुसार हैं :—

(i) शेख रसूल मोहम्मद एण्ड संस, रामगढ़ ।

(ii) हंसराज जैन ग्रुप, हजारी बाग ।

(iii) दशरथ प्रसाद अग्रवल ग्रुप, हजारी बाग ।

(iv) आर० एस० रुंगटा ग्रुप, रांची और रामगढ ।

(v) दीन दयाल द्रोलिया ग्रुप, रांची ।

धारा 132 (5) के अधीन जारी किए गए आदेशों में तमाम अधिगृहित संपत्तियों को रोक लिया गया है ताकि उन्हें कर-देयताओं के प्रति विनियोजित किया जा सके ।

(ङ) जी, नहीं ।

बंबई हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के बोइंग 707 की दुर्घटना के बारे में जांच न्यायलय के निष्कर्ष

9211. **श्री ब० वी० देसाई**
श्री दिगम्बर सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 जून, 1982 को बम्बई हवाई अड्डे पर हुई एयर इंडिया के बोइंग 707 की दुर्घटना के बारे में जांच न्यायालय के निष्कर्ष अब तक संसद में प्रस्तुत किए गए हैं;

(ख) क्या प्रेस में यह समाचार प्रकाशित हुए हैं कि जांच न्यायालय की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी वरन इसे जनता और संसद से गुप्त रखा जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) जांच न्यायालय के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार की सिफारिशों सहित रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां । परन्तु, प्रेस में प्रकाशित रिपोर्टें सरकार के विचारों को नहीं दर्शातीं।

(घ) और (ङ) जांच अदालत ने 65 सिफारिशें की हैं जिनकी सरकार द्वारा सिविल विमानन सचिव की अध्यक्षता में स्थापित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच की गई है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा सिफारिशों सहित जांच रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय सरकार द्वारा शीघ्र ही लिया जाएगा। इसके पश्चात् सरकार के निर्णय सहित रिपोर्ट से वायुयान नियम 1937 के उप-नियम 75 के उप-नियम 7 की शर्तों के अनुसार जनता को अवगत करा दिया जाएगा।

रिलाएंस टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज के विरुद्ध शिकायतें

9212. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या वाणिज्य मंत्री नकली कपड़े के संबंध में दिनांक 16 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4057 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब मामले की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिलाएंस टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने क्षेत्रीय कपड़ा आयुक्त, अमृतसर के कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा हस्तक्षेप करने पर कुछ कपड़ों को बदल दिया था परन्तु उस मिल के कपड़े से बने वस्त्रों को बदलने से इंकार कर दिया था क्योंकि धुलाई के पश्चात् उन पर से उस मिल की मुहर मिट गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह खण्ड अन्तःस्थापित करने के लिए कि आगे से कपड़ा उद्योग को कमीजों, पैंटों और सूटों के कपड़े पर अपनी मिल के चिन्ह बुनाई में अंकित करने होंगे, नियमों और विनियमों में कोई संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जी, हां। सरकार को वास्तविक शिकायतकर्त्ताओं की ओर से यह बताया गया है कि उनकी शिकायतों का सन्तोषपूर्ण निपटान हो गया है और अब प्रश्नाधीन मिलों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि शर्टिंग, पैंटों तथा सूटिंग से वस्त्रों में प्रतीक

चिन्ह बुनने के लिए मिलों को निर्देश देने संबंधी खण्ड शामिल करने के लिए वस्त्र नियंत्रण आदेश संशोधन किया जाये ।

मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में प्रशासी अधिकारी-2 के रिक्त पदों को भरा जाना

9213. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 1 मार्च, 1983 को प्रशासी अधिकारियों-2 के ऐसे रिक्त पद कितने थे । जिन्हें अब तक नहीं भरा गया है और प्रशासी अधिकारियों-2 के कुल कितने पद हैं ;

(ख) क्या प्रशासी अधिकारियों ग्रेड-2 के इतने अधिक पदों के इतने लम्बे समय से रिक्त पड़े रहने को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया जा रहा है कि ये सभी पद अनावश्यक हैं और इन्हें समाप्त किया जा सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन पदों को भरने के लिए इन तमाम वर्षों के दौरान क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सेना इंजीनियरी सेवा में 1 मार्च, 1983 को प्रशासनिक अफसर-II के कुल 113 पद प्राधिकृत थे जिनमें से 64 पद अभी तक खाली पड़े थे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ये पद अब भरे जा चुके हैं ।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा अंडमान और निकोबार प्रशासन को नौकाओं की सप्लाई

9214. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी समय पूर्व पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने अंडमान और निकोबार प्रशासन को नौकाओं की सप्लाई के लिए कई क्रयादेश (आर्डर) दिए थे;

(ख) यदि हां, तो यह क्रयादेश कब कितनी नौकाओं के लिए और किसको दिए गए थे,

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत सी नौकाओं की सप्लाई की तारीख समाप्त हो गई है और इनके निर्माण में बहुत कम प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो पूर्ति और निपटान महानिदेशालय का ऐसे सप्लाई कर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वजाय प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इसका ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दे दिया गया है।[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—8309/84]

आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तूफान की चेतावनी देने वाला यंत्र लगाना

9215. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के समुद्रतटीय क्षेत्रों में तूफान की चेतावनी देने वाला एक नया यंत्र स्थापित करने का विचार है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्ध ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में तूफान की चेतावनी देने की वर्तमान प्रणाली क्या है और इसे कहां संस्थापित किया गया है; और

(ग) क्या अन्य समुद्रतटीय क्षेत्रों में नया यंत्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागार विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हाँ, । संकट चेतावनी प्रणाली के नाम से जानी जाने वाली नई प्रणाली प्रयोगात्मक आधार पर मद्रास में लगाई जा रही है। यह प्रणाली समुद्रतटीय क्षेत्रों को चक्रवात चेतावनियां भेजने के लिए इनसैट-I बी का उपयोग करती है। प्रारंभ में इस प्रणाली का प्रयोग दक्षिणी आंध्र प्रदेश तथा उत्तरी तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्रों में किया जा रहा है।

(ख) चक्रवात चेतावनियों की मौजूदा प्रणाली में, भारतीय समुद्रों में परम्परागत मौसम चार्टों, चक्रवात पता-सूचक राडारों तथा उपग्रहों की सहायता से चक्रवातों का पता लगाना तथा उनका मार्ग-निर्धारण करना; तथा प्रभावित होने वालों को भू-स्थित संचार-माध्यमों द्वारा चक्रवत चेतावनियां देना सम्मिलित हैं। मौजूदा चक्रवात चेतावनी प्रणाली देश के पूरे समुद्र-तटीय क्षेत्र के के लिए है।

(ग) प्रयोगात्मक प्रावस्था को सफलता पूर्वक पूरा करे लिए जाने के पश्चात्, नई प्रणाली को, प्रावस्थाओं में, अन्य समुद्र-तटीय क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।

भारतीय स्टेट बैंक में गोदाम दरबान को गोदाम कीपर/क्लर्क के पद पर पदोन्नति करना

9216. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक में गोदाम दरबान को गोदाम कीपर/क्लर्क के पद पर पदोन्नति देने के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को कुल सेवा में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक में लिपिकीय ग्रेड में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अनेक गोदाम दरबान पात्र हैं;

(घ) यदि हां, तो "केपशन्ड प्रमोशन टैस्ट" में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को इसे राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह छूट देने के बावजूद लिपिकीय अनुसूचित ग्रेड के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गोदाम दरबानों को पदोन्नति न देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या भारत सरकार के मार्ग-निर्देशों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के नियमों में संशोधन किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए बैंकों पर लागू आरक्षण नीति के अनुसरण में ग्रेडों या सेवाओं में पदोन्नति के ऐसे मामले में कोई आरक्षण नहीं होता है जिसमें प्रत्यक्ष भर्ती 66-$\frac{2}{3}$ प्रतिशत से अधिक हो। चूंकि भारतीय स्टेट बैंक में लिपिकीय भर्ती संवर्ग की प्रतिशतता ऊपर बताई गयी प्रतिशतता से अधिक है इसलिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए गोदाम दरबान से गोदाम कीपर/लिपिक में पदोन्नति के लिए आरक्षण लागू नहीं होता।

भारतीय औद्योगिक पुर्नर्माण निगम द्वारा आत्म निर्भर बनाये गये बड़े और लघु एकक

9217. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़ तथा लघु रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या क्या है जिन्हें भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा अपने स्थापन उद्देश्य के अनुरूप इनको ऋण सुविधायें उपलब्ध कराकर आत्म-निर्भर बनाया गया है तथा इस प्रकार के प्रत्येक एकक को कितनी धन राशि का ऋण उपलब्ध कराया गया और क्या इस समय ये एकक ऋण धनराशि को लौटाने की स्थिति में है; और

(ख) अब तक इन रुग्ण एककों को कुल कितनी धनराशि के ऋण दिये गए और इसमें से कितनी धनराशि वसूल नहीं की जा सकी ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 29-2-1984 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम (आई० आर० सी० आई०) ने 181 एककों को 175.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी थी। इनमें से 10 एककों ने निगम के प्रति कुल

529.73 लाख रुपये की अपनी पूरी देनदारी चुका दी है और 73 एकक निगम को समय पर पूरी-पूरी अदायगी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 17 एककों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। बाकी एककों में से 56 एककों ने या तो मूल की वापसी-अदायगी में या ब्याज की अदायगी या दोनों में ही चूक की है। भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम ने बाकी 25 के खिलाफ बकाया रकमों की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिसम्बर, 1983 के अन्त की स्थिति के अनुसार मूल और ब्याज के अन्तर्गत चूक की राशि 57.14 करोड़ रुपये थी। फिर भी; चूक की राशि को वसूल न हो सकने वाली राशि नहीं माना जा सकता क्योंकि निगम अतिदेय राशियों की वसूली के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। सरकारी वित्तीय संस्थाओं (विश्वासनीयता और गोपनीयता के प्रति बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के संदर्भ में आई० आर० सी० आई० के अलग-अलग संघटकों के कार्यों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती और इस प्रकार अलग-अलग एकक को संवितरित ऋण राशि नहीं बतायी जा सकती।

दिल्ली में प्रगति मैदान साइडिंग को शुष्क पत्तन क्षेत्र घोषित किया जाना

9218. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रगति मैदान साइडिंग को शुष्क पत्तन क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शुष्क पत्तन की स्थापना के माध्यम से आयातकों और निर्यातकों को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) प्रगति मैदान में रेलवे विभाग द्वारा एक अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो स्थापित किया गया है जिसमें आद्योपान्त लदान-पत्र के आधार पर बम्बई बन्दरगाह से होकर निर्यात और आयात कार्यों की सीमा शुल्क जांच, कन्टनरों में परिवहन की आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था है। इसे सी० बी० ई० सी० द्वारा अधिसूचना संख्या 302/83 सीमा शुल्क, दिनांक 10-11-83 द्वारा अधिसूचित किया गया है। जहां तक कन्टेनरों के संचलन का सम्बन्ध है, सीमाशुल्क जांच, प्रलेख-पोषण और परिवहन सम्बन्धी सभी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

विद्युतीकरण और आधुनिकीरण के लिए विश्व बैंक से ऋण

9219. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण के कार्यक्रम के लिए 35 करोड़ डालर के विश्व बैंक ऋण को मार्च, 1984 के अन्त तक अन्तिम रूप दिया जाना था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे अन्तिम रूप देने के लिए वाशिंगटन से एक उच्चस्तरीय अधिकारी दल आया था;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है; और

(घ) इस ऋण से कौन-कौन सी योजनाएं प्रारम्भ की जाएंगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) रेलवे विद्युतीकरण और कार्यशाला आधुनिकीकरण परियोजना के वास्ते 26 करोड़ डालर के ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ वाशिंगटन में 28 मार्च से 3 अप्रैल, 1984 तक बातचीत हुई थी।

(घ) इस परियोजना में भारतीय रेलवे के लगभग 3000 कि० मी० लम्बे मुख्य मार्गों के विद्युतीकरण और छः चुनी हुई कार्यालयों एवं मद्रास की इन्टीग्रल कोच फैक्टरी के आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है।

चावल का निर्यात

9220. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में बासमती चावल और अन्य किस्म के कितने चावल का निर्यात किया गया है और कौन से देश को कितने चावल का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या वर्ष 1984-85 में चावल का निर्यात करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-सरकारी एजेंसी को चावल निर्यात करने की अनुमति है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पूरा निर्यात सरकारी अजेंसी के माध्यम से न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सीधे निर्यात करने का अनुरोध किया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1983-84 के दौरान बासमती चावल का निर्यात अनन्तिम रूप से 83,350 मे० टन रहा जिसका मूल्य 54.24 करोड़ रुपये है। देशवार निर्यात निम्नोक्त प्रकार है :—

देश	मात्रा (मै० टन)	मूल्य (लाख रुपये)
सोवियत संघ	19,634	1,080
बंगला देश	10,856	597
साउदी अरब	16,558	1,140
कुवैत	11,876	853
दुबई	5,055	371
मस्कत	1,904	135
ब्रिटेन	9,187	667
सं० रा० अमरीका	3,078	260

1983-84 के दौरान गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति नहीं दी गई।

(ख) तथा (ग) वर्ष 1984-85 की निर्यात नीति में 6000 रुपये प्रति मै० टन एफ० ओ० बी० की न्यूनतम कीमत के अध्यधीन खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत बासमती चावल के निर्यात की व्यवस्था है। 1984-85 के दौरान गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति नहीं है। सरकारी अभिकरणों तथा गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा बासमती चावल का निर्यात किये जाने की अनुमति है।

(घ) राज्य सरकार के अभिकरण निर्यात नीति के अनुसार बासमती चावल का निर्यात करने के हकदार हैं।

महालेखाकार, बिहार द्वारा भविष्य निधि लेखाओं के विवरण (स्टेटमेंट) जारी करने में विलम्ब

9221. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य निधि अधिनियम में राज्य सरकारों के अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर भविष्य निधि लेखाओं के विवरण (स्टेटमैंट) जारी करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बिहार के महालेखाकार कार्यालय ने बिहार सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 1981-82 1982-83 और 1983-84 के भविष्य निधि लेखा विवरण अभी तक जारी नहीं किये हैं,

(ग) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के कारण क्या हैं;

(घ) क्या इस कारण अधिकारियों और कर्मचारियों को भारी आर्थिक कठिनाई हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कर्यवाही किये जाने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) महालेखाकार बिहार ने बिहार सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वित्तीय वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 से सम्बन्धित भविष्य निधि खातों के विवरण पत्र जारी नहीं किये हैं। महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में भविष्य निधि लेखाओं को दर्ज करने से सम्बन्धित काम मुख्यतः बिहार में खजाना-कार्यालयों तथा लोक निर्माण प्रभाग द्वारा लेखाओं को लगातार बिलम्ब से प्रस्तुत किए जाने तथा कर्मचारियों की कमी के कारण बकाया में पड़ गया। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें कि खजाना-कार्यालयों तथा लोक निर्माण प्रभाग द्वारा लेखाओं को समय पर प्रस्तुत किया जाए। मई, 1981 में राज्य सरकार ने भविष्य निधि लेखाओं के रख-रखाव से सम्बन्धित कार्य महालेखाकार से लेने का प्रस्ताव किया था। कार्य के ऐसे अन्तरण से महालेखाकार के कार्यालय में कर्मचारियों के फालतू हो जाने की प्रत्याशा में, महालेखाकार के कार्यालय में कर्मचारियों की और आगे भर्ती किए जाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन राज्य सरकार ने बाद में (अप्रैल, 1982 में) यह निर्णय किया कि अगले 5-6 वर्षों तक उनके लिए भविष्य निधि लेखाओं से सम्बन्धित कार्य अपने पास लेना सम्भव नहीं होगा। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव द्वारा उत्पन्न हुई अनिश्चितता जो कि लगभग 1 वर्ष तक बनी रही तथा इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की कमी के कारण भविष्य निधि का कार्य और पीछे पड़ गया।

भविष्य निधि से अग्रिम/आहरण कार्यालयध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, न कि महालेखाकार द्वारा कार्यालयध्यक्षों द्वारा अंशदाताओं के पास पहले से ही उपलब्ध विवरणों में दिखाये गए अधिशेषों में उनके द्वारा अदा किए गए मासिक अंशदानों को जोड़कर तथा बीच अवधि में उन्हें स्वीकृत किए गए आहरण/अग्रिम यदि कोई हों, को उसमें से घटाकर इस प्रकार के अग्रिम/आहरण स्वीकृत करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

अंशदाताओं की सेवा-निवृति/मृत्यु/त्याग-पत्र के परिणाम स्वरूप अन्तिम आहरण महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत किए जाते हैं तथा भविष्य निधि खातों के संकलन में बकाया पड़े काम के कारण ऐसी अदायगियां नहीं रोकी जाती हैं क्योंकि ऐसे मामलों में अन्तिम अदायगियां लेखाओं के संकलन की औपचारिकता का पालन किए बिना आहरण और संवितरण अधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर की जाती हैं।

महालेखाकार की बकाया में पड़े भविष्य निधि लेखाओं के संकलन को शीघ्रता से पूरा करने के लिए परन्तु कार्यवाई करने की सलाह दी गयी है। इस कार्य की प्रगति की देख-रेख भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा की जा रही है।

सरकारी उपक्रमों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पुस्तिका का जारी किया जाना

9222. **श्री भीखाभाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं, जिन्होंने भर्ती करने वाले अधिकारियों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों से सम्बद्ध व्यक्तियों के मार्गदर्शन और लाभ के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण पुस्तिका जारी की है;

(ख) प्रत्येक मामले में प्रकाशन का वर्ष क्या है;

(ग) क्या ऐसी पुस्तिकाओं को अद्यतन बना दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (घ) अन्तिम जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

कुंजपुरा के सैनिक स्कूल में दिल्ली के विद्यार्थी

9223. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कोई भी सैनिक स्कूल नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन स्कूलों में प्रवेश के लिए दिल्ली से चुने गए विद्यार्थियों को सैनिक स्कूल, कुंजपुरा भेजा जाता है, दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की अदायगी दिल्ली प्रशासन करता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले दिल्ली के विद्यार्थी माने जाते हैं और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी के मूल राज्य को ध्यान में रखा जाता है। दिल्ली प्रशासन से छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों को दिल्ली का छात्र माना जाता है।

सीमा शुल्क समाहर्ता, बम्बई द्वारा निवारक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए रोस्टर का न बनाया जाना

9224. **श्री टी० एम० सावन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क समाहर्ता, बम्बई द्वारा निवारक अधिकारियों की सीमा शुल्क अधीक्षक ग्रुप "ख," के ग्रेड में पदोन्नति के लिए रोस्टर रखने सम्बन्धी सरकारी आदेशों का उनके प्रवृत्त होने की तारीख से कार्यान्वयन नहीं किया गया; और

(ख) यदि नहीं, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जातियों के ऐसे अधिकारियों, जिन्हें रोस्टर न बनाये जाने के कारण नुकसान हुआ है, को यथोचित वरिष्ठा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, नहीं। सीमा शुल्क समाहर्ता, बम्बई सीमा शुल्क अधीक्षक (निवारक) के ग्रेड में निवारक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए रोस्टर उसी तारीख से रख रहा है जिस तारीख से ग्रुप "ख" पदों पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में आरक्षण आदेश लागू हुए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निरीक्षण महानिदेशालय में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का स्थानान्तरण

9225. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिवीजनल मुख्यालय सी० आई० एस० बी० देहू रोड और सी० आई० एच० बी० आवर्ड में कितने (एक) सैनिक अधिकारी और (दो) असैनिक अधिकारी वहां पर पांच वर्ष से अधिक समय से हैं; और

(ख) डी० जी० आई० की पांच वर्ष के बाद स्थानान्तरण की नीति के अनुसार इन अधिकारियों का स्थानान्तरण न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) निरीक्षण निदेशालय (वाहन), डी० आई० वी० (न कि विभागीय मुख्यालय) सी० आई० एस० वी० देहू रोड और सी० आई० एच० वी० में ऐसे सिविलियन अफसरों (रक्षा गुणवत्ता नियंत्रण सेवा) और सेना अफसरों की, जिन्होंने 5 साल से अधिक की सेवा पूरी कर ली, की संख्या इस प्रकार है :

स्थान	सिविलियन अफसर गुणवत्ता नियंत्रण)	सेना अफसर
डी० आई० वी० मुख्यालय	2	4
सी० आई० एस० वी० देहू रोड	3	2
सी० आई० एच० वी० (आबड़ी)	4	1

(ख) निरीक्षण महानिदेशालय के जिन अफसरों ने एक स्थान पर 5 साल तक काम कर लिया है उन्हें स्थानान्तरित करने की नीति अन्य स्थापनाओं में नए अफसर लाने और इन अफसरों को अपने सेवा काल में विभिन्न किस्म का अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई है। ये स्थानान्तरण आमतौर पर इसी नीति के आधार पर किये जाते हैं लेकिन संगठन के सुचारू संचालन के हित में हर बार इस नीति का अनुसरण करना कठिन होगा इसलिए अफसरों को कुछ विशिष्ट कारणों से जैसे—काम की विशेष अपेक्षाएं, प्रशासनिक कठिनाइयां आदि के कारण 5 साल से अधिक के लिए रोका जा सकता है।

निरीक्षण महानिदेशालय के सैनिक अधिकारियों के लिए मकानों के अलग पूल का निर्माण

9226. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरीक्षण महानिदेशालय कोष से सैनिक अधिकारियों और सिविलियन अधिकारियों के लिए अलग मकान बनाए गए है;

(ख) क्या यह सच है कि निरीक्षण महानिदेशालय में थलसेना अधिकारी केवल सैनिक अधिकारियों के सैनिक पूल में से मकान पाने के हकदार हैं;

(ग) मद्रास, बंगलौर, पुणे जैसे स्थानों पर सैनिक पूल के मकानों का लाभ न उठाकर निरीक्षण महानिदेशालय के सैनिक अधिकारियों के लिए अलग पूल बनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) मद्रास, बंगलौर, पुणे, देहू रोड, डिघी जैसे स्थानों पर कितने सैनिक अधिकारियों और सिविलियन अधिकारियों को निरीक्षण महादिदेशालय पुल से मकान दिए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्थिति इस प्रकार है।

स्थान	सैन्य अफसर	सिविलियन अफसर
(i) मद्रास (आवड़ी सहित)	14	34
(ii) बंगलौर	25	शून्य
(iii) पुणे	16	4
(iv) देहू रोड	8	4
(v) डिघी	8	14

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अर्जित प्लाटों का खाली पड़े रहना

9227. **श्री विजय कुमार यादव**
श्री सी०टी० दण्डपाणि : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पट्टे "अन्तरण" खरीद के जरिये अथवा अन्यथा अर्जित कितने प्लाट खाली पड़े हैं;

(ख) प्रत्येक प्लाट कहां स्थित है, प्रत्येक प्लाट का आकार क्या है और प्रत्येक सम्पत्ति में अब तक कितना निवेश किया गया है;

(ग) क्या इनमें से प्रत्येक प्लाट पर होटल बनाने या पर्यटन आधारभूत ढांचे का विकास करने का योजना में कोई प्रावधान था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अब तक अर्जित प्रत्येक सम्पत्ति के सम्बन्ध में योजना की क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) सूचना नीचे दी जाती है :

स्थान का नाम	प्लाट का एरिया (एकड़ में)	नियोजित पूंजी (लाख रुपयों में)
आगरा	2.195	13.07
ग्वालियर	2.50	0.15
चण्डीगढ़	2.98	पट्टा (लीज) आधार पर; अभी तक कोई पूंजी नियोजित नहीं की गई।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम ने आगरे में 195 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 40 कमरे वाले एक 4-स्टार होटल के निर्माण का निर्णय लिया है। 1984-85 के लिए भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना में 185 लाख रुपये का एक प्रावधान शामिल किया गया है। होटल के आंशिक रूप से 1985 के मध्य तक चालू हो जाने की सम्भावना है। अन्य स्थानों पर परियोजनाओं पर बाद की अवस्था में विचार किया जाएगा ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ की व्यापक खेती

9228. **श्री सन्तोष मोहन देव**
श्री एस०टी० सिदनाल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ की व्यापक खेती की योजना को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रबड़ बागान के शीघ्र विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक परियोजना स्वीकृत की है । 84-85 से 86-87 तक के दौरान रबड़ बागान के अन्तर्गत 9000 हैक्टेयर भूमि लाने का लक्ष्य है । इस परियोजना में इस क्षेत्र में बोर्ड की संघटनात्मक मशीनरी को मजबूत करने तथा गतिशील बनाने, अनुसंधान कार्यकलापों को व्यापक आधार देने तथा बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और प्रशिक्षण आयोजित करने एवं सूचना तथा संचार सेवाओं में सुधार लाने की व्यवस्था है । तीन वर्ष के बाद इस योजना की समीक्षा की जाएगी और इसके आधार पर इसको आगे जारी रखने पर विचार किया जाएगा ।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से कृषि और कृषि पर आधारित उत्पादों का निर्यात

9229. **श्री सन्तोष मोहन देव)** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से कृषि पर आधारित उत्पादों का निर्यात सन्तोषजनक नहीं है;

(ख) क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कृषि उत्पादों के निर्यात विकास हेतु कोई कार्यक्रम निर्धारित किया गया गया है; और

(ग) इस क्षेत्र में निर्यात मे वृद्धि गति प्रदान करने का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) संचार सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण देश के उत्तर-पुर्वी क्षेत्र से कृषि और कृषि पर आधारित उत्पादों के निर्यातों का विकास कुछ धीमी गति से हुआ है ।

(ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से कृषि उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम की स्थापना की गई है ।

(ग) प्रोत्साहन, नकद मुआवजा सहायता तथा विभिन्न कृषि तथा कृषि पर आधारित उत्पादों, जिनमें ताजे फल आदि शामिल हैं, के निर्यात पर प्रतिपूर्ति लाइसेन्सों के रूप में दिये जाते हैं ।

निर्यात सम्बन्धी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारतीय निर्यात संगठन परिषद् द्वारा किया गया अध्ययन

9230. **डा० प्रताप वाघ**
श्री हरीश रावत } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान निर्यात सम्बन्धी लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिये बिजली और परिवहन जैसी मूल व्यवस्थाओं में सुधार करने के सम्बन्ध में भारतीय निर्यात संगठन परिषद् द्वारा किये गये अध्ययन की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) बिजली और कोयले के उत्पादन में कम क्षमता के उपयोग के लिये जिम्मेदार कारणों का पता लगाया गया है; और

(ग) रेलवे वैगनों और पटरियों की स्थिति में सुधार करने और बन्दरगाहों में भी भीड़-भाड़ को समाप्त करने के लिये कौन से उपाय सरकार के पास विचाराधीन हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) बिजली की कम क्षमता के उपयोग के लिए अभिज्ञात किए गए कारण हैं :

(i) नई एककों का अस्थिरीकरण;

(ii) लम्बी अवधि तक बिजली को जबरन उपयोग में न लाना;

(iii) प्रारंभिक डिजाइन की त्रुटियों और साथ ही संयंत्र के पुराने पड़ जाने के कारण संयंत्रों तथा उपकरणों में कमियों;

(iv) संचालन में कमियों, अतियगित तथा अपर्याप्त रख-रखाव;

(v) व्यवस्थित मांग की गया । पावर की अपर्याप्त निकासी;

(vi) कोयले की घटिया किस्म ।

(ग) वैगनों तथा पटरियों की स्थित में सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया है। पुराने वैगनों के स्थान पर आधुनिक डिजाइन का स्टाक लगाया जाता है । और, इसी प्रकार पटरियों के स्तर में धीरे-धीरे सुधार किया जा रहा है ।

जहां तक बन्दरगाहों पर भीड़-भाड़ को कम करने के संबंध में कदम उठाए जाने का प्रश्न है, निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(i) प्रयोगता मंत्रालयों/विभागों/सरणीकरण अधिकरणों से निवेदन किया गया है कि वे भीड-भाड़ को दूर करने की दृष्टि से उतारे गए माल के संचलन को सुनिश्चित करें ।

(ii) शिपिंग कम्पनियों, शिपिंग एजेंटों आदि से बन्दरगाहों पर तेजी से लदान तथा उतराई के लिए सभी संभव सहयोग देने का निवेदन किया गया है ताकि पोतों के वापसी समय में सुधार किया जा सके ।

(iii) बीच समुद्र में माल उतारने को प्रोत्साहित करने के लिए, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने आंशिक रूप से माल उतारने के लिए आर्थिक सहायता को 30 रु० से बढ़ाकर 45 रु० प्रति मे० टन कर दिया है और पोतों को पूर्ण रूप से खाली करने पर आर्थिक सहायता को 60 रु० से बढ़ाकर 90 रु० प्रति मे० टन कर दिया है।

(iv) बम्बई में पंजीकरण तथा क्यू में शामिल होने के लिए बन्दरगाह पर वापसी के समय को 21 दिन से बढ़ाकर 35 दिन कर दिया गया है।

(v) एक अन्तरिम कन्टेनर प्रबन्ध योजना को आरम्भ करके 1-2-83 से बम्बई बन्दरगाह पर कन्टेनर हैंडलिंग कार्य को सुव्यवस्थित कर दिया गया है।

(vi) आगे चलकर भीड़-भाड़ की समस्या हल करने के लिए बढ़ते हुए यातायात को हैंडल करने के लिए बन्दरगाहों की क्षमता में वृद्धि की जा रही है। 6 मिलियन मे० टन की वार्षिक क्षमता वाले नये न्हावा शेवा बन्दरगाह की स्वीकृति भी सरकार द्वारा दे दी गई है।

पश्चिम एशिया को तम्बाकू उत्पादों के निर्यात के लिए सर्वेक्षण

9231. **डा० प्रताप वाघ**
श्री एस० वी० सिदनाल } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय तम्बाकू उत्पादों का पश्चिम एशिया को निर्यात करने की संवेदनाओं का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण लिया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में बेहतर निष्पादन के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) चुनिन्दा मध्य पूर्व तथा एशियाई देशों में तम्बाकू उत्पादों के लिए एक बाजार सर्वेक्षण भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार सर्वेक्षण बाजारों में सभी तम्बाकू उत्पादों अर्थात सामान्य तौर पर सिगरेटों, हुक्का तम्बाकू, पेस्ट, बीड़ियों, चबाने के तम्बाकू, जर्दा सुगन्धित तम्बाकू; नसवार, सिगारों तथा चैरूटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों और विशेष तौर पर सिगरेटों, हुक्का तम्बाकू पेस्ट तथा चबाने के तम्बाकू के निर्यात के बढ़ाने की गुंजाइश है।

(घ) सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू विनिमाताओं द्वारा अपने उत्पाद सर्वेक्षण में अभिज्ञात क्षेत्रों में अधिक मात्रा बेचने के प्रयास किये जा रहे हैं। इन उत्पादों के विस्तार के लिए गुंजाइश के बारे में और उनकी निर्यातों में वृद्धि के लिए उपाय अपनाने के लिए तम्बाकू उत्पादों को निर्यातकों पर जोर देने के लिए जल्दी ही इस सम्बन्ध में बम्बई में एक संगोष्ठी आयोजित करने का बोर्ड का भी प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश के विदिशा और रासेन जिलों में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया और स्टेट बैंक आफ इंदौर की नए शाखाएं खोलना

9232. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया और स्टेट बैंक आफ इंदौर ने मध्यप्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों में नई शाखा खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारतीय रिजर्व बैंक के पास स्वीकृति के लिए कितने आवेदनपत्र लम्बित हैं; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक को उनकी स्वीकृति देने में कितना समय लेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विदिशा जिले के बसोडा में शाखा खोलने के वास्ते सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का सिर्फ एक आवेदन उसके पास लम्बित पड़ा है और इस आवेदन पर जल्दी ही निर्णय लिए जाने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि इसके अलावा सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया या स्टेट बैंक आफ इंदौर का विदिशा या रायसेन जिलों के अन्य किसी केन्द्र पर शाखा खोलने के लिए कोई आवेदन विचाराधीन नहीं है।

मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बैंकों की नई शाखाएं खोलना

9233. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपनी नई शाखाएं खोलने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार विदिशा जिले में नई शाखाओं की गुंजाइश है; और

(घ) यदि हां, तो जनसंख्या के आधार पर कितनी नई शाखाएं खोली जा सकती हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में नई शाखाएं खोलने के लिए अनुमति के वास्ते उसके पास सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सिर्फ दो आवेदन लम्बित पड़े हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

आवेदक बैंक	केन्द्र का नाम
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	बसोडा
बैंक आफ इंडिया	विदिशा

ये आवेदन अब भारतीय रिजर्व बैंक के बिचारधीन हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत जिसकी अवधि अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक है, मार्च, 1985 तक (1981 की जनगणना के आधार पर) प्रत्येक जिले के ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में औसतन 17,000 की आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय का लक्ष्य प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। यह अनुमान लगाया गया था कि विदिशा जिले के लिये इस लक्ष्य को प्राप्त करने के वास्ते 12 और बैंक कार्यालयों की आवश्यकता होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 10 शाखाएं खोलने के लिए पहले ही प्राधिकार-पत्र जारी कर दिये हैं।

विदेशों में जीवन बीमा निगम का व्यापार

9234. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम विदेशों में व्यापार कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले कुछ वर्षों में जीवन बीमा निगम द्वारा विदेशों में किए जा रहे व्यापार में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पिछले वर्षों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) व्यापार में लगातार कमी आने के क्या कारण हैं; और स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) जीवन बीमा निगम बाहर के तीन देशों में अर्थात् फीजी, मारीशस तथा यूनाइटेड किंगडम में नया कारबार कर रहा है। वर्ष 1980-81 से 1982-83 के दौरान इन तीन देशों में किए गये कारबार का ब्यौरा इस प्रकार है :–

वर्ष	पालिसियों की संख्या	बीमाकृत राशि (करोड़ रुपये)
1980-81	3,628	14.23
1981-82	3,560	16.74
1982-83	4,534	25.25

यद्यपि वर्ष 1982-83 के दौरान यूनाइटेड किंगडम में जीवन बीमा निगम के कारबार में कुछ कमी हुई है जिसके लिए वहां मंदी की स्थिति को दोषी ठहराया गया है, लेकिन कुल मिलाकर जीवन बीमा निगम ने कारबार में वृद्धि ही हुई है।

दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव

9235. **श्री कुंवर राम** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा जनवरी, 1983 से 1 फरवरी, 1984 तक की अवधि के दौरान पारित प्रस्तावों का विषय क्या है;

(ख) उनमें से कितने प्रस्तावों को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(ग) ऐसे कितने प्रस्ताव हैं जिनको कार्यान्वित नहीं किया गया है और उनको कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) दानापुर छावनी बोर्ड ने 1 जनवरी, 1983 से 1 फरवरी, 1984 तक की अवधि के दौरान 105 संकल्प पारित किए।

ब्यौरे अनुबंध "क" में दिये नए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एस० टी० 8310/84]

(ख) छावनी बोर्ड ने 15 अप्रल, 1984 तक 100 संकल्पों को कार्यान्वित कर दिया हो।

(ग) पांच संकल्पों को कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसके कारण संलग्न अनुबंध "ख" में दिए गये हैं।

[ग्रंथालय 3 रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 8310/84]

आय-कर विभाग द्वारा 1984 में देश व्यापी तलाशियों में पकड़ी गई सम्पत्ति

9236. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग ने इस वर्ष फरवरी में देशव्यापी तलाशियों में 3.789 करोड़ रुपये के मूल्य की लेखाबाह्य परिसंपत्तियां पकड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो आयकर विभाग द्वारा इस प्रकार की तलाशियां किन-किन स्थानों पर ली गई और धनराशि पकड़ी तथा जब्त की गई तथा ये छापे कौन से राज्यों में मारे गए;

(ग) क्या आय-कर विभाग ने तलाशियां मार्च, 1984 के महीने में जारी रखीं।

(घ) यदि हां, तो इन तलाशियों में अब तक कुल कितनी धनराशि पकड़ी गई है; और

(ङ) जिन लोगों के पास लेखाबाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) 1984 के दौरान आयकर विभाग ने 342 तलाशियां लीं तथा 3.89 करोड़ रुपये मूल्य की प्रथम दृष्टया लेखाबाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी।

ली गई तलाशियों की भारी तादाद को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले के बारे में सूचना देना व्यवहार्य नहीं है। तथापि यदि माननीय सदस्य किसी तलाशी विशेष के सम्बन्ध में सूचना चाहते हों तो वह प्रस्तुत की जा सकती है।

(ग) और (घ) मार्च, 1984 के दौरान ली गई 511 तलाशियों में लगभग 1.51 करोड़ रुपये मूल्य की प्रथम दृष्टया लेखाबाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गयीं।

(ङ) विभिन्न प्रत्यक्ष-कर अधिनियमों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए पकड़े गए दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है।

भारत से हेलीकाप्टर का ठेका प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस का ऋण प्रस्ताव

9237. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन से भारत ने हेलीकाप्टर का ठेका प्राप्त करने के लिए एक मुश्त (पैकेज) सोदे के रूप में आसान शर्तों पर पर्याप्त राशि का ऋण देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या फ्रांस ने भी 27 हेलीकाप्टर सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय द्वारा दोनों प्रस्तावों पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो हेलीकाप्टर प्राप्त करने के लिए अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) भारतीय वायुसेना तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए हेलीकाप्टर प्राप्त करने का एक प्रस्ताव भारत के विचाराधीन है। इन हैलीकाप्टरों की सप्लाई करने के प्रस्ताव फ्रांस तथा ब्रिटेन के निर्माताओं से प्राप्त हुए हैं। इन हैलीकाप्टरों को प्राप्त करने के लिए धन देने के कुछ प्रस्ताव फ्रांस तथा ब्रिटेन की सरकारों से प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं। इन प्रस्तावों के ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

इन्डियन सिविलियन नेवल डाकयार्ड हाउसिंग कालोनी बम्बई में रहने वाले स्थानान्तरणीय और अस्थानान्तरणीय कर्मचारी

9238. **डा सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पवाई मंदुप (कंजूर मार्ग), बम्बई में इंडियन सिविलियन नेवल डाकयार्ड हाउसिंग कालोनी में रहने वाले स्थानान्तरणीय और अस्थानान्तरणीय कर्मचारियों की कुल प्रतिशतता कितनी है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : स्थानान्तरणीय कर्मचारियों का प्रतिशत 6 है और अस्थानान्तरणीय कर्मचारियों का प्रतिशत 94 है।

मंत्रालयों को कपड़े की सप्लाई

9239. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों को पृथक-पृक राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में तैयार किया गया कितना कपड़ा सप्लाई किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र

निगम ने पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, की मार्फत रक्षा मंत्रालय को 18.82 लाख मीटर कपड़ा तथा सरकारी विभागों को 76.11 लाख मीटर कपड़ा एवं 4000 अदद चादरें सप्लाई कीं ।

पाकिस्तान और भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मामले में संयुक्त मूल्य निर्धारण नीति

9240. **श्री जी० वाई० कृष्णन**
श्री अमर राय प्रधान } : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए उद्योगपतियों और व्यापारियों द्वारा एक संयुक्त मूल्य-निर्धारण नीति तैयार किए जाने के सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच कोई करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं । भारत और पाकिस्तान द्वारा निर्यात की जाने वाली मदों के लिए संयुक्त कीमत निर्धारण नीति बनाने के लिए दोनों देशों के बीच कोई करार नहीं हुआ है । तथापि, भारत-पाक संयुक्त आयोग की पिछली बैठक में तीसरे देशों के साथ उनके व्यापार के लिए सामान्य रुचि वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में बाजार आसूचना का आदान-प्रदान करने का निश्चय किया गया ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

मैसर्स इंडियन मैटल्स एंड फैरो एलायस लिमिटेड, उड़ीसा द्वारा चार्ज क्रोम का निर्माण

9241. **श्री रेशमा मोती राम भोये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स इंडियन मैटल्स एण्ड फैरो एलायस लिमिटेड उड़ीसा ने थेरूबाली स्थित अपने एकक में चार्ज क्रोम का निर्माण, बिना आवेदन किए तथा उत्पादन शुल्क अधिकारियों से इस प्रयोजन हेतु कोई उत्पादन लाइसेंस प्राप्त किए बिना शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस फर्म ने चार्ज क्रोम का अनधिकृत उत्पाद किस तारीख से प्रारम्भ किया था;

(घ) उत्पादन लाइसेंस मिलने से पहले फर्म ने कुल कितनी मात्रा में चार्ज क्रोम का उत्पादन किया और उत्पादन लाइसेंस प्राप्त करने की तारीख से पहले कारखाने के परिसर से कुल कितनी मात्रा में इस प्रकार के चार्ज क्रोम को हटा दिया गया;

(ङ) क्या इस सारे मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराने का स रकार का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो उत्पाद नियंत्रण अधिनियम, 1944 और उसके नियमों का उल्लंघन करने के लिए इस फर्म के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) जी, हां। मैं० इंडियन मेटल एण्ड फैरो एलायस लि०, उड़ीसा ने केन्द्रीय उत्पादन सुल्क लाइसेंस हेतु आवेदनपत्र पेश किए बिना और लाइसेंस को प्राप्त किए बिना थेरूबली स्थित अपने एकक में अप्रैल, 1983 से 31-7-1983 तक चार्ज क्रोम का निर्माण किया।

(घ) मैं०-इण्डियन मेटल एण्ड फैरो एलायस लि० ने एल-4 लाइसेंस की मंजूरी से पहले शुल्क की अदायगी करके लगभग 4600 मी० टन चार्ज क्रोम का निर्माण किया और लगभग 665 मी० टन चार्ज क्रोम की निकासी की।

(ङ) जी, नहीं।

(च) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के उपबंधों और इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अधीन फर्म को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और मामला न्यायनिर्णयाधीन है।

मैं० जैन शुद्ध वनस्पति लि० द्वारा साख पत्र खोले जाने की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच

9242. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मैं० जैन शुद्ध वनस्पति द्वारा गाय की चर्बी का आयात करने हेतु न्यू बैंक आफ इंडिया में 13-10 करोड़ रुपये की साख पत्र खोले जाने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच की है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को जांच में गाय की चर्बी के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने की तरीख से पहले की तारीख दिखने हेतु उक्त साख पत्र के खोले जाने में कई अनियमिततायें, झूठे दस्तावेज तैयार किये जाने, कागजों में जालसाजी किये जाने और बैंक अधिकारियों की सांठ-गांठ होने का पता चला है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार से इस मामले की सी० बी० आई० द्वारा जांच कराये जाने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ङ) यदि सी० बी० आई० द्वारा जांच का आदेश नहीं दिया गया है, तो सरकार ने इस मामले में अन्य क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ड.) राष्ट्रीकृत बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के उपबन्धों के अनुसार और बैंकों में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार किसी ग्राहक के कार्यों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती । फिर भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मामले की जानकारी है और अभी भी जांच चल रही है ।

"पार्क स्पार्कर्स बाई" इनवेस्थर्स', शीर्षक से प्रकाशित समाचार

9243. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पार्क इन्वैस्टमैंट्स नामक फर्म की गतिविधियों की ओर आकर्षित किया गया है, जो लोगों को "वेलफेयर लोन डिपोजिट स्कीम" में निवेश पर प्रतिशत/ब्याज देती है;

(ख) यदि हां, तो मालिक का नाम, उनकी गतिविधियां तथा विभिन्न निवेश योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस फर्म द्वारा, विशेष कर पश्चिमी बंगाल बिहार, बम्बई और अन्य स्थानों पर कुल कितनी निवेश जमा एकत्र की गई है;

(घ) क्या ब्याज अथवा जमा राशि की अदायगी न किए जाने के बारे में जनता से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ड.) क्या वित्त विभाग का ध्यान 7 जनवरी, 1984 के बिलटज में "पार्क स्पार्क्स बाई इनवैस्टर्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो क्या इस फर्म के कार्यचालन की कोई जांच की गई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय और विदेशी मुद्रा रखने पर गिरफ्तारी

9244. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के श्री राज्यपाल सिंह अरोड़ा एवं मन्जीत सिंह अरोड़ा को अगस्त, 1983 के प्रथम सप्ताह में पालत हवाई अड्डे पर भारी मात्रा में विदेशी एवं भारतीय मुद्रा के साथ उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वे जापान एयर लाइन्स की उड़ान पर जाने की कोशिश कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है; जांच के क्या परिणाम निकले हैं और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि न्यायालय में मुकदमा चलाया गया तो उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या जांच से पता चला है कि दोषी व्यक्ति विदेशी मार्क वाले लिपिस्टिक के खाली ब्रोज़ नियमित रूप से चोरी छिपे लाते थे और उनका उपयोग बाजार में नकली लिपिस्टिक बेचने के लिये अपने द्वारा बनाये गये लिपिस्टिक सामान को भरने के लिये करते थे; और यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ.) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की आयकर के अपवंचन की जांच के लिए मामला निदेशित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) सीमा शुल्क अधिकारियों ने दिनांक 4-8-1983 को श्री राजपाल सिंह अरोड़ा और श्री मन्जीत सिंह अरोड़ा को उस वक्त पालम हवाई अड्डे पर रोका था जब वे जापान एयर लाईंस की उड़ान संख्या जे० एल०-462 के द्वारा बैंकाक जाने के वास्ते सीमा शुल्क-निकासी हेतु उपस्थित हुए । उनके असबाब की जांच की गई और उनकी जामा तलाशी ली गई, जिसके फलस्वरूप श्री राजपाल सिंह आरोड़ा से 739 अमेरिकी डालर, 2 सिंगापुरी डालर तथा 15,139 रुपये की भारतीय मुद्रा और श्री मन्जीत सिंह अरोड़ा से 15,100 रुपये बरामद किए । उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनपर सीमा शुल्क अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया था । अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली की माननीय अदालत ने दिनांक 13-2-1984 को इन दोनों व्यक्तियों को दोषी ठहराया था और राजपाल सिंह अरोड़ा और मन्जीत सिंह अरोड़ा पर क्रमशः 7,500 रुपये 7,000 जुर्माना किया ।

उनके मामलों पर दिनांक 15-2-1984 को विभागीय तौर पर भी न्यायनिर्णयन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पकड़ी गई भारतीय तथा विदेशी मुद्रा पूर्णतया जब्त कर ली गई और उन दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का व्यक्तिगत अर्थ-दण्ड लगाया गया ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ.) जी, नहीं ।

योजना आयोग द्वारा कपड़ा और रेशे के उत्पादन का अनुमान

9245. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान संगठित कपड़ा उद्योग, पावरलूम, हथकरघा क्षेत्र से कपडे और रेशे के कितने उत्पादन का अनुमान लगाया गया है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन तीन क्षेत्रों में वास्तविक रूप में कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या उपर्युक्त तीन क्षेत्रों में से प्रत्येक में प्राधिकृत स्थापित क्षमता के बने रहने पर प्रति व्यक्ति उपभोग की पूर्ति हुई है;

(घ) यदि नहीं तो क्या सुधारात्मक उपाय किये जाने का विचार है; और

(ङ) उपर्युक्त तीनों क्षेत्रों में स्थापित क्षेत्र की तुलना में क्षमता लक्ष्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के लिए कपड़े तथा धागे का वास्तविक उत्पादन तथा वर्ष-वार प्रक्षेपण दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) तथा (घ) वास्तविक प्रति व्यक्ति खपत, मुख्यतया सूती कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत में गिरावट आने के कारण लक्ष्य की तुलना में कम रही है । तथापि, यदि गैर सूती तथा ब्लैंडिड मिश्रित कपड़े की खपत को समुचित प्रवर्धकों सहित सूती समतुल्यों में परिवर्तित कर दिया जाय, तो भी लक्ष्य से प्रति व्यक्ति खपत में अन्तर महत्त्वपूर्ण नहीं होगा ।

(ङ) कताई क्षेत्र में स्थापित क्षमता पहले ही योजना लक्ष्य से अधिक हो चुकी है । बुनाई क्षेत्र की क्षमता योजना लक्ष्य के अनुकूल है ।

विवरण

1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के लिए कपड़े तथा धागे का वास्तविक उत्पादन, तथा वर्षवार प्रक्षेपण

कपड़ा : मिलियन मीटर
धागा : मिलियन कि.ग्रा

वर्ष	मिल क्षेत्र		हथकघा क्षेत्र		विद्युत करण क्षेत्र		कुल	
	(ला)	(वा)	(ला)	(वा)	(ला)	(वा)	(ला)	(वा)
1981-82	4533 (1300)	4058 (1249)	3300	3126	3607	3797	11,440	10,981
1982-83	4565 (1325)	3455 (1218)	3550	3288	3650	3871	11,765	10,614
1983-84	4350 (1327)	3933 (1344)	3600	3479	3800	4545	11,750	11,957*

(व)=धागा (ल)=लक्ष्य

*=अनुमानित (वा)=वास्तविक

50 यात्री ले जाने वाली उड़ानों को वायुदूत के साथ संबंध करने के बारे में बिलिमोरिया समिति की सिफारिश

9246. **श्री हरीश रावत**
श्री अमर राय प्रधान } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या वायुदूत के गठन के संदर्भ में बिलिमोरिया समिति ने सिफारिश की है कि 50 अथवा इससे कम यात्री ले जाने वाली सभी उड़ानों को वायुदूत के साथ सम्बद्ध किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) यह सुझाव देते समय कि, वायुदूत को एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के सम्बन्ध में अवश्य ही पूरक तथा अनुपूरक भूमिका अदा करनी चाहिए, बिलिमोरिया समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की है कि 50 तथा इससे कम सीटों की क्षमता वाले विमानों का प्रयोग करने वाली सेवाओं को वायुदूत द्वारा प्रचलित किया जाना चाहिए। परन्तु सरकार ने श्री बिलिमोरिया की इस सिफारिश पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

युनाइटिड कमर्शियल बैंक कि शाखाओं द्वारा कमजोर वर्गों को दिए गये ऋण

9247. **हरीश रावत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा जिले में युनाइटेड कमर्शियल बैंक की शहर फाटक और मिक्यासैंण शाखाओं ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कमजोर वर्गों को कितनी राशि के ऋण प्रदान किये;

(ख) क्या इन शाखाओं ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने लक्ष्यों से कहीं कम ऋण प्रदान किये; और

(ग) यदि हां, तो इन शाखाओं के कार्यकरण में सुधार लाने के लिऐ क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वर्तमान आंकड़ा सूचना पद्धति से उस प्रकार शाखा वार जिला वार आंकड़े प्राप्त सूचना नहीं होती जिस ढंग से प्रश्न में पूछा गया है।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में बैंकों की शाखाएं खोलना

9248. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 से 1979 तक की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलो में विभिन्न बैंकों की कुल कितनी शाखायें हैं/खोली गयी और 1980 से अब तक कितनी शाखायें खोली गई हैं और ये शाखायें किन स्थानों पर खोली गई हैं;

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान इन दो जिलों में किन स्थानों में बैंक खोले जाने का विचार है ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये उनके मामले में बैंको की शाखायें खोलने के लिये निर्धारित मानदंडों में कोई छूट दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना क्रमश: संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दी गई है ।

(ग) इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुऐ बैंक कार्यालय खोलने के लिए निर्धारित मानदंडों का भारतीय रिजर्व बैंक बहुत सख्ती से पालन नहीं करता और बैंकिंग सुविधाओं की आवश्यकता, केन्द्रों की सम्भावनाओं बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में स्थानिक दूरी आदि को देखते हुए अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने की अनुमति दे देता है ।

विवरण I

जिला	बैंक का नाम	निम्नलिखित अवधि के दौरान खोली गई शाखाओं के नाम	
		1969 से 1979	1980 से 30-9-83 तक
1	2	3	4
अल्मोड़ा	भारतीय स्टेट बैंक	1. चम्पावत	1. भत्रावल्कंडा
		2. बागेश्वर	2. सीतला खेत
		3. चौखुटिउ	3. बग्बली
		4. द्वाराहाट	4. पोखर
		5. गरूड़	5. मज्खली
		6. सनेश्वर	
		7. बेडिछिना	
		8. पन्नुनालु	
		9. मोलीखाल	
		10. त्रिखेत	
		11. स्यालदिह	
		12. काफलीगेर	
		3. लमगाड़ा	
		14, दाण्या	
	बैंक आफ इण्डिया	15. अल्मोड़ा	
	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	16. कोसी बाजार (हवलबाग)	

1	2	3	4
	न्यूबैंक आफ इण्डिया	—	6. महाकालेश्वर
	ओरियन्ट बैंक आफ कामर्स	—	7. देघाट 8. बामासु
	पंजाब नेशनल बैंक	17. अल्मोडा	—
		18. बानीखेत	
	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	19. भीखीयासेन	
		20. कोसानी	
		21. अल्मोड़ा	
		22. कोपकोट	
		23. सहरफाटक	
	लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि०	24. देवली खेत	9. चौदा
		25. मनीला	
		26. मसी	
	नैनीताल बैंक लि०	27. बागेश्वर	10. बनलेख
पिथौरागढ़	भारतीय स्टेट बैंक	1. धरचुला	1. देवसाल
		2. डाडीहट	2. गनाई गंगोलि हट
		3. जलाघाट	3. वाकाकोट
		4. थोल	4. पती
		5. गंगोली हाट	5. नानचिनी
		6. वेरीनग	6. जौलजिवी
		7. मुंसियारी	
		8. कनालीछिना	
		9. खेती खान	
		10. लाहाघाट	
	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	11. कटारा गुलाब सिह	
		12. वड्डा	
		13. अस्कोट	
		14. चौरापिटा	
	नैनीताल बैंक लि०	15. लोहाघाट	7. देवी धूरा
		16. चम्पावत	

विवरण II

उन स्थानों के नाम जहां 1984-85 के दौरान अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में शाखाएं खोलने के वास्ते बैंकों के पास प्राधिकार पत्र विचाराधीन पड़े हैं ।

जिला	बैंक का नाम	केन्द्र का नाम
	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	वोलाघाट
अल्मोड़ा	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	हररा
		गुम्टी सरियाखेत
		इराव
		बसुली-सेरा
		कावेसिन
		बसौली
		खरियका खंकट
		औद्योगिक क्षेत्र कोप खूट
	नैनीताल अल्मोड़ा	मेगड़ी स्टेट
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बमराड़ी
		खराड़ी
		खदीगांव
		चौवटिया
		मनैली
		अल्मोडा
		धरमगढ़
		सामा
		जैति
		बसियछियत
		बजुला
		भडटोला
		पिल्खोली
पिथौरागढ़	भारतीय स्टेट बैंक	पोखरी

पठानकोट में जी० आर० ई० एफ० के असैनिक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

9249. **श्री आनन्द पाठक**
श्री फूल चन्द वर्मा } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पठानकोट में कार्यरत जी० आर० ई० एफ० के लगभग 288 असैनिक कर्मचारियों ने वर्ष 1979 के दौरान हड़ताल की थी और प्रदर्शन किया था और उनमें से लगभग 286 कर्मचारियों को वेतन-दण्ड दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं तो संबंधित अधिकारियों द्वारा इस बारे में सूचित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) पठानकोट में कार्यरत जी० आर० ई० एफ० के 232 कर्मचारियों ने 1979 के दौरान हड़ताल और प्रदर्शन किया था। इन कर्मचारियों के खिलाफ निम्नलिखित कार्यवाही की गई :

	कर्मचारियों की संख्या
(i) वेतन का दण्ड	2
(ii) एक वेतन वृद्धि रोकना	3
(iii) चेतावनी	191
(iv) निन्दा	3
(v) छुट्टी देकर अनुपस्थिति नियमित की गई	33
योग	232

उनकी मांगों का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

इन गतिविधियों से सरकार को सूचित किया गया था।

अनधिकृत बिजली चालित करघे

9250. **श्री भीखाभाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनधिकृत बिजली चालित करघों के मालिकों को तीन अवसर प्रदान किए गये थे;

(ख) 23 दिसम्बर, 1982 को अन्तिम प्रेस नोट जारी करने के क्या कारण थे जबकि उन्हें अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 1982 दी गई थी;

(ग) अनधिकृत बिजली चालित करघों के मालिक इतनी कम अवधि में अपेक्षित औपचारिकताओं का किस सीमा तक अनुसरण कर पाये; और

(घ) इन सुविधाओं को आगे 31 दिसम्बर, 1984 तक न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1979 के दौरान विद्यमान बिजली करघों के नियमिती-करण के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त किये गये।

वर्ष 1981 में घोषित वस्त्र नीति के अनुसरण में 31-3-81 को यथास्थिति विद्यमान बिजली करघों के नियमिती-करण के लिए आवेदन-पत्र स्वीकार किए गये। आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख निर्धारित की गई, तब इसे सभी बिजली करघों के लागू किया गया। सूती बिजली करघों के मामले में आवेदन-पत्र के साथ उत्पादन शुल्क लाइसेंस भी प्रस्तुत करना होता था। इस कारण की वजह से सूती बिजली करघों के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तारीख आगे 31-12-82 तक बढ़ाई गई।

(ख) संघों द्वारा किए गये अभ्यावेदनों के आधार पर 31-12-8 तक की समय वृद्धि गैर-सूती बिजली करघों के लिए भी दी गई।

(ग) चूंकि मौके पहले भी दिए जा चुके थे और गैर-सूती बिजली करघों के मामले में आवेदन-पत्रों के साथ उत्पादन शुल्क लाइसेंस भी प्रस्तुत नहीं किया जाना था। अतः यह नहीं किया जाना था अतः यह नहीं कहा जा सकता कि औपचारिकताओं को पूरा करने की कार्यवाही नये सिरे से करनी पड़ी।

(घ) सरकार ने समयावधि आगे नहीं बढ़ाई ताकि बिजली करघों के अनधिकृत विकास को प्रोत्साहित किया जा सके और साथ ही हथकरघों का संरक्षण किया जा सके।

वर्ष 1971 के बंगलादेश युद्ध के घटनाक्रम का पुनर्मूल्यांकन

9251. **श्री सूरजभान**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1971 के बंगलादेश युद्ध के घटनाक्रम का पुनः मूल्यांकन करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया जा रहा है जिसके मुख्य सम्पादक राष्ट्रीय अभिलेखागार के भूतपूर्व निदेशक हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है तथा इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा; और

(ग) इस परियोजना का प्रयोजन क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) राष्ट्रीय अभिलेखागार के भूतपूर्व निदेशक डा० एस०

एन० दास के अधीन एक अनुसंधान दल गठित किया गया है जो 1971 के सामरिक घटनाक्रम का विस्तृत इतिहास तैयार करेगा ।

(ख) दो वर्ष की अवधि के लिए इस परियोजना का अनुमानित खर्च लगभग 15.60 लाख रुपये रखा गया है ।

(ग) परियोजना का उद्देश्य 1971 के सामरिक घटनाक्रम का एक प्रमाणीय विवरण प्रस्तुत करना है ।

ईराक में भारतीय कम्पनियों को भुगतान न किया जाना

9252. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय निर्माण एजेंसियों को इराक़ सरकार ने विश्व के उस भाग में संघर्ष के कारण अदायगी लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) भारतीय फर्मों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और अदायगी की क्या स्थिति है और हमारी बकाया राशि की वसूली की क्या संभावनाएं हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) 1983 तथा 1984 में किए गये काम तथा किए जाने वाले काम के सम्बन्ध में भुगतानों के लिए भारतीय संविदाकारों को भुगतान सुलभ कराने हेतु भारत सरकार ने इराक सरकार के साथ करार किये हैं ।

चालू भुगतान करार में शामिल की गई परियोजनाओं की सूची संलग्न है । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एस० टी०—8311/84]

देश में हीरे संसाधित करने के एकक स्थापित करना

9253. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में हीरे संसाधित करने के एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो 1984-85 के वित्तीय वर्ष के दौरान हीरे संसाधित करने के कितने एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त एकक कौन-कौन से स्थानों पर लगाये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सोवियत शिष्टमंडल का भारत का दौरा

9254. **श्री बी० वी देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक उच्चाधिकार प्राप्त सोवियत शिष्टमंडल टैक्नोलोजी के

स्थानान्तरण के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के साथ विचार-विमर्श करने के लिए जनवरी, 1984 में भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो टैक्नोलोजी के स्थानान्तरण के लिये सोवियत दल ने किन विषयों पर विचार-विमर्श किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ था;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त समझौते को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) भारत को सोवियत मशीनों तथा उपकरणों का निर्यात बढ़ाने तथा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के उद्देश्य से सोवियत संघ के विदेश व्यापार उप मंत्री श्री एन० एन० स्मैलीकोव के नेतृत्व में एक सोवियत प्रतिनिधिमंडल 18 जनवरी, 1984 से 2 फरवरी, 1984 तक भारत के दौरे पर आया। प्रतिनिधिमंडल ने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित सरकारी विभागों तथा साथ ही सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्यमों के साथ विचार-विमर्श किए। इस सम्बन्ध में सरकारी स्तर पर कोई करार नहीं हुए।

हांगकांग में रहने वाले अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

9255. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1997 में ब्रिटेन और चीन के बीच की संधि की अवधि समाप्त हो जाने की दृष्टि में रखते हुए हांगकांग में रहने वाला भारतीय समुदाय अन्य देशों में उद्योगों में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करने के अवसरों की तलाश कर रहा है;

(ख) क्या अन्य दक्षिण एशियाई देश अपने देशों में उनसे पूंजी निवेश कराने के लिए उन्हें आकर्षित करने हेतु कदम उठा रहे हैं; और

(ग) हमारी सरकार इन अनिवासी भारतीयों को भारत में उद्योगों की स्थापना करने के प्रति आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एम० कृष्ण) : (क) से (ग) अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश को बढ़ावा देने के लिए टोकियो स्थित भारतीय निवेश केन्द्र का कार्यालय हांगकांग में स्थित हमारे मिशन के साथ निकट का सम्पर्क बनाए हुए हैं। प्रचार तथा सम्वर्धन सम्बन्धी प्रयासों को तेज कर दिया गया है और सम्भावित निवेशकों के साथ, उनको भारत में निवेश के अवसरों की जानकारी देते हुए, सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है। भारतीय निवेश केन्द्र 17 तथा 18 मई, 1984 को एक गोष्ठी का आयोजन कर रहा है, जिसमें बहुत से सम्भावित निवेशकर्ता तथा भारत की ओर से औद्योगिक विकास के कार्य से सम्बद्ध भारत के विभिन्न विभागों तथा संस्थानों के कार्यकारी तथा अफसरों का एक उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधि मण्डल भी भाग लेगा।

सिंगरौली कोयला क्षेत्र के विकास के लिए विश्व बैंक ऋण

9256. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंगरौली कोयला क्षेत्र के विकास के लिए विश्व बैंक के साथ 151 मिलियन डालर के ऋण का एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) करार की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मण्डल ने 20 मार्च, 1984 को सिंगरौली कोलफील्ड में स्थित दुधिचुआ ओपन पिट कोल माइन के प्रारम्भिक विकास के लिए 15.1 करोड़ डालर के एक ऋण का अनुमोदन किया है।

(ख) यह विश्व बैंक ऋण दुधिचुआ कोयला खान के विकास के प्रथम चरण को समर्थन प्रदान करेगा, जिसका लक्ष्य लगभग 50 लाख मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का स्तर स्थापित करना है।

(ग) यह विश्व बैंक ऋण 5 वर्ष की रियायती अवधि सहित 20 वर्ष के लिए दिया गया है जिस पर ब्याज की परिवर्तनशील दर लागू होती है जो बैंक ऋणों की लागत से जुड़ी है और आजकल 10 8 प्रतिशत प्रति वर्ष है। इस ऋण की असंवितरित शेष रकमों पर 0.75 प्रतिशत के हिसाब से वार्षिक वचनबद्धता प्रभार और ऋण की राशि पर 0.25 प्रतिशत के हिसाब से प्रारम्भिक शुल्क (फ्रंट एण्ड फी) लगेगा

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि पंजाब में, विशेषकर फिरोजपुर जिले में जो कि आपका जिला है, स्थिति काफी खराब है और वहां गोलीबारी की घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह आप का जिला है। आपको इसमें विशेष रुचि लेनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरा जिला मेरा है। आपका बहुत-बहुत धयबाद। किन्तु यह लोगों और सरकार के बीच है। जो कुछ भी वहां हो रहा है उस पर आप बहस कर सकते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : आप डा० स्वामी से पूछें कि वह क्या भला काम करके आये हैं। मेरा नाम दर्ज करवा आए हैं, मेरे नाम चिट्ठी लिखवा दी है और श्री बाजपेयी का नाम कटवा आए हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं आपका ध्यान 'टाइम्स ऑफ

इण्डिया' में प्रकाशित, "शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के संविधान के अनुच्छेद 25 का संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्ताव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अब उन्होंने अनुच्छेद 25 के संशोधन पर सिख गुरुद्वारा प्रबन्ध कमेटी की राय जानने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा प्रबन्धक कमेटी को लिखे पत्र की एक फोटोस्टेट कापी भी प्रकाशित की है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यही बात उन्होंने सदन में कही है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : किन्तु उन्हें सदन में आना चाहिए क्योंकि पहले दिन उन्होंने यह नहीं बताया कि संशोधन के बारे में पत्र में क्या है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि आप अनुच्छेद 25 में संशोधन के बारे में बोलने की अनुमति नहीं देते तो आप मुझे बोलने से तो मत रोकिए आप मुझे बोलने की अनुमति तो दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न वार्ता का है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह चर्चा करेंगे। यही तो उन्होंने कहा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, अनुच्छेद 25 में परिवर्तन के बारे में जिसके बारे में वार्ता चल रही है, हम विरोध प्रकट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। किन्तु आपकी सहमति के बिना यह कैसे चल सकती है। इसे लागू करने से पहले यह सदन में आयेगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि वोट क्लब पर पार्लमेन्ट की महिला संसद सदस्यों के नेतृत्व में एक दहेज-विरोधी प्रदर्शन हो रहा है—दहेज विरोधी एकता समिति की तरफ से···

अध्यक्ष महोदय : सरकार डावरी बिल ला रही है।

श्री राम विलास पासवान : नहीं ला रही है सरकार।

अध्यक्ष महोदय : अगर नहीं ला रही है, तो पूछेंगे। मैं समझता हूं कि आपने पूछा था और उन्होंने आश्वासन दिया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : जी नहीं। उनका कहना है कि वह इसी सत्र में लाने का प्रयास करेंगे। हम निश्चित आश्वासन चाहते हैं।

श्री राम विलास पासवान : सरकार की ओर से किसी को आश्वासन देना चाहिए।

श्री संतोष अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, सरकार कोई निश्चित आश्वासन दे कि इसे इसी सत्र में लाया जायेगा।

श्री राम विलास पासवान : आप एश्योर कीजिए सदन को कि आप सरकार से इसको लाने के लिए कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप की बात पहुंचा दूंगा।

श्री आर० एच० राकेश (चैल) : 353 में आपने ल रूलिंग देने की बात कही थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल आया है मेरे पास जवाब, उसको पढ़कर बताऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे नवीनतम उत्तर मिल गया है। मैं आपको बता दूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मंत्री जी यहां हैं।

श्री राम विलास पासवान : मिनिस्टर साहब आ गये हैं, उनसे आप कहिए।

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सदन में आऊंगा। मैं सूचना प्राप्त कर रहा हूं। मैंने बहुत उत्सुक हूं। और हमारी प्रधान मन्त्री भी काफी उत्सुक हैं। महोदय, मैं जांच करूंगा आपको नवीनतम-स्थिति से अवगत कराऊंगा।

हम इसे इसी सत्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, प्रयास करना आश्वासन नहीं है क्या यह सुस्पष्ट है ? मंत्री को यह वायदा करना चाहिए कि वह इसी सत्र में लायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे देखेंगे।

12.04 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 1984; वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1984 और पंजाब पर्यटन विकास निगम लि० के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि को 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा-पटल पर रखे जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण

पर्यटन और नगर विमान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) वायुमान अधिनियम, 1984 की धारा 14क के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1984, जो 31 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 246 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(दो) वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 1984, जो 31 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 340 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी०—8229/84]

(2) पंजाब पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के वर्ष, 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं को लेखावर्ष की समप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०—8226/84]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सदैपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 222 के अन्तर्गत नोटिस दी है । डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आ गई है । मैं कर रहा हूं मैंने इसे भेज दिया है मैं इस मामले पर विचार कर रहा हूं । मुझे तथ्य प्राप्त कर लेने दीजिए

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष जी कालाजार से सैकड़ों लोग मर रहे हैं । ··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए भी कर रहा हूं । 2 तारीख को रख रहा हूं । मैं प्राप्त कर रहा हूं । मैंने इसे 2 मई के लिए स्वीकार कर लिया है ।

डा० वंसत कुमार पण्डित (राजगढ़) : महोदय फिरोजशाह रोड़ पर एक युवती को जला दिया गया पुलिस को जांच करने से रोका गया ।

अध्यक्ष महोदय : वह कानून व व्यवस्था की समस्या है यह एक व्यक्तिगत मामला है । यह पुलिस थाना नहीं है कि ये बातें रिकार्ड की जायें ।

डा० वसंत कुमार पण्डित : क्या आप पूछताछ कर रहे है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं क्यों करूंगा ? पूछताछ गृह मंत्रालय का काम है ?

डा० वसंत कुमार पण्डित : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है

अध्यक्ष महोदय : यह कानून व व्यवस्था की समस्या है पण्डित जी।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी पंजाब में रेन्यूड वायलेन्स में 6 आदमी मारे गए हैं। ···(**व्यवधान**)

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : अध्यक्ष जी मैंने आपसे निवेदन किया था कि फसल के समय पर किसानों द्वारा उत्पादित चीजों के दाम बहुत गिर जाते हैं, इस विषय पर आपने बहस कराने के लिए कहा था।

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर भी बहस करेंगे। वह भी करवाऊंगा। मैं वादे से नहीं मुकरा हूं लेकिन आप कालिंग अटेंशन जरूर दे दिखिएगा।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल : महोदय विपक्ष दो माननीय सदस्य डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को स्वर्ण मन्दिर के शांत वातावरण में दो संतों की मेजबानी करने का गौरव प्राप्त हुआ है। सदन यह जानना चाहेगा कि क्या उन्होंने किसी दल का पता लगाया है·····

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से मैं इसमें सम्बन्धित नहीं हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : जी हां, मैं वक्तव्य देने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी, नही। जी, नहीं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, मैंने एक कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। पंजाब में रेल पटरियां उखाड़ी गई हैं। आप सुन लीजिए हम रेल मन्त्री से जानना चाहते हैं क्या वहां पर सभी रेलें बन्द कर दी गई हैं और रेलों का कुल कितना नुकसान हुआ है। गृह मन्त्री से तो कह-कह कर हम हार गए, अब रेल मन्त्री से जानना चाहते हैं कि वहां पर रेलों को कुल कितना नुकसान पहुंचा है ?

श्री मोतीभाई आर चौधरी (मेहसाना) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में भी हजारों लोग बीमारी से मर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कहा है मैंने कि मैं कर रहा हूं।

श्री मोतीभाई आर चौधरी : यह सारे देश की बीमारी है।

अध्यक्ष महोदय : सारे देश की बीमारी के लिए ही, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहा हूं।

श्री मोतीभाई आर चौधरी : आप मलेरिया की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सारी बीमारियों की बात कर रहा हूं। एक बीमारी का क्या करना, बीमारी तो सारे काटेंगे तो सर्वश्री होगा।

12.05½ म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—जारी

भारतीय काजू निगम लि० कोचीन; काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोचीन प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल, नई दिल्ली की वर्ष 1982-83 वार्षिक रिपोर्ट और नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लि० कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि को 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, श्री निहार रंजन लश्कर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय काजू निगम लिमिटेड कोचीन के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, कोचीन, का वर्ष 1982-83 कार्यवार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—8230/84]

(2) (एक) काजू निर्यात संघ ने परिषद्, कोचीन के वर्ष, 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोचीन, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—8231/84]

(3) (एक) प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 8232/84]

(5) नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8233/84]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1984 और केन्द्रीय राजस्व खेल बोर्ड के वर्ष 1979-80 और 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और यनमक अधिनियम 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम 1984 की एक फति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) जो 14 अप्रैल 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 374 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8234/84]

(2) (एक) केन्द्रीय राजस्व खेल बोर्ड दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय राजस्व खेल बोर्ड दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केन्द्रीय राजस्व खेल बोर्ड दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय राजस्व खेल बोर्ड दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (2) और (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—8235/84]

इलायची बोर्ड, कोचीन; रबड़ बोर्ड कोट्टायम; अहामदाबाद टेक्स-टाइल रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद; बंबई टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई; इंडस्ट्रीज साऊथ इण्डिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन कोयम्बटूर और नार्दन इण्डिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 1982-83 के वार्षिक और काफी बोर्ड के वर्ष 1982-83 (सामान्य निधि) लेखाओं का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) इलायची बोर्ड कोचीन के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) इलायची बोर्ड, कोचीन, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) इलायची बोर्ड कोचीन के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी०—8236/84]

(2) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा पारीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०—8237/84]

(3) अहमदाबाद टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०—8238/84]

(दो) बम्बई टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०—8239/84]

(तीन) साउथ इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०—8240/84]

(चार) नार्दन इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद, के वर्ष 1982-83

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापोक्षित लेखें ।

(पांच) अहमदाबाद टैक्सटाइल इंडस्ट्रीयल रिसर्च एसोसिएशन अहमदाबाद, बम्बई, टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन बम्बई, साउथ इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर और नार्दन इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—8241/84]

(5) काफी बोर्ड के वर्ष 1982-83 (सामान्य निधि) के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—8242/84]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

69वीं से 76वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : महोदय मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 69 वीं से 76 वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना सभा को देता हूं :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 22 मार्च, 1984 को हुई अपनी बैठक में पारित विश्व-भारती (संशोधन) विधेयक, 1984 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।"

विश्व-भारती (संशोधन) विधेयक

(राज्य सभा द्वारा यथा पारित)

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथा पारित विश्व-भारती (संशोधन) विधेयक, 1984 सभा पटल पर रखता हूं ।

लोक लेखा समिति

191 वां 203 वां और 209 वां प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 197 वां और 202 वां प्रतिवेदन

श्री सुनील मंना (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन संघ सरक (डाक तथा तार) के विजयवाड़ा ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज के विस्तार, टेलीफोना राजस्व की बकाया राशियों और अतिरिक्त राशियों के बिल बनाये जाने, एस० टी० डी० बन्द्र किये जाने और टेलीफोन सम्बन्धी शिकायतों से संबंधित पैरा 16 के बारे में **191वा** प्रतिवेदन ।

(2) अस्थायी निर्धारणों और राशियों की वापसी से सम्बन्धित प्रत्यक्ष करों के सम्बन्धमें समिति के 100वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में **197 वां** प्रतिवेदन ।

(3) गैर-सरकारी पार्टियों को पट्टे पर दी गई भूमि के सम्बन्ध में रेलवे की बकाया राशिों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में समिति के 94 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में **202 वां** प्रतिवेदन ।

(4) भारत के नियंत्रक—महालेखा परीक्षक के वर्ष 1980-81 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां खंड II के भाव बताये गये शेयरों के गलत मूल्य निर्धारण और पिछले वर्ष के परिवर्तन के अभाव से संबंधित प्रत्यक्ष करों के पैरा 4.07 (चार और 4.15 के बारे में **203 वां**-प्रतिवेदन ।

(5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1981-82 के अग्रिम प्रतिवेदन संघ सरकार (रेलवे) के मध्य रेल की उपनगरीय सेवाओं के कार्यकरण से सम्बन्धित, पैरा 1 के बारे में **209 वां** प्रतिवेदन ।

प्राक्कलन समिति

75 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

श्री बंशी लाल भिवानी : पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय (नागर विमानन विभाग) —नागर विमानन महानिदेशक के बारे में प्राक्कलन समिति का 75 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा) अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही—सारांश प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

89 वां और 92 वां प्रतिवेदन तथा तत्सम्बन्धी कार्यवाही—सारांश और सरकार द्वारा की गई कार्यवाई के बारे में 90 वां और 93 वां प्रतिवेदन

श्री मधुसूदन बंरालें (अकोला) : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(एक) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के बारे में **89 वां** प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

(दो) राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम लिमिटेड के बारे में **92 वां** प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

(तीन) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के 68 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में **90 वां** प्रतिवेदन ।

(चार) भारतीय रूई निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के 62 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में **93 वां** प्रतिवेदन ।

———

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

9 वां प्रतिवेदन

श्री गुलशेर अहमद (सतना) : महोदय, मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का 9 वां प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

———

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

50 वां प्रतिवेदन

श्री अनादि चरण (जाजपुर) : मैं इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग)—राउरकेला इस्पात संयंत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजतियों के लिये आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूति जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का **50 वां** प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) प्रस्तुत करता हूं ।

———

सभा का कार्य

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 30 अप्रैल, 1984 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान, इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1984 ।

(2) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्त्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक, 1984 ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (विद्युत) वितरण (संशोधन) विधेयक, 1984 ।

(4) सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1984 ।

(5) राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 1984 ।

(6) पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1984 ।

(7) राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 1984 ।

(8) दिल्ली नगर निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1983 ।

(9) पंजाब नगर पालिका (नई दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1983 ।

(10) दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 ।

(11) सार्वजनिक स्थल (अप्राधिकृत अधियोगियों) की बेदखली, संशोधन विधेयक, 1983 ।

(12) निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन विधेयक, 1983 ।

12.09 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री बूटा सिंह : महोदय, अब जबकि ओवर ड्राफ्ट के प्रश्न को सम्बन्धित राज्यों के सहयोग से तथा केन्द्रीय वित्त मन्त्री द्वारा अपनाये गये उदार दृष्टिकोण से निपटाया जा चुका है अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि वित्त मंत्री द्वारा ओवर ड्राफ्ट के प्रश्न पर दिये गये वक्तव्य पर नियम 193 के अधीन निर्धारित चर्चा को स्थगित कर दिया जाये ।

श्री दिगम्बर सिंह (माथुर): उपाध्यक्ष महोदय, 1952 से अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा लैंड एक्यूजीशन एक्ट 1894 के अमेंडमेंट के सम्बन्ध में सरकार अब कर रही है । सम्बन्धित मंत्रियों ने अनेक बार लोकसभा, राज्य सभा और सलाहकार समितियों में घोषणा की । प्रधान मंत्री ने 16 फरवरी, 1981 को किसान रैली में कहा । कृषक समाज ने भी प्रस्ताव पास किया । अनेक पत्रों में

प्रधान मन्त्री और सम्बन्धित मन्त्रियों ने आश्वासन दिए। यहां तक ही नहीं लोक सभा के बुलेटिन नं० दो में 16 फरवरी, 1983, 5 नवम्बर, 1983 और 23 फरवरी, 1984 में भी निकल गयाहै कि लैंड एक्यूजीशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश होगा और पास होगा। संसद सदस्यों ने और भूतपूर्व प्रधान मन्त्री और लोकदल के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह ने प्रधान मन्त्री को पत्र लिखे। इस पर भी वह बिल न पेश हो रहा है और पास नहीं हो रहा है। संसद कार्य मंत्री और न्याय मंत्री भी आश्वासन देते आ रहे हैं। मेरी संसद कार्य मन्त्री से प्रार्थना है कि बिल को पेश करने और पास करने को अगले सप्ताह की कार्यवाही की सूची में सम्मिलित किया जाए।

दूसरी बात—आज भारत का किसान यह अनुभव करता है कि सरकार उस की उपेक्षा कर रही है। उसकी आर्थिक स्थिति दिन-पर-दिन गिर रही है। कर्जा बढ़ रहा है। कर्जे में भूमि, टैक्टर आदि, नीलाम हो रहे हैं। इससे देश के सम्मुख कृषि उत्पादन घटने की सम्भावना पैदा हो गई है। यह भी सम्भावना है कि किसान आगे गेहूं कम बोये। उससे देश में गेहूं की कमी हो जायगी। बाहर से गेहूं मंगाना पड़ेगा। देश की गरीबी और बढ़ जायगी। मैं जानता हूं कि सरकार उतना ध्यान नहीं देगी जितना देना चाहिये। किन्तु सरकार और कुछ नहीं कर सकती तो तुरन्त गेहूं का मूल्य गेहूं के उत्पादन की लागत के बराबर 222 रुपये प्रति क्विंटल करने की कृपा करे और इस विषय को अगले सप्ताह की कर्यवाही में सम्मिलित किया जावे।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय कार्य मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि दिनांक 30-4-1984 से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हेतु कार्यसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।

1, नहरों से उत्पन्न जल रसाव की समस्या अब राष्ट्रीय समस्या बन गई है। राष्ट्रीय स्तर पर जल रसाव रोकने और कृषि भूमि को सीपेज के जल भराव से बचाने की जरूरत हैं। सरकार की इस दिशा में मंदगति कहीं भी किसी प्रदेश में अभी तक सीपेज से प्रभावित जमीन को बचाने में असफल रही है। इसको बचाने के लिए सरकार किसी कारगर निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच पाई है। सदन का मत है कि इस पर चर्चा हो और सदन नहरों से जल रसाव रोकने और भूमि को बचाने के सम्बन्ध में कोई मार्ग-दर्शी सिद्धान्त बनाये।

2. एक लम्बी अवधि से यह देखा जाता रहा है कि मतदाता सूचियों में अक्सर मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों के नाम छूट जाते हैं। परिणामस्वरूप मतदान करने के अधिकारी होने के बावजूद भी वह व्यक्ति अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाता है तथा मौलिक अधिकार से वंचित रहता है। यह अधिकार दोषपूर्ण मतदाता सूचियों के बनने के कारण छिन जाता है। दोषपूर्ण मतदाता सूचियों के बनने का सिलसिला निरन्तर जारी है। कहा जाता है कि सूचियां बनाने के लिये प्राधिकृत कर्मचारी घर-घर जाते हैं। फिर नाम कैसे छूट जाते हैं ? सदन इस पर विचार करे और ऐसी नीति निर्धारित की जाय जिससे कोई भी व्यक्ति जो आयु तथा योग्यता के आधार पर मतदान करने का पात्र है, मतदाता सूची में उसका नाम निश्चित रूप से सम्मिलित हो।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : आने वाले सप्ताह की कार्यवाही में जोड़ा जाय—

[श्री मनी राम बागड़ी]

1. नारी समाज में सबसे ज्यादा शोषित और-पीड़ित है। यहां तक कि सिर्फ इज्जत के सहारे जिन्दा रहती है। वह भी आज महफूज नहीं है। सिर्फ बिहार ही नहीं समूचे भारत में नारी जाति के साथ जो बलात्कार और बलात्कार ही नहीं सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, उसकी रोकथाम अवश्य जरूरी है। अगर नारी का स्त्रीत्व नहीं रहा तो उसके पास और क्या है ?

2. भारत के किसानों को आधुनिक बनाने के लिये कीटनाशक दवाई, बीज और खाद उचित कीमत और जरूरत के मुताबिक मिले, ऐसा सरकार का कर्तव्य है। परन्तु आज खाद मिलावटी और अति मंहगी तथा बीज मिलावटी मिलते हैं और कभी मिलते ही नहीं। कीटनाशक दवाई अति नुकसान देने वाली और मंहगी है और मिलती भी नहीं। इन विषयों पर सदन में चर्चा हो और इसका उपाय किया जाय।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : महोदय, सोमवार, 23 अप्रैल 1984 को शाम के लगभग 5.30 बजे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा फिरोजपुर में उधमसिंह मार्किट के व्यस्त इलाके में गोली चलाई गई, जिसमें, पुलिस का दावा है कि छः व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के अनुसार 17 व्यक्ति मारे गये। उनमें से दो भाई थे जिन्हें साइकिल पर जाते हुये पीछे से गोली मारी गई। यह बताया गया है कि कुछ लाशों को नहर में फेंक दिया गया। इनमें से एक लाश वजीरपुर में नहर में पाई गई थी जिसे ग्रामीणों द्वारा मंगलवार की अपराह्न को शवपरीक्षा के लिये पुलिस को सौंपा गया था।

यह बताया जाता है कि बिना किसी कारण के अन्धाधुन्ध गोलियां चलाई गईं। गोली चलाना शुरू होने पर लोग बचाने के लिये आसपास की दुकानों की ओर भागे। चार व्यक्ति भाग कर दुकान नं० 23 में घुस गये और उसके शटर बन्द कर दिये गये। उसके तत्काल बाद, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के आदमी वहां गये, उन्होंने जबर्दस्ती शटर खोला और गोलियां चला दी जिससे एक बूढ़ा मारा गया और अन्य तीन व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये। हर दुकान का निरीक्षण करने पर इन तीन घायल व्यक्तियों के बयान की सत्यता पुष्टि हुई है।

वहां घायल व्यक्तियों को घसीटे जाने के निशान और जगह-जगह खून के सूखे धब्बे मौजूद थे। बताया गया है कि बस के ड्राइवर और कण्डक्टर लापता हैं। यह भी बताया गया है कि गोली चलाने के दौरान 'सी० आर० पी० जिन्दाबाद' के नारे लगाये जा रहे थे। इस क्षेत्र में बहुत तनावपूर्ण और विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है।

अतः मेरा यह निवेदन है कि इस विषय पर अगले सप्ताह चर्चा की जाये और मैं गृह मन्त्री महोदय से यह अपील करता हूं कि वे इस क्षेत्र का दौरा करें और वहां स्थिति को पुनः सामान्य बनाने के लिये न्यायिक जांच करवायें।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मैं अगले सप्ताह की कार्यवाही में सम्मिलित करने के लिये निम्नलिखित सुझाव देता हूं :

1. भीलवाड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहां के उद्योगों में कार्यरत हजारों श्रमिक ई० एस०

आई० स्कीम में इन्स्योर्ड हैं और प्रत्येक श्रमिक के वेतन से हर माह 20 रुपये चन्दा कटता है और श्रमिक की कटने वाली राशि से डेढ़ गुना राशि नियोजक जमा कराता है लेकिन ई० एम० आई० स्कीम के तहत इन्स्योर्ड श्रमिकों के वर्तमान में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यहां तब कि मेडिशन के नाम पर मजदूरों को डिस्पेन्सरियों से सिरदर्द की गोलियां व ड्रेसिंग के लिये पट्टियां भी उपलब्ध नहीं हो रहीं हैं। डिस्पेन्सरियों में मेडिसन के अभाव के कारण श्रमिकों को मेडिसन बाजार से खरीदने को कहा जाता है। प्रथम तो श्रमिक अल्प आय से मेडिसन के लिये पैसे की बचत नहीं कर पाता है और जैसे-तैसे मेडिसन खरीदता है तो उसके मेडिसन बिलों का भुगतान होने की उम्मीद नहीं रहती है। अभी भी एक दो साल से मजदूरों के मेडिसन के बिलों की पेमेंट नहीं हो रही है।

2. सोध स्टोन व माईव माईन्स के श्रमिक प्रोविडेन्ट फंड स्कीम के सदस्य हैं और हर माह श्रमिकों के वेतन से प्रोविडेन्ट फंड का अंशदान नियोजकों द्वारा बांट लिया जाता है लेकिन श्रमिकों के प्रोविडेन्ट कार्यालय से वार्षिक रसीदें उपलब्ध नहीं हो रही हैं तथा इन श्रमिकों को गत तीन, चार साल से रसीदें नहीं मिली हैं, जिससे श्रमिकों में असन्तोष फैलना तो स्वाभाविक है ही, दूसरी तरफ श्रमिकों को यह भी मालूम नहीं होता है कि उसकी प्रोविडेन्ट फंड में कितनी राशि जमा है तथा कई स्थानों पर मजदूर द्वारा कटवाया हुआ प्रोविडेन्ट फंड भी आयोजक जमा न करा अपने इस्तेमाल में ले लेता है। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था की जाए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, आपकी अनुमति से में संसदीय कार्य मन्त्री से यह अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित दो मुद्दों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाये।

(1) हमारे देश में बाल श्रमिकों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।

प्रतिबन्धक श्रमिक कानूनों के प्रावधानों के बावजूद विभिन्न उद्योगों में बाल श्रमिकों को नियोजित करने की प्रथा निर्बाध रूप से जारी है। ऐसा इसलिये हो रहा है क्योंकि बाल श्रमिकों के शोषण से नियोजक को आर्थिक लाभ होता है और बच्चे के अभिभावकों के लिये यह एक आर्थिक मजबूरी है। बाल श्रमिकों में विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनसूचित जन-जातियों और समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े हुये अन्य वर्गों के परिवारों के बच्चों की संख्या बहुत अधिक है।

यह सभा और राष्ट्र इस स्थिति को अवहेलना नहीं कर सकता। बच्चों को रोजगार में लेने के लिये न्यूनतम आयु निर्धारित करने और उनके जीवन एवं कार्य सम्बन्धी अन्य पहलुओं के लिये एक व्यापक कानून बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस समस्या के प्रति अधिक जागरूक होने और बच्चों की कार्यगत परिस्थितियों के साथ-साथ उनकी शिक्षा और अतिरिक्त पोषण और उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिये जाने की तत्काल आवश्यकता है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस समस्या पर सावधानीपूर्वक विचार करे और इस दिशा में नीतियां और कार्यक्रम तैयार करे। इस सम्बन्ध में तत्काल व्यक्तव्य दिया जाना चाहिये।

(2) आज देश भर में ईंटों की भट्टियों में काम कर रहे 50 लाख कामगार सम्मानपूर्वक

[श्री चिन्त बसु]

जीने के अधिकार और जीवन निर्वाह की न्यूनतम सुविधाओं से वंचित हैं। उनकीस्थिति भिखारियों के समान है।

इनके हितों की रक्षा के लिये बनाये गये पांच श्रमिक कानून, अर्थात् (क) बन्धुवा मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, (ख) अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनयमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1679, (ग) कारखाना अधिनियम, 1948, (घ) ठेका श्रम (विनियम एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970, और (ड) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियमों का उल्लंघन किये जाने के अनेकानेक दृष्टान्त हैं। इस प्रकार उनकी स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है।

उपर्यूक्त पांच श्रमिक कानूनों के प्रतिबन्धों से ईंट भट्टा उद्योग की यूनिटों को मुक्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन यूनिटों को इन अधिनियमों से पूर्णतः छूट दे दिये जाने से कामगारों का मनमाने ढंग से शोषण होगा। इन कानूनों के अन्तर्गत कामगारों को जो थोड़े से फायदे मिल रहे हैं, नियोक्ता कामगारों को उनसे भी वंचित कर देंगे।

इस सम्बन्ध में इस बात पर गौर किया जाय कि गत वर्ष उच्चतम न्यायालय ने इस आशय का निदेश जारी किया था कि ईंट भट्टों में श्रमिक कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाये।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह यह घोषणा करे कि ईंट भट्टों को उपर्युक्त श्रमिक कानूनों से मुक्त करने की सरकार की कोई मंशा नहीं हैं, और इसके विपरीत वह इन कानूनों के उपबन्धों को कड़ाई से लागू करने के लिए सभी संभव कार्यवाही करे। ईंट भट्टों के कामगारों में व्याप्त भ्रान्ति को दूर करने के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में तत्काल व्यक्तव्य दिया जाये।

श्री जेवियर अराकाल (एर्नाकुलम) : मैं संसदीय कार्य मन्त्री के व्यक्तव्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित निवेदन करना चाहता हूं।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज और सम्बद्ध अस्पतालों से भारी संख्या में वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षकों और चिकित्सा कर्मचारियों के चले जाने से अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया है। केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन के दुहरे नियंत्रण के कारण उत्पन्न प्रशासनिक कठिनाइयों के फलस्वरूप मनमाने ढंग से स्थानान्तरण, घटिया कार्य परिस्थितियों और सुविधाओं, निर्णय लेने में अत्यधिक विलम्ब, विभिन्न स्तरों पर पद न बनाये जाने, उपस्करों की कमी आदि जैसी समस्या पैदा हो गई है। इस स्थिति से क्षुब्ध होकर दो साल चार महीने की अवधि में 21 वरिष्ठ अध्यापक इन संस्थाओं को छोड़कर चले गये हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये संस्थायें जो कि कभी सुविख्यात थीं, बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई हैं। इनके स्तर में बहुत तेजी से गिरावट आई है जिससे कि चिकित्साविद् और जनता अत्यधिक चिंतित है। नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल हैल्थ एण्ड न्यूरो साइन्सिज, बंगलौर की भांति इन्हें भी सोसाइटीज अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया जाना चाहिए और इन्हें अच्छी कार्य स्थितियां, उपस्कर और सुविधायें प्रदान की जायें ताकि उनकी उपयोगिता, कारगरता और उत्साह को फिर से बनाये रखा जा सके।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मेरा यह सुझाव है कि निम्नलिखित मदों को अगली कार्य सूची में शामिल किया जाये;

दलबदल की राजनीति को भारत की जनता द्वारा अस्वीकार किया गया है क्योंकि इससे राजनीतिक वातावरण दूषित हुआ है और भारत के संसदीय लोकतन्त्र के लिए खतरा पैदा हुआ है। अब भारतीय जनता की मनस्थिति इस प्रकार की है कि वे दलबदल की भर्त्सना करते हैं और चाहते हैं कि जब कभी कोई अपने दल को छोड़ना चाहे, तो उसे अवश्य ही संसद अथवा राज्य विधानमंडल से त्यागपत्र दे देना चाहिए और पुनः चुनाव लड़ना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इस समस्या पर अगले सप्ताह चर्चा की जाय ताकि जनता इस बात से आश्वस्त हो सके कि संसद भी इस आपत्तिजनक दलबदल की समस्या के प्रति समान रूप से चिंतित है।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : आगामी सप्ताह की कार्य सूची में मैं निम्नलिखित दो विषय शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं :

1. देश में मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित पीने के पानी का गहन संकट व्याप्त है। मध्य प्रदेश के उज्जैन और इन्दौर संभाग में पीने के पानी की अभाव की स्थिति बनी हुई है। अनेक स्थानों पर पेय जल के अभाव में दूषित पानी पीने के लिए लोग बाध्य हैं। उज्जैन संभाग के उज्जैन, रतलाम, मन्दसौर, शाजापुर, और देवास जिलों के नगरों और गांवों में पीने के पानी के संकट को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। अतएव, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान को पेय जल संकटग्रस्त राज्य घोषित कर पेयजल के व्यापक प्रबन्ध हेतु केन्द्र सरकार व्यापक प्रबन्ध करे।

2. मध्य प्रदेश रेल सुविधा विस्तार की दृष्टि से उपेक्षित है। विगत समय से कई रेल सुविधाओं की मांग की जा रही है। किन्तु रेल मंत्रालय का ध्यान उस ओर नहीं है। अतएव, मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इन्दौर-उज्जैन के बीच तेज रफ्तार की रेल सेवा तथा इन्दौर-बम्बई के बीच सुपर फास्ट रेलगाड़ी की शीघ्र स्वीकृति दी जावे।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगामी सप्ताह में निम्नलिखित विषयों पर बहस चाहता हूं :

17-4-84 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिलान्तर्गत हाथरस में डा० अम्बेडकर जयन्ती की शोभा यात्रा पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और पैंतीस अम्बेडकरवादियों को झूडे आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

18-4-84 को अधिकारियों के सामने आगरा-अलीगढ़ रोड पर नवग्रह में स्थित डा० अंम्बेडकर की प्रतिमा को कुछ लोगों ने तोड़ दिया। जब लोगों को मालूम हुआ और वहां जाने की कोशिश की तो बुरी तरह से इन लोगों को घायल कर दिया। थाने में उनकी रिपोर्ट को दर्ज भी नहीं किया गया। इसी तरह पिछली 9-10 अप्रैल को मध्यरात्रि में पुलिम ने दिल्ली के लोनी रोड स्थित बुद्ध विहार को तोड़ डाला। बुद्ध मूर्ति को तोड़ दिया। पंचशील झंडा फाड़ दिया। रात्रि में चार बौद्ध भिक्षुओं,, भिक्षुक धर्म्मज्योति, भिक्षुक धम्म धिरो, भिक्षुक संघदीप एवं भिक्षुक विमल कीर्ति को पकड़

[श्री राम विलास पासवान]

कर गिरफ्तार कर लिया तथा उन्हें अपमानित किया गया। उपरोक्त दोनों घटनाओं से लोगों को काफी रोष है। अत: आगामी सप्ताह में इस पर बहस कराई जाए।

2. देश में चांदी की तस्करी जोरों से चल रही है। अकेले कानपुर से प्रतिमाह करोड़ों रुपये की चांदी तस्करी के रूप में दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, जोधपुर के माध्यम से दुबई एव पाकिस्तान सहित अन्य देशों में जाती है, इसमें अधिकारी एवं व्यापारी दोनों की साठ-गाठ रहती है। इस साठ-गांठ में रेल, कस्टम, बिक्री कर एवं अन्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। अत: सरकार से मांग है कि तस्करी को रोकने हेतु कारगर कदम उठावे।

···(**व्यवधान**)···

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित बातों को बड़े ध्यान से सुना है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन सभी बातों को कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष उठाया जायेगा और वह यह देखेंगे कि माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित विषयों में से कुछ विषयों पर चर्चा की जा सकती है अथवा नहीं बशर्ते कि कार्य मंत्रणा समिति के पास समय हो।

एक माननीय सदस्य : मुझे आशा है कि आप स्वयं ही समय की सिफारिश करेंगे।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे लैण्ड एक्वीजीशन अमेन्डमेंट बिल पर विचार कर रहे हैं या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इन सभी बातों पर कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

12.28 म० प०

जीवन बीमा निगम विधेयक

संयुक्त समिति के सदस्यों की नियुक्ति

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा जीवन बीमा कारबार के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की अधिक प्रभावी सिद्धि की दृष्टि से भारतीय जीवन बीमा निगम के विघटन के लिए और उक्त कारबार को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिए अनेक निगमों की स्थापना के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उनके अनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री रत्नसिंह राजदा के स्थान पर जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, श्री बापूसाहिब परुलेकर को नियुक्त करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा जीवन बीमा कारबार के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की अधिक प्रभावी सिद्धि की दृष्टि से भारतीय जीवन बीमा निगम के विघटन के लिए और उक्त कारबार को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिए अनेक निगमों की स्थापना के लिए तथा

उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री रत्नसिंह राजदा के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, श्री बापूसाहिब परूलेकर को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

12.29 म० प०

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

सदस्य निर्वाचित करने के लिए राज्य-सभा से सिफारिश

श्री गुलशेर अहमद (सतना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में सर्वश्री लखन सिंह, दिनेश गोस्वामी और रोबिन ककाटी राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए स्थानों पर अनुपाति प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा के तीन सदस्य निर्वाचित करे और उक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गये सदस्यों के नामों की सूचना इस सभा को दें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में सर्वश्री लखन सिंह, दिनेश गोस्वामी और रोबिन बकाटी को राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए स्थानों पर अनुपाति प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा के तीन सदस्य निर्वाचित करे और उक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गये सदस्यों के नामों की सूचना इस सभा को दें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

12.30 म० प०

पंजाब वाणिज्यिक फसल उपकर (संशोधन) विधेयक

खेल विभाग, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : उपाध्यक्ष महोदय, वाणिज्यिक फसलें उपकर अधिनियम, 1977 जिसमें मिर्च, कपास, सरसों, आलू, रेप (शरशफ, तारामीरा, तोरिया), गन्ना, टमाटर, फलों के बाग तथा अंगूरों की खेती की फसलों पर, सिंचित भूमि पर 6 रुपये प्रति एकड़ की दर से तथा असिंचित भूमि पर 3/- रु० प्रति एकड़ की दर से उपकर लगाया गया था, कृषि वर्ष 1974-75 की खरीफ फसल में 1978-79 की रबी फसल तक के लिए अर्थात् 5 वर्षों के लिए बनाया गया था ताकि पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के खर्च को पूरा किया जा सके। छठी योजना के दौरान राज्य सरकार की वित्तीय

[श्री मल्लिकार्जुन]

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस अधिनियम को कृषि वर्ष 1978-79 की खरीफ फसल से 1983-84 की रबी की फसल तक के लिए और बढ़ा दिया गया था यह वर्तमान अवधि 1983-4 की रबी फसल के बाद समाप्त हो जायेगी। राज्य की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति को देखते हुए, यह वांछनीय समझा गया है, कि इस अधिनियम को अगले पांच वर्षों तक की अवधि के लिए अर्थात् कृषि वर्ष 1984-85 की खरीफ फसल से 1988-89 की रबी फसल तक के लिए और जारी रखा जाये।

इस संशोधनकारी विधेयक में, उपकर की दर के या शामिल की गई फसलों के बारे में कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि सिर्फ इस अधिनियम की कार्यवाही को और पांच वर्ष तक अर्थात् 1988-89 की रबी की फसल तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि पंजाब वाणिज्यिक फसलें उपकर (संशोधन) अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव रखा गया :

"कि पंजाब वाणिज्यिक फसलें उपकर (संशोधन) अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक द्वारा पंजाब वाणिज्यिक फसलें उपकर अधिनियम, 1974 में पहले से मौजूद उपबंधों को 5 वर्ष की और अवधि तक बढ़ाने की मांग की गई है। इस अवधि को बढ़ाने के लक्ष्यों एवं कारणों के विवरण में जो कारण बताये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :—

"राज्य की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति को देखते हुए, यह वांछनीय समझा गया है कि इस अधिनियम को अगले पांच वर्षों तक की अवधि के लिये अर्थात् कृषि वर्ष 1984-85 की खरीफ फसल से 1988-89 की रबी फसल तक के लिए और जारी रखा जाये।"

इस प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के क्या कारण हैं ? क्या यह प्रतिकूल वित्तीय स्थिति पंजाब में हो रही घटनाओं के कारण हैं ? मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह अपने उत्तर में इस बात को स्पष्ट करें।

पंजाब के किसानों को कई तरह के कर चुकाने पड़ते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों ने अन्य करों के अलावा 4300 करोड़ रुपये की लेवी लगाई है। विभिन्न संगठन बिजली की उन दरों में कमी की मांग कर रहे हैं जो हाल ही में बढ़ाई गई है। पंजाब में पांच प्रकार के कर हैं, अर्थात् भू-राजस्व, अधिभार, विशेष भार, स्थानीय कर तथा फसल उपकर।

1972 में भारत सरकार ने कृषि धन तथा आय पर करारोपण के बारे में डा० के० एन०

राज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। मैं 1972 में बनाई गई उस समिति की सिफारिशों एवं निष्कर्षों में से कुछ उद्धरण देता हूं।

"कृषि के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष कराधान की किसी प्रणाली को तैयार करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जो अपेक्षाकृत धनी वर्ग है उसे अपनी आय और धन में से समानुपातिक रूप से ज्यादा कर देना चाहिए ताकि करों में बढ़ोत्तरी उचित मात्रा में हो। करो में इस बढोत्तरी के सिद्धांत में भू-राजस्व नहीं आ पाता जो कि कृषि के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष कराधान का सबसे बड़ा तत्व है। चूंकि भू-राजस्व पर अधिभार लगाने में कोई स्पष्ट बढ़ोत्तरी नहीं है, चूँकि कृषि पर लगाये गये अन्य कर अपेक्षाकृत कम हैं, इसलिए उच्च वर्ग के आयकर्ताओं को उस समकक्ष वर्ग के आयकर्त्ताओं से कम कर अदा करने पड़ते हैं जो अपनी आय गैर-कृषि संसाधनों से कमाते हैं।"

मंत्री महोदय, अपना उत्तर देते समय, कृपया इस बात को स्पष्ट करें कि वे कौन-कौन सी सिफारिशें हैं जो सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई हैं। समिति ने सिफारिश की थी कि करों का एक समान मानक होना चाहिए। परन्तु आजकल किसानों को विभिन्न राज्यों में अलग-अलग किस्म के कर देने पड़ते हैं। पश्चिम बंगाल की बामपंथी सरकार ने सदियों पुरानी सामन्ती प्रणाली का उन्मूलन कर दिया है और केवल उन धनी किसानों पर ही कर लगाया है जिनकी आय 50000/- रुपये या इससे अधिक है। छोटे और सीमान्तक किसानों को कर-परिधि से बाहर रखा गया है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, काफी मात्रा के अन्तर्गत भूमि में सिंचाई होने, बेहतर उर्वरकों का उपयोग किए जाने के बावजूद, खाद्य उत्पादन तथा नकद फसलों के उत्पादन में स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। हम खाद्यान्नों तथा दालों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता के स्तर को 1950 तथा 1960 के स्तर से अधिक नहीं बढ़ा सके हैं। यदि आप अपने पड़ोसी देश चीन से अपने देश की तुलना करें तो आपको पता चलेगा कि हम खाद्य उत्पादन में कितना पिछड़ रहे हैं। चीन के पास केवल 100 मिलियन हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जबकि भारत के पास 170 मिलियन कृषि योग्य भूमि है। जो कुछ चीन सरकार द्वारा किया जा सकता है वह भारत सरकार द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता जबकि हमारे पास ज्यादा भूमि है और ज्यादा संसाधन हैं। इन देशों के दृष्टिकोणों में जो मौलिक अन्तर है वह यह है कि एक सरकार तो काम करने वाले किसानों तथा कामगर वर्ग की सरकार है। इसीलिए वे कम संसाधनों से और लोगों के अधिकाधिक सहयोग से अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त कर सके हैं। परन्तु हमारी सरकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों की जमींदारों की तथा निहित स्वार्थों की सरकार है। इसीलिए वे पिछड़ रहे हैं। अतः प्रश्न अकेले संसाधनों का नहीं है, न ही यह सवाल प्रकृति पर निर्भरता का है। बल्कि वास्तविक प्रश्न बुनियादी नीतियों एवं बुनियादी दृष्टिकोण का है।

बुनियादी सवाल सही मायनों में भूमि सुधारों का है। हमारे देश के जमीदारी उन्मूलन अधिनियम छठे दशक में पास हुआ था। लेकिन यह प्रथा अभी तक भी जारी है। आज 40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि उन 5 प्रतिशत लोगों के हाथों में है जो वास्तविक किसान नहीं हैं। सरकार को इन लोगों से सारी भूमि छीन लेती चाहिए और इसे उन कृषि मजदूरों में बांट देनी चाहिए जो वास्तव में खेती का काम कर रहे हैं। ऐसा करके हम उनकी क्रय शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसी से

[श्री वासुदेव आचार्य]

ही हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। किसान विशेष रूप से सीमांत तथा छोटे किसान अपनी उपज की न्यूनतम कीमत भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि यह कीमत भी उन्हें नहीं मिल रही है जो अब सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। यही कारण है कि गरीबी के कारण उन्हें अपनी उपज बिचौलियों को बेचनी पड़ती है। सरकारी तंत्र उनकी कोई मदद नहीं करता।

इस सदन में, हमने कुछ दिन पूर्व आलू की गिरती हुई कीमतों की चर्चा की थी। आलू उत्पादकों को अपना आलू 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर पर बेचना पड़ा था। यही हाल इस जगह है। यदि सरकार इस व्यापार का अधिग्रहण कर ले तो गरीब और सीमांतिक किसानों को बचाया जा सकता है। इससे छोटे और सीमांतिक किसान अपनी उपज सरकार को बेच सकते हैं; और उन्हें यदि उचित कीमत या लाभप्रद कीमत न भी मिले जैसा कि हम मांग करते हैं, तो कम से कम न्यूनतम कीमत तो मिल ही सकती है। वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमत प्राप्त कर सकते हैं।

अतः मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे गरीब और सीमांतिक किसानों पर भविष्य में कोई कर न लगायें बल्कि उन्हें कुछ राहत दें, ताकि उन्हें भुखमरी से बचाया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब कामर्शल क्राप्स सैस (एमेंडमेंट) बिल का मैं समर्थन करता हूं। इस बिल के द्वारा मिर्च, कपास, सरसों, आलू, तारा-मीरा आदि की फसलों पर सिंचित भूमि में 6 रुपए प्रति-एकड और असिंचित भूमि में 3 रुपए प्रति-एकड सैस लगाया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सिंचित और असिंचित भूमि की पैदावार में कितना अन्तर होता है और असिंचित भूमि में कितनी पैदावार होती है। मेरे विचार में असिंचित भूमि की फसल पर सैस लगाना बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐसी भूमि में बहुत कम पैदावार होती है और अगर बरसात कम हो, तो हालत और भी खराब हो जाती है। असिंचित भूमि में काश्तकार अपने गुजारे लायक भी पैदा नहीं कर सकता, इस लिये यह सैस लगाने से उन पर बड़ा भारी बोझ पड़ेगा।

पुराने एक्ट के सैक्शन 3(1) में एक प्रोवाइजो दिया गया है, जो इस प्रकार है :

> "बशर्ते कि किसी बगीचे के रूप में किसी भूमि पर कोई उपकर नहीं लगाया जायेगा जब तक अधिकांश पौधे फल न देने लगें।"

इसका मतलब यह है कि अगर मैजारिटी आफ प्लांट्स पर फ्रूट आएंगे, तभी सैस लगेगा। अगर 1/3 या 1/6 प्लांट्स पर फ्रूट लगेंगे, तो पंजाब के जिन जमीदारों के पास सैंकडों बीघे जमीन है जिनकी आमदनी आचर्ड्ज से होती है, वे इस सेस से छूट जाएंगे। अगर यह व्यवस्था कर दी जाती कि जब तक किसी पेड़ पर फ्रूट न लगें, तब तक सेस नहीं लगेगा, तो यह वाजिब होता। लेकिन वर्तमान व्यवस्था का परिणाम यह होगा कि अगर एक तिहाई पेड़ों पर फ्रूट आ गए, तो ये लोग बिल्कुल छूट जाएंगे और सरकार लाखों करोड़ों रुपयों की आमदनी से वंचित हो जाएगी और साथ ही डेवलपमेंट के काम को भी नुकसान होगा। सरकार को इस प्रावधान पर फिर से विचार करना

चाहिए। यह प्रोवाइजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 50 परसेंट पेड़ों पर फूट नहीं लगेंगे, तब तक इन लोगों को छूट मिलेगी। इसलिए आपने जो एक बहुत बड़ी रकम की छूट दे दी है उसको कम करना चाहिए तभी आमदनी में बढ़ोत्तरी हो सकेगी।

दूसरी बात यह है कि इस प्रकार को जो कैश क्राप्स हैं जैसे काटन है, आलू है, उनमें कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं जिससे भारी नुकसान होता है। अभी आपने देखा कि राजस्थान और पंजाब में काटन में 50 परसेन्ट से ज्यादा नुकसान हो गया तो इन हालात में मेरा निवेदन है कि सरचार्ज वसूल नहीं किया जाना चाहिए बल्कि किसानों को कम्पेन्सेट किया जाना चाहिए। क्राप इंश्योरेंस के द्वारा किसानों की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। लेकिन इस बिल में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सिर्फ इतना जरूर किया गया है :

> "यह भी उपबन्ध किया गया है। कि किसी भी भूमि पर अथवा इसके किसी भाग पर जैसा भी मामला हो, कोई उपकर नहीं लगाया जाएगा जिस पर वाणिज्यिक फसल होती हो या उस पर कोई बगीचा हो और जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियम के अनुसार खराब के रूप में निर्धारित किया गया हो।"

मेरा कहना यह है कि किसानों को कम्पेन्सेट करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर 50 परसेंन्ट] से अधिक का नुकसान हो जाए और लैंड रिकार्ड्स में दर्ज हो जाए कि इतना नुकसान हो गया है तो कम्पेन्सेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह से कभी अकाल की स्थिति हो जाती है और 50 परसेन्ट से ज्यादा नुकसान हो जाता है उस हालत में भी आप कम्पेन्सेशन न देकर यदि सेस ऊपर से और लगा दें तो मैं समझता हूं यह उचित नहीं होगा। क्रांप इश्योरेन्स लागू करने की नितान्त आवश्यकता है। कुछ स्टेट्स में ऐसी व्यवस्था हुई भी है लेकिन मैं समझता हूं भारत सरकार की ओर से इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि जितनी भी स्टेट्स हैं सभी इसको अपनायें। काश्तकारों को नेचुरल कैलेमिटीज या फसलों में लगने वाली बीमारियों की वजह से नुकसान हो तो उनको कम्पेन्सेट करने की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए।

जो बड़े-बड़े लैंड लार्ड हैं वे आपके सीलिंग ऐक्ट और लैंड रिफार्म्स से बच गए हैं, आज भी उनके पास हजारों बीघे जमीनें हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व अन्य प्रदेशों में ऐसे लोग हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : जब भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित है, तो किसी के पास हजारों एकड़ भूमि कैसे हो सकती है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : रंगा साहब आप स्वयं चलकर इस बात को देख सकते हैं। गलत तरीके से लोगों ने जमीनें हड़प कर ली हैं और सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाती है। तो इस बात की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने सरकार को धोखा दिया है, सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है उसकी जानकारी मैं चाहूंगा। आज भी राजा-महाराजे, पूंजीपति और बड़े-बड़े जमीदार विभिन्नि प्रदेशों में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चले गए और आज 35-36 साल के बाद भी उन जमीनों पर काबिज हैं। हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी का जो बीस सूत्री कार्यक्रम है उसके लैंड रिफार्म्स के सूत्र को यदि ठीक प्रकार से इंप्लीमेन्ट किया जाए तो

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

लाखों आदमियों को लाभ पहुंच सकता है। वे इन्दिरा गांधी की जयजयकार करेंगे लेकिन ठीक प्रकार से इंप्लीमेन्टेशन न होने की वजह से ही सारी व्यवस्था गड़बड़ है।

इस प्रकार की हजारों बीघा जमीन है। इस प्रकार के आदमी हमारे यहां भी मिल सकते हैं। हर पार्टी में हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों में बड़े-बड़े आदमी बैठे हुए हैं। बड़े-बड़े लोगों के पास बड़ी-बड़ी जमीनें हैं, जमीदारियां हैं। इन लोगों के खिलाफ कब तक आप कार्यवाही नकरेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यास जी, आप उनके नाम सरकार को दे दीजिए, वह कार्यवाही करेगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास : हमारे यहां भी दस-पन्द्रह राजा-महाराजाओं की हजारों बीघे जमीन है। उनके नाम मैंने दिए हुए हैं। लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनको चेलेंज करने वाला कोई नहीं है। ऐसे बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार की तरफ से सुप्रीम और हाई कोर्ट में अच्छे-अच्छे वकीलों को भेजना चाहिए। बीस-बीस, तीस-तीस सालों के केस पैंडिंग पड़े हुए हैं। कोई जजमेंट नहीं हो रहा है। ऐसी बातों के लिए आपको निश्चित तरीके से कार्यवाही करनी चाहिए।

केवल सेस लगाने से आमदनी नहीं होगी। राज कमीशन ने भी सुझाव दिया है कि एग्रीकल्चर इनकम पर आप टैक्स लगायें, ताकि करोड़ों रुपयों की आमदनी हो और उनसे डवेपलमेंट के काम तेजी के साथ चला सकें। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बड़े-बड़े लोगों से डरते हैं कि उनके खिलाफ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगा दिया तो हमको नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि वे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। मैं कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपको इसके बारे में कुछ कदम उठाने चाहिए। आपको दबने की आवश्यकता हीं है। इन पूंजीपतियों, जमीदारों के खिलाफ आपको सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, तभी गरीब आदमी हमारे साथ होगा। हमारे राष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने के लिए मुझे समय दिया।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, यह अधिनियम पंजाब विधान सभा द्वारा 1978-79 में पारित हुआ था, जिसकी अवधि अब 1984 में समाप्त हो रही है। इस अवधि को बढ़ाने के लिए यह बिल लगाया गया है।

इसके बारे में मैं अभी इसके उद्देश्यों और कारणों को पढ़ रहा था। इसमें संकेत दिया गया है—पांचवीं पंचवर्षीय योजना पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए कृषि वर्ष 1974-75 की खरीफ फसल से 1978-79 तक की रबी फसल के पांच वर्ष के लिए अधिनियमित किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से कृषि वर्ष 1978-79 को खरीफ फसल से 1983-84 की रबी फसल तक पांच वर्ष की एक और

अवधि के लिए अधिनियम को बनाए रखा गया था। विद्यमान अवधि 1983-84 की रबी फसल के पश्चात् समाप्त हो जाएगी। राज्य की तंग वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझा गया है। यह बात सही है कि राज्य की तंग स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसकी अवधि को पांच वर्ष के लिए बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक और खास बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं—सिंचित भूमियों पर मिर्चियों, कपास, सरसों के बीज, आलू, रैप (सरसों, तारामीरा, तोरिया) गन्ने टमाटरों, फलाद्यानों और अंगूर के बागों की फसलों पर प्रति एकड़ 6 रु० की दर और असिंचित भूमियों पर 3 रु० की प्रति एकड़ की दर से उपकर अधिरोपित किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह अधिनियम लागू हुआ था, उस वक्त पंजाब में अमन था। किसान काम में लगा हुआ था, लेकिन आज पंजाब की स्थिति को देखते हुए इसकी अवधि को बढ़ाने से कोई अच्छा प्रभाव वहां के किसानों पर नहीं पड़ेगा। जहां तक मेरा ख्याल है कि सैस को लगाने के बाद उसको वसूल करने में बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि वसूली के लिए कौन जाएगा, पंजाब की हालत को देखते हुए। बहुत भयंकर स्थिति वहां पर चल रही है। पांच साल की अवधि बढ़ा कर आप अनावश्यक रूप से किसानों पर एक बर्डन लादने की बात आप करेंगे।

आज पंजाब के हालात को देखते हुए यदि आप यह टैक्स लगा देंगे तो निश्चित रूप से वहां के किसानों को धक्का लगेगा। जहां तक पुराने कानून की बात है—जैसा व्यास जी भी कह रहे थे—वह वहां की विधान सभा के द्वारा पारित है—'और्चार्ड' का अर्थ है भूमि का ऐसा क्षेत्र जिसमें फलदार वृक्ष लगे हों। यह बात सही है और यह होना चाहिए, इसमें कहीं कोई खराब बात नहीं है। यह बात भी सही है कि जब तक अधिकांश पेड़ों में फल न आयें तब तक सैस न लगना चाहिए। लेकिन मैं एक और कानून की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा—

> "यदि किसी भू-स्वामी को धारा 4 के अन्तर्गत मांग का नोटिस दिया गया हो तो वह उसकी प्राप्ति के 15 दिन के भीतर, कर-निर्धारण प्राधिकारी को लिखित में अपनी आपत्तियां दे सकता है, यदि कोई हो, जो मांग-पत्र में लिखित उप-कर की राशि के बारे में या उसमें अंतर्विष्ट किसी और मामले के बारे में हो सकती है जिससे कि इस अधिनियम के अधीन उसकी उपकर अदा करने के दायित्व पर प्रभाव पड़ता हो।"

जहां तक अथारिटी की बात है पंजाब के हालात को देखते हुए कोई भी अथारिटी इसको कर नहीं पायेगी। जहां तक 15 दिन के प्रावधान का ताल्लुक है, वह तो इसमें पहले से है। 15 दिन के नोटिस के बाद उसे कहना चाहिए—

> "धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन पारित कर-निर्धारण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर, प्रथम ग्रेड के सहायक समाहर्ता को अपील कर सकता है, और ऐसी अपील पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।"

इसके बारे में मेरा ख्याल है—आज पंजाब की जो हालात आप ने बना दी है, उसको देखते हुए वह कैसे अपील कर सकेगा। लेकिन कुछ लोग उसको तंग करते रहेंगे। इसलिए मेरा मूल्यवान सुझाव यह है कि अथारिटी के लिए जो इस में कहा गया है वह उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर

[श्री राजेश कुमार सिंह]

सकेगा। आप ला एण्ड आर्डर तक को वहां मेन्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तब इसको कैसे लागू कर सकेंगे। मैं इस बिल का इस लिए विरोध करता हूं कि आज तक के हालात को देखते हुए किसानों पर यह अतिरिक्त भार नहीं लगाना चाहिए। आज किसान वैसे ही बहुत परेशान है। इरिगेशन की व्यवस्था भी ठीक प्रकार से नहीं चल रही होगी, क्योंकि हालात खराब हैं और उपभोक्ताओं पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिये सरकार को इस पर विचार करना चाहिए तथा इस अधिनियम को तब तक लागू नहीं करना चाहिए जब तक पंजाब की हालात न सुधर जाय।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। इस संशोधन विधेयक के द्वारा जो प्रावधान सरकार करने जा रही है उनको यदि गम्भीरता से सोचा जाय और उन पर विचार किया जाय तो एक दृष्टि से वे किसानों के हित में हैं। पंजाब हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में अग्रणी है। वहां पर गेहूं, दूसरे अनाज, फल, सब्जी की फसलें बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर आज कल ला-एण्ड-आर्डर की स्थिति बहुत खराब चल रही है तथा जिससे वहां के उद्योग धन्धों, कृषि तथा अन्य कामों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यह बड़े अफसोस की बात है। लेकिन सरकार की मंशा इस संशोधन विधेयक को लाने की वह नहीं है, जैसा हमारे कुछ माननीय सदस्य सोचते हैं। जैसे हमारी कुछ कामर्शियल क्राप्स हैं, कपास, आलू, गन्ना, टिमाटर, फलों के बाग, अंगूर के बाग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भोजनावकाश के बाद जारी रखिएगा। अब सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात्-लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई

2.10 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा दो बजकर दस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पंजाब वाणिज्यिक फसल उपकर (संशोधन) विधेयक—जारी

श्री चन्द्रपाल शैलानी : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था कि पंजाब में सिंचित भूमि पर जो फसलें होती हैं जैसे कपास, सरसों का बीज, आलू, गन्ना टमाटर, फलों के बाग आदि, इन पर 6 रुपए प्रति एकड़ और असिंचित भूमि पर तीन रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उपकर लगाने की व्यवस्था है और मान्यवर सरकार को यह व्यवस्था इसलिए करनी पड़ी है कि पिछले दिनों से पंजाब में जो आन्दोलन चल रहा है और एक तरह से वहां पर ला लैस नेस आ गई है, उससे पंजाब सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : यह स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं है। पंजाब में यह उपकार 1983 से है। जब हमने प्रशासन हाथ में लिया तब इसे 5 वर्ष के लिए और लागू किया। यह पिछले 20 वर्ष से वहां लागू है। पंजाब की वर्तमान स्थिति से इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे यही कहना है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह था कि इस समय पंजाब की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है और इस वजह से कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे वहां का खर्चा चलाया जा सके। इसलिए यह जो 1984 से 1988 तक उपकर की व्यवस्था की गई है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जब सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दे पा रही है तो किसान पर टैक्स लगाने का क्या औचित्य है। मैं इस बात को मानता हूं कि यह 1963 से चला आ रहा है लेकिन अब समय आ गया है कि जब सरकार इस पर पुनर्विचार करे। इस तरह के टैक्सेस को वापिस ले लेना चाहिए। हम लोग हमेशा देश के किसानों के लिए इस बात की मांग करते आए हैं कि उनको लाभकारी मूल्य दिया जाए। सरकार को पता है कि इस बार पंजाब में चने की फसल बरबाद हो गई है। कपास की फसल बरबाद हो गई है। फसलों में बीमारी लग गई है। जब किसान की सहायता के लिए सरकार समय पर कीटनाशक दवाओं का और अन्य चीजों का प्रबन्ध नहीं कर पाती है तो फिर उसको इस तरह के टैक्स नहीं लगाने चाहिएं। इन दोनों चीजों में आपस में विरोधाभास नजर आता है।

इस सिलसिले में एक बात और कहना चाहता हूं कि पंजाब में जितनी लेबर काम करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से आती थी वह अब नहीं जा रहा है और जो लोग वहां पर हैं वे धीरे-धीरे वापिस आ रहे हैं। इससे वहां की कृषि पर भी असर हो रहा है। पैदावार घट रही है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इस टैक्स को वापिस लेने की मन्त्री महोदय घोषणा करें और किसी प्रकार का टैक्स किसानों पर न लगाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : हरिकेश जी, मेरे विचार में पंजाब में राष्ट्रपति शासन होने के कारण यह विधेयक लाया गया है।

श्री बूटा सिंह : दुर्भाग्यवश, माननीय सदस्य कई बातों को एक साथ मिला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपदाओं और अकाल के परिणामस्वरूप किसान को कर देने पड़ते हैं तथा उसे नुकसान उठाना पड़ता है। माननीय सदस्य भली-भांति जानते हैं कि जहां कहीं भी अकाल आदि पड़ता है किसानों को न केवल मुआवजा दिया जाता है बल्कि राज-सहायता भी मिलती है। ये तो अखबारों की बातें हैं। पंजाब में मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं। यह भी सच है कि राजनीतिक अनिश्चितता के कारण तथा चालू आन्दोलन के कारण दूसरे राज्यों के लोग पंजाब में जाने में झिझक रहे हैं। श्रीमान् पंजाब का होने के नाते मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि पंजाब में मजदूरों को तंग नहीं किया जा रहा है। यदि वे चाहें तो वे फसल की कटाई के समय काम कर सकते हैं। मैं यही बताना चाहता था।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डांगा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में कोई नई बात नहीं है। इसे पंजाब की विधान-सभा ने 1974 में पारित किया और पंजाब की पर कैपिटा इनकम सब को मालूम है। वहां की सिंचित भूमि है और उन्होंने जो विकास किया है उसके आधार पर सैस लगाया है इसमें

[श्री मूलचन्द डागा]

कोई दो राय हो नहीं सकतीं। यहां हमारे मन्त्री जी हरेक भाषण का तुरन्त उत्तर देते हैं, यह नई बात है। हमारे मन्त्री जी पंजाब के हैं।

श्री बूटासिंह : मैं जाता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आप यह बिल लेकर आये हैं, मेहरबानी करके यह बतलायें कि आपने 3 सालों में कितना सैस इकट्ठा किया और उसमें से कितना खर्च किया ? कितना फार्मर पर अपने खर्च किया और दूसरे किस काम के लिए आप उसमें मे पैसा खर्च करते हैं ? इससे क्या विकास हुआ ? बिल के स्टेटमेंट आफ औवजैक्ट्स में यह बात आनी चाहिए थी।

इरिगेटेड लैंड और अन-इरिगेटेड लैंड पर जो आपने सैस लगाया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां पर इस प्रकार की हालत है। अगर ऐसी हालत किसानों की होती है तो उसकी चिन्ता भी सरकार करती है। आपको तो मालूम ही है कि कितनी सबसिडी सरकार देती है, फर्टिलाइजर देती है। इसलिये इस बिल का विरोध करना उचित नहीं है। उधर वालों को तो विरोध करना ही है, इसलिए वह विरोध करें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आज वहां राष्ट्रपति शासन है इसलिए मजबूरन इस बिल को यहां लाना पड़ा है। यह जरूर बताया जाना चाहिये कि कलैक्शन कितनी है। पेंडिंग कितना है और खर्च कितना किया गया है ताकि हम इसे एप्रूव करें।

श्री चित्त बसु (बरसाट): श्रीमान्, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है···

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए भाषण भी सीमित होना चाहिए।

श्री चित्त बसु : मैं उसी पर आ रहा हूं। यह इस अर्थ में सीमित है कि पंजाब विधान सभा के विधान को लागू करने के लिए विस्तृत किया जाना है और यह इसलिए है कि आधे पंजाब में राष्टपति शासन है और यह संसद पंजाब के लिए विधान बना सकती है।

श्रीमान्, यद्यपि इस विधेयक का उदेश्य बहुत सीधा तथा सीमित है तथापि आप सहमत होंगे कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण सिद्धान्त निहित हैं। यह अच्छा है, मैं इस पर बोलने में इसलिए रुचि रखता हूं कि इस विधेयक के द्वारा हमें सरकार का ध्यान कृषि संबंधी मूल सिद्धान्तों की ओर आकृष्ट करने का अवसर मिला है। इस विधेयक में तीन मूल नीति संबंधी मामले अर्थात् योजना का वित्तपोषण, सरकार की मूल्य नीति, सरकार की कर नीति, अंतर्विष्ट है। यदि नीति संबंधी ये मसले इसमें शामिल न होते तो शायद हम इस वाद-विवाद में भाग न लेते। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि सरकार की नीति इस योजना के लिए देश के किसानों से धन एकत्र करने की है। यह नीति चलाई जा रही है। उनका कहना है कि योजना के वित्त पोषण हेतु ऐसा उपकार लगाना पडेगा। मेरा कहना है कि यदि आप जनता का हित चाहते हैं तो धन उन लोगों से लिया जाए जो दे सकें। अत: कर अमीर आदमी पर लगना चाहिए। और उस धन से योजना को पोषित किया जाना चाहिए। सरकार की नीति है कि गरीब से धन खींचकर योजना में लगानी है : मैं इस नीति के विरुद्ध हूं।

मैं एकाध उदाहरण देता हूं। इस वर्ष के बजट में भी कारों पर उत्पादन-शुल्क में 200 करोड़ रुपये की अनुदान छूट दी गई है। कारों के लिए 200 करोड़ रु० की छूट देते हैं और योजनाओं के लिए किसानों से धन चूसते हैं।

सिंचित तथा असिंचित भूमि भी छोटे किसानों, गरीब किसानों और सीमांत किसानों की है। कर का भार उन्हीं पर पड़ेगा। यदि कर-भार कुलकों पर होता तो मैं इसका विरोध न करता।

इस वर्ष के बजट में 90 करोड़ रुपये का अनुदान रंगीन टी० वी० को दिया गया है आप पंजाब के किसानों पर उपकर लगाकर उनसे योजना के लिए धन बटोरना चाहते हो। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इस छोटे से विधेयक पर आप अच्छा राजनीतिक भाषण दे रहे हैं।

श्री चित्त बसु : अतः आप मुझ से सहमत हैं। मैं संतुष्ट हूं। गरीब लोगों से धन लेकर अमीरों को करों में सहायता देते हैं। मेरी बात समाप्त होती है।

इस विधेयक में मिर्च, कपास, रुई, सरसों, आदि उगाने वाली भूमि शामिल है। मेरे पास एक रिकार्ड है--

'गुजरात राज्य सहकारी रुई कपास फेडरेशन' द्वारा किया गया अध्ययन। कपास का सवाल है। इसलिए मैं ये सब कह रहा हूं। मुझे हमेशा इस बात का डर रहता है। अध्ययन में क्या है ? निष्कर्ष यह है कि पिछले दशक में कपड़े के मूल्य कपास के मूल्य से अधिक गति से बढ़े हैं। पंजाब के किसान कपास उगाते हैं। कपड़े के मूल्यों के साथ कपास का मूल्य नहीं बढ़ा। मैं केवल एक उदाहरण देता हूं। अगस्त, 1983 में कपास का थोक मूल्य सूचकांक केवल 200 रु० था जबकि कपड़े के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई और वह 244.70 रुपये हो गया। मेरा मतलब है कि ये वाणिज्यिक फसलें हैं—कपास, जूट आदि। पता नहीं आप इस बारे में जानते हैं या नहीं। आपको अपने कपास उत्पादकों की चिंता होनी चाहिए। तम्बाकू के बारे में, प्रो० रंगा यहां नहीं है। ये वाणिज्यिक फसलें हैं। इन वाणिज्यिक फसलों की कीमतें जानबूझकर बढ़ाई जा रही हैं ताकि बड़े मिल मालिक और बहुराष्ट्रिक तैयार माल की बढ़ी हुई कीमतों में अधिकाधिक लाभ कमा सकें। इसलिए मेरा सिद्धान्त यह है कि वाणिज्यिक फसल उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत इस विधेयक के द्वारा कृषकों तथा वाणिज्यिक फसल उत्पादकों पर उपकर लगाकर उनसे अधिकाधिक धन लिया जाएगा। इसलिए यह नीति किसान विरोधी है।

मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ नरमी नहीं बरतेंगे। आप मेरे साथ औरों की बराबर नरमी नहीं बरतते। मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम उस विधानमण्डल की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिह्न लगा रहे हैं जिसने इसे अभिनियमित किया है। हमें तो केवल अवधि बढ़ानी है।

श्री चित्त बसु : एक सैकंड का समय और दीजिए। मैं पंजाब विधानमंडल की बुद्धिमत्ता पर संदेह नहीं कर रहा हूं। वे चुने हुए प्रतिनिधि हैं मैं उनका आदर करता हूं। लेकिन मुझे किसी नीति

[श्री चित्त वसु]

के बारे में कहने का तथा चर्चा करने का अधिकार है और इस संसद को इस नीति पर चर्चा करने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए ।

दूसरा मुद्दा कृषि-उपज तथा औद्योगिक उत्पादन के मूल्य में समानता का है । (व्यवधान) मेरे पास ढेर सारे आंकड़े हैं जिनसे पता चलता है कि यह असमानता बढ़ रही है । इसलिए मैं इस विधेयक के आधारभूत सिद्धांत के विरुद्ध हूं इसकी अवधि बढ़ाने के विरुद्ध नहीं हूं । अतः मैं संसद तथा माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कुछ बातें नोट कर लें और मेरे प्रश्नों का समाधान करें ताकि सरकार की नीति में परिवर्तन हो जिसमे कृषि उपज और औद्योगिक उत्पादन के मूल्यों में समानता बनाये रखी जाए और उत्पादकों को उनकी वाणिज्यिक फसलों का लाभप्रद मूल्य मिल सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके भाषण से कुछ सीख लेता हूं । इसलिए मैं प्रश्न करता हूं और उनका उत्तर प्राप्त कर लेता हूं ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष जी, पंजाब वाणिज्यिक फसल उपकर संशोधन विधेयक यों तो पंजाब के कृषि में लगे हुए किसानों के हितकारी बिल के रूप में दिखाई पड़ता है । लेकिन अगर आप इसका सिंहावलोकन करें तो किसानों को इस बिल से कोई लाभ पहुंचा है ऐसा मंत्री जी ने कहीं कोई जिक्र नहीं किया है । सबसे पहले राज्य सरकार ने 1974-75 से लेकर 1978-79 के लिए यानी 5 वर्ष के लिए यह बिल बनाया था । लेकिन पांच वर्ष के दौरान कितना उपकर वसूल किया गया और वसूलने के बाद किन-किन मदों पर खर्च किया गया, और उससे किसानों को कितना लाभ पहुंचा ? कल्याणनार्थ कृषि के औद्योगिकरण के लिए किन-किन मदों पर खर्च किया गया—इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है । सरकार ने अपनी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिये 1979 से 1980 और 1983-84 पांच वर्षों के लिये समय बढ़ाया और अब फिर जब कि छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है, तो फिर 1984-85 से लेकर 1988-89 तक के लिए समय बढ़ा रहे हैं यह अच्छी बात है, अगर किसानों के हित के लिए अगर उपकर उदग्रहित किया जाए और उसके द्वारा किसानों के लाभ के लिए चिन्ता की जाए । पंजाब के किसानों की स्थिति दूसरे किसानों की अपेक्षा बहुत अच्छी है । गेहूं और रबी की फसल भी भरपूर होती है, लेकिन इसके साथ-साथ वाणिज्यिक फसल पर उपकर लगाते हैं, सिंचित क्षेत्र के लिए 6 रु० और असिंचित क्षेत्र के लिए 3 रु ०तो जो छोटे लघु और सीमान्त कृषक जिनको हम गरीबी की रेखा से नीचे मानते हैं, उसके लिए यह अपवाद रखना चाहिये । जिनके पास 50-100-150 एकड़ जमीन है उनके लिए यह उपकर लगायेंगे तो अच्छा होता । यदि आप इन छोटे किसानों पर उपकर लगायेंगे तो वे वाणिज्यिक फसल लगाना भूल जायेंगे केवल गेहूं और रबी की फसल लगाकर ही अपने परिवार का पालन करना चाहेंगे । यह ठीक है कि यह कर स्टेट सरकार द्वारा लगाया है, लेकिन अब तो राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए छोटे-छोटे किसानों को भी अगर तबाह किया जाएगा तो यह कोई समाजवादी समाज के लिए मंशा अच्छी नहीं दीख पड़ती है । इसलिए यह बिल पूर्ण रूप से लाभ कारी नहीं है । मैं इसका विरोध कर रहा हूं क्योंकि अगर लघु सीमान्त कृषकों को इससे छूट दी होती

और बड़े-बड़े किसानों पर लागू किया जाता तो अच्छी बात होती। साथ ही साथ इन पिछले दस वर्षों में कितना उदग्रहित किया गया और किसानों को क्या लाभ पहुंचाया गया ?

दूसरी बात यह है कि असिंचित क्षेत्र में आपको टैक्स लगाना ही नहीं चाहिए था। आपने उसे पानी की गारन्टी नहीं दी है। यदि वह किसी तरह से फसल लगाकर अपने परिवार का पालन कर लेता है तो उसे भी अपवाद में रखना चाहिए, लेकिन उसे भी आपने अपवाद में नहीं रखा है। इसलिए यह व्यावहारिक नहीं लगता है।

साथ ही साथ वाणिज्यिक फसलों में बीमारिया लग जाती हैं, उसके लिए सरकार ने क्या गारन्टी दी है ? क्या उदग्रेहित रकम से उनकी फसलों की रक्षा की गारन्टी दी जाएगी, फसलों का बीमा किया जाएगा, कभी फसल बीमारी के कारण अच्छी नहीं होती है, तो बीमा किया जाएगा—लेकिन यह भी नहीं किया है। इस प्रकार असंगठित किसानों पर ही नाना प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। उन्हें फंसाया जाता है, उन्हीं को तबाह किया जाता है। श्रमिक जहां संगठित हैं, अगर उन के अधिकारों पर कुठराघात होता है तो वे लड़ते हैं, आन्दोलन करते हैं। लेकिन किसान जो मूक हैं. असंगठित हैं, उस पर टैक्स लगा दिए जाते हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में यह बिल किसानों के लिए हितकर बिल नहीं कहा जा सकता · यदि अपवाद वगैरह भी इस में रहते तो भी मैं हार्दिक समर्थन देता, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसी परिस्थिति में मैं इसका विरोध करता हूं।

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, यह सुनिश्चित करना सरकार का दृढ़ कर्त्तव्य है कि छोटे किसान, सीमान्त किसान तथा अन्य किसान अपने उत्पादन में वृद्धि करें।

इस उद्देश्य के लिए विभिन्न उपाय किए गये हैं। मेरे लिए इस अवस्था में और अधिक बल देना निरर्थक है।

जहां तक पंजाब वाणिज्यिक फसल विधेयक का सम्बन्ध है यह पहले ही लागू है। चूंकि हम सब इस तथ्य से अवगत हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू है और, संसद को इस राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है अतएव, इसकी अवधि और 5 वर्ष बढ़ाने के लिए इसे इस सम्मानीय सदन के समक्ष लाया गया है।

माननीय सदस्य आचार्य भगवान देव ने अपने भाषण में राज समिति का उल्लेख किया था। राज समिति की सिफारिशों को पढ़ा गया है और यह पाया गया है कि प्रत्यक्ष करों पर विचार करना उचित नहीं होगा।

सरकार ने 5 मानक एकड़ तक जमीन के मालिकों को भी भू-राजस्व से छूट दे दी है। यहां तक कि यदि किसी आदमी को इस बात का भ्रम है कि सरकार छोटे भू-स्वामियों के लिए समस्या उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है तो मुझे यह कहना है कि यह बात गलत है।

जहां तक उपकर का सम्बन्ध है, कुछ माननीय सदस्य यह जानना चाह रहे थे कि 1974-75

[श्री मल्लिकार्जुन]

75 से लेकर अब तक कितनी धनराशि इकट्ठी की गई है। 1974-75 में यह धनराशि लगभग 68,09,000 रुपए थी।

एक माननीय सदस्य : क्या यह धनराशि 68 लाख रुपए है ?

श्री मल्लिकार्जुन : जब आपको आंकड़ों की जानकारी मिली तो आप इस बात की प्रशंसा करोगे कि यह सही है।

1974-75 में वाणिज्यिक फसलों पर इकट्ठी की गई उपकर की धनराशि 68,09,000 रुपए है।

1983-84 में यह, 1,40,00,000 रुपए तक पहुंच गई है।

जहां तक पंजाब राज्य में इकट्ठे किए गए समस्त राजस्व, जिसमें वाणिज्यिक फसलों पर इकट्ठा किया गया उपकर भी शामिल है, का सम्बन्ध है यह मुश्किल से 3,00,00,000 रुपए बैठता है। लेकिन सरकार ने गन्ने, कपास तथा मिर्चों आदि के विकास पर इस धनराशि से अधिक धनराशि खर्च कर दी है।

इस उपकर को इकट्ठा करते समय कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया जाता है। कोई अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त नहीं किया जाना है। समस्त देश में प्रत्येक गांव में पटवारियों तथा अन्यों द्वारा भूमि राजस्व के इकट्ठा करने का नियमित तरीका प्रचलित है। लेवी उपकर भी उसी तंत्र द्वारा उसी तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है।

इस विधेयक का विरोध करते समय विपक्ष के सदस्यों ने जो कुछ कहा है मैं उसके विभिन्न पहलुओं की गहराई में नहीं जाना चाहता। उदाहरण के तौर पर ऐसे आरोप जैसे, सरकार विधेयक को राजनीतिक रूप दे रही है आदि। इस स्थिति में मेरे लिए ऐसे सभी आरोपों का जवाब देना मुश्किल है।

राज्य सरकार द्वारा 1980-81 में वाणिज्यिक फसलों के विकास पर 2,66,00,000 रुपये 1981-82 में 3,08,00,000 रुपये तथा 1982-83 में 2,90,00,000 रुपये खर्च किए गए जबकि उपकर के रूप में प्रतिवर्ष केवल 1,40,00,000 रुपये ही इकट्ठे किए गये थे।

इस बात को देखते हुए विपक्षी सदस्यों के लिए यह और भी उपयुक्त तथा संगत होगा कि वे 1983-84 खरीफ की फसल से 1988-89 की रबी की फसल तक की अग्रेन्तर अवधि के लिए इस विधेयक की अवधि बढ़ाने पर सहमत हो जाएं, यद्यपि वे श्री चिन्त वासु सहित विपक्षी सदस्यों ने सिद्धांत रूप में इस विधेयक का विरोध किया था। मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है और मैं उन माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इसका विरोध किया है; उन्होंने इसके बारे में अपने विचार रखे हैं.....

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं चाहता हूं कि इस बात को सदन की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाए कि मैं भी इस समय बढ़ाये जाने के हक में नहीं हूं।

श्री मल्लिकार्जुन : जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सरकार की यह सुनिश्चित करने की सुदृढ़ इच्छा है कि छोटे किसान अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि पंजाब वाणिज्यिक फसलें उप-कर अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री मल्लिकार्जुनन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

2. 41 म० प०

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :—

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1953 (1955 का 10) में जन साधारण के हित में कतिपय आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पूर्ति तथा वितरण और व्यापार एवं वाणिज्य पर नियंत्रण के लिए व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किया गया है। आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981 के द्वारा इस अधिनियम में नवीनतम संशोधन लागू किए गए थे ताकि इसके उपबन्धों को आवश्यक वस्तुओं का भण्डारण सूत्र करने, लाभ कमाने अन्तर्निहित व्यक्तियों से निपटने के लिए और प्रभावी बनाया जा सके।

इस अधिनियम की धारा 3 में यह उपबन्ध किया गया है कि किसी भी आवश्यक वस्तु के रख-रखाव अथवा आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए अथवा इसका समान वितरण तथा उचित मूल्य पर

[श्री भगवत झा आजाद]

उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ऐसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण तथा उनके व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने अथवा प्रतिबन्ध लगाने के लिए आदेश जारी कर सकती है। धारा 3 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को इस उत्पादन के भण्डारण, परिवहन और वितरण को विनियमित करने, कीमतों आदि पर नियन्त्रण रखने के लिए आदेश जारी करने की समग्र शक्तियां सौंपी गई हैं।

धारा 3 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक वस्तु उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। केवल उचित मूल्य निर्धारित करने से ही यह जरूरी नहीं होगा कि आवश्यक वस्तु उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो जायेंगी। इन्हें उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए न केवल उचित मूल्य ही निर्धारित किए जाने हैं बल्कि यदि आवश्यक वस्तु की पर्याप्त सप्लाई नहीं है तो इसकी सप्लाई में वृद्धि करनी पड़ती है।

किन्तु अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके द्वारा सरकार किसी व्यक्ति के दोषी पाए जाने के मामले में उससे कोई ऐसी धनराशि वसूल कर सके जिस पर किसी ऐसे विनियमनकारी आदेश के अनुसरण में भुगतान किया जाना अथवा जमा कराया जाना आवश्यक होता है। अतएव अधिनियम में तुरन्त कोई उपबन्ध शामिल करके संशोधन करना आवश्यक हो गया है जिससे भूमि-राजस्व की ऐसी बकाया धनराशि वसूल की जा सके ताकि इस विद्यमान अन्तराल को समाप्त किया जा सके।

यह इस संशोधन विधेयक का सीमित उपबन्ध है। इन प्रारम्भिक टिप्पणियों के साथ मैं इस विधेयक को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव पेश किया गया है :

> "कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (दक्षिणी कलकत्ता) : महोदय, सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम में और संशोधन करने का प्रयास कर रही है। 1955 से आज तक इसमें कई संशोधन किए गए हैं, जैसा कि मन्त्री महोदय ने स्वयं बताया है।

1955 में पारित किए गए अधिनियम का उद्देश्य जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा है, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, पूर्ति तथा वितरण पर नियन्त्रण करना था। उद्देश्य से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमें अपने उन मिलियनों देशवासियों को आवश्यक वस्तुएं अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए जिन्हें एक वक्त का भोजन मिलता है और कभी-कभी उन्हें भूखा रहने के लिए मजबूर किया जाता है इसका कारण यह नहीं है कि वस्तुओं की कमी है बल्कि क्योंकि या तो उनकी खरीदने की शक्ति सीमित है अथवा उनमें खरीदने की शक्ति बिल्कुल नहीं है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार इस समस्या से कभी भी उदासीन नहीं रह सकती है। इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए

भारतीय खाद्य निगम का सृजन किया गया था। राज्य व्यापार निगम का सृजन किया गया था और कतिपय वस्तुओं को आवश्यक माना गया है, इस रूप में आवश्यक है कि वे शरीर और आत्मा को एक साथ रख सकें। ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जिनकी एक सभ्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें केवल अमीर लोग ही खरीदते हैं, जो शान-शौकत की वस्तुएं अथवा आराम की वस्तुएं मानी जाती हैं। लेकिन अनाज, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल, कोयला जैसी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो आम आदमी के लिए आवश्यक हैं।

दुर्भाग्यवश, यह देखा जाएगा कि ये वस्तुएं हैं जिनके मूल्य बढ़ रहे हैं। इसमें वृद्धि हो रही और यह देखा जाएगा कि जिन वस्तुओं का समुदाय के सम्पन्न वर्गों द्वारा उपयोग किया जाता है उनके मूल्य कम हो रहे हैं। सरकार रेफ्रीजरेटरों,, दूरदर्शनों तथा अन्य शान-शौकत की वस्तुओं पर से कर को कम कर रही है। लेकिन जहां तक आवश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है उनके मूल्यों में सरकार के द्वारा संसद में और संसद से बाहर किये गये बड़े-बड़े दावों के बावजूद वृद्धि हो रही है। स्वयं सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से मुझे पता चला है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1979 से 1983 तक 6 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारी फसल के इस वर्ष में सरकार यह दावा करती है कि इस वर्ष अनाज का रिकार्ड उत्पादन हुआ है—आवश्यक वस्तुओं, जिनमें चावल भी शामिल है, के मूल्य बढ़ रहे हैं। मेरे पास इसके आंकड़े हैं। यदि मन्त्री महोदय इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो मैं उन्हें यह देखने के लिए ये आंकड़े दे सकता हूं कि मूल्य कैसे बढ़ रहे हैं। इस वर्ष चावल के मूल्य में वृद्धि 15.4 प्रतिशत थी। किसी भी व्यक्ति को यह पता लगाने के लिए बाजार में अथवा सुपर बाजार में जाना पड़ता है—

उपाध्यक्ष महोदय : आपका तात्पर्य थोक मूल्य से है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जी, हां, महोदय। आप यह पाएंगे कि सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है।

जहां तक अनाजों का सम्बन्ध है, हमारी सरकार भी भारी स्टॉक करने की नीति का अनुसरण कर रही है। लेकिन, उस नीति के बावजूद हम पाते हैं कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। इसका केवल यही मतलब है कि इससे गरीब लोगों—उन लोगों का जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, का जीवन-स्तर कम हो जाएगा। अब यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जब आपका खाद्य उत्पादन बढ़ता है तो मूल्य क्यों बढ़ने चाहिए ? सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण हैं। किसी भी व्यक्ति को अर्थशास्त्र के साधारण, सिद्धांतों से यह पता लग जाएगा कि जब किसी आवश्यक वस्तु की अधिक सप्लाई होती है तो मूल्य कम होने चाहिए लेकिन महोदय, फाइनेन्सियल एक्सप्रैस समाचार पत्र तथा अन्य समाचार पत्रों ने इस बात को नोट किया है; हमारे अर्थशास्त्रियों ने भी इस बात को नोट किया है और उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि यह कैसे होता है कि जब उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो मूल्यों में भी वृद्धि हो रही है। इसका कारण यह है क्योंकि सरकार व्यापारियों पर नियन्त्रण करने में असफल है, और यह कालाबाजारियों पर नियन्त्रण करने में असफल है और यह राज्यों द्वारा अनाजों की सप्लाई के लिए कहा

[श्री सत्य साधन चक्रवर्ती]

जाने पर, जब उनकी अत्यधिक आवश्यकता होती है, सरकार उसका जवाब देने में भी असफल है। सरकार निश्चित रूप से अनाजों की खरीद कर रही है। जब कभी राज्य चावल अथवा गेहूं अथवा किसी अन्य अनाज की पर्याप्त सप्लाई करने की मांग करते हैं तो केन्द्र सरकार ऐसा करने के लिए अनिच्छुक होती है। एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है कि :—

राज्य सरकारों द्वारा की गयी मांग लाखों टनों में निम्नलिखत रूप में है :—

1980-81	58.89
1981-82	853.08
1982-83	264-95
1983-84	303.41

यह केवल पश्चिम बंगाल की ही मांग नहीं है वरन सभी राज्यों की मांग है। (**व्यवधान**) अन्य राज्य भी मांग कर रहे हैं। विभिन्न कारणों से है। जब चक्रवात आते हैं, सूखा पड़ता है या फसल खराब हो जाती है तो अनाज की पर्याप्त पूर्ति के लिए राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से अपील करती हैं।

अब महोदय आपको यह पता लगेगा कि तमिलनाडु भी सम्बद्ध है—राज्य सरकारों को आबंटन कर दिया गया है। वह लाख टनों में हैं। आंकड़े इस प्रकार है :—

वर्ष	मांग	आबंटन
1980-81	258.89	189.67
1981-82	253.09	168.38
1982-83	264.95	146 08
1983-84	303.41	जनवरी, 1984 तक 176.82

आबंटन और वास्तविक उठान में अन्तर है। आप देखेंगे कि 1983-84 में किया गया आबंटन 176.82 तथा वास्तविक उठान केवल 150.71 लाख टन था 1982-83 में 146.87 लाख टन के लिए मांग की गयी थी किन्तु 134.97 लाख का ही उठान था। अतः स्पष्ट है कि मांग और पूर्ति के बीच काफी अन्तर हैं। (**व्यवधान**) उत्पादन बढ़ गया है किन्तु राज्यों को पर्याप्त खाद्यान्न की पूर्ति न किए जाने के क्या करण है क्योंकि धन आपका उत्पादन आपके नियतन से बढ़ जाए या जनवरी तक आपके द्वारा वस्तुत. 1120, 12 `0, 1340 और 1160 लाख टन की पूर्ति हो इसके बावजूद ऐसा करने के क्या कारण हैं।

सबसे पहले तो मैं नहीं जानता कि आपकी नीति क्या है। बफर स्टाक रखने नीति राज्यों के लिए आवश्यक होने पर यह मदद करने की दृष्टि से निर्धारित गयी थी अन्यथा राज्य आते ही क्यों।

वे जरूरत पड़ने पर ही आपसे अनुरोध करते हैं। जरूरत मन्द दोस्त की मदद करने वाला ही सच्चा दोस्त होता है किन्तु आप जरूरत मन्द दोस्त की मदद करने वाले हैं ही नहीं इसीलिए आप सच्चे दोस्त हो ही नही सकते।

महोदय सरकारी वितरण प्रणाली को क्या हो गया है। सरकार यहां दावा करती है कि हम सरकारी वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और विस्तृत करने के पक्ष में हैं। हमारे प्रधान मन्त्री के 20 सूची कार्यक्रम में भी इसे शामिल किया गया है इत्यादि। किन्तु वस्तुत: क्या हो रहा है? क्या आप सरकारी वितरण प्रणाली को मजबूत कर रहे हैं? जहां कहीं कानूनी रूप से निर्धारित किया गया है आप उन्हें खाद्यान्नों और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे बाजार जाएं और एक किलो चावल खरीदें तो उन्हें पता चल जाएगा कि आम जनता को यह क्यों नहीं मिल पा रहा है। गरीब जनता जो दिन में एक बार खाने के सपने देखती है और भारत में लाखों ऐसे हैं जिनके लिए दिन में एक बार भरपेट भोजन भी सपना ही है। सरकार सरकारी वितरण प्रणाली मजबूत करने के बजाए उसे नष्ट कर रही है हालांकि वे इस बात का दावा करते हैं वे उसे मज़बूत बनाना चाहते हैं। कैसे? आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति नहीं करते हुए? मिट्टी के तेल का दाम केवल व्यापारियों की वजह से ही नहीं बढ़ा बरन् केन्द्रीय सरकार की वजह से भी बढ़ा है क्योंकि वे लागू मूल्य की नीति का ही पालन कर रहे हैं। इस समय कोयले की कीमत क्या है? कोयले का दान आपने कितनी बार बढ़ाया है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें। अब सभा—

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय आप उन्हें पूरा करने दें ताकि हम इस मुद्दे पर बात पूरी कर सकें और यदि आप चाहें तो गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी वाद-विवाद समाप्त होने के बाद इसे फिर से शुरू किया जा सकता है।

3.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : हमें आधे घंटे की चर्चा भी करनी है।

श्री बूटा सिंह : महोदय, आधे घंटे की चर्चा समाप्त होने के बाद मैं मन्त्री महोदय, से इसे समाप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता हूं। यही बेहतर होगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम इसे सोमवार को उठा सकते हैं। अन्य वक्ता भी तो हैं।

श्री बूटा सिंह : एक घंटे का समय दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आधे घंटे की चर्चा के लिए नियतन न हो किन्तु आधे घंटे की चर्चा की जरूरत होती यह सम्भव नहीं होगा।

श्री बूटा सिंह : हम इसे 1 बजे तक समाप्त कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह सम्भव नहीं है । आधे घंटे की चर्चा शामिल करनी है तो हम इसे सोमवार को ले सकते हैं ।

श्री सत्यासाधन चक्रवर्ती : धन्यवाद, महोदय ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भागवत झा आजाद दूसरे वक्ता श्री राकेश ही हैं । तभी आप उत्तर देंगे ।

3.01 म० प०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

76 वां प्रतिवेदन

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :—

"कि यह सभा 25 अप्रैल 1984 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 76 वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 25 अप्रैल 1984 को सभा में प्रस्तुत किये गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की 76 वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

302 म० प०

निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प और 12 अप्रैल 1984 को पेश किये गये तत्सम्बन्धी संशोधनों पर आगे चर्चा करेगी :—

"यह सभा स्वतंत्रता-प्राप्ति के छत्तीस वर्षों के बाद भी देश भर में विद्यमान निरक्षता अत्याधिक प्रतिशतता पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और संकल्प करती है कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को हमारे संविधान में मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया जाये"

श्री शैलानी इस पर चर्चा कर रहे थे वे पहले 9 मिनट ले चुके है वे कुछ और मिनट का समय लेकर अपनी बात समाप्त कर सकते हैं ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन निवेदन कर रहा था कि हमारे देश में 1951 से 1981 के बीच में शिक्षा का राज्यवार प्रतिशत क्या है। जहां तक जम्मू-काश्मीर राज्य का सम्बन्ध है, 1951 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, मगर 1981 में वहां की शिक्षा का प्रतिशत 26.67 है। कर्नाटक में 1951 में वह 19.31 प्रतिशत था, जो बढ़कर 1981 में 38.46 प्रतिशत हो गया। केरल में वह 1951 में 40.23 प्रतिशत था और 1981 में 70.42 प्रतिशत हुआ। मध्य प्रदेश, 1951 में वह 9.60 प्रतिशत था, जो बढ़कर 1981 में 27.87 हो गया। इसी तरह से सारे राज्यों के आंकड़े हैं। यह काफी लम्बी लिस्ट है। इस वक्त हमारे देश में शिक्षा की प्रतिशतता करीब 15.83 है।

माननीय सदस्य ने यह जो संकल्प पेश किया है, उसमें शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। जहां तक उनकी भावना का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने उसकी प्रशंसा की है। यदि गहराई से विचार किया जाए, तो मैं समझता हूं कि इस बिल का उद्देश्य बहुत ही साफ और महान् है। उस दिन यह निवेदन कर रहा था कि उस देश में अधिकांश गरीब और मध्यम-वर्ग के लोग रहते हैं और उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था आज भी ठीक नहीं है, और वह तब तक ठीक नहीं होगी, जब तक शिक्षा का स्तर एक समान नहीं हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि जिला परिषद्, नगर पालिका और महापालिका के देहात, कस्बों और शहरों के स्कूलों की हालत बहुत खराब है। वहां पर वे अध्यापक जाते हैं, जो सही मानों में अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं देते। उन स्कूलों से निकले हुए बच्चे आई० ए० एस०, आई० पी एस० और आई० एफ० एस० आदि काम्पीटीशन्ज में उतनी अधिक संख्या में नहीं आ पाते हैं, जितनी संख्या में पब्लिक स्कूलों और कानवेन्ट्स में पढ़ने वाले अमीरों और पूंजीपतियों के बच्चे आते हैं। मैंने उस दिन मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि जहां तक हो सके, इस देश में शिक्षा का स्तर एक समान हो और गरीब तथा अमीर, छूत तथा अछूत सभी के बच्चों को एक सी शिक्षा दी जाए। तब पता चलेगा कि काम्पीटाटिव एग्जामिनेशन्ज में कौन पास होते हैं और कौन फेल होते हैं। मेरा सुझाव है कि शिक्षा बजट का 80 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति, जनजातियों और कमजोर वर्ग के बच्चों पर खर्च होना चाहिये, क्योंकि पैसे वाले शहर के लोग तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है जब तक शिक्षा एक जैसी नहीं होगी और स्तर नहीं सुधरेगा तब तक किसी भी क्षेत्र में हम तरक्की नहीं कर सकते। मैं इस बिल की भावना से सहमत हूं, लेकिन चूंकि यह प्राइवेट बिल है इसलिये पास तो नहीं होगा, अच्छा हो सरकार ही ऐसा बिल लाये और पास हो तो ज्यादा अच्छा रहे।

आज सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी जातियों के लोगों को काफी सुविधाएं दी हैं और वह अच्छे-अच्छे औहदा पर हैं। जो लोग पढ़ लिख गए है उनके बच्चे भविष्य में अनपढ़ नही रहेंगे। इन शब्दों के साथ में चाहूंगा सरकार अपनी तरफ से ऐसा बिल लाये जिसमें देश के सभी वर्गों का हित हो। मैं, इस बिल की भावनाओं का समर्थन करते हुए और आपका धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष जी, इस संकल्प पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं समझता हूं यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है कि आजादी के 38 वर्ष और गणतंत्र के रूप में 35 वर्ष गुजर रहे हैं, फिर भी सारे देश में निरक्षरता की संख्या कम नहीं है। 70 प्रतिशत अभी भी लोग अशिक्षित हैं। 30 प्रतिशत जो शिक्षित हुए हैं उसमें भी कई प्रान्तों में जो स्थिति है उसके अनुसार देखा जाए तो बहुत ही मंद मूलक है। यह व्यवस्था के अभाव और संतुलित सरकारी व्यवस्था के अभाव के कारण सारे देश में ऐसी स्थिति है। हमारी जो योजनायें बनी 38 वर्ष के बाद भी 50 प्रतिशत लोग अभी तक शिक्षित नहीं हो पाये है। मैंने अपने क्षेत्र के दौरे में देखा एक ब्लाक की 48,000 जनसंख्या है जिसमें शिक्षितों की संख्या 8,000 थी और शेष 4,000 अशिक्षित थे। इस प्रकार वहां 16 हजार पुरुष और 20 हजार महिलाएं अशिक्षित थे। इतने दिनों के बाद भी हमारी शिक्षा की यह रफ्तार है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार आगे आने वाले 50-100 सालों में भी हम पूर्ण रूप से लोगों को शिक्षित नहीं कर पायेंगे। यह बहुत ही भयानक स्थिति है। देश में प्रजातन्त्र का अर्थ हैं कि देश में हर व्यक्ति को शिक्षा हासिल होनी चाहिए लेकिन देश में 70 फीसदी से अधिक लोगों की संख्या ठप्पा मारने की है। इस प्रकार वे कैसे गणतन्त्र, प्रजातन्त्र को समझेंगे। इसके लिए सरकार को प्राथमिकता देकर महत्त्व देना चाहिए ताकि देश का हर नागरिक साक्षर हो जाए। संविधान के अनुसर 14 वर्ष तक शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन वह आज भी किताबों तक ही समिति है। अभी तक जितनी भी व्यवस्थायें हुई हैं, वे अपर्याप्त हैं। यह बहुत ही वेदना का विषय है, लेकिन अभी भी हम इस दिशा से गुजर रहे हैं। इसीलिए माननीय सदस्य ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए यह प्रस्ताव रखा है, ताकि इसके द्वारा सभी नागरिकों को कम से कम पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। वे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके परिवार की स्थिति क्या है, इन सब पर सरकार को विचार करना चाहिए। आखिर इन बच्चों के संस्कार को ऊपर उठाने के लिए सरकार उत्तरदायी है यदि वह अपने उत्तरदायित्व को निभा नहीं सकती है, तो उसे शासन में रहने का कोई हक नहीं है। अभी भी उच्च शिक्षा में छीना-झपटी है। जो ऊंचे परिवार के लोग हैं, वे बराबर आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन निम्न वर्ग के लोग, हरिजन, आदिवासी, गिरिजन, कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोग वास्ततिक शिक्षा भी हासिल नहीं कर पाते हैं। तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी सरकार ने कारगार कदम नहीं उठाया है। उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी सरकार की कोई अभिरुचि नहीं है। गांव गांव में प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही दुखद है। यदि है भी तो सामग्री का काफी अभाव है। अभी भी देश में एक ऐसा प्रान्त है जहां आजादी के इतने वर्षों के बाद भी प्राथमिक विद्यालय किसी कच्चे भवन में, झोपड़ी वाले मकान में, वृक्षों के नीचे, किसी मन्दिर में या किसी के दरवाजे पर बैठ कर चलते हैं। न उनके पास बैठने के लिए पट्टी है, न ब्लैक-बोर्ड है और न अन्य साधन हैं। जब ऐसी हालत है तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम बच्चों को अनिवार्य रूप से गारन्टी के साथ, शिक्षा मुहैया कर रहे हैं ? हमारी ये योजनायें इस दिशा में आज तक क्या करती रही हैं ? यह सब हमारी अदूरदर्शिता का परिणाम है—पछले 38 वर्षों में शिक्षा के लिए सब से पहले प्राथमिकता देकर जो काम या जो व्यवस्था हमें करनी चाहिए थी, वह हम नहीं कर सके हैं।

हमारा देश गांवों का देश है इस देश में 5-6 लाख गांव हैं। गांवों में शिक्षा की उचित व्यवस्था न होने के कारण यदि कोई शिक्षा प्राप्त करने के लिये शहरों की तरफ आता है तो वहां उसे एडमीशन नहीं मिलता है। दिल्ली जैसे शहर में मार्डन स्कूल हैं, दूसरे पब्लिक स्कूल हैं जिनमें गांवों के बच्चों के लिए एडमीशन मिलना दुर्लभ है। इन स्कूलों में किन लोगों को एडमीशन मिलता है, जो पूंजीपति हैं या ब्यूरोक्रेट में हैं। जो वर्ग पहले से आगे बढ़ चुका है उसको ही ऐसे स्कूलों में स्थान मिलता है। जब ऐसे लोगों को इन में स्थान मिलेगा तो देश के 70 प्रतिशत लोगों के लिए क्या होगा ? जरूरत इस बात की है कि सब को समान रूप से शिक्षा मिले, चाहे गांव का स्कूल हो या शहर का स्कूल हो, सब का सिलेबस समान हो, पठन-पाठन की प्रणाली समान हो ताकि कोई गांव में पढ़े या शहर में पढ़े उसे समान शिक्षा मिले। लेकिन वास्तवितता क्या है—नाना प्रकार के सलेबस है। कई लोग अपनी सामाजिक संस्थायें चलाते हैं, कहीं सरकार की तरफ से ही अच्छे विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था की गई है। इस प्रकार समाज का जो विशेष वर्ग है उनको ही ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता रहता है।

हमारे सामने आपकी एनुअल रिपोर्ट आती है, दूसरी बड़ी-बडी किताबें छपाई जाती हैं, फोटो वगैरह छापी जाती हैं, इन सब पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। अगर इस प्रकार के खर्च को कम करके इस तरफ ध्यान दिया जाए तो उस धन से हजारों स्कूलों की बिल्डिंग बन सकती हैं, उनको शिक्षा की दूसरी सुविधायें दी जा सकती हैं। लेकिन कठिनाई यह है कि आज जो शिक्षा की व्यवस्था है—उसमें दोहरी-प्रणाली चल रही है। ससाज में जो आगे बढ़ चुके हैं, जो आफिसर वर्ग के हैं, नेता वर्ग के हैं उनके लिए जितनी सुविधायें शिक्षा प्राप्त करने के लिए हैं, डाक्टर और इन्जीनियर बनने के लिए हैं, उतनी भारत के शेष समाज के लिए नहीं हैं। कैपिटेशन की समाप्त हो गई है, लेकिन उसको दूसरे रूप में लिया जाता है, एक-एक और डेढ़-डेढ़ लाख रुपया दान में ले लिया जाता है। लेकिन एक गरीब इतना रुपया कहां से लायेगा, कहां से इतनी घूस देकर अपने बच्चे को उच्च शिक्षा मुहिया कर सकेग। इसलिये मेरा निवेदन है कि शिक्षा प्रणाली को समान बनाया जाय, शहरों और गांवों में समान रूप से शिक्षा दी जाय, चाहे वह इन्जीनियरिंग की हो, डाक्टरी की हो या दूसरी साइन्टिफिक एजूकेशन हो, ताकि हमारे बच्चों को गांवों से शहरों की तरफ आने की जरूरत न पड़े और समाज के अन्य वर्गों के साथ-साथ उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। मेरा यह भी विचार है कि जो हमारे हरिजन, आदिवासी, गिरीजन हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको कम से कम आई० ए० या बी० ए० तक निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए और जिन बच्चों के गार्जियन बच्चों को नहीं बढ़ाते हैं, उनके आवासीय विद्यालयों की रचना करके शिक्षा देने की व्यवस्था करें। बहुत से बच्चे हैं, जिनके गार्जियन उनके लिए खाने, कपड़े, किताबें और दूसरी तरह की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और उन बच्चों से मजदूरी कराते हैं। ऐसे बच्चों को साक्षार बनाने के लिए सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए और इस चीज को योजना में शामिल करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी सभी लोगों को साक्षर बनाने में हम सफल हो सकेंगे। कांस्टीटुयेन्ट एसेम्बली के सदस्यों ने महात्मा गांधी की भावना को ध्यान में रख कर इस चीज को रखा था कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

जरूरत है और ऐसी परिस्थिति में इसको सबसे पहले प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। जिस तरह से हर व्यक्ति के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से देश की समृद्धि के लिए, देश को देख प्रदान करने के लिए हर बच्चे की पढ़ाई आवश्यक है और इसको प्राथमिकता देने के लिए हमें कारगर उपाय उठाने चाहिए। सारे देश में जितने भी विद्यालय हैं, उनमें पढ़ाई के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं, उनकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ताकि देश के माथे पर जो यह एक कलंक है और कोढ़ की तरह से जो यह बीमारी फैली हुई है कि इतने सारे लोग निरक्षार हैं, यह खत्म हो और इसको दूर किया जाए।

एक बात मैं प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। प्रौढ़ शिक्षा का काम ऐसी एजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है जो करोड़ों रुपया हजम कर जाती हैं। न वे कोई रजिस्टर इसके लिए रखती हैं और न कोई इस चीज को देखने के लिए जाता है और हर गांव में बैठ कर करोड़ों रुपया सरकार का इस पर नष्ट हो रहा है। आंकड़ों में तो यह दिखाया जाता है कि 50 प्रतिशत लोग साक्षर हो गये हैं लेकिन यह सब कागजों में ही रहता है और व्यवहारिक रूप में ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी गांव में जाकर देख लें, वहां पर प्रौढ़ शिक्षा की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है और इस के लिए कोई कारगर कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसकी जांच करने वाला कोई अधिकारी भी नहीं है और घर बैठ कर हिसाब बना दिया जाता है और सरकार का करोड़ों रुपया इस तरह से हजम कर लिया जाता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि प्राइवेट एजेन्सियों को जो यह काम दिया है इसको समाप्त किया जाए और गवर्नमेंट का जो शिक्षा विभाग है, उसके द्वारा इस काम को कराया जाए। एक बात में यह भी कहना चाहता हूं कि रात्रि में ही यह शिक्षा देने का प्रावधान है। दिन में भी दो घण्टे इसकी पढ़ाई होनी चाहिए ताकि वहां जाकर जांच पड़ताल की जा सके कि वाकई में प्रौढ़ शिक्षा लोगों को दी जा रही है। रात्रि पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं होती है और कोई एकाध जगह ऐसी होगी जहां पर यह पढ़ाई ठीक से दी जा रही हो वरना सब जगहों पर सदाचार और व्यभिचार है। इसकी जांच-पड़ताल होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ में इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संकल्प के लिए पिछली बार दो घण्टे दिए गए थे। अब वे दो घण्टे समाप्त हो गए हैं। अभी 5 या 6 सदस्यों को बोलना है। मंत्री महोदय को हस्तक्षेप करना ही होगा और प्रस्तुतकर्ता को उत्तर देना ही होगा। इसीलिए मैं सभा से यह जानना चाहता हूं कि हमें कितना और समय बढ़ाना चाहिए।

अनेक माननीय सदस्य : एक घण्टा।

उपाध्यक्ष महोदय : तो सभा एक घण्टा और समय बढ़ाने के लिए सहमत है और फिर हम देखेंगे। जो भी हो हमें श्री राही को भी संकल्प पेश करने का मौका देना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी सैफुद्दीन जी ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने के विषय में जो प्रस्ताव रखा है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है। जिस भावना से माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि उनकी पार्टी की एक प्रांत में सरकार है, उस सरकार ने उस प्रांत में इस विषय में कोई कदम उठाए हैं या नहीं ?

अनिवार्य शिक्षा प्रांतीय सरकारों में कर रखी है और निःशुल्क शिक्षा हमने 14 साल तक के बच्चों के लिए कर रखी है इसलिए निःशुल्कता का तो कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। हमने मिडिल क्लास तक निःशुल्क शिक्षा कर रखी है। इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है यह हम महसूस करते हैं। इसको 14 साल से आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कि बच्चे कम से कम मेट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। वहाँ तक तो शिक्षा निःशुल्क हो जाए जिससे कि गरीब से गरीब आदमी के बच्चों को भी मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था से निश्चित तरीके से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

भारत सरकार ने और खास कर हमारे देश की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बीस सूत्री कार्यक्रम के जरिये से पिछले तीन-चार सालों में प्राइमरी और मिडिल शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत अच्छा काम किया है और इस साल तो बहुत बड़ा प्रयोग किया है। 6 से 11 साल के बच्चों का बहुत बड़ा एनरोलमेंट जो संस्था करती है, उसको अलग-अलग तरीके से नाम देने की घोषणा की, उनको मदद कम्पेनसेशन देने की घोषणा की। जिस संस्था में सबसे ज्यादा लड़कियों का प्रवेश होगा, उस संस्था को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की घोषणा की। इससे काफी लाभ हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर प्राइमरी और मिडिल स्टेज पर एनरोलमेंट का काम बहुत तेजी से हुआ। इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा के सम्बन्ध में भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारों ने कोई काम नहीं किया। काम निश्चित तरीके के किया। लेकिन इस काम में सुधार की आवश्यकता है और इस काम में जो कमियां हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है।

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि यहां पर दो प्रकार की शिक्षा मिलती है। बड़े लोगों को बहुत बढ़िया शिक्षा मिलती है और गरीब लोगों को दूसरे प्रकार की शिक्षा मिलती है। शिक्षा में इस प्रकार का जो भेदभाव चल रहा है इसको समाप्त करना बहुत आवश्यक है। पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षा में बहुत अन्तर है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी गांवों में देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूलों में न बैठने की व्यवस्था है, न पढ़ाई की सामग्री की व्यवस्था है। गरीब बच्चों को पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए।

यह ठीक है कि यह काफी बड़ा काम है और सरकार इसके लिए कोशिश करती है कि शेडयुल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के बच्चों को और पावर्टी लाईन से नीचे के बच्चों को किताबें दें और दूसरी सुविधाएं दे। यह कोशिश उतनी मात्रा में नहीं हो रही है जितनी मात्रा में होनी चाहिए। इसमें बहुत कमियां हैं और इन कमियों को निश्चित तरीके से दूर किया जाना चाहिए।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

पब्लिक स्कूल में चाहे किसी शेडयुल्ड कास्ट्स या शेड्युल्ड ट्राइब्स का बच्चा पढ़े, उससे गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा कम्पीट नहीं कर सकता। क्योंकि दोनों स्कूलों की शिक्षा में बहुत बड़ा अन्तर है। आप इसी से इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि गांव के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वे कभी अफसर नहीं बन पाते, कभी सर्विस एग्जामिनेशन में कम्पीट नहीं कर पाते। प्रान्तीय और आल इण्डिया सेवाओं में पब्लिक स्कूल के पढ़े बच्चे ही आते हैं।

सब लोग यही चाहते हैं कि इस अन्तर को समाप्त किया जाना चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है और मैंने भी कहा है कि इस प्रकार की दोहरी शिक्षा व्यवस्था को जो इस समय देश में चल रही है, निश्चित तरीके से इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। अगर आप इसको नहीं रोक सकेंगे, तो आप कितना ही प्रयत्न करें, शिक्षा पर अरबों रुपया खर्च करें, गांव के स्कूलों का और पब्लिक स्कूलों का स्टेडर्ड एक नहीं हो सकता। इस अन्तर को मिटाने की बहुत आवश्यकता है। इसके सम्बन्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती है। जब भी इसके बारे में कहा जाता है और इस दोहरी शिक्षा का विरोध किया जाता है तभी सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि पब्लिक स्कूल अपने खर्चे से चल रहे हैं। लेकिन इससे भेदभाव होता है। इसमें जो भेदभाव हो रहा है, उस अन्तर को किस प्रकार समाप्त करेंगे। आप समाजवादी व्यवस्था की बात करते हैं, समाजवाद लाना चाहते हैं, लेकिन इस अन्तर के रहते हुए कैसे आप समाजवाद ला सकते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है।

कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि गांवों में स्कूलों के लिए बिल्डिंग नहीं है। अभी हमारी सरकार ने एन० आर० ई० पी० के जरिए बिल्डिंग बनाने का काम किया है। लेकिन सिर्फ बिल्डिंग से काम नहीं चल सकता। उनको अन्य सुविधाओं की भी आवश्यकता है। इन सारी सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। खाने की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इन व्यवस्थाओं के करने से ही यह अन्तर समाप्त हो सकता है। इस ओर देखने की आवश्यकता है।

हमारे देश में अभी भी सिर्फ 30 प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं और 70 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं। सरकार ने इस ओर कोशिश की है। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं लेकिन अभी इन कार्यक्रमों को उतना बल नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। इस कार्यक्रम को सुधारने की आवश्यकता है। गांव में अपने लोगों को रोजगार देने की दृष्टि से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। उनको दी जाने वाली सुविधाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। जनता पार्टी के समय में भी इस प्रकार से हुआ। कुछ लोगों की तो इन्होंने डाक्टर बनाकर गांवों में भेज दिया जिनके पास चिकित्सा का कोई ज्ञान नहीं था। जिन लोगों को इस कार्यक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको लगाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को इसमें लगाने की आवश्यकता है जो इसमें दिलचस्पी लें और देश सेवा की दृष्टि से काम करें। तभी इसमें सुधार हो सकता है। तभी हम इस अन्तर को कुछ समाप्त कर सकते हैं। इस व्यवस्था को ठीक करने की नितांत आवश्यकता है।

आज हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की जरूरत है। अगर आज किसी को एम्पलाय-

मेंट नहीं मिलती है तो वह आगे बी० ए० एल० एल० बी० और एम० ए० में पढ़ने की कोशिश करता है। थर्ड क्लास लोगों को, जिनकी पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, उनको आगे पढ़ाकर देश के रिसोर्सेज को क्यों बर्बाद किया जाता है ? उनके लिए टैक्नीकल एजूकेशन 10 वीं और ग्यारहवीं के बाद दी जाए जिससे वे लोग एम्पायमेंट में जायें। उनको अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ाकर अन-एम्पलायड लोगों की फौज इकट्ठी करते जायें तो ऐसी व्यवस्था को रोकने की आवश्यकता है। जितने भी सोशलिस्ट कंटरीज हैं, वहां भी यही व्यवस्था है कि जो बहुत अच्छे इंटेलीजेंट, फर्स्ट क्लास में पास होने वाले बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। आज मीडियोकर को मैट्रिक पास करने के बाद किसी न किसी वोकेशन्ज में भेजने की आवश्यकता है, जिससे वह अपनी रोटी-रोजी कमा सके। जब तक आप यह नहीं करेंगे, अनएम्पलायमेंट की प्राबलम बढ़ती जायेगी।

आज पढ़ाई के लिए केवल स्कूल की व्यवस्था ही नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा रेडियो और टी० वी० के जरिये भी पाठ्यक्रम दिये जाने चाहिये जैसे कि थोड़े बहुत दिये जा रहे हैं। इन्हें विस्तृत पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे जो बच्चे स्कूल अटैंड न करें, वह रेडियो, टी० वी० के जरिये पाठ्यक्रम प्राप्त कर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें।

इससे अशिक्षा दूर होगी। जो प्रस्ताव यहां रखा गया है, भारत सरकार उसके सम्बन्ध में काफी प्रयत्नशील है और उसने काफी काम किया भी है मगर वह 30 परसेंट ही नजर आता है। जब 10 वर्ष पहले से सैंसेंस किया गया था तो उस वक्त क्या पोपूलेशन थी ? हर साल 2 करोड़ बच्चे बढ़ जाते हैं। इससे हमारी शिक्षा की स्वरेज परसेंटेज उसी स्तर पर बनी हुई है। हम चाहे कितना भी भागीरथ प्रयत्न करें, सरकार चाहे कितनी ही योजनाएं बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। परन्तु उसमें सफलता नहीं मिल रही है। जब हम सभी प्रकार के कार्यक्रमों को इस देश में सफल बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजूकेट करके अशिक्षा के क्षेत्र को कम करने का प्रयास करेंगे, तभी यह काम हो सकेगा।

प्रस्ताव रख देने से, अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा सबको मिलनी चाहिये, यह तो हमारा ध्येय है ही, इसलिये इस प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें निश्चित तरीके से इसको पूरा करने की कोशिश करनी है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी सदस्यों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। मैं समझता हूं कि श्री सैफुद्दीन चौधरी का यह छोटा सा प्रस्ताव काफी महत्व-पूर्ण है और संविधान युक्त है। यह प्रस्ताव सरकार को स्वयं लाना चाहिये था पर सरकार इसे नहीं ला सकी जो अब इसको स्वीकार करने में एक मिनट की देरी भी नहीं करनी चाहिये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी जो प्रस्ताव लाये हैं, ठीक यही चीज संविधान के निर्माताओं ने संविधान की धारा 45, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज आफ स्टेट पालिसी, में रखी थी और उसमें कहा गया है :—

> "राज्य इस संविधान के लागू होने से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों की चौदह वर्ष की अवस्था समाप्ति तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।"

[श्री राम विलास पासवान]

आर्टिकल 41 में कहा गया है :—

"राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीन तथा अन्य के अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का कार्य साधक उपबन्ध करेगा।"

उसमें भी राइट टु एजूकेशन की बात कही गई है। संविधान के निर्माताओं ने इसके लिए दस साल का पीरियड रखा था। आज हम यह डिसकशन आजादी मिलने के 36 साल के बाद कर रहे हैं। यदि सरकार आज भी इस प्रस्ताव को नहीं मानती, तो देश के लिए इससे ज्यादा अफोसस की बात और कोई नहीं हो सकती।

मैं समझता हूं कि इस देश में जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक यहां पर कोई भी तंत्र नहीं चलेगा। हम लाख डेमोक्रेसी की बात कहें, लेकिन शिक्षा के बिना वह सफल नहीं हो सकती, क्योंकि शिक्षा ही आदमी को वास्तव में आदमी बनाती है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गांवों में 75 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं, मूर्ख हैं और शहरों में 30 प्रतिशत लोग पढ़े-लिखे हैं। कुल मिलाकर इस देश में 34 से 35 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं और बाकी अशिक्षित और मूर्ख हैं। आजादी के 36 साल के बाद का नक्शा है।

यदि हम देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, तो हमें तमाम लोगों को शिक्षित करना होगा। हमारे यहां 34, 35 प्रतिशत शिक्षित लोग हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग केवल 22 परसेंट हैं और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के 14 परसेंट हैं। 22 परसेंट महिलाएं शिक्षित हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स तथा शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की केवल 6.40 परसेंट महिलाएं शिक्षित हैं।

मैं चाहता हूं कि इस देश में कोई भी आदमी, शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज, बैकवर्ड क्लासिज का कोई भी आदमी अशिक्षित न रहे। लोगों को शिक्षित बनाना सरकार का सर्वप्रथम दायित्व है कोई भी आदमी अपने अधिकार के प्रति जागरूक तभी हो सकता है, जब अधिकार का उसे ज्ञान हो, और यह ज्ञान तब तक नहीं हो सकता है, जब तक आदमी शिक्षित न हो। गांवों के लोग-देश की आबादी का आधा भाग—आज गुलामी की जिन्दगी बसर कर रहे हैं, जिन्हें अपने अधिकार, दायित्व तथा कर्त्तव्य का पता नहीं है। इसलिए सरकार एजूकेशन को कम्पलसरी और फ्री करे। एजूकेशन को कम्पलसरी कैसे किया जा सकता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसके लिए सरकार को दो तीन उपाय करने होंगे।

सिर्फ विद्यालय में फीस माफ कर देने से ही बच्चे उनमें पढ़ने नहीं जाते। हमें मालूम है कि गांव में बच्चा चार, पांच, दस साल के बाद अपने मां-बाप को किसी न किसी रूप में खिलाना शुरू कर देता है, या कम से कम अपना पेट खुद भर लेता है, किसी की बकरी गाय चरा कर या कोई और काम करके। मां-बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वे बच्चों को शिक्षित कर सकें। इसलिए सरकार को सबसे पहला काम यह करना होगा कि मैट्रिक तककी पढ़ाईकी फीस माफ करने के साथ साथ वह बच्चों के खाने-पीने और कपड़े आदि का सब खर्चा वहन करे। स्कूलों में

बच्चों की एक सी यूनिफार्म हो और उन्हें समान रूप से भोजन मिले। इस वक्त सरकार के यहां बहुत फिजूल खर्ची है। इस बजट में 39,000 करोड़ रुपए का नान-प्लान खर्चे का प्रावधान किया गया है। उसमें कटौती करके बच्चों की एजूकेशन की व्यवस्था की जाए। जब सब बच्चों को समान एजूकेशन मिलेगी, तो लोगों का सुपीरियारिटी कम्पलेक्स या इनफीरियारिटी कम्पलेक्स खत्म होगा, सब एक ड्रेस में स्कूल जाएंगे और सबको एक सा खाना मिलेगा और साथ ही पढ़ने की ललक पैदा होगी।

मैं राइटस टु जाब के बारे में सरकार का दृष्टिकोण समझ सकता हूं। रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करना सम्भव नहीं हो सकता। लेकिन सरकार सब बच्चों को पढ़ने का अवसर तो दे सकती है।

जहां तक पब्लिक स्कूलों का सम्बन्ध है, उनका नाम तो है पब्लिक स्कूल, लेकिन यह क्या काम करते हैं ? जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं के बच्चे इनमें पढ़ सकते हैं। आप इन पब्लिक स्कूलों को खत्म कीजिये क्योंकि यह मुट्ठी भर लोगों के लिये हैं। सरकार के सेन्ट्रल स्कूल बहुत अच्छे हैं।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) गरीब परिवार के बच्चे उनमें भी नहीं जा पाते हैं।

श्री राम विलास पासवान : पता नहीं पार्लियामेंट के मेम्बर को एक साल में किसी बच्चे का ऐडमीशन रिकोन्ड करने का अधिकार है या नहीं। आज हालत यह है कि दिल्ली में एम०एं० में ऐडमीशन मिल जायेगा लेकिन बच्चों को नर्सरी और प्री-नर्सरी में एडमीशन पाना मुश्किल है। अगर और नई प्रथा इन स्कूलों ने चलाई है कि एडमीशन से पहले मां-बाप का इंटरव्यू लिया जाता है। अच्छे स्कूल में उसी लड़के का एडमीशन होता है जिसके मां-बाप इंटरव्यू में पास कर जायें। लेकिन जिसके मां-बाप इल्लिटरेट हैं, और जिनको सरकार ने इल्लिटरेट रखा है, उनका बच्चा एडमीशन नहीं पा सकता। इसलिये इन पब्लिक स्कूलों को बन्द कीजिए और सेन्ट्रल स्कूल हर ब्लाक लेविल पर खोलिये।

हमारे एक साथी बता रहे थे कि गांवों में अगर स्कूल हैं तो टीचर नहीं, टीचर है तो स्कूल नहीं, और जहां दोनों चीज हैं वहां विद्यार्थी नहीं। आपको संसद से अनुमति लेकर यदि संविधान में संशोधन करना पड़े तो कीजिये और इन पब्लिक स्कूलों को बन्द कीजिये। जो सरकारी विद्यालय हैं उनका स्टैन्डर्ड सेन्ट्रल स्कूल के समान कीजिये। अगर आपने पब्लिक स्कूल बन्द नहीं किये तो देश के लिये खतरनाक साबित होगा। यह गृह युद्ध करायेगा, क्योंकि एक तरफ आई० ए० एस० पैदा हो रहे हैं और दूसरी तरफ चपरासी पैदा हो रहे हैं।

इसके अलावा यह कैपीटेशन फी क्या है ? जब शैक्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन मिलता है तो उसके खिलाफ हंगामा होता है कि यह लड़का क्वालीफाइड नहीं है। लेकिन 2, 3 लाख रु० से कर अगर 30, 32 परसेंट मार्क्स वाला बच्चा जब डाक्टर या इंजनियर बन जाता है तो क्या उससे स्टैन्डर्ड नहीं गिरता है ? इसलिये जिन राज्यों में यह कैपीटेशन प्रथा अभी भी चालू है उसको केन्द्र सरकार को बन्द करना चाहिये।

[श्री राम बिलास पासवान]

गांवों में जो स्कूल हैं उनके विद्यार्थियों का कोई भविष्य नहीं है। मैं जब पढ़ता था तो चौथी क्लास में पढ़ने के लिये हमें 3 किलोमीटर जाना पड़ता था और मिडिल में पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर। आज कुछ बदलाव आया है, लेकिन आज भी गांवों में टीचर्स ऐवेलेबिल नहीं हैं। 75 प्रतिशत स्कूलों में एक कमरा ही है वह भी टूटा हुआ जिसमें बरसात में बैठ नहीं सकते। गरमी में पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ता है शांतिनिकेतन की तरह। एक टीचर के पीछे 50,100 लड़के हैं। बिहार में कहा जाता है कि लड़के इंडिसिप्लिन्ड हैं। लेकिन टीचर्स कितने इन्डिसिप्लिन्ड हैं इसको भी तो कोई देखे।

इसीलिए मैंने आपको कहा है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छा वातावरण बनाना पड़ेगा और अच्छे वातावरण के लिए अच्छी तरह से स्कूल बनाने पड़ेंगे और अच्छे टीचर्स इन स्कूलों में रखने पड़ेंगे। इन सब की जवाबदेही सरकार के ऊपर है। जिस वक्त हम लोगों ने सोशियलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया था, उस वक्त हम कहा करते थे—राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो सन्तान, ब्राह्मण या भंगी का बेटा सब की शिक्षा एक समान। सब लोगों को एक समान शिक्षा देनी चाहिए। कम्पलसरी एजूकेशन दी जानी चाहिए। दूसरे देशों में इस तरह की व्यवस्था है। इसीलिए हमारे देश के निर्माताओं ने इसको संविधान में दस बरस के लिए रखा था। लेकिन अब तो 36 साल बीत गए हैं, 36 सालों के बाद भी हम सब लोगों को शिक्षित नहीं कर सके हैं। इस देश में यदि अराजकता फैलती है, इस देश में यदि हिंसा का वातारण पैदा होता है, इस देश में यदि आदमी-आदमी में नफरत पैदा होती है, तो इसके लिए शिक्षित लोग ही जिम्मेदार होंगे। अशिक्षित लोगों की संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी शिक्षित लोगों की ही है, क्योंकि 36 साल की आजादी के बाद भी उन्होंने कोई ठोस कदम इस दिशा में नहीं उठाया है। इसीलिए सभापति महोदय माननीय सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है। अपोजीशन का प्रस्ताव होने की वजह से यदि इसको मानने में असमर्थ हैं, क्योंकि इसका फायदा अपोजीशन को चला जाएगा, तो अपनी तरफ से ऐसा प्रस्ताव लाकर उसको सदन में पेश करें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो संकल्प पेश किया गया है उसमें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने की बात कही गई है तथा उनका कहना यह है कि इसे हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया जाए।

हम सभी को यह मालूम है कि संविधान में यह प्रावधान है कि प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर आती है तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से 1975 तक शिक्षा राज्य सूची में थी एवं एक संशोधन के द्वारा इसे संविधान की समवर्ती सूची में लाया गया।

इस संकल्प में समूचे देश में व्याप्त निरक्षरता का विशेश रूप से उल्लेख किया गया है। इस लिए मेरा निवेदन यह है कि हमें यह पता लगाना चाहिए कि यह निरक्षरता किस कारण से है तथा इन वर्षों में सरकार द्वारा इन लोगों को शिक्षित करने में, चाहे इनकी संख्या कितनी भी हो, इसमें

सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मेरे माननीय मित्र ने इस माननीय सभा और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। मैं भी उनके साथ हूं लेकिन, साथ ही साथ मैं यह निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इसे लागू करने वाला तंत्र राज्य सरकार है जब तक कि राज्य सरकार हमारी जनता के इस साक्षरता प्रतिशत में सुधार लाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ध्यान नहीं देगी, तो यहां चाहे कुछ भी संकल्प क्यों न पेश किया जाए तथा संविधान में चाहे कुछ भी संशोधन क्यों न किया जाए, यह समस्या हल नहीं होगी लेकिन हमने यह देखा है तथा अनुभव से हमें यह पता है कि इसमें वास्तविक कठिनाइयां कहां पर हैं।

मैं अपने माननीय मित्र श्री चौधरी की इस बात से सहसत हूं कि सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाने के बावजूद साक्षरता की यह समस्या विद्यमान है तथा यह बढ़ती जा रही है।

हमें अपनी जनसंख्या में हो रही वृद्धि के प्रतिशत को भी देखना होगा। लोक सभा में उठाये गए कतिपय प्रश्नों के बारे में मंत्री जी द्वारा कुछेक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। मैं कुछेक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसे कि माननीय सदस्य द्वारा 1951-1981 तक राज्यवार साक्षरता के प्रतिशत के विषय में जानकारी मांगी गई है। वर्ष 1951 में 15.83 प्रतिशत लोग साक्षार थे तथा 1981 में यह संख्या बढ़ कर 36.23% हो गई। माननीय सदस्य मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि साक्षरता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं। लेकिर, इसके साथ ही, इतने सब प्रयत्नों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

अनु० जाति और अनु० जन जाति के बारे में उन्होंने स्पष्टतया यह बताया है कि आदिवासियों में, साक्षरता में 11.30% से 16.35% की वृद्धि हुई है। उन्होंने यहां पर यह भी स्वीकार किया है कि इस अवधि में सभी राज्यों में आदिवासियों की साक्षरता में वृद्धि हुई है। जिन राज्यों में वृद्धि राष्ट्रीय औसत से कम हुई है उनके नाम हैं—आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश उडीसा और पश्चिम बंगाल।

मेरे माननीय मित्र पश्चिम बंगाल से हैं। उन्होंने संकल्प प्रस्तुत करते समय इस ओर ध्यान दिलाया है तथा केन्द्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि साक्षरता में वृद्धि न करके सरकार ने गलत काम किया है। मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि केन्द्र पर आरोप लगाते समय क्या उन्होंने अपने राज्य की स्थिति का जायजा लिया था। मैं इस सभा से यह निवेदन करूंगा कि जहां तक साक्षरता का सम्बन्ध है, तो चाहे हम किसी भी दल के क्यों न हों, हम केन्द्र और राज्य दोनों ही स्तर पर इससे संबद्ध है। किसी भी दल की कोई भी सरकार चाहे वह केन्द्र हो अथवा राज्य, निरक्षरता को समाप्त नहीं कर सकती। हमें, इस समस्या को दलगत दृष्टिकोण से न लेकर राष्ट्रीय समस्या के रूप में लेना चाहिए। जब तक हम इस समस्या को रास्ट्रीय दृष्टिकोण से नहीं लेंगे, हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते।

इसमें कोई शब्द नहीं हैं कि इस बारे में सरकार द्वारा बहुत कुछ किया गया है लेकिन अनु० जाति और अनु० जन-जाति की महिलाओं में साक्षरता की दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ

[श्री अर्जुन सेठी]

है। ग्रंथागार में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार में यह जानता हूं कि इसे बारे में स्थिति संतोषजनक नहो है। देश में ऐसे बहुत से जिलें हैं जहां पर अनु०-जाति की 1% महिलाएं ही साक्षर हैं।

4.00 म० प०

यह संख्या 0.2% से भी कम है। इसमें कोई शक नही है कि हमने इन आंकड़ो को 15% से बढ़ाकर 36% किया है। लेकिन फिर भो अनु-जाति की बहुत ही कम महिलाएं शिक्षित हैं इसलिए मैं माननीय मत्री से यह अनुरोध करूंगा कि जैसे कि उन्होंने विभिन्न आयोजनाओं मे इस बात को महत्व और बल दिया है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि इन लोगों, विशेषतया कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को, पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं ताकि इन की समस्याओं को हल किया जा सके तथा उनकी साक्षरता में सुधार लाया जा सके। इसलिए मैं, एक बार फिर माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि शिक्षा का प्रसार उचित रूप से हो उसमें उचित रूप से वृद्धि हो। एक बार फिर मैं विधेयक में निहित उद्देश्यों का समर्थन करता हूं। उन्होंने इससे हमारे सजाज के कमजोर वर्गों में व्याप्त इस गंभीर समस्या की ओर सरकार और इस सभा का ध्यान आकृष्ट किया है। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम लाल राही। आपको अपना संकल्प भी प्रस्तुत करना है। इस लिए अपना भाषण संक्षिप्त रखिए।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब का जो संकल्प है, उसके बाद मेरा संकल्प है और मुझे अपने संकल्प पर बोलना है लेकिन इनका संकल्प अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मान कर चलता हूं और इसलिए में कुछ बातें इस संकल्प पर कहना चाहता हूं। श्रीमन्, इनका संकल्प बहुत स्पष्ट है। इन्होंने लिखा है :

> यह सभा स्वतन्त्रता-प्राप्ति के छत्तीस वर्षों के बाद भी देश भर में विद्यमान निरक्षरता की अत्यधिक प्रतिशतता पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और संकल्प करती है कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिये निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को हमारे संविधान में मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया जाये।"

यह संविधान के मूल अधिकारों में नहीं है और यह राज्य के निदेशक तत्वों में है। अभी, भाई पासवान जी निदेशक तत्त्वों के खंड 4 में 45 वें अनुच्छेद को पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि संविधान निर्माताओं ने शिक्षा के लिए व्यवस्था की है संविधान में लेकिन में यह कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब ने इस बात को कहा है कि इसको संविधान के मूल अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए। यह राज्य के मूल निदेशक तत्त्वों में शामिल है और उसमें भी कढ़ी चालाकी से इसको शामिल किया गया है। में पढ़ कर आपको सुनाता हूं :

> "राज्य, संविधान के प्रारम्भ के दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह

वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।"

इसमें लिखा है कि प्रयास करेगा, यानी कोई संकल्प भी नहीं है, कोई निश्चय भी नहीं है कि हम जरूरी इस काम को करें कि इस देश के हर नागरिक को शिक्षा मिलनी चाहिए। राज्य के निदेशक तत्त्वों में यह बात बड़ी चालाकी से लिखते हैं और मैं यह मान कर चलता हूं कि चौधरी साहब की निगाह इस बात पर पड़ी होगी।

इस चतुराई को समझ कर चौधरी साहब जो प्रस्ताव लाये हैं कि शिक्षा निदेशक तत्वों से हटा कर मूल अधिकारों में शामिल की जानी चाहिए, यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। इससे देश के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिल सकेगी।

श्रीमन्, 36 वर्षों की आजादी के बाद भी आज आप 36-37 साल के लोगों को प्रौढ़ शिक्षा दे रहे हैं। इस देश के अन्दर प्रौढ़ शिक्षा पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा। क्या मंत्री जी यह पता लगायेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा वास्तव में दी जा रही है? क्या सही मायनों में प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर जो पैसा आप राज्यों को दे रहे हैं, क्या वह उस पर खर्च किया जा रहा है? कहीं भी, किसी जगह पर भी प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम नहीं चलता है। आप छान-बीन करा लें, यह पैसा बेकार जाता है। चौधरी साहब ने जो सुझाव दिया है उनसे मैं सहमत हूं। आप यह न सोचें कि चूंकि आप सरकारी पक्ष में बैठे हैं और यह प्रस्ताव विरोध पक्ष की ओर से आया है तो इसको स्वीकार न करें। कोई भी अच्छी चीज कहीं से भी आए इस देश के सुदूर गांव का रहने वाला भी अगर कोई अच्छी चीज कहे और वह देश हित में हो तो आपको उसको मान लेना चाहिए।

इस देश का दुर्भाग्य है कि, जैसा कि सवाल आया था कि इस देश के अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और हजारों डाक्टर बेकार घूम रहे हैं, इसी तरह से इस देश के स्कूलों में, चाहे प्राइमरी स्कूल हों, जूनियर स्कूल हों, चाहे हाई स्कूल हों, उनमें मास्टर नहीं हैं और मास्टर लोग बेकार बैठे हैं। चाहे जे० टी० सी० टीचर हों, चाहे एस० टी० सी० टीचर हों, चाहे बी० एड० टीचर हों, वे हजारों की तादाद में मारे मारे बेकार घूम रहे हैं। उनको काम नहीं मिल रहा है। पता नहीं कैसी यह शिक्षा व्यवस्था है।

मैं कहना चाहूंगा कि इस देश की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। इस से आप आम आदमी को शिक्षा नहीं दे पायेंगे। जब तक आप उसको शिक्षा नहीं देंगे तब तक उसको रोजगार कैसे मिलेगा। अशिक्षित आदमी अपने मूल अधिकार को भी कैसे जान पायेगा? इस देश का प्रत्येक नागरिक अपने मूल अधिकारों को समझे, जो इस देश में भौतिक सम्पदा है, चाहे वह खेत में पैदा होती है, खानों से निकलती है चाहे वह कारखानों में पैदा होती है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर वह शिक्षित होगा तो वह यह समझेगा। लेकिन आप नहीं चाहते कि अनिवार्य शिक्षा हो। आप इसे मानव-मूल्यों के विपरीत बात समझते हैं। आपको इस देश के हर नागरिक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी चाहिए। हर बच्चा जितना भी पढ़ना चाहे, उतना वह पढ़ सके। होना तो यह चाहिए

[श्री राम लाल रही]

अगर आप यह न कर सकें तो कम से कम आप प्राथमिक शिक्षा तो अनिवार्य कीजिए जिससे कि सभी अपने मूल अधिकारों को तो समझ सकें ।

जो प्रस्ताव चौधरी साहब लाए हैं, आप इसको मानें । अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो आप ही ऐसा संवैधानिक प्रस्ताव लाइये जिससे कि शिक्षा को राज के निदेश तत्वों से हटाकर मूल अधिकारों में शामिल किया जा सके अगर आप यह नहीं करते हैं तो आपका जो यह प्रयास शब्द है वह चालाकी से भरा है । इसको आप हटाइये और इसमें निश्चिन्तता को लाइये । तभी राज्य आप की बात को सुनेगे और इस पर अमल हो सकेगा ।

इतना कहकर में अपनी बात समाप्त करता हूं और इसका समर्थन करता हूं ।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प को प्रस्तुत करने में श्री सैफुद्दीन चौधरी का जो उद्देश्य है उसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं ।

किसी भी देश की समृद्धि का आधार शिक्षा है । मैं यह कह सकता हूं कि हम आजादी के बाद से लेकर अब तक देश में शिक्षा का प्रचारप्रसार करने में काफी सीमा तक सफल हुए हैं । इस बारे में सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं । अगर हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है तो हमें शिक्षा में भी सुधार लाना होगा ।

हमारे देश में गांव भी हैं और शहर भी । शहरी क्षेत्रों में तो शिक्षा सम्बन्धी समस्त सुविधाएं विद्यमान हैं लेकिन, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । यह समस्या है । शिक्षा के लिए सारे देश में लोगों को शहरों की ओर देखना पड़ता है ।

हमारे देश में कृषि के बारे में तकनीकी ज्ञान पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है । यद्यपि सरकार ने ऐसा करना उचित समझा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान को नवीनतम कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएं । लेकिन किसान उन कृषि उपकरणों आदि का पूरा-पूरा उपयोग कृषि सम्बन्धी शिक्षा की कमी के कारण नहीं कर पाते । इसलिए सरकार को कृषि शिक्षा प्रदान करने के लिए और अधिक तकनीकी स्कूलों की स्थापना करनी चाहिए । अब तक ऐसा नहीं किया गया है ।

अन्य देश न केवल सामान्य शैक्षणिक ज्ञान अपितु तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में भी हमारे देश से बहुत आगे हैं । अन्य देशों ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी तीव्र गति से प्रगति की है । अन्य देशों में कृषि शिक्षा भी हमारे देश की अपेक्षा कहीं अधिक दी जाती है और इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था में बेहतर सुधार हुआ है । इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह भारत में कृषि के बारे में शिक्षा प्रदान करने के लिए गम्भीरता पूर्वक विचार करें ।

- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा काफी महत्वपूर्ण है तथा हमारे देश में इसे यथोचित महत्व नहीं दिया जाता है । पूर्व प्राथमिक शिक्षा को काफी गंभीरतापूर्वक लेना होगा । पूर्व शिक्षा से बच्चे में स्कूल जाने की आदत बनती है । यह इस कारण से महत्वपूर्ण है कि जब तक बच्चे को स्कूल जाने की

आदत नहीं पड़ती, वह प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई समझ नहीं सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं न के बराबर हैं। न तो वहां स्कूल की कोई इमारत ही होती है तथा अगर जहां है वहां अध्यापक नहीं होते, यह स्थिति है। जो, काफी चिन्ता का विषय है।

हमारे देश में इस क्षेत्र में इतनी खराब स्थिति इस कारण से है कि शिक्षा के प्रसार में राज्य सरकार पूरी तरह से सममात्री नहीं होती हैं। हमें इस समस्या पर विचार करना है तथा कोई हल ढूंढना है।

हमें योग्य और सक्षम लोगों को अध्यापक नियुक्त करना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक हमें शिक्षा का स्तर ऊंचा होने की आशा नहीं करनी चाहिए। इस समय शिक्षकों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं की जाती। इसलिए अध्यापकों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए।

अध्यापकों को इतना कम वेतन दिया जाता है कि योग्य और सक्षम लोग अध्यापक बनना पसन्द नहीं करते। अध्यापकों के वेतन अच्छे होने चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अध्यापन पेसे में योग्य व्यक्ति नहीं आएंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य संवर्गों में योग्य व्यक्ति इस कारण से हैं कि वहां वेतन अच्छे हैं। अगर शिक्षकों के वेतन अच्छे कर दिए जाएं तो इस तरफ योग्य व्यक्ति भी आने लगेंगे तथा स्कूलों में वास्तविक रूप से योग्य अध्यापक आ जाएंगे। अच्छे वेतन न होने के कारण स्कूलों में अच्छे अध्यापक नहीं हैं। जब स्कूलों में अच्छे अध्यापक नहीं होंगे, हम देश से निरक्षरता का निवारण नहीं कर पाएंगे।

हमें अपने ग्रामीण भारत का फिर से निर्माण करना है, उसे फिर से बसाना है। हमारी पंच-वर्षीय योजनाओं का यह प्रमुख उद्देश्य है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त शिक्षा सुविधाओं की विषमताओं को दूर करना होगा। देश के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे। इस समय केवल बम्बई और अन्य बड़े नगरों में शिक्षा की अच्छी सुविधाएं विद्यमान हैं। यह बहुत ही खेद की बात है।

कर्नाटक राज्य में बहुत से विश्वविद्यालय और इंजीनियरी कालेज हैं। लेकिन गांवों में पूर्व प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं। वास्तव में प्राथमिक पूर्व शिक्षा सुविधाएं विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षा सुविधाओं से कम महत्त्व नहीं रखती क्योंकि यदि प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा के बिना बच्चा कालेज अथवा विश्वविद्यालय तक नहीं पहुच सकेगा यदि संपूर्ण राज्य में, प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा की सुविधाएं व्यापक रूप से उपलब्ध कराई जाएं तो राज्य में सभी बच्चों को कालेज में प्रवेश के उचित अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इसलिए, मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में प्राथमिक पूर्व विद्यालय खोलने के लिए राज्यों को अधिक निधियां आबंटित करे।

भारत सरकार ने गांवों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किया है। मैं यह मानता हूं कि सिद्धान्त रूप में यह बहुत अच्छा है, इससे निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर होने में मदद मिलती है। लेकिन इससे उन्हें अपनी आजीविका कमाने में अधिक सहायता नहीं मिलती है।

[श्री एस० बी० सिदनाल]

विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों के बीच। स्कूलों की सुविधा बढ़ने की अपेक्षा घटती जा रही है। हमने देखा है कि कोई शिक्षक गम्भीरतापूर्वक रुचि नहीं लेता। यद्यपि शिक्षक आधारभूत सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं तो भी वे रुचि नहीं ले रहे क्योंकि वेतन कम मिलता है और वे बुद्धिजीवी भी नहीं होते जैसे कि शहरों में होते हैं।

इसलिए प्रत्येक गांव में प्राइमरी से पहले की स्कूली शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। इसके बाद स्वयमेव ही यह प्राइमरी स्तर के दूसरे चरण तक पहुंच जाएगी।

हमने तकनीकी स्कूल नहीं खोले हैं। जब तक हम अपना दिमांग तकनीकी शिक्षा की ओर नहीं लगाते तब तक प्रगति करना अत्यन्त कठिन है। कोई देश तभी प्रगति कर सकता है जब तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाए। जापान में किंडरगार्डन स्कूलों के बच्चे भी टेलिफोन तथा रेडियो इत्यादि को खोलते तथा जोड़ते हैं। उनके लिए वह सब एक खेल के समान है क्योंकि वह इतनी रुचि लेते हैं। जब बच्चा स्कूल जाने लायक उम्र का होता है तो वह इंजीनियर या तकनीशियन बन जाता है। यह हमारे देश में भी लागू होना चाहिए अन्यथा हमारा भविष्य अच्छा नहीं होगा।

4.18 म० प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

यह एक गम्भीर तथा अच्छा विषय है। हमें दलगत भावना से अथवा ऐसी अन्य किसी भावना से ऊपर उठकर इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। परन्तु मेरे मित्र ने कई आधारों पर केन्द्रीय सरकार पर कोई कदम न उठाने का दोषारोपण किया है। वास्तव में हमें सरकार को बधाई देनी चाहिए क्योंकि सरकार ने इसके लिए सभी उपाय किए हैं। माननीय मन्त्री महोदय तथा सरकार से मेरा केवल यही अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा पूर्व-प्राइमरी स्कूलों को अधिक धनराशि दी जानी चाहिए।

4.19 म० प०

(डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी पीठासीन हुईं)

तीसरा पक्ष अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा आदिवासियों के बारे में है। हमने उनकी शिक्षा के बारे में गम्भीरता से नहीं सोचा। जब हम कोई प्रगतिशील कानून बनाते हैं, कोई सुधार करते हैं तो उन्हें यह समझ नहीं आता कि क्या करें, कहां हस्ताक्षर करें क्योंकि वह शिक्षित नहीं हैं और इन्हें समझ नहीं है। बहुत बार धोखे बाज लोग उनके साथ धोखा कर जाते हैं। वे अशिक्षित होने के कारण सहते हैं। इसलिए इस बात को युद्ध स्तर पर लिया जाना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष आबंटन होना चाहिए। खास तौर पर यदि महिलाएं शिक्षित हों तो पूरा देश ही शिक्षित है। परन्तु समाज में महिलाओं की शिक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। वह भी इस क्षेत्र में आगे नहीं आतीं। केवल शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित

किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं। देश की जनसंख्या का 50 प्रतिशत भाग महिलाएं हैं। यदि मां शिक्षित नहीं है, पत्नी शिक्षित नहीं है तो बच्चा भी शिक्षित नहीं हो सकता। यदि एक पुरुष को शिक्षा दी जाए तो केवल वही शिक्षित होता है परन्तु जब एक महिला को शिक्षा दी जाती है तो पूरे परिवार को शिक्षा प्राप्त होती है, दूसरे शब्दों में पूरे देश को शिक्षा प्राप्त होती है। अतः महिलाओं की शिक्षा को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए और इसे युद्ध स्तर पर लिया जाना चाहिए।

हमारी शिक्षा का एक पक्ष फीस है। शहरों में यह एक रोग की भांति है अब यह रोग गांवों में भी फैल रहा है। मैं देखता हूं कि देहली, बम्बई अथवा अन्य बड़े शहरों में किसी क्लर्क अथवा चपरासी का बेटा अच्छे स्कूल में प्रवेश नहीं पा सकता क्योंकि वहां 15, 20 या 25 हजार रुपये कैपिटेशन फीस होती है। एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे सकता है। अतः सरकार को इन आम लोगों और मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों की सुविधा के लिए बहुत से स्कूल और खोलने पड़ेंगे। अन्यथा हम वहां पर जहां शिक्षा आम आदमी की पहुंच के बाहर है लोगों के बीच एक खाई उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए शहरी तथा ग्रामीण, क्षेत्रों में अधिक स्कूल खोलना अत्यन्त अनिवार्य है। यह फीस केवल प्राइमरी स्तर तक ही नहीं है। यह तकनीकी शिक्षा-चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों में भी है। इससे अधिकांश लोगों में आत्मविश्वास की भावना पैदा नहीं होती है। क्यों ? वह यह सोचते हैं कि केवल पैसे वाला व्यक्ति ही डॉक्टर, इंजीनियर अथवा तकनीशियन बन सकता है। हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी ने इस देश को, लोगों को तथा समाज के निम्न वर्ग को इस बारे में जागृत किया है। परन्तु हमने उन्हें शिक्षा के माध्यम से जागृत करना है। क्योंकि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एन० आर० ई० पी० तथा 20 सूत्री कार्यक्रम जैसे प्रगतिशील कानून तथा अन्य कल्याणकारी उपायों का लाभ उठाने के लिए उन्हें शिक्षित होना चाहिए। अन्यथा उन्हें यह नहीं पता लगेगा कि क्या करें, किसके पास जायें तथा किसी वस्तु को कैसे प्राप्त करें। यह समस्या है। हम अपने कार्यक्रम तब तक सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं कर सकते जब तक हम अपने लोगों को शिक्षित नहीं करते। शिक्षा मूल भूत आवश्यकता है। अन्यथा हम अपनी अर्थ-व्यवस्था का विकास नहीं कर सकते और परिणामस्वरूप अपने देश का विकास नहीं कर सकते।

इसलिए मैं वास्तव में इस संकल्प का स्वागत करता हूं क्योंकि यह देश के हित में है और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक है। यह हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम का भी एक भाग है।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

सभापति महोदया : अब 4.25 हो गये हैं। निर्धारित समय को बढ़ा दिया गया था।

मैं सभी वक्ताओं से अनुरोध करती हूं कि केवल 2 से 5 मिनट ही लें। हम तभी इसे समाप्त कर सकेंगे। हमें दूसरे संकल्प पर भी विचार करना है श्री निर्मल सिन्हा।

***श्री निर्मल सिन्हा** (मथुरापुर) : मैं इस संकल्प पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं··· ··· ···

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

सभापति महोदया : हमें 5 बजे तक समाप्त करना है । कृपया आप सहयोग दें ।

श्री निर्मल सिन्हा : मैडम सभापति, मैं इस संकल्प पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं । यह संकल्प पिछले वर्ष 12 अप्रैल को श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा इस सदन में लाया गया था । इसमें 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की मांग की गई है तथा यह मांग भी की गई है कि इसे संविधान के मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाए । इस संकल्प को पुरस्थापित करते समय श्री चौधरी ने देश में फैली भारी अशिक्षा पर चिन्ता व्यक्त की थी।

मैडम, अब यह चिन्ता केवल उनकी ही नहीं है । हम सब इसके बारे में गम्भीर हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के 36 वर्षों के बाद भी हमारे देश के केवल 50 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं । यह खेद का विषय है । हमारे महान नेताओं ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व हमें यह सपना दिखाया था कि हम तीव्र गति से प्रगति करेंगे । अब यह स्वप्न तभी सत्य हो सकता है जब हमारे देश के 70 करोड़ लोग कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करें और देश को प्रगति के पथ पर लाने की कोशिश करें तभी प्रगति की गति तीव्र हो सकती है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच जागृति की भावना लाना आवश्यक है । उन्हें यह बताना होगा कि देश की प्रगति का मतलब है उनकी प्रगति । यदि देश प्रगति करता है तो उनकी भी प्रगति होगी । उन्हें इस प्रगति में भागीदार होना चाहिए । परन्तु हम उनमें जागृति लाने में असमर्थ रहे हैं क्योंकि अधिकांश लोग अशिक्षित हैं । मैडम, अशिक्षित और अन्धा एक समान होते हैं । हमारे देश में 70 करोड़ लोग रहते हैं । यदि इन 70 करोड़ लोगों के दोनों हाथों का लाभप्रद तरीके से प्रयोग किया जा सके तथा उनकी बुद्धि का विकास करके उसे उचित ढ़ंग से प्रयोग में लाया जाये तो हमारा देश भी विश्व के उन समुन्नत देशों में से एक होता जो आज उन्नति के शिखर पर हैं । परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में 50 करोड़ से अधिक लोग अशिक्षित हैं और इसलिए अन्धों के समान उनका कोई लाभ नहीं है । इन बेकार लोगों की बड़ी संख्या के कारण देश को तीव्र प्रगति के पथ पर ले जाना सम्भव नहीं है ।

मैडम हमने देखा है कि बहुत से समाजवादी देश, यहां तक कि वह देश जिन्होंने हमसे बाद में स्वतन्त्रता प्राप्त की है वह प्रगति के पथ पर हमसे बहुत आगे हैं । इन सभी समाजवादी देशों ने इस बात पर भलीभांति विचार कर लिया था कि जब तक पूरा देश राष्ट्र निर्माण के काम में जुट नहीं जाता तब तक उनके लिए तीव्र प्रगति करना सम्भव नहीं होगा और अधिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास नहीं होगा । उन्होंने इसे महसूस किया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उच्चतम प्राथमिकता शिक्षा को दी जानी चाहिए । उन देशों ने शिक्षा को समुचित प्राथमिकता तथा महत्त्व दिया था और यह बात इससे स्पष्ट होती है कि उन्होंने शिक्षा को अपने-अपने संविधानों के मूलभूत अधिकारों में शामिल किया था ।

हमने भी संविधान की प्रस्तावना में अपने देश को समाजवादी राष्ट्र घोषित किया था । इस

संदर्भ में यह बताने के लिए कि इन समाजवादी राष्ट्रों ने शिक्षा को किस सीमा तक महत्त्व दिया है मैं कुछ समाजवादी देशों के संविधानों में से उदहरण पढ़ना चाहूंगा ।

पोलैण्ड गणराज्य का संविधान

अध्याय-सात (नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्त्तव्य)

अनुच्छेद 61 (पृष्ठ 31)

(1) पोलैण्ड गणराज्य के नागरिकों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार होगा ।

(2) सबको निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा; सामान्य अथवा व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने वाले उच्तर विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के निरन्तर विकास; श्रमिकों, श्रमिक कृषकों तथा विद्याविदों के बच्चों के लिए आधारभूत सहायकों के स्वरूपों सहित छात्रावासों के विकास तथा राज्य की अनुदान एवं शिक्षावृत्ति सम्बन्धी योजना के द्वारा शिक्षा प्राप्ति का यह अधिकार लगातार बढ़ती हुई मात्रा में सुनिश्चित किया जाएगा ।

कोरिया गणराज्य का संविधान

अध्याय दो (नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्य)

अनुच्छेद 27/29 (पृष्ठ 23)

(1) सभी नागरिकों को उनकी क्षमताओं के अनुरूप एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

(2) अपने बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा तथा विधि द्वारा निर्धारित अन्य शिक्षा दिलाने का दायित्व सभी नागरिकों का होगा ।

(3) अनिवार्य शिक्षा को निःशुल्क रखा जाएगा ।

(4) राज्य जीवन पर्यन्त शिक्षा का संवर्द्धन करेगा ।

(5) स्कूली तथा जीवन पर्यन्त शिक्षा, प्रशासन, वित्त तथा शिक्षकों के स्तर सहित शैक्षिक प्रणाली से सम्बधित आधारभूत मामलों का निर्धारण विधि द्वारा किया जाएगा ।

जर्मन जनवादी गणराज्य का संविधान

अध्याय एक (नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य)

अनुच्छेद 25 (पृष्ठ 23)

(1) जर्मन जनवादी गणराज्य के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का एक समान अधिकार है ।

[श्री निर्मल सिन्हा]

सभी को शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हैं । जर्मन जनवादी गणराज्य में दस वर्षीय उच्चतर शिक्षा अनिवार्य है ।

अनुच्छेद 26 (पृष्ठ 24)

राज्य सर्वोच्च शैशिक्षक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, कालेजों आदि में शिक्षा के अगले उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्ति की संभावनाओं को सुनिश्चित करता है ।

चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य का संविधान

अध्याय दो (नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्य)

अनुच्छेद 24 (पृष्ठ 10)

सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार होगा । यह अधिकार अनिवार्य बेसिक शिक्षा द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा । सारी शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा नागरिकों के जीवन एवं कार्य तथा विद्यालय के बीच निकट सम्पर्कों पर आधारित होगी ।

बलगारिया जनवादी गणराज्य का संविधान

अनुच्छेद 45 (पृष्ठ 19)

(1) सभी नागरिक विधि द्वारा निर्धारित शर्तों के अध्यधीन शैक्षिणिक संस्थाओं में सभी प्रकार तथा स्तरों की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

(2) सभी शैक्षिक संस्थाओं पर राज्य का स्वामित्व है ।

(3) शिक्षा आधुनिक विज्ञान तथा मार्कसवादी लेनिन सिद्धान्त की उपलब्धियों पर आधारित है ।

(4) प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है ।

(5) राज्य सभी को उच्चतर शिक्षा दिलाने को सुनिश्चित करता है ।

रोमानिया समाजवादी गणराज्य का संविधान

अध्याय दो (नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य)

अनुच्छेक 21 (पृष्ठ 12)

रोमानियां समाजवादी गणराज्य के नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है ।

शिक्षा का अधिकार अनिवार्य सामान्य शिक्षा तथा राज्य शिक्षावृत्तियों की प्रणाली द्वारा सुनिश्चित किया जाता है । और सभी स्तरों पर शिक्षा निःशुल्क है। रोमानिया समाज वादी गणराज्य में शिक्षा राज्य द्वारा दी जाती है ।

चीनी जनवादी गणराज्य का संविधान

अध्याय तीन (नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य)

अनुच्छेद 94 (पृष्ठ 25)

चीनी गणराज्य के नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।...इस अधिकार की गारन्टी सुनिश्चित करने के लिए राज्य विभिन्न प्रकार के विद्यालयों तथा अन्य सांस्कृतिक एवं शैक्षिणिक संस्थाओं को स्थापित करता है और उनका क्रमिक विस्तार करता है।

राज्य युवा वर्ग के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर विशेष ध्यान देता है।

युगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य का संविधान

अध्याय तीन अनुच्छेद 165

कम-से-कम आठ वर्षों की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी।

मैं सोवियत रूस के संविधान को उद्धृत नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय नहीं है।

महोदया, हमारे संविधान में शिक्षा मूलभूत अधिकार नहीं है। शिक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत आती है। संविधान में यह कहा गया है :

"राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीन तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा।"

आप देख रहे हैं कि शिक्षा को अनुचित आवश्यकता माना गया है। स्वतन्त्रता आन्दोलन के महान नेताओं ने यह आश्वासन दिया है कि स्वतन्त्रता के बाद शिक्षा को अनिवार्य बना दिया जाएगा परन्तु यह देखने में आया है कि स्वतन्त्रता के 36 वर्ष बाद भी शिक्षा को उचित महत्त्व नहीं मिला है। तथा प्रारम्भिक शिक्षा का विषय राज्य पर छोड़ दिया गया है। अब राज्य सरकार की क्षमता विशेष रूप से वित्तीय क्षसता काफी सीमित है। इस सीमित क्षमता और शक्तियों से राज्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह इस दायित्व को प्रभावी रूप से पूरा नहीं कर सकते। जबकि केन्द्र के पास प्रौढ़ शिक्षा का दायित्त्व है। महोदया एक कहावत है कि पेड़ की जड़ काटने के बाद यदि ऊपर से पानी देते रहो तो वह बच नहीं सकता। इसी प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा पर असावधानी बरतने से प्रति वर्ष लाखों बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। महोदय सत्तारूढ़ दल के रवैये और दृष्टिकोण के कारण ऐसा हो रहा है। सत्तारूढ़ दल अपने निहित स्वार्थों की रक्षा करना चाहती है। वह यह सोचते हैं कि यदि जनता अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा के द्वारा शिक्षित हो गई तो वह सचेत हो जाएंगे तथा अपने हितों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। वह यह समझ जाएंगे कि कैसे उनका शोषण किया जा रहा है। शोषित वर्ग निर्दोष जनता का शोषण नहीं कर सकता। इसलिए सत्तारूढ़ दल जनता को अशिक्षित रखना चाहता है जिससे कि वह उनका शांतिपूर्वक शोषण कर सके। इसलिए शिक्षा को संविधान में उचित महत्त्व नहीं दिया गया है। ऐसा जानबूझ कर किया गया है। महोदया इस संकल्प के बारे में

[श्री निर्मल सिन्हा]

विभिन्न वक्तव्य मैंने सुने हैं मैं श्री डागा के वक्तव्य का जिक्र करूंगा जोकि सत्तारूढ़ दल के नेता हैं। इस संकल्प की मुख्य विषय वस्तु यही है कि संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। श्री डागा बहुत विद्वान हैं परन्तु उन्होंने मूलभूत मुद्दों को नहीं छुआ है। उन्होंने विभिन्न विषय उठाये हैं तथा शिक्षा की उपयोगिता पर भी प्रश्न उठाया है। उन्होंने ही नहीं कई अन्य वक्तव्यों ने भी प्रारम्भिक शिक्षा का विषय छोड़कर उच्च शिक्षा और बेरोजगारी की स्थिति का वर्णन किया है तथा इस माननीय सभा का ध्यान मुख्य समस्या से हटाने का प्रयत्न किया है। इससे यह लगता है कि सत्तारूढ़ दल इस संकल्प को रद्द कर देगा।

महोदया, पिछले वर्ष जब मैं इस सभा में पहली बार आया तो यह जानकर दुःख हुआ कि काम का हक मूलभूत अधिकारों में शामिल करने का संकल्प पारित नहीं किया गया है यद्यपि इसे सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य ने पेश किया था। सभी ने इसका समर्थन किया था परंतु वोट के समय उन्होंने इसे रद्द कर दिया। इसलिए आज भी मुझे यह आशंका है कि आज भी सत्तारूढ़ दल के जो सदस्य श्री चौधरी के संकल्प के पक्ष में बोले हैं तथा जिन्होंने कहा है कि यह संकल्प प्रगतिशील है तथा इसे देश के हित में स्वीकार किया जाना चाहिए वह भी, वोट के समय इसे रद्द कर देंगे। इस संकल्प का भी यही अंजाम होगा। यदि मेरी आशंका निराधार और गलत साबित होगी तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

धन्यवाद

***श्री एस० टी० के० जक्कायन** (पेरीकुलम) : सभापति महोदया, मेरे माननीय मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी के संकल्प के समर्थन में जिसमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार घोषित करने की आवश्यकता के संबंध में सभा का ध्यान आकर्षित किया गया है, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

छठी पंचवर्षीय योजना का ध्येय यह है कि देश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को सर्वसुलभ कराया जाए। यह लक्ष्य 1990 तक प्राप्त हो जाए इसे नए 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। नए 20 सूत्रीय कार्यक्रम में यह 16 वां सूत्र है। प्रारंभिक शिक्षा में भर्ती की दर बढ़ाने के लिए तथा स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करने के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन 1982-83 में शुरू किया गया। इससे इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। छठी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में 96 लाख अतिरिक्त बच्चे भर्ती हुए हैं।

परन्तु साथ ही यह भी दुख की बात है कि स्वतंत्रता के 36 वर्षों के बाद भी नौ राज्य शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर बराबर निगरानी के लिए एक

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

राज्य बहुद्देश्यीय दल बनाया गया है इसके बावजूद भी स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दर देश में कम नहीं हुई है।

यहां यह बताने का मेरा विशेषाधिकार है कि तमिलनाडु में प्रारम्भिक शिक्षा की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की प्रवृत्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है ऐसा हमारे अनुकरणीय नेता डा० पुराची थाकेबरथिक एम० जी० आर० द्वारा चालू की गई पोषाहार योजना की शुरूआत करने के कारण सम्भव हुआ है। इसमें प्रारम्भक विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश में वृद्धि भी हुई है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की भूतपूर्व सचिव श्रीमती अन्ना मल्होत्रा ने इसको व्यक्तिगत रूप से देखा था तथा उन्होंने तमिलनाडु में इस उपलब्धि के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी थी। हमारे मुख्य मंत्री यह जानते हैं कि बच्चे मानवता की खिलती हुई कलियां होते हैं और वह यह सुनिश्चत करने के इच्छुक हैं कि ये कलियां खुशबूदार फूल बनें। मुझे खेद है कि पोषाहार योजना पर किये गये खर्च को योजना व्यय नहीं माना गया है। मैं यह मांग करता हूं कि पोषाहार योजना व्यय को इस बात को ध्यान में रख कर योजना व्यय माना जाना चाहिए कि इससे विद्यार्थियों के बीच में ही शिक्षा छोड़ने में कमी हुई है। और प्रारिम्भक विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश में वृद्धि हुई है।

महोदया, शिक्षा अब संविधान की समवर्ती सूची में है। देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय उच्च माध्यामिक विद्यालय खोलना ही पर्याप्त नहीं है। उचित प्रारम्भिक शिक्षा के बिना माध्यमिक शिक्षा को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है देश में प्रारम्भिक शिक्षा को प्रसार के लिए समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। निर्देशक सिद्धातों अध्याय के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 45 में यह बताया गया है कि संविधान के लागू होने के पश्चात 10 वर्षों के भीतर राज्यों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन खेदजनक प्रवृत्ति यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 36 वर्षों के पश्चात भी 9 राज्य शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं अतः मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है।

तमिलनाड् में प्रारिम्भक शिक्षा की आवश्यकताओं को देखने के लिए एक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक है। सम्पूर्ण तमिलनाडु में बहुत से स्वैच्छिक संगठन प्राथमिक विद्यालय चला रहे हैं जिन्हें राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है। निरक्षरता उन्मूलन के लिए हमारा एक अनौपचारिक शिक्षा निदेशक भी है यदि अज्ञानता जैसी अवधारणा को मृत्यु से भी बदतर माना जाता है, ईश्वर मानव को जन्म देता है और शिक्षा उसे एक अच्छा इंसान बनाती है—यदि इसे कियान्वित किया जाना है तो हमारी कार्यकलापों की योजना में प्रारम्भिक शिक्षा को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। भारत की अधिकांश जनता गाँवों में रहती है। लेकिन दुर्भाग्यवश ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने में अक्षम करती गयी है। प्रारम्भिक विद्यालय बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की इमारतें तथा उनमें अन्य सुविधाएं नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के अध्यापकों को महानगरों के केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से भी कम वेतन मिलता है। अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उनके वेतनों में तत्काल वद्धि की जानी चाहिए

[श्री एस० टी० के० जक्कान]

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की इमारतें बनाने के सम्बंध में भारत सरकार का एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए।

यदि हमारा इस कहावत में विश्वास है कि ईश्वर के बाद शिक्षक का ही स्थान होता है। तो समाज में शिक्षक को सम्मान मिलना चाहिए। आजकल समाज में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उनका स्तर बहुत नीचा है। केन्द्रीय सरकार को इस कार्य के लिए राज्य सरकारों को अधिक से अधिक अनुदान देना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए राज्य सरकारों को प्रेरित करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ब्रज मोहन महन्ती (पुरी) : मैं संविधान के अनुच्छेद 45 की ओर सभा का ध्यान आकर्षिक करना चाहता हूं। अनुच्छेद में यह लिखा है :

> "राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था समाप्त तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।"

अनुच्छेद 45 के इस संशोधन को 42 वें संशोधन के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया था। दस वर्षों की कालावधि का प्रावधान किया गया है। यह निदेशक सिद्धांतों के अन्तर्गत आता है।

इस संकल्प का अविय भाग यह कहना है :—

> 'संकल्प किया जाता है कि सभी बालकों के लिए 14 वर्ष अवस्था पूरी करने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में शामिल किया जाये।"

मेरा यह कहना है कि यह संकल्प अक्षम है मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 368 (2) की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि संविधान में कोइ भी संशोधन विधेयक पुरःस्थापित करके किया जाना चाहिए न कि एक संकल्प के माध्यम से और यह संशोधन हमारे संविधान के भाग तीन के लिए है। यह संशोधन विधेयक पुरःस्थापित करके ही सम्भव होगा और संकल्प द्वारा नहीं।

अब में संविधान के अनुच्छेद 368 (2) को सभा के समक्ष रखता हूं :—

> "इस सविधान के संशोधन का सूत्रपात उस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद के किसी सदन में परःस्थापित करके ही किया जा सकेगा और जबकि प्रत्येक सदन में विधेयक पारित किया गया हो।"

मुझे इसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक रूप से यह संकल्प इस विचा से अधूरा है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : यह कहकर कि यह अक्षम है, आपका यह अभिप्राय है कि यह अधूरा है ।

श्री बृजमोहन महन्ती : अक्षम से अभिप्राय है कि संकल्प के पारित हो जाने पर भी संविधान में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि केवल ऐसा एक अन्य विधेयक द्वारा ही किया जा सकता है ।

अब जहां तक संकल्प के भाग एक का सम्बन्ध है इससे वास्तव में राष्ट्र की इस चिन्ताजनक भावना का पता लगता है फिर देश में 74 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय 74 प्रतिशत जनता तक नहीं पहुंचता है ।

आप यह जानते हैं कि पहले एक गलत परम्परा यह थी कि तत्कालीन समाज शिक्षा के लिए समान अवसर नहीं देता था । आज संविधान के अंतर्गत इसकी गारन्टी दी गई है । मैं एकलव्य की कहानी की याद दिलाना चाहता हूं द्रोणाचार्य ने उसे इसलिए शिक्षा नहीं दी थी क्योंकि वह भील जाति का था । आज संविधान के अन्तर्गत समान अवसर की गारन्टी दी गई है । लेकिन इस क्षेत्र की समस्याओं का इससे उत्तर नहीं मिलता है । हमारे समाज में लोगों के कुछ वर्गों के साधनों की असमानता ने यह स्थिति पैदा कर दी है कि या तो वह वर्ग अशिक्षित रह जाता है । अथवा इस वर्ग के बच्चे यदि विद्यालयों में जाते हैं तो वे बाद में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं । यह याद रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

शिक्षा के मामले में अनुच्छेद 45 ने राष्ट्रीय जागरण का रूप दिया है । संविधान के 42वें संशोधन के अन्तर्गत इसे शामिल किया गया था । लेकिन सचाई यह है कि इसे वर्ष 1976 में पुरःस्थापित किया गया था । वर्ष 1986 में 10 वर्ष पूरे हो जायेंगे । अतः मेरा कहना है कि माननीय मंत्री महोदय को यह याद रखना चाहिए कि यह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का नैतिक दायित्व बन जाता है कि और तीन वर्षों में इस उद्देश्य को पूरा कर लिया जाये ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि भारत में उच्च शिक्षा विश्व में सबसे सस्ती है ।

सभापति महोदया : आप अपने सुझाव मंत्री महोदय को दे सकते हैं । अब कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री बृजमोहन महन्ती : अब मैं अपना वक्तव्य समय की कमी के कारण समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं समझता हूं कि उपमंत्री महोदय शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के बारे में व्यक्त किए जाने वाले विचारों को सुनने के लिए अपनी इच्छा से आये हैं । मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा लाये गए संकल्प का जोरदार समर्थन करता हूं । मैंने एक संशोधन भी रखा है क्योंकि मैं चर्चा में गम्भीरता लाना चाहता हूं । मेरा अनुरोध है कि हम परीक्षा को सर्वसुलभ

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

बनाने के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहें उपमंत्री महोदय को उसे गम्भीर रूप से लेना चाहिए मैंने शिक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन को पढ़ा है। और अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा है कि आपने स्थिति को सरसरी नजर से देखा है। क्योंकि जब आप अतिरिक्त प्रवेश की बात करते हैं तो आप यह कहते हैं कि वर्ष 1983-84 के समाप्त होने तक 14 वर्ष तक की आयु के 47.02 लाख और विद्यार्थी हो जायेंगे। और ये कक्षा 1 से 8 तक के होंगे। आप एक तथ्य की अवहेलना करते हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि ऐसा जान बूझकर किया जा रहा है लेकिन मंत्रालय की ओर से यह लापरवाही बरती जा रही है कि आप पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की संख्या पर विचार नहीं करते हैं। यदि आपके पास यह देखने के लिए आंकड़े हों कि किस चरण में, बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या अत्यधिक है। आप यह देखेंगे कि यह प्रारम्भिक चरण में अत्यधिक है और आप इस तरह के व्यर्थ के आंकड़ों से स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र में आप प्रवेश की बात करते हैं और फिर आप यह कहते हैं कि 25-26 लाख विद्यार्थी होंगे।

अनौपचारिक क्षेत्र में बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक है। यहां आप प्रारम्भिक क्षेत्र में अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देते हैं और यहां आप अनौपचारिक क्षेत्र से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को प्रवेश देते हैं और यहां बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपके प्रवेश संख्या की स्थिति को बिगाड़ देती है और फिर भी शिक्षा राज्य मंत्री महोदया ने केवल प्रतिवेदन के द्वारा ही यह दावा नहीं किया है बल्कि उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर देते समय भी यह दावा किया है, कि वर्ष 1990 तक हम सभी इस देश के .1 करोड़ निरक्षरों को प्रवेश दिला देंगे। वे यह भूल जाते हैं कि शिक्षा के लिए प्रवेश देते समय जब वे 1990 तक पहुंचेंगे अधिकांश लोग जो आधे से अधिक हो सकते हैं वे बीच में पढ़ाई छोड़कर फिर निरक्षर हो जायेंगे। अत: इस समस्या को समझने के मूल में कोई गलती है। आप यह नहीं सोचें कि मैं केवल शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु धन मांगने के लिए आपके प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं। मैं सचाई से यह विश्वास करता हूं कि आपको इस समस्या को नये सिरे से फिर आप धन की मांग करें। समझने की आवश्यकता है मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कोठारी रिपोर्ट को फिर से देखें। यह इस देश में शिक्षा प्रणाली के सुधार की दिशा में एक बहुत प्रशंसनीय योगदान है। मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट से तीसरी दुनिया के सभी देशों को लाभ पहुंचना चाहिए। अधिकांश समस्या पर विचार किया गया है। इस देश में शिक्षा विभाग के लिए यह बाईबिल है। कृपया आप इस प्रतिवेदन के पृष्ठ 89 को पढ़िये। जब कोठारी आयोग इस समस्या पर विचार करता है, यह आपको यह याद दिलाता है कि आपके जीवन का एक दर्शन है यह दर्शन आपको बताता है कि आप शिक्षा के लिए लोगों को क्यों प्रवेश देना चाहते हैं। कोठारी आयोग का कहना है कि यदि यह एक औद्योगिक देश है तो यहां माध्यमिक चरण में शिक्षा सर्वसुलभ करनी होगी और यदि यह एक गरीब समाज है जिसके पास धनराशि नहीं हैं तो उसके पास शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का कोई दर्शन नहीं होगा और यदि यह एक सामन्तवादी समाज है तो इसमें कुछ व्यक्तियों के लिए ही शिक्षा है। इसमें यह भी कहा गया है :—

"भारत एक लोकतांत्रिक तथा सामाजिक पद्धति पर समाज की रचना करने के लिए वचनवद्ध है। अतः विभिन्न स्तरों तथा शिक्षा के क्षेत्रों में सुविधाओं के उपबंध का मार्ग-दर्शन करने वाले मौलिक सिद्धांत निम्नलिखित बताये जा सकते हैं।"

वे 1, 2, 3 और 4 हैं। आयोग जिस पहली बात को कहता है वह निम्नलिखित है :—

"निःशुल्क तथा अनिवार्य आधार पर प्रत्येक बच्चे को चार वर्षों की अवधि से कम की कारगर सामान्य शिक्षा उपलब्ध कराना तथा यथासम्भव अधिक से अधिक बड़े पैमाने पर निम्न माध्यमिक शिक्ष का प्रचार करना।"

अब श्री शैफुद्दीन चौधरी द्वारा एक संकल्प लाया गया है तथा उसमें यह कहा गया है कि भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त होनी चाहिए। उन्होंने आपका ध्यान भारत के संविधान की ओर दिलाया है तथा जब यह देश शिक्षा को इतनी अधिक प्राथमिकता नहीं दे रहा था, जब कोठारी आयोग नियुक्त किया गया था, तो आयोग ने यह कहा था कि यदि आपका कोई जीवन दर्शन है, तो आपको इसके लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाना होगा।

अब, न तो आप भारत के संविधान ही का ध्यान रख रहे हैं तथा न आप कोठारी आयोग की रिपोर्ट से कोई सबक ले रहे हैं, और फिर आप शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए निधियां जुटाते रहे हैं। आप शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए धन तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन वह धन व्यर्थ चला है। क्योंकि फिर आप यह कहते हैं कि हमारे यहां शिक्षा सर्वसुलभ नहीं है। आप कभी भी इसे अनिवार्य नहीं करते तथा जो कुछ धन आप को अनौपचारिक शिक्षा अथवा शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए प्राप्त होती है, आप बच्चों को समझा-बुझा कर ले आते हैं और आप स्थिति का पूरा जायजा नहीं लेते हैं जिससे जितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है उनकी संख्या बीच में पढ़ाई छोड़ कर चले जाने वालों के कारण कम हो जाती है। इस प्रकार आप कोई प्रभावी उपाय लिए बिना किसी योजना में धन लगा देते हैं। वह पैसा इस प्रकार बर्बाद हो जाता है। देश को इसका ध्यान रखना चाहिए। अभी हम इतने उन्नत स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। हम अभी शुरूआत करने की दिशा में प्रयासरत हैं। अतः इस समय पैसा बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।

यदि आप शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ समय के लिए प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना होगा तथा इसका अभिप्राय सभी चरणों पर शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है। लेकिन, यदि आप चाहते हैं कि शिक्षा सर्वसुलभ बने···तो इसे प्राथमिक चरण पर अनिवार्य करके किया जाना चाहिए। इसलिए, मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है। जो कुछ भी श्री सैफुद्दीन कर रहे हैं, वह सही है। लेकिन उन्हें शिक्षा मंत्रालय से यह कहना चाहिए कि वह इस बारे में कदम उठाए जैसा कि केरल सरकार द्वारा किया गया है। उन्होंने इसे अनिवार्य बनाया है तथा हमने भी अभी

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

हाल में जम्मू और कश्मीर राज्य में इस दिशा में कदम उठाए हैं। हमने एक विधेयक पारित किया है, जिसके अनुसार, 6—14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक आधार पर—उस प्राथमिक चरण के लिए जिसके लिए आपको धन मिला था तथा आपने बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या का ध्यान नहीं रखा कि आपको प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाना होगा और इसे अनिवार्य करना होगा। अतएव श्री सैफुद्दीन ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसमें मैं यह जोडने का प्रस्ताव करता हूं:

"जिससे प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके, जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा निर्णय लिया गया है।"

मैं यह नहीं कह रहा कि मेरे लिए यह गौरव की बात है। आपके लिए भी यह गौरव की बात होनी चाहिए।

सभापति महोदया : ठीक है, अब शिक्षा मंत्री उत्तर देंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं अब अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूं। मैंने पहले ही दोनों मंत्रियों से परामर्शदात्री सीमित में यह अनुरोध किया है कि वह इस बारे में अवश्य ही राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तथा सम्मेलन आयोजित करें तथा शिक्षा को अनिवार्य आधार पर सर्वसुलभ बनाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाएं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह आपने पहला अच्छा भाषण दिया है।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पो० के० थुंगन) : चर्चा में सभापति महोदया, इस संकल्प पर जिन-जिन सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उनका आभारी हूं। यह संकल्प प्रस्तुत करने के लिए, मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी का विशेष रूप से आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा की इस समस्या, विशेषतया प्राथमिक स्तर के बारे में चर्चा का अवसर दिया जिससे कई बातें सामने रखी गईं तथा माननीय सदस्यों को विभिन्न सुझाव देने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने हमें भी यह स्पष्ट करने का अवसर दिया कि हम प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय में क्या कर रहे हैं।

इसके पहले कि मैं यह स्पष्ट करूं कि हम क्या कर रहे हैं। मैं 1978-79 में कराए गए अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के बारे में कहना चाहूंगा जिसका जिक्र श्री चौधरी ने किया है।

5.00 म० प०

इस सर्वेक्षण के अनुसार देश में 9,64,664 बस्तियां हैं जिनमें लोगों की संख्या अलग-अलग है। चतुर्थ अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के लिए इस प्रकार की व्यवस्था है:

(एक) 7,73,997 बस्तियों अर्थात् 92.82 प्रतिशत लोगों के लिए एक कि० मी० की दूरी के अन्दर प्राथमिक स्कूल उपलब्ध हैं।

(दो) अन्य 1,94679 बस्तियों के लिए एक से दो कि० मी० की दूरी के अन्दर प्राथमिक स्कूल भी उपलब्ध हैं।

(तीन) शेष 65,988 बस्तियों के लिए 2 कि०मी० से अधिक दूरी पर प्राथमिक स्कूल उपलब्ध हैं।

(चार) 6,44,971 बस्तियों अर्थात 78.83% लोगों के लिए अधिकतम 3 कि० मी० की दूरी पर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध हैं।

(पांच) अन्य 1,80,051 बस्तियों के लिए अधिकतम 5 कि० मी० की दूरी पर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध हैं।

(छः) शेष 1,39,642 बस्तियों के लिए 5 कि० मी० से अधिक की दूरी पर माध्यमिक स्कूल सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इससे यह पता चलता है कि लोगों को उनके निवास स्थानों के पास ही शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने में हमने कितनी प्रगति की है।

चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों के बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। लेकिन, उन पर बोलने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ करने के लिए सरकार क्या कर रही है। शिक्षा के लिए 1982-83 में 110 करोड़ रुपये 1983-84 में 198.75 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था, और 1984-85 में 203.65 करोड़ रुपये रखे जाने का प्रस्ताव है। इससे पता चलता है कि शिक्षा के लिए परिव्यय में लगातार पर्याप्त वृद्धि हुई है। शिक्षा पर सकल परिव्यय पहली योजना में 169 करोड़ रुपये से बढ़ कर छठी योजना में 2524 करोड़ रुपये हो गया है। स्कूलों की संख्या वर्ष 1950 में 2,23,267 से बढ़कर वर्ष 1980 में 5,92,969 हो गई। वर्ष 1980 में इसी अवधि में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की संख्या 1980 में 5,37,918 से बढ़कर 22 लाख हो गई। स्कूलों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 1950-51 में 223 लाख से बढ़कर 1982-83 में 984 लाख हो गई है। प्राथमिक कक्षाओं में प्राथमिक शिक्षा का एवरेज 90.1 प्रतिशत है तथा माध्यमिक कक्षाओं में 47.5 प्रतिशत। अब यह प्रस्ताव है कि 1984-85 तक प्राइमरी स्तर पर यह एवरेज 95 प्रतिशत और मिडिल स्तर पर 50 प्रतिशत प्राप्त किया जाये तथा 1990 तक दोनों स्तरों पर 100 प्रतिशत एवरेज प्राप्त किया जाये।

विद्यार्थियों की कम संख्या में प्रवेश की समस्या का पता लगा लिया गया है जो जो विशेषतया 9 राज्यों में है। यह राज्य हैं आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कशमीर, मध्य प्रदेश उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में विद्यार्थियों को स्कूलों में प्रवेश के लिये प्रोत्साहित करने हेतु सहायता करने के लिये शिक्षा मंत्रालय में विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं।

[श्री पी० के० थुंगन]

5.05 म० प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े 9 राज्यों में विशेषकर बालिकाओं के मामलों में, हम शिक्षा के अनौपचारिक केन्द्रों के लिए कुल व्यय का 90 प्रतिशत सहायता के रूप में दे रहे हैं तथा अन्य अनौपचारिक केन्द्रों के लिए कुल व्यय का 50 प्रतिशत सहायता के रूप में दे रहे है। इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े 9 राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान कर रहे अथवा चला रहे स्वंय सेवी संगठनों को हम शत प्रतिशत सहायता उपलब्ध कर रहे हैं।

इन 9 राज्यों के स्कूलों में महिला अध्यापकों को नियुक्त करने के लिए हम कुल व्यय का 80 प्रतिशत उपलब्ध करा रहे हैं। यह औपचारिक प्रणाली के लिए भी है। केन्द्र की सहायता से 1 लाख से अधिक शिक्षा के अनौपचारिक केन्द्र खोले गये हैं तथा छठी योजना के अन्त तक इन केन्द्रो के अंतर्गत 35 से 40 लाख लोग आ जायेगे प्राथमिक स्तर पर 6 से 14 वर्ष की आयु की लडकियों को स्कूलों में प्रवेश देने के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नकद पुरस्कार देने की योजना वर्ष 1983-84 से आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत, विभिन्न राज्यों को पुरस्कार देने की योजना के लिए 6.21 करोड़ रु० की राशि मंजूर की गई है।

कुछ माननीय सदस्यों विशेषतया प्रो० सोज ने बीच में पढ़ाई छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों की बात की है। हमने उन राज्यों को, विद्यार्थियों की बीच में पढ़ाई छोड़कर की प्रवृति को रोकने के बारे में कुछ उपाय सुझाये हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : यहां अभिभावकों के सहयोग की जरूरत है।

श्री पी० के० थुंगन : जी हां, यह बहुत जरूरी है।

बच्चे बीच में स्कूल छोड़ कर न जाएं इसके लिए राज्य सरकारों को एक यह सुझाव भी दिया गया है कि यह नीति बनाई जाए कि स्कूलों में ग्रेड न दिए जाएं तथा बच्चों को फेल न किया जाए इससे हर बच्चा हर साल में एक क्लास पूरी कर लेगा तथा 14 वर्ष की आयु तक आठवीं कक्षा में पहुंचने तक उसे हर साल अगली क्लास के लिए प्रोमोशन दे दिया जाएगा।

इसके अलावा, हमने राज्य सरकारों को यह सुझाव भी दिया है कि एक अध्यापक वाले समस्त स्कूलों में दो अध्यापक उपलब्ध कराए जाएं। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण कुछ बच्चे औपचारिक स्कूलों में नहीं जा सकते। अधिक बच्चे पढ़ने आएं, इसके लिए यह बताया गया है कि वह अनौपचारिक केन्द्रों में पढ़ तो सकते हैं लेकिन साथ ही साथ वह औपचारिक शिक्षा केन्द्र में भी प्रवेश ले सकते हैं। इस प्रकार, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एक के स्थान पर, बहुत से अवसर उपलब्ध होंगे। इससे प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ करने में भी मदद मिलेगी।

अपने विचार प्रकट करते समय माननीय सदस्यों ने कुछ और भी बातें उठाई हैं। एक बात

प्राथमिक स्कूल-पूर्व शिक्षा के बारे में उठाई गई है। माननीय सदस्य यह जान कर प्रसन्न होंगे कि, इस बारे में एक योजना हम छठी पंच वर्षीय योजना में पहले ही ला चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, पिछड़े 9 राज्यों में प्राथमिक स्कूल-पूर्व शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करने सम्बन्धी यह केन्द्रीय योजना है।

कुछ सदस्यों ने इसके स्तर एवं पाठ्यक्रम के बारे में कहा है इसके साथ ही पब्लिक स्कूल समाप्त करने अथवा पब्लिक स्कूलों का राष्ट्रीयकरण करने की बात की है। जहां तक स्तर का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि पाठ्यक्रम के कारण स्तर में कोई अन्तर नहीं है अपितु स्तर में जो भी अन्तर है उसका कारण यह है कि इस सम्बन्ध में वस्तुगत सुविधाएं अलग-अलग स्कूलों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। पाठ्यक्रम के बारे में मैं यह कहूंगा कि एक विशेष शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्कूलों के लिए एक ही पाठ्यक्रम होता है। उदाहरण के लिए जो स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत आते हैं उनमें एक ही पाठ्यक्रम लागू होता है। अब चाहे बच्चा जम्मू और कश्मीर में पढ़ रहा हो या कन्याकुमारी में अथवा नागालैंड में, पाठ्यक्रम एक ही होगा तथा पाठ भी लगभग वही होते हैं···(**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : किस स्तर पर ?

श्री पी० के० थुंगन : देश के किसी भी भाग में जहां पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है, तो जहां तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, इसके स्तर में कोई अन्तर नहीं होता। लेकिन, जहां तक वस्तुगत सुविधाओं का सम्बन्ध है, अलग-अलग स्कूलों में यह अलग-अलग हो सकती हैं। उन स्कूलों के मामले में जहां पर परीक्षाएं विभिन्न राज्य बोर्डों द्वारा संचालित की जाती हैं, उनका स्तर शायद एक समान न हो तथा इसका कारण यह है कि विभिन्न राज्य बोर्ड अलग-अलग पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। उनके पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है। लेकिन, इस बारे में हमारा यही प्रयास रहा है कि एन० सी० ई० आर०टी० के द्वारा हम एक मानक अथवा आदर्श पाठ्यक्रम तैयार करवाते हैं तथा उसे समाप्त राज्य बोर्डों को भेजते हैं। ज्यादातर राज्य बोर्ड उस पाठ्यक्रम को इसीलिए स्वीकार कर लेते हैं ताकि समान स्तर बना रह सके। यह स्वाभाविक है कि एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा तैयार पाठ्यक्रम सभी राज्य स्वीकार न करें तथा वह अपनी क्षेत्रीय और स्थानीय जरूरतों के अनुसार उसमें परिवर्तन कर लेते हैं।

'कैपीटेशन फी' के बारे में भी बात कही गई है। इस बारे में न केवल इस सभा में अपितु दूसरी सभा में भी हमने अपनी राय कई बार व्यक्त की है। हम 'कैपीटेशन फी' लगाए जाने के पक्ष में नहीं हैं और इसीलिए, जहां कहीं भी यह विद्यमान है, इसे समाप्त करने के बारे में हम कदम उठा रहे हैं।

केवल शिक्षा मंत्रालय ही नहीं हमारी प्रधान मन्त्री को भी यह मालूम है तथा उन्होंने सम्बद्ध मुख्य मन्त्रियों को लिखा है कि कैपीटेशन फीस समाप्त कर दी जाए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में निरक्षता की दर का भी एक प्रश्न उठाया

[श्री पी० के० थुंगन]

गया था । शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियोंको जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उनके अलावा गृह मंत्रालय में भी कार्यक्रम और स्कीमें हैं जिसमें उनकी शिक्षा के हितों का ध्यान रखा गया है । वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्र-वृत्ति व अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं ।

श्री राम विलास पासवान : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच साक्षरता का प्रतिशत कितना है ?

श्री पी० के० थुंगन : 16 प्रतिशत से कुछ अधिक ।

श्री राम विलास पासवान : साक्षरता का कुल प्रतिशत क्या है ?

श्री पी० के० थुंगन : 36.23 प्रतिशत ।

श्री रामलाल राही ने एक मुद्दा उठाया है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा । उन्होंने कहा है कि सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि यह प्रस्ताव विपक्ष के सदस्य से आया है इसलिए इसको समर्थन नहीं देना चाहिए । महोदय मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि चाहे यह सुझाव विपक्ष से आए हों या सत्तारूढ़ दल के सदस्य से यदि यह सुझाव अच्छे और उद्देश्य-पूर्ण होंगे तथा शिक्षा के हित में होंगे तो हम इनको जरूर मानेंगे । उन्हें यह बात नहीं सोचनी चाहिए कि चूंकि वह विपक्ष के सदस्य हैं उनके सुझाव की उपेक्षा की जाएगी ।

मै यह कह कर अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा कि सोलह राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम हैं । परन्तु आप यह जान कर आश्चर्य होगा कि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े नौ राज्यों में से आठ राज्यों में ऐसे अधिनियम बनाए जा चुके हैं । प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए अधिनियम बनाना ही काफी नहीं है । मूलभूत अधिकार बनाने से भी मेरे विचार में शिक्षा को सर्वव्यापी नही बनाया जा सकता ।

जहां तक पब्लिक स्कूलों का सम्बन्ध में है मैं यही कहूंगा कि उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता ।

श्री राम विलास पासवान : क्यों ?

श्री पी० के० थुंगन : संविधान के अनुसार इन्हें नहीं हटाया जा सकता । तथा कई सार्वजनिक स्कूल अल्पसंख्यकों के द्वारा चलाए जाते हैं और उनके हितों की रक्षा करते हैं । इसलिए यह नही हटाया जा सकते । हमने इस बारे विधि मंत्रालय द्वारा जांच कराई थी । विधि मंत्रालय ने यह बताया कि सार्वजनिक स्कूल समाप्त नहीं किए जा सकते । इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सार्वजनिक स्कूल भी देश के हित में योगदान कर रहे हैं ।

श्री जेवियर अराकल : महोदय, केन्द्र से अनौपचारिक शिक्षा के मामले में काफी सहायता दी

है। यह सहायता लगभग 80 प्रतिशत है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार—योजना मंत्री भी इस समय यहां उपस्थित हैं—अवैपचारिक शिक्षा देने के मामले में राज्य सरकारों को सहायता देने पर विचार करेगी। महोदय वह राजस्व पर 43 प्रतिशत व्यय कर रहे हैं। क्या केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता के उद्देश्य से इस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यय का अधिक प्रमुख भाग आबंटित करेगी। क्या वह इस मुद्दे पर विचार करेंगे।

श्री पी० के० थुंगन : जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं योजनागत विचार विमर्श के समय—योजना मंत्री स्वयं यहां उपस्थिति हैं—शिक्षा मंत्रालय का यह कर्त्तव्य है कि वह आवश्यकताओं का ब्यौरा दे तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों को सहायता दे तथा सभी हितों, बजट और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग सम्बद्ध राज्यों को राशि आबंटित करता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि राज्यों द्वारा प्रस्ताव रखे जाते हैं परन्तु इस क्षेत्र में उपयुक्त योजनाएं बनाए जाने की भी आवश्यकता है। जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है हम शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में महिला अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कुल व्यय का 80 प्रतिशत दे रहे हैं। हम इतना ही कर सकते हैं जो कि किया जा रहा है।

निष्कर्ष रूप में मैं यह कहना चाहता हूं कि केरल अधिनियम बनाना ही काफी नहीं है मूलभूत अधिकारों में इसे शामिल करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। (**व्यवधान**)

इसमें व्यवहारिक समस्याएं हैं। यदि इसे मूलभूत अधिकार बना कर आवश्यक बना दिया गया तो एक समस्या यह भी होगी कि जिन दूरस्थ स्थानों में एक गांव में दो या तीन मकान हैं वहां भी हमें सुविधायें प्रदान करनी पड़ेंगी। यदि हम सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं तो वह न्यायालय में दावा कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत से मुकद्दमे हो जाएंगे। जनता की मदद करने के बजाए हम उन्हें मुकद्दमा लड़ाने में मदद कर रहे हैं। इसलिए मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं क्योंकि सरकार प्रारम्भिक शिक्षा को एक समान बनाने के पूरे प्रयत्न कर रही है इसलिए मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

सभापति महोदय : हमारे पास इसके लिए बहुत कम समय बचा है तथा इसके बाद आधे घण्टे की चर्चा भी है। इसलिए मेरा श्री सैफुद्दीन चौधरी से अनुरोध है कि वह कृपया कम-से-कम समय लें।

श्री राम विलास पासवान : श्री राही ने भी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। उन्हें भी समय नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय : हमें 5-30 बजे आधे घण्टे की चर्चा भी करनी है।

श्री राम विलास पासवान : मेरा यह सुझाव है कि आप 5-40 से आधे घण्टे की चर्चा शुरू करें ताकि श्री राही इस बीच अपना प्रस्ताव पेश कर सकें।

सभापति महोदय : यह सम्भव नहीं है । जब आप कोई फार्मूला तैयार कर चुके हैं, तो हमें उसका पालन करना ही होगा । आप इसे 5-30 बजे तक समाप्त कर दें ।

सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरा प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण है आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या मैं 5-30 के बाद तक भी बोल सकता हूं ।

सभापति महोदय : जी नहीं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : तो फिर मैं कुछ ही मिनट में कैसे अपनी बात पूरी कर सकता हूं ।

सभापति महोदय : आप 5-30 तक बोल सकते हैं । बाद में आप फिर बोल लीजिएगा ।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : चौदह सदस्यों ने इस प्रस्ताव में भाग लिया है मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं । अधिकतर सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है । केवल एक-दो ने ही इसका विरोध किया है। जिन्होंने इस प्रस्ताव को अनावश्यक समझा है, मैं मंत्री महोदय से सिफारिश करूंगा कि उन्हें इस बारे में जानकारी दी जाए । सत्तारूढ़ दल के अधिकतर सदस्यों ने मेरा समर्थन किया है तथा विपक्ष के सभी सदस्यों ने मेरा समर्थन किया है । माननीय मंत्री का उत्तर भी मैंने बहुत ध्यान से सुना है ।

विचार विमर्श के अखिरी दिन श्री मूलचन्द डागा ने इसके साथ ही साथ कुछ अन्य बातें भी बताई थीं । उन्होंने कहा कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण हम शिक्षा में पिछड़ रहे हैं। यह बात सभी ने कही है । जब हम कुछ मांग करते हैं तथा कोई कमी बताई जाती है तो सत्तारूढ़ दल द्वारा जन-संख्या वृद्धि की समस्या रख दी जाती है । अन्य सदस्य तथा समर्थक ऐसा ही करते हैं । इसे अब खत्म किया जाना चाहिए । जनसंख्या की वृद्धि निरक्षता का कारण नहीं है । वरन निरक्षता ही जनसंख्या वृद्धि का कारण है । (**व्यवधान**)

मैं और कुछ नहीं कहना चाहता । मैं चाहता हूं कि सरकार भी उसका समर्थन करें । परन्तु इससे उनका रवैया पता चल गया है । वह चाहते हैं कि जनता निरक्षर रहे ।

मैं अपना संकल्प वापस नहीं ले रहा हूं वरन मैं आग्रहपूर्वक इसका समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री मूलचन्द डागा और प्रो० सैफुद्दीन सोज द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आए संशोधनों को सभा के मत के लिए रखता हूं ।

संशोधन पेश किए गए तथा अस्वीकृत हुए

सभापति महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी का संकल्प सभा के मत के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

"यह सभा स्वतन्त्रता प्राप्ति के छत्तीस वर्षों के बाद भी देश भर में विद्यमान निरक्षता की अत्यनिक प्रतिशतता पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और संकल्प करती है कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया जाए।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ

5.30 म० प०

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"इस सभा की राय है कि सरकार अपने प्रशासनिक तंत्र की भारी कमियों के कारण, कम आय वाले लोगों की दशा को ग्रामीण क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के द्वारा सुधारने में में असफल रही है और इसलिए सरकार से सिफारिश करती है कि वह शैक्षिक और नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए और प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार कर गतिशील नीतियां बनाए, जिससे कि जनसाधारण की उन्नति हेतु ग्रमीण क्षेत्रों का समेकित विकास सुनिश्चित किया जा सके।"

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का आपने मुझे अवसर दिया। मैं गांव का निवासी हूं।

सभापति महोदय—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"इस सभा की राय है कि सरकार अपने प्रशासनिक तंत्र की भारी कमियों के कारण, कम आय वाले लोगों की दशा को ग्रामीण क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के द्वारा सुधारने में असफल रही है और इसलिए सरकार से सिफारिश करती है कि वह शैक्षिक और नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए और प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार कर गतिशल नीतियां बनाए, जिससे कि जनसाधारण को उन्नति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों का समेकित विकास सुनिश्चित किया जा सके।"

श्री रामलाल राही का भाषण अगले दिन जारी रहेगा।

5.32 म० प०

आधे घण्टे की चर्चा

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के सम्बन्ध में किया गया अध्ययन

सभापति महोदय : अब आधे घण्टे की बहस होगी, श्री रामविलास पासवान।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) ; सभापति महोदय, यह सवाल 14 मार्च के तारांकित प्रश्न से उत्पन्न हुआ है जिसमें शैडयूल कास्ट और ट्राइब्स के सोशो-इकनामिक प्रोग्राम के सम्बन्ध में इसकी चर्चा की गई थी। मन्त्री महोदय के जबाव में कई प्रश्न बच गए थे, इसलिए आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जैसा कि सदन में बार-बार चर्चाएं हुई हैं और आजादी के 36 साल बाद भी इनकी दशा नहीं सुधर पाई है। जिस अनुपात में संविधान निर्माताओं ने आशा की थी। आज भी हम देखते हैं कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर इनका शोषण जारी है। पिछले दिनों होली के दिन शैड्यूल कास्ट के नाम पर इतनी अट्रासिटीज हुई हैं, इनके पीछे आप जाकर देखेंगे तो सामाजिक और आर्थिक कारण ही पायेंगे।

सभापति महोदय, मैंने सुबह दो प्रश्न उठाये थे और कहा था कि इस दिल्ली में 9-10 अप्रैल को मध्य रात्रि को पुलिस ने लोनी रोड स्थित बुद्ध विहार को तोड़ डाला, मूर्ति को तोड़ दिया, पंचशील के झंडे को उखाड़ दिया और चार बौद्धों को जिनका नाम मैंने सुबह बताया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। अपमानित किया गया।

5.34 म० प०

(सभापति महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

17 तारीख को उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिलांतर्गत हाथरस में अंबेडकर जयंती की सोभा यात्रा पर लाठी चार्ज किया गया और 35 अंबेडकरवादियों को झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल में डाल दिया गया। 18 तारीख को अधिकारी के सामने आगरा अलीगढ़ रोड़ पर स्थित नवगिरी में डा० अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया गया और लोगों को घायल भी किया गया। इसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए गए तो रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। तो इस तरह की घटनाएं घट रहीं है और अट्रासिटीज पर हमेशा इस सदन में चर्चा होती रही है।

सभापति महोदय, सबसे पहले जो मुख्य मुद्दा मैं यह उठाना चाहता हूं कि सरकार ने अपने जवाब में बताया है कि इन योजनाओं के अन्तर्गत शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लिए क्या-क्या करने वाले हैं। विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा दिया है। एक प्रश्न पूछा गया था 14 मार्च, 1984 को ही। उसका जवाब दिया था कि आर्थिक स्थिति का विस्तृत और समकेतिक कार्यक्रमों के द्वारा छठी योजना में 50 परसेंट अनुसूतित जाति के परिवारों की पर्याप्त रूप से सहायता करना है। और छठी योजना में अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक स्तरों के पिछड़ेपन को दूर करने का सारे का सारा कार्यक्रम उन्होंने बताया। उसी तरह से शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के लिए भी बहुत सारी योजनाओं के सम्बन्ध में कहा गया है कि उसमें कृषि निवेश, दुधारु गाय, बैल, चारागाह से लेकर लघु सिंचाई योजना तक सारी बातें सम्मिलित हैं।

एक प्रश्न सरकार से पूछा गया था 21 मार्च, 1984 को क्या सदकार ने अनुसूचित जातियों

और अनुसूचित जनजातियों की परिस्थितियों का राज्यवार और जिलेवार कोई अध्ययन कराया है, तो सरकार का जवाब मिला कि नहीं। फिर बिहार के सम्बन्ध में पूछा गया तो सरकार का जवाब मिला कि कोई विशिष्ट जिलेवार अध्ययन नहीं किया गया है, परन्तु आमतौर पर यह मालूम है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के प्राय: सभी परिवार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक आर्थिक रूप से पीड़ित हैं।

फिर एक प्रश्न 4 अप्रैल को किया गया जिसमें पूछा गया कि क्या सरकार को मालूम है कि देश में विभिन्न राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में नितान्त गरीबी विद्यमान है? क्या इन क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले आदिवासियों की अनुमानित संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है, तो सरकार क जवाब मिला कि सरकार को मालूम है कि देश के आदिवासी क्षेत्रों में सामान्यत: कमजोर सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति विद्यमान हैं।

मतलब यह है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है जिसके तहत सरकार कह सके कि देश में कितने लोग हैं जो गरीबी की रेखा से बिल्कुल ही नीचे हैं। उनको ऊपर उठाने के बारे में आपने अपने एक प्रश्न के उत्तर में आंकड़े दिए हैं कि इतने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि आपने लक्ष्य रखा है कि 1985 में हम 50 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्ज लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम करेंगे। जब आपके पास कोई सर्वेक्षण ही नहीं है, आप कोई सर्वे ही नहीं करवाते हैं कि कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कितनों का आपने जीवन स्तर ऊंचा उठाया और यहां आप जवाब देने से टालते रहते हैं। जब कोई स्पेसीफिक प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें आप नकारने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम लोगों ने डैवलपमेंट की है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप कम-से-कम सर्वेक्षण करवायें कि कितने लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं जो कि काश्तकार हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेसर अथवा डाक्टरी का काम करते हैं और कितने अन-टू दी लास्ट हैं। जब तक आप कोई इस तरह का सर्वेक्षण नहीं करायेंगे, आप इसी प्रकार के गोलमोल जवाब देंगे जिससे समस्या का निदान होने वाला नहीं है।

आप योजनाओं को देखेंगे तो मालूम होगा कि कुल खर्च, टोटल पब्लिक सैक्टर आउट-ले प्रथम पंचवर्षीय योजना में 2878 करोड़ रुपये का है। इसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए व शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए कुल 39 करोड़ रुपए रखा गया था जो कि टोटल आउट-ले का 1.6 परसेंट था। आबादी 25 परसेंट के करीब यानी एक-चौथाई और उसके विकास पर पब्लिक सैक्टर में रखा गया 39 करोड़ आउट आफ 2378 करोड़।

केन्द्रीय और राज्य सरकार के सैक्टर में आपने 7 करोड़ शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रखा और 1 करोड़ शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए रखा। टोटल फिगर्स हमारे पास नहीं हैं, आप कहें तो भेज देंगे।

द्वितीय योजना में टोटल आउट-ले पब्लिक सैक्टर में 4800 करोड़ था जिसमें से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए आपने केवल 90 करोड़ दिया जो कुल योजना का 1.8 परसेंट था।

[श्री राम विलास पासवान]

तृतीय योजना में इसे 7500 करोड़ कर दिया गया जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए 114 करोड़ रखा गया जो कुल योजना का 1.5 परसेंट रह गया जबकि पहली योजना में 1.6 परसेंट था, द्वितीय में 1.8 परसेंट था वह घटाकर 1.5 परसेंट कर दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल 15,902 करोड़ रुपये रखे गए, जिसमें से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए 171 करोड़ रुपए रखे गए, जो कुल रकम का 1 परसेंट होते हैं। पांचवीं पचवर्षीय योजना में पब्लिक सैक्टर का टोटल आउटले 39,303 करोड़ रुपए था, जिसमें से शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए 228 करोड़ रुपए अर्थात 0.6 परसेंट थे। उन लोगों का हिस्सा 1 परसेंट से भी घट गया। छटी पंच-वर्षीय योजना में टोटल आउटले 97,600 करोड़ रुपए का था, जिसमें से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए 960 करोड़ रुपए अर्थात् 0.9 परसेंट रखे गए।

इन वर्गों की आबादी 25 परसेंट है। इनके लिए विशेष रूप से अधिक खर्च करना चाहिए था, क्योंकि वह समाज का सबसे कमजोर तबका है। लेकिन स्थिति यह है कि जो जितना कमजोर है, उसपर उतना ही कम खर्च किया जा रहा है और जो जितना शक्तिशाली है, उस पर उतना ही अधिक खर्च किया जा रहा है और उसको अधिक शक्तिशाली बनाया जा रहा है। योजना आयोग ने छठी योजना में कहा है :—

"तीन दशकों के विकास-कार्य का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से असमर्थ उन जन-समूहों पर वांछित प्रभाव नहीं पड़ सका है। सामान्य आर्थिक उन्नति से पहुंचने वाले लाभों से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। अनुसूचित जातियों और जन-जातियों की संख्या देश की कुल आबादी की एक-चौथाई है और इनमें से अधिकांश गरीबी की रेखा से नीचे हैं। साथ ही उन्हें ऐसी विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो केवल उनके साथ ही जुडी हुई है।"

योजना आयोग ने यह भी कहा है :—

"संविधान के निदेशक सिद्धान्तों और सरकार के वैधानिक और कार्यकारी उपायों के बावजूद उनकी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण आर्थिक सहायता का अभाव है। यद्यपि पिछली पंच-वर्षीय योजनाओं में उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए थे, फिर भी उनके कमजोर आर्थिक आधार की मूल-भूत समस्या पर अब तक बहुत कम ध्यान दिया गया है।"

18 अप्रैल, 1983 को सरकार से यह प्रश्न पूछा गया था :—

"क्या योजना मंत्रालय यह बताएगा कि 1983-84 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने अनु० जाति/अनु० जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।"

सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया :—

"1983-84 के दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 24.98 लाख अनु०

जाति परिवारों और 7.63 लाख अनु० जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी ।"

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो टारगेट रखा था, उसकी पूर्ति कितनी हुई है ।

दूसरा प्रश्न सरकार से 4-4-84 को पूछा गया, जो इस प्रकार है :—

"(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू पंच-वर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के लिये अलग-अलग कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई,

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा इस धनराशि का पूरा उपयोग किया गया है,

(ग) यदि नहीं, यो कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका और इसके क्या कारण हैं,"

सरकार ने जो योजनाए तैयार की हैं, उनका मूल आधार स्टेट गवर्नमेंट हैं । यदि स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेंगी, तो केन्द्रीय सरकार पैसा देगी ।

इस संबंध में बिहार के अखबार **आर्यावर्त** में कहा गया है :

"राज्य सरकार द्वारा अब तक इन तथ्यों की खोज के लिये कोई पृथक मशीनरी नहीं बन पाई है, जो इस सच्चाई का पता लगाए कि राज्य के आदिवासियों तथा हरिजनों के कल्याण की योजनाओं पर होने वाला व्यय कितना सार्थक हुआ । 1983-84 वर्ष में 1982-83 वर्ष की अपेक्षा 6 करोड़ रुपए अधिक आबंटित थे, मगर 1983-84 में सात करोड़ रुपए या तो सरेन्डर कर दिए गए अथवा दूसरे मदों में स्थानांतरित कर दिये गए हैं ।"

पैसा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए दिया जाता है, वह या तो सरेन्डर कर दिया जाता है या दूसरे कामों में ट्रांसफर हो जाता है । इस प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं मिल सका है कि राज्य सरकार द्वारा कितनीधनराशि का उपयोग नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि पिछले चार-पांच वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न विकास-कार्यक्रमों के तहत कितना-कितना पैसा राज्य सरकारों को दिया है ।

मैं जानना चाहता हूं कि कितना पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दिया और कितना पैसा विकास के काम पर खर्च हुआ ? और आपके पास क्या एजेंसी है जिसके जरिये आप पता लगा सकते हैं कि राज्य सरकार ने उस पैसे का खर्च किया है कि नहीं ? कितना डाइवर्ट किया है ?

21 मार्च को श्री पीयूष तिरकी का सवाल था कि :

[श्री राम विलास पासवान]

'वर्ष 1980 से अब तब राज्यवार आदिवासी विकास के लिये विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है,

वर्ष 1980 से अब तक वर्षवार तथा राज्यवार राज्यों द्वारा केन्द्र को लौटाई गई धन-राशि, जिसका उपयोग नहीं किया जा सका । ब्यौरा क्या है, और

आदिवासी विकास के लिये निर्धारित धनराशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ? सरकार ने जबाब दिया कि 1980-81 से 1983-84 तक आदिवासी उपयोजना के अधीन विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गई धनराशि का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) किसी राज्य ने अनुदान का कोई भाग केन्द्र को वापिस नहीं लौटाया है । किन्तु कुछ राज्यों ने खर्च न की गई शेष राशि की सूचना दी है ...'

आपको लौटाया नहीं, लेकिन उसको खर्च भी नहीं किया इसकी सूचना दी है । मैं पूछता हूं कि यदि खर्च नहीं किया तो परपज क्या सर्व हुआ ? लाइसेंस के सम्बन्ध में हम मान कर चलते हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं यदि आप चाहते है कि देश में लोगों का जीवन स्तर, सामाजिक और आर्थिक, ऊपर उठे तो सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना होगा । अभी शिक्षा उप-मंत्री बोल रहे थे टोटल शिक्षित लोग है 36 परसेंट और इसमें शैड्यूल्ड कास्ट्स हैं 16 परसेंट । जहां महिलाओं का 22 परसेंट है वहां उसमें शैड्यूड कास्ट्स की महिलायें हैं 6 प्रतिशत । तो शिक्षा तो सब को मिलनी चाहिए आजाद के बाद । लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के गरीब तबके के लोगों की आजादी के बाद भी यह दयनीय स्थिति हो शिक्षा के बारे में कोई आदमी अपने राइट को तभी पहचानेगा जब वह शिक्षित होगा । सरकार कहती है हमने इतने होस्टल खोल दिये । बिहार में 7 होस्टल खोल दिए । यह तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है । जिस प्रान्त में 500 ब्लाक्स में से 7 होस्टल के लिए ही पैसा दिया जाए तो कैसे काम चलेगा ?

मैंने 14 मार्च, 1984 को एक अंतारांकित प्रश्न संख्या 3018 पूछा था कि "क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए लाइसेंसधारी व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है तथा इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है" उद्योग मंत्री जी ने जवाब दिया चूंकि लाइसेंस स्वीकृत करते समय आवेदन कर्त्ता उद्यमी की जाति/समुदाय/जनजाति को ध्यान में नहीं रखा जाता, इसलिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को जारी किए गए लाइसेंसों से सम्बन्धित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

प्रश्न था :

"क्या सरकार प्रत्येक राज्य में अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के लिए खासतौर पर कोई उद्योग शुरू कर रही है और यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित होगा ।"

उत्तर था :—

".....अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के उद्यमियों को लघु उद्योग लगाने के लिए विशेष प्रोत्साहन और सुविधाएं दी जाती हैं।"

एक तरफ आप कहते हैं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का नाम नहीं रखा जाता है दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इन्सैन्टिव भी देते हैं। एक ही मिनिस्टर के दो जवाब और दोनों ही कन्ट्राडिक्ट्री हैं। श्री पीयूष जी ने एक सवाल पूछा था—

क्या उद्योग मंत्री यह बताएंगे कि :—

"(क) 1980 से अब तक अनु० जाति के कुल कितने व्यक्तियों ने अपने लघु उद्योगों का पंजीकरण कराया है, उसका राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा दें।"

उत्तर है :—

"राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों का जातिवार ब्यौरा केन्द्र सरकार एकत्रित नहीं करती है।"

आपको मालूम ही नही है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स को कितना मिलता है और शैड्यूल्ड टाइब्स को कितना मिलता है और होम मिनिस्ट्री कुछ कहती है। यह प्रश्न भी इन्डस्ट्री मिनिस्ट्री का है, जो कि सबसे ज्यादा वाइटल मिनिस्ट्री है, जिसके माध्यम से स्टेडर्ड आफ लिविंग ऊंचा उठा सकते हैं। वह कहती है :—

"राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों का जातिवार ब्यौरा केन्द्र सरकार एकत्रित नहीं करती।"

एक और प्रश्न पूछा गया—स्व-रोजगार कार्यक्रम के अधीन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने के मामले में आरक्षण के सम्बन्ध में सरकारी नीति का का ब्यौरा क्या है? जवाब मिलता है—शिक्षित अनुसूचित तथा जनजातियों के व्यक्तियों के लिए मंजूर किए एए ऋण के आंकड़े अलग से इक्ट्ठे नहीं किए जाते हैं। जब ऋण देने की बात आती है तो अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इन्डस्ट्री के लिए लोन की बात आती है तो अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं है, जब लाइसैंस देना होगा तो शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूड ट्राइब्स के अलग से आपके पास आंकड़े नहीं हैं। एक और प्रश्न पूछा गया—अनुसूचित जाति और जनजाति तथा ऐसी एसोसिएशन को मान्यता देने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? जो शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज द्वारा चलाई जा रही है? इसके सम्बन्ध में सरकार कहती है कि चूंकि यह जाति और धर्म के आधार पर है। सरकार की नीति है कि जाति, जनजाति, धर्म इत्यादि के आधार पर चलाए जाने वाले संघों को मान्यता नहीं दी जाएगी। सरकार का जवाब है कि धर्म के आधार पर कोई संस्था चलाना चाहे, जाति के नाम पर चलाना चाहे, रिलीजोअन के आधार पर चलाना चाहे, तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन में सरकार से पूछना चाहता हूं कि डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है? अभी दास साहब ने अपनी समिति की रिपोर्ट पेश की है। डिफेंस मिनिस्ट्री में किस आधार पर जाट रैजीमेंट चलता है, सिक्ख रैजीमेंट चलता है, राजपूत रैजीमेंट चलता है और जो

[श्री राम विलास पासवान]

शैड्यूल्ड कास्ट व शैड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर चमार रैजीमेंट था, उसको खत्म कर दिया गया है। एक ही जगह दो चीजें चल रही हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : यह बात परक है।

श्री राम विलास पासवान : आपके लिए होगी हमारे लिए नहीं।

श्री वेंकटसुब्बया : अपके लिए तो हर बात परक है।

श्री राम विलास पासवान : आप कह सकते हैं कि उसमें हिस्टोरिक्ल इफैक्ट था। अंग्रेजों के समय डिवाइड एंड रूल को पालिसी चलती थी। एक भाई को दूसरे भाई से कतल करवाने के लिए जहां एक तरफ राजपूत रैजीमेंट था, वही दूसरी तरफ दूसरा रैजीमेंट था। अब हिन्दुस्तान आजाद हो गया है, आज की परिस्थिति में सिक्ख रैजीमेंट में हिन्दू जाति का आदमी नहीं जा सकता है, राजपूत रैजीमेंट में शैड्यूल्ड कास्ट का आदमी नहीं जा सकता है, जाट रैजीमेंट में दूसरी जाति का आदमी नहीं जा सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आपको अपने इतिहास पर गर्व है, तो जो शैड्यूल्ड कास्ट रैजीमेंट है, महार रैजीमेंट है, पासवान रैजीमेंट है, शैड्यूल्ड ट्राइब्स रैजीमेंट है, उसको भी जोड़ दीजिए। युद्ध में कम्पीटीशन हो जाएगा, तो मालूम हो जाएगा कि कौन सा रैजीमेंट सबसे ज्यादा आगे है। लेकिन आप किसी की अपौर्चुनीटीज को रोक नहीं सकते हैं। एक तरफ जाति के नाम पर रैजीमेंट है और दूसरी तरफ जाति के नाम पर एसोसिएशन को मंजूरी नहीं दे सकते हैं। एक ही भारत सरकार है, कोई यूरोप की सरकार नहीं है हमारा रक्षा मंत्रालय भी देश का है। आप इसको लाजिकली फिट मान लें, लेकिन मुझे यह फिट लग रहा है।

इसी प्रकार एक प्रश्न प्लाट और फैक्ट्रीज के सम्बन्ध में पूछा गया था।

इस सम्बन्ध में भी सरकार का यह जबाव है :—

"(ग) कच्चे माल के आबंटन के बारे में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई सांविधिक आरक्षण नहीं है इसलिए निगम के पास अलग से कोई रिकार्ड नहीं है।"

इसी तरह से प्राइवेट सैक्टर में है। सरकार प्राइवेट सैक्टर को पैसा देती है। स्वराज पाल के मामले में यह बात उठी थी कि ये चरतराम, भरत राम, टाटा, बिड़ला 2 परसेन्ट सेयर, 3 परसेन्ट शेयर रखकर पूरी कम्पनी पर कब्जा किये रहते हैं। बिड़ला मन्दिर बना रहा है—हम समझते थे कि अपनी पाकेट से बनवाता होगा, लेकिन पैसा तो कम्पनी का है आपका का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा है। बिड़ला के नाम पर मन्दिर खुल रहा है, लेकिन जब पैसा फाइन्शियल इंस्टीचूशन देता है, तो क्या गवर्नमेंट उसको प्रेस नहीं कर सकती है कि तुमको लोन तब देंगे जब तुम अपने यहां रिजर्वेशन की पालिसी को लागू करो सिर्फ सरकारी नौकरी पर आश्रित रखकर शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों का भला करना चाहते हैं। तीन या चार पसेन्ट सरकारी नौकरी मिल जाय, क्या उससे ही आप समझते हैं कि हमारा इकानामिक स्टेटस ऊंचा हो जाएगा, सोशल स्टेटस ऊंचा हो जाएगा ? यदि ऐसा सोचते हैं तो हम लोग एक दिवास्वप्न देख रहे हैं।

हमारे समय में फूड-फार-वर्क की योजना चलाई गई थी। हमारे समय में उनको 4 किलो अनाज की मजदूरी मिलती थी, लेकिन आप की सरकार ने उसको खत्म कर दिया। जब मैंने पूछा तो सरकार ने कहा :—

"(ख) अन्त्योदय तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम में सुधार करके उसका पुनर्गठन किया गया तथा अंगीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम के जरिए उसको सारे देश में फैलाया गया।"

हमारे समय में 4 किलो मजदूरी दी जाती थी और जब कोई बड़ा आदमी उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं देता था, डेढ़ या दो किलो पर उनको रखता था, तो वे वहां काम न करके सरकारी प्रोजेक्ट में जाकर काम करते थे, जिसके कारण उस बड़े आदमी को भी उतना देना पड़ता था। अब आप इसको 4 किलो की जगह रुपया दे रहे हैं। यह रुपया किसकी जेब में जा रहा है—आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। किसी जगह एक पोखर की आवश्यकता थी—एक बी० डी० ओ० आया, उसने उसको बनवाने के नाम पर 50000 रुपया उठा लिया। उसके बाद दूसरा बी०डी०ओ० आया। उसने कहा कि इसको साफ कराने की आवश्यकता है। उसने फिर साफ कराने के नाम पर 50 हजार रुपया उठा लिया। उसके बाद तीसरा बी० डी० ओ० आया, उसने कहा कि पोखर में मच्छर बहुत हो गये हैं, इसलिए उसको भरवा देना चाहिये और पोखर भरने के नाम पर उसने भी रुपया उठा लिया। न वहां पर पोखर बना, न साफ हुआ और न भरवाया गया—तीनों ने उसके नाम पर पैसा उठा लिया। यह आपकी योजना हैं। इसलिए यदि आप योजना को बनाना चाहते हैं तो साफ-साफ बताइये ताकि वास्तव में उनका भला हो सके।

मैंने एक प्रश्न पूछा था :

(क) क्या अनु० जाति/अनु० जन० जाति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस कदम में अनु० जन० जाति के कितने व्यक्ति काम कर हैं।"

आपने कहा—सेल खोला गया हैं, लेकिन इसमे कोई अधिकारी अनुसूचित जनजाति समुदाय का नहीं है। आप शेयूल्ड कास्टम और ट्राइब्स के लिये खोलते हैं लेकिन उसमें उस समुदाय का एक भी अधिकारी नहीं रहेगा तो आप क्या समझते हैं—क्या उससे हमें कोई लाभ हो सकेगा ? आप अनुसूचित जातियों की रक्षा करने के किए कोई थाना, पुलिस स्टेशन, खोलते हैं लेकिन उसमें एक शेडयूल्ड कास्ट या शेडयूल्ड टाइब का अफसर नहीं रहेगा तो क्या वे रक्षा कर सकेंगे ?

आप को मालूम हैं—बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भागों में "झार खंड राज्य" की मांग हो रहीं है। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है और कहा है कि सी०आर० पी० की तीन कम्पनियां राज्य सरकार को दे दी गई हैं। मैं कहना चाहता हूं—आज शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड टाइब्स के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गये हैं, जब वे अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो आप उनका मुकाबला करने के लिये फौज भेज रहे हैं, सी० आर० पी० भेज रहे हैं, कितने दिनों तक ऐसे चलेगा ? उनके लिये इकानामिक प्रोग्राम को सही रूप में लागू कीजिए तभी समस्या का समाधान हो सकेगा।

आजादी के 36 साल बीतगये—सिर पर मैला उठाने की प्रथा अब भी कायम है। दुनिया

[श्री राम विलास पासवान]

में आज लोग चांद तक पहुंच रहे हैं, जहां लोग अन्तरिक्ष पर पहुंच रहे हैं, वहां हिन्दुस्तान में आज भी भंगी सिर पर लोगों का पाखाना उठाने का काम करता है।

6.00 म० प०

सरकार ने कोई टैकनीक नहीं अपनाया है। आज इस देश में गांवों में शहरों की बात आप छोड़ दीजिए, जो मरा हुआ जानवर होता है, उसको उठाने वाल कौन है। एक जाति विशेष का आदमी है। मरी हुई गाय को उठाने वाला एक विशेष जाति का आदमी है। उसके लिए आप गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाएं हैं और आप तो सभापति महोदय, बंगाल से आते हैं। बंगाल और बिहार में कोई ज्यादा अन्तर नहीं हैं। जब गाय मर जाती है या कोई दूसरा जानवर मर जाता है, तो उस की चारों टांगों को बांध देते हैं और दो आदमी उधर से पकड़ते हैं और दो आदमी इधर से पकड़ते हैं और कन्धे पर रखकर उसको ले जाते हैं। फिर गाय को काटते हैं और उसका चमड़ा निकालते हैं और फिर जाकर उसकी हड्डी को बेचते हैं, किनसे खाद बनती है। सरकार के पास इतनी बड़ी मशीनरी है, तो क्या वह कोई ऐसी मशीन नहीं निकाल सकते, जिस मशीन में उस गाय को ले जाया जा सके और कोई ऐसा औजार हो, जो बिना आदमी के हाथ लगाए हुए अगर चमड़े की आवश्यवता है तो उसका चमड़ा निकला जाए और हड्डी की आवश्यकता है, तो हड्डी को निकाल कर उसकी खाद बनाई जा सके लेकिन ऐसा नहीं होगा और उस काम को एक जाति विशेष का आदमी ही करेगा। पाखाना साफ करने का काम एक जाति विशेष के आधार पर होगा और मरे हुए जानवर को उठाने का काम एक जाति विशेष के आधार पर चलेगा और चमड़ा निकालने का काम एक जाति विशेष के आधार पर चलेगा। इस व्यवस्था को आपको खत्म करना होगा।

मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। आप यह देखिए कि जहां-जहां एट्रोसिटीज होती हैं, वे वहीं होंगी जहां गांव में सड़कें नहीं हैं। पिपरा में सड़क नहीं थी, कफलटा में सड़क नहीं थी, देवली में सड़क नहीं थी, रामपुरा में सड़क नहीं थी साधुपुर में सड़क नहीं थी और वहां पर हरिजनों पर एट्रोसिटीज हुई वहां आदमी आता है और कत्ल करके चला जाता है।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि शेडयूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर बिजली ली जाती है लेकिन दूसरी जातियों के जो लोग होते हैं वे बिजली ले लेते हैं और शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को बिजली नहीं मिलती है।

मैं इतना कहकर अपने भाषण को समाप्त करना चाहता हूं कि आपने योजनाओं की जो लिस्ट दी है। उसमें व्यवसाय के अवसरों को बढ़ाने की बात कही है जैसे दस्तकारी, रिक्शा चालक; बीड़ी मजदूर, पशुपालन, रेशम उत्पादन के लिए सुविधाएं देने की बात है और यह जो सारी लिस्ट है, इससे ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि स्वर्ण युग इनके लिए आ गया है और एकदम तीन साल के अन्दर ये लोग समाज के दूसरे लोगों के बराबर आ जाएंगे लेकिन मैं सरकार पर यह चार्ज लगाता हूं कि सरकार के पास जितनी भी योजनाएं हैं जितने भी सोशल प्रोग्राम हैं वे सिर्फ पेपर पर ही हैं। मेरा कहना तो यह है कि आप बीस-सूत्री कार्यक्रम को छोड़िये, आप 25 सूत्री कार्यक्रम को छोड़िए आप एक सूत्री कार्यक्रम ही रखिये और अपने मन को साफ कर लीजिए और अपना मन बना

लीजिए कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए योजनाओं पर जितना भी खर्चा होगा, उसकी मोनीटरिंग होगी।

मैं विवाद में नहीं जाना चाहता लेकिन मैंने कई बार इसको उठाया है कि शेड्यूल्ड कास्ट्रम और शेडयूल्ड ट्राइब्स के नाम पर जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं चाहे वह हरिजन सेवक संघ हो, और चाहे वह कोई दूसरा संघ हो; यह कुछ लोगों को पालने के लिए किया जा रहा है और इसमें आपके आदमी पलते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्रम और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर सारा खर्च होता है लेकिन उसका लाभ उनको नहीं मिलता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्ल्ड ट्राइब्स की पापूलेशन को आप देख लीजिए। 25 परसेन्ट उनकी पापूलेशन है। जितनी उनकी संख्या है, उसी हिसाब से आप उनको उनका हक दीजिए।

मैं मंत्री जी से अन्तिम सवाल करके बैठ जाता हूं। मैंने इसी सदन में कई बार इस बात को कहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आप एक अलग से मंत्रालय बनाएं और आपके सेठी साहब लगातार तीन-चार बार कह चुके हैं और पहले जो होम मिनिस्टर थे और अब प्रेसीडेंट बन गये हैं; उन्होंने भी कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट, एक मंत्रालय बनाने का मामला अन्डर एक्टिव कंसिड्रेशन है। अगर वह एक्टिव कंसिड्रेशन में है, तो आज इस सदन में मन्त्री जी घोषणा करें कि शेड्यूल्ड कास्ट्रस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोग्रामों की मोनी टरिंग के लिए एक अलग से सेल बनेगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह सेल आपकी मिनिस्ट्री में बन गया है या नहीं बना है और अगर हीं बना है, तो कब तक वह बनेगा। आप अलग से उनके लिए मंत्रालय बनाएंगे या नहीं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री बोलेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : (गुंटूर) : महोदय, दूसरे सदस्यों को भी बोलने दीजिए। उसके बाद वे जवाब दे सकते हैं। एक वक्ता ने आध घंटे से भी ज्यादा समय ले लिया है।

सभापति महोदय : चार माननीय सदस्य एक-एक प्रश्न बाद में पूछ सकते हैं। अब मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

प्रो० एन० जी० रंगा नियमों में परिवर्तन लाना ही होगा। किसी न किसी को किसी दिन इस प्रकिया का विरोध करना ही होगा, क्या इसी को आधे घंटे की चर्चा कहते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : अल्पकाल एक घंटे के लिए होता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह तो केवल आधे घंटे की चर्चा है। मैं सभापति महोदय से बात कर रहा हूं पासवान जी।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री को बोलने दें, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए तैयार हैं। अब उनकी बात सुन लीजिए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय मित्र श्रीरामविलास पासवान के प्रति आभारी हूं क्योंकि उन्होंने ही आधे घंटे की चर्चा के माध्यम से इस विषय को सभा में उठाया गया है।

महोदय, इससे सरकार को भी उन विभिन्न उपायों पर प्रकाश डालने का अवसर मिला है जो इस देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में सुधार के लिए लागू किए गये हैं।

मैं व्यक्तिगत रूप से यह कहना चाहता हूं कि पिछले 20-30 सालों से संसद सदस्य के रूप में ही नहीं वरन् समाज सेवक के रूप में भी चूंकि मैं खुद पिछड़े और गरीब क्षेत्र से हूं मैंने भाग्यहीन जनता के लिए काम करने में विशेष रुचि दिखाई है जो पीढ़ी दर पीढ़ी दलित और शोषित रहे हैं। राष्ट्रपिता ने ही इन लोगों के लिए काम शुरू किया और इनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वे आजीवन काम करते रहे। अनेक निःस्वार्थ समूहों ने इन लोगों के बीच रहकर उनके लिए काम किया है, और मैं अपने माननीय मित्र श्री पासवान से कह सकता हूं कि केवल अनुसूचित जाति के लोगों का ही यह कर्त्तव्य नहीं है वरन्—गैर अनुसूचित जातियों के लोगों का भी यही नैतिक कर्त्तव्य है कि आप इन लोगों में सुधार के लिए काम करें, अनेक शताब्दियों से ऐसे लोग काम भी कर रहे हैं। इन लोगों में काम करने के लिए श्री राजगोपाल नायडू, प्रो० रंगा जैसे समाज सेवकों ने हमें प्रेरणा भी दी है। बापूजी ने कहा था कि हमारा यह नैतिक कर्तव्य है, हम अनेक युगों से इनके प्रति कर्जदार हैं और उसे हमें उतारना ही होगा और इन लोगों के लिए काम करना ही होगा।

सभी योजनावधियों के दौरान आबादी के इस हिस्से की सहायता के लिए कुछ न कुछ प्रयास किए गए हैं। मैं यह नहीं कहता कि इन सभी वर्षों में हमने इन लोगों के लिए काफी काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर हमें ध्यान देना है, वह यह है कि हमारा देश गरीब है और इन लोगों में से अधिकांश इन समुदायों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ही हैं जनता के सामान्य सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किये गये हमारे काम या सहायता से स्वाभाविक है कि आबादी के इस खंड को ही लाभ होगा।

जब हमने 980 में सत्ता सम्भाली तो प्रधानमंत्री और हमारी सरकार ने तभी हमारे दल ने भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में सभा में शीघ्रातिशीघ्र संकल्प पेश करने के अवसर का लाभ उठाया है। उन्होंने (प्रधानमंत्री ने) एक उपाय यह भी किया है कि इन लोगों की गरीबी दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों को पत्र भेजे हैं। इस सम्बन्ध में उनका 12 मार्च, 1980 का पत्र सबसे सम्मत है। उन्होंने जो लिखा है, उसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :—

> "मैं आपको भारत सरकार की अनुसूचित जातियों की समस्याओं के बारे में चिन्ता तथा उनके शीघ्र सामाजिक आर्थिक विकास के काम को दी गयी उच्च प्राथमिकता के बारे में बताने के लिए आपको लिख रही हूं।
>
> मैं उन उपायों के बारे में अलग से लिख रही हूं जो अनुसूचित जातियों के प्रति किये

गए अत्याचारों या अपराधों जो पिछले तीन वर्षों में बड़ी तेजी से बढ़े हैं उनके खिलाफ की गयी कार्यवाही के लिए हैं। अनुसूचित जातियों की आर्थिक दुर्दशा और उनके प्रति किए अत्याचारों और सामाजिक दृष्टि से असमर्थता में स्पष्ट सम्बन्ध है। उदाहरण के लिए इनमें अनेक अपराध अनुसूचित जातियों को उस समय डराने और आंतकित करने के लिए किए जाते हैं जब वे कृषि मजदूरी के लिए पारिश्रमिक मांगते हैं या उन्हें कानूनी रूप से आबंटित भूमि पर खेती करना चाहते हैं। अनुसूचित जातियों के शीघ्र आर्थिक विकास पर आधारित इस स्थिति को स्थायी समाधान बनाया जाना चाहिए।"

भारत की कुल आबादी का 15 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति के लोगों का है किन्तु इसकी तुलना में गरीब आबादी में इनका प्रतिशत बहुत ज्यादा है। उन्हें गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के आर्थिक स्तरयुक्त, अत्यल्प परिम्पम्त्ति से स्वामित्व वालों, सामान्यत: खेतिहर के रूप मजदूरी करने पर निर्भर, जीवन-निर्वाह मात्र के लिए जमीन वालों; बढ़ाईदारों चमड़ा कमाने वालों और कम आमदनी वाले व्यवसाइयों के रूप में जाना जाता है; बंधुआ मजदूरों में से अधिकांश अनुसूचित जाति के तथा उन्हें सामाजिक और नागरिक सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

अप्रैल, 1975 में पिछड़ी जातियों के कल्याण के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में मैंने अनुसूचित जातियों के समस्त कार्यक्रमों को कार्यरूप देने में विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी पर बल दिया था। उस सम्मेलन में अनुसूचित जातियों की इस आवश्यकता को स्वीकार किया गया था कि प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों से संगत कार्यक्रमों का पता लगाया जाएं तथा उन लोगों की मात्रा निर्धारित की जाएं जिन्हें उनको उपलब्ध कराया जाना है। मेरा विचार है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी राज्य योजनाओं के अंग के रूप में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाएं निर्धारित की हैं।

राज्य सरकारें जो विशेष संघटक योजनाएं तैयार कर चुकी हैं वे केवल मात्रा और विकास में ही सुधार के लिए नहीं है वरन् उनका संतोषजनक कार्यान्वयन भी किया जाना चाहिए। संतोषजनक कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम पर ध्यान देना ही काफी नही है वरन् एक सुस्पष्ट कार्मिक नीति भी आवश्यक है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं और विकास सम्बन्धी विभागों के अधिकारियों का अनुकूलन तथा उनका सावधानी से चयन, प्रशिक्षण और कार्यकाल की निरन्तरता शामिल है। विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यक्रमों का लक्ष्य संक्षिप्त अवधि और निर्धारित अवधि में राज्यों के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को उससे ऊपर लाना होना चाहिए, यदि सम्भव हो तो कम से कम आधे परिवारों को तो उस अवधि में ही गरीबी की रेखा से ऊपर आ ही जाना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक व्यवसायिक श्रेणी में अनुसूचित जातियों की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, उनके लिए उपलब्ध समुचित अवसरों का पता लगाना, उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए समुचित विकासात्मक कार्यक्रम निर्धारित करना तथा विशेष संघटक योजना में इन कार्यक्रम और संगत परिव्ययों का निर्धारण खासतौरा से महत्वपूर्णहैं। इस सन्दर्भ में अनुसूचित जातियों के विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सम्भावित कार्यक्रमों की काटव्या-

[श्री पी० के० वेंकटसुब्बया]

त्मक सूची सलग्न है । यह महत्वपूर्ण है कि विशेष संघटक योजना के कार्यक्रम और परिव्यय में प्रावधान कम न हो और बल्कि पर्याप्त हो ताकि सम्बन्धित व्यवसायिक श्रेणियों में अनुसूचित जाति के अधिकांश परिवारों को लाभ दिया जा सके ।

अनुसूचित जाति के विकास निगम जो अनु०जातियों के विकास लिए एक अन्य महत्वपूर्ण साधन है उसे इस क्षेत्र में सक्रिय और प्रभावी बनाया जाए विशेष संघटक योजनाओ के क्षेत्रवार कार्यक्रमों और अनुसूचित जाति विकास निगम के कार्यकलापों के बीच निकट सम्पर्क स्थापित किया जाए अनुसूचित जातियों हेतु अन्य अनेक कार्यक्रम भी है जो केन्द्रीय सरकार से पूर्णत: या अंशत: विधि प्राप्त करते हैं । राज्य को चाहिए कि वे कार्यक्रम तैयार कर तथा जहां निर्धारीत है वहां केन्द्रीय सरकार जितनी निधि देकर इनका भरपूर लाभ उठाएं ।

आप इसके बारे में गृह मंत्रालय और योजना आयोग से विस्तार में जान पाएंगे । आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अनुसूचित जातियों के विकास को आपकी राज्य सरकार की ओर से उच्चतम प्राथमिकता प्राप्त हो और आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर मार्ग निर्देश देकर सुविधाओं से लाभान्वित करवाएं । समय-समय पर की गयी कार्यवाही और प्रगति के बारे में मुझे अवगत कराते रहिए ।"

वर्ष 1980 में उन्होंने यही कहा था । जहां तक मुझे याद है एक बार यह सुझाव भी दिया गया था कि हरिजन कल्याण का विभाग राज्य के मुख्य मंत्री के अधीन हो । यह बात स्पष्टत: उस समय कही गई थी जब पण्डित जी प्रधान मन्त्री थे । और हमारे प्रधान मन्त्री ने उस पर बल दिया था । इस प्रकार इन लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिकतम महत्व दिया जा रहा है । मैं माननीय मित्र श्री पासवान से सहमत हूं कि इन सब योजनाओं से भी हम ठोस प्रगति नहीं कर पाए हैं । ऐसा इसीलिए हुआ है कि वहां तक राज्य सरकारों और उनकी वित्तीय योजना सम्बन्धी परिव्यय का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार की कुछ अपनी सीमाएं हैं । हम उन्हें यही सलाह दे सकते हैं कि वे समाज के इन कमजोर वर्गों के लिए आवश्यक सहायता की व्यवस्था करें । हम केवल उन्हें राजी ही कर सकते हैं, किन्तु हमारे पास ऐसा कोई संवैधानिक प्राधिकार नहीं है जिसके द्वारा हम इन लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जो हम चाहते हैं और अपेक्षित है उन्हें उनसे करवा लें ।

छठी योजना में इन लोगों के विकास के बारे में हमने कुछ ठोस उपाय किए हैं । विशेष संघटक योजना के विभिन्न राज्यों के लिए कुल राशि 2600 करोड़ रुपए है । इसके अतिरिक्त इस योजना वाधि में दौरान जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है उस पर राज्य सरकारें कितना खर्च करती हैं कितना नहीं इसको प्राथमिकता दिए बिना उनके हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता योजना तैयार की है ।

छठी योजना के लिए हमारा लक्ष्य विभिन्न राज्य सरकारों को उनके विकास के लिए उनके योजना परिव्ययों में उन्हें जितनी धनराशि आवंटित की गई थी उसके अलावा 600 करोड़ रुपए तक की राशि केन्द्रीय सहायता देने का है । अब तक विभिन्न राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 406 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं । हम आशा करते हैं कि इस केन्द्रीय सहायता का उचित उपयोग किया जाएगा और समाज के उन वर्गों के लिए इसके सर्वोत्तम लाभ के लिए उपयोग किया जाएगा जिनके लिए ये सहायता दी जाती है । यह पहली बड़ी योजना है जिसे सरकार ने अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के माध्यम से केन्द्रीय सहायता के रूप में स्वीकार किया है ।

श्री राम विलास पासवान : राज्य सरकारें ऐसा नहीं करेंगी ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : लेकिन हम ऐसा संविधान के अनुसार ही कर सकते हैं । जो कुछ भी हम राज्य सरकारों से चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वे ऐसा करें । श्री पासवान और अन्य समर्पित कार्यकर्ताओं जैसे लोगों को ऐसी राज्य सरकारें जिन्होंने ऐसे कार्य को पूरा नहीं किया है जिनकी उनसे अपेक्षा की के विपुद्ध जनता की राय जुटानी चाहिए ।

श्री राम विलास पासवान : ये आपकी सरकार है जो इसको क्रियान्वित नहीं करती है ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : इस प्रकार के आरोपों से हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी । महोदय, हर बार ये **आर्यावर्त** का उल्लेख करते हैं । ये उसे बाईबल अथवा कुरान के शब्दों के समान मानते हैं ।

श्री राम विलास पासवान : बिहार सरकार ने 7 करोड़ रुपए वापस किए हैं ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं इसकी जांच कराऊंगा । हम आर्यावर्त में रहते हैं लेकिन हम हर बार आर्यावर्त के अनुसार नहीं चल सकते ।

सभापति महोदय : वह इसका अनुवाद भेज सकते हैं ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : श्री पासवान ने कई मुद्दे उठाए हैं । लाइसेंस, मजदूरी यदि देने के बारे में उन्होंने उद्योग मंत्रालय द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों का उल्लेख किया है । उन्होंने एक महत्व-पूर्ण मुद्दा लाइसेंस देने के बारे और वित्तीय सहायता के बारे में उठाया है । उनका कहना है कि वित्तीय सहायता सम्बन्धी कोई भी मामला उनके पास नहीं है । उनका यह भी कहना है कि जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातिय का सम्बन्ध है, उनके पास कोई ब्यौरा नहीं है । वे कहते हैं कि हम दोहरे मानदण्ड अपना रहे हैं, जैसे कि किसी एक बात पर हम कुछ और कहते हैं और जब वे हम से आंकड़े मांगते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास नहीं हैं ।

इन समुदायों के लोगों को लाईसेंस देने और उद्यमों में प्रोत्साहन देने के मामले के सम्बन्ध में मैं उद्योग मंत्रालय से स्थिति का पता लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इस समय कोई जानकारी नहीं है । मैं इस समय तुरन्त नहीं बता सकता कि मंत्रालय के उस सम्बन्ध में क्या विचार थे । क्या उन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऋण अथवा लाइसेंस देने के लिए कोई नीति निर्धारित की है ।

श्री राम विलास पासवान : गृह मंत्रालय ने क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं, क्योंकि आपका मंत्रालय मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करता है जिसका दूसरा मंत्रालय पालन करते हैं ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं गृह मंत्री महोदय के पत्र को पढ़ता हूं जो कि प्रधान मंत्री महोदय के पहले भेजे गए पत्र पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में लिखा गया है । मैं पत्र का एक अंश पढ़ता हूं ।

"मैं विशिष्ट रूप से अनुसूचित जातियों के विकास के लिए यह पत्र लिख रहा हूं,

[श्री पी० वेंकटसुबया]

क्योंकि इस मामले से लगातार सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में आप प्रधान मंत्री महोदया के 12 मार्च 1980 के पत्र को स्मरण कर सकते हैं जिसमें भारत सरकार की अनुसूचित जातियों की समस्याओं तथा उनके तेजी से साम जिक-आर्थिक विकास के कार्य के साथ सम्बद्ध उच्च प्राथमिकता के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई थी। उन्होंने विशेष आवश्यकताओं तथा अनुसूचित जाति के विकलांग लोगों को ध्यान में रखते हुए विशेष घटक योजना में आज्ञा और गुणावत्ता की दृष्टि से सुधार लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उसके बाद, शीघ्र ही राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता देने के लिए 30 मार्च, 1980 से विशेष घटक योजना शुरू की गई थी। अब नया 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू हो गया है, अतएव, विशेष घटक योजना का उपयुक्त कार्यान्वयन इसके उद्देश्यों की प्राप्त के लिए'''लगभग महत्वपूर्ण बन गया है।"

यह एक लम्बा पत्र है। मैं इसका पता लगाऊंगा।

श्री राम विलास पासवान : उद्योग के बारे में क्या नीति है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं पहले ही कह चुका हूं, ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त विद्यमान हैं कि जो बात कुछ उन्होंने उठायी है क्या वह भी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का एक मुद्दा है, मैं विभिन्न मंत्रालयों से इसका पता लगाऊंगा : उन्होंने यहां एक नया मुद्दा उठाया है कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का यह वर्गीकरण भी एक मार्गदर्शी सिद्धान्त है, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इन लोगों ने कोई सहायता प्राप्त की है, यह एक मामला है, मैं पता लगाऊंगा कि क्या यह प्रशासनिक तौर पर सम्भव है। जब तक मैं उद्योग मंत्रालय से यह जानकारी हासिल नहीं कर लेता तब तक मैं यह नहीं कह सकता कि क्या यह प्रशासनिक तौर पर सम्भव है; क्या यह वास्तव में इन लोगों की सहायता करेगा।

सभापति महोदय : इस समय मंत्री महोदय के पास तथ्य मौजूद नहीं हैं। वे कहते हैं कि वे तथ्यों का पता लगाएंगे और इनके बारे में आपको जानकारी देंगे।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदय यह बताएं कि क्या इंडस्ट्री लगाने का लाइसेंस देने में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये प्रापर्टी या रिजरवेशन की पालिसी है या नहीं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं श्री पासवान की तरह कल्पनाओं के आधार पर नहीं बोल सकता हूं। जब मैं बोलता हूं तो यह सदन के लिए वचनबद्धता है। मैंने यह निवेदन किया है कि उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए हैं, जहां तक उद्योग मन्त्रालय का संबन्ध है मैं इन मुद्दों को उसके पास भेज दूंगा और मैं माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में सूचित करूंगा।

श्री राम विलास पासवान : मैंने मंत्री महोदय द्वारा दिए गये जवाब को पढ़ लिया है, मैं अपना कुछ नहीं पढ़ रहा हूं।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय कहते हैं कि वे विशिष्ट रूप से पूछताछ करेंगे और इसके बारे में आपकी जानकारी देंगे।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : मैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में विशिष्ट रूप से पूछताछ करूंगा। श्री पासवान के साथ मेरी सदाशयता को सिद्ध करने के लिए जो भी अधिक कहा जा रहा है उससे बात और भी कठिन बनती जा रही है। मैंने वही बताया है जो मेरे पास उपलब्ध है और जो कुछ उन्होंने चाहा है हम निश्चित रूप से उन्हें वह जानकारी दे देंगे।

श्री राम विलास पासवान : आप उसी के बारे में बता रहे हैं जो कुछ आपने कर लिया है, आप मुझे उसके बारे में नहीं बता रहे हैं जो कुछ आप करते जा रहे हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : सरकार वही सब कुछ करने के लिए बहुत ही गम्भीर तथा इच्छुक है जो कुछ इस संबंध में हम कर सकते हैं; और मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन दे सकता हूं कि जो कुछ उन्होंने यहां कहा है हम उसे अपनी पूरी शक्ति के साथ करेंगे इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने अनुसूचित जातियों के विकास कार्य को करने के लिए गृह मंत्रालय के प्रभाग में अलग से एक विभाग की स्थापना करने के बारे में कहा है। वहां एक अनुसूचित जाति का अपर सचिव है, एक उपसचिव है, एक अनुसूचित जाति का निदेशक है तथा स्वयं प्रभाग का प्रमुख एक संयुक्त सचिव है जो अनुसूचित जाति का है।

श्री राम विलास पासवान : क्या कोई ऐसा विभाग मौजूद है? मैं कोई प्रभाग नहीं चाहता।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : मैं प्रभाग के बारे में बता रहा हूं। यदि वे एक प्रभाग और एक विभाग के बीच के अन्तर को नहीं समझ सकते हैं तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, आप हमारी हैल्प क्यों नहीं करते ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मिनिस्ट्री आफ होम एफेयर्स में कोई सेपेरेट डिपार्टमेंट है या नहीं। आप प्राइम मिनिस्टर का लैटर पढ़िये। प्राईम मिनिस्टर ने अपने लैटर में कहा है कि देयर विल बि ए सेपेरेट मिनिस्ट्री और देयर बिल भी ए सेपेरेट डिपार्टमेंट इन दि होम मिनिस्ट्री। श्री वेंकटसुब्बेया डिवीजन की बात कह रहे हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : यदि मैं प्रधान मन्त्री के पत्र को समझा होता तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने क्या मुद्दा उठाया है··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए गृह मन्त्रालय में अलग से एक मन्त्रलाय अथवा एक विभाग की मांग की है। वे कहते हैं कि वहां कुछ अनुसूचित जाति के अधिकारियों को शामिल करके पहले ही एक प्रभाग मौजूद है उनका यह जवाब है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : यही तो मैंने कहा है।

श्री राम विलास पासवान : जो कुछ राज्य मंत्री महोदय कह रहे हैं वह उससे भिन्न है जो गृह मन्त्री श्री सेठी ने कहा था। श्री सेठी ने कहा था कि सेपरेट डिपार्टमेंट का मामला एक्टिव कन्सिडरेशन में है। मन्त्री महोदय अब डिवीजन की बात कर रहे हैं।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : यदि गृह मन्त्री ने यह बात कही थी तो यही बात रहने दीजिए। मैं जो कुछ गृह मन्त्री कह चुके हैं उसमें और ज्यादा नहीं जोड़ सकता।

सभापति महोदय : आप इसकी जांच करें। यदि गृह मंत्री ने यह बात कही है तो आप भी उस वचन पर बने रहिए, यदि कोई वचन दिया गया है।

श्री राम विलास पासवान : जो कुछ गृह मन्त्री ने कहा है आपको भी उस बात पर बना रहना चाहिए।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं पहले ही उस बात पर अडिग हूं और उत्तर दे रहा हूं और जो कुछ गृह मन्त्री ने कहा है मैं उस बात पर अडिग रहूंगा। इस बारे में कोई सन्देह अथवा संकोच नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने अच्छे मित्र श्री पासवान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की समस्याओं को उजागर करने के लिए पुनः सराहना करता हूं।

श्री राम विलास पासवान : क्या आप भूमि सुधार के बारे में कुछ बोलेंगे ?

श्री पी० वेंकट सुब्बया : इस बात को जाने दीजिए और इस बारे में राज्य सरकारों से पूछिए। भूमि सुधार एक खराब चट्टान है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब तक हम भूमि सुधार को सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं करते हैं, तब तक हम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए जितनी बातें करते हैं वह सब ढकोसला है। हम इस बात के लिए पूर्णतया वचन-वृद्ध हैं सरकार पूर्णतया वचनबद्ध है। हमने ही इस देश में भूमि सुधार लागू किया है। हमने राज्य सरकारों को सलाह दी है। हमने भूमि सुधार के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं। अतएव इसे कार्यान्वित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मैं माननीय सदस्य से नम्र निवेदन करूंगा कि वे बिहार जैसे विभिन्न राज्यों से यह पता लगाएं कि उन्होंने इस बारे में क्या किया है।

श्री राम विलास पासवान : ···को आबंटित 20,000 एकड़ जमीन का क्या हुआ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे प्रत्येक एक-एक प्रश्न पूछें, क्योंकि हमने लम्बी चर्चा कर ली है। नियम में भी यही कहा गया है। मैं बारी-बारी से माननीय सदस्यों को कृपया एक-एक प्रश्न पूछने के लिए पुकारूंगा। माननीय मंत्री उसका जवाब देंगे। यह प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार है। हमें इसका पालन करना चाहिए। श्री रंगा जी ने सही कहा है कि हमें इनका पालन करना चाहिए और समय विनिर्दिष्ट किए बिना इसे करना चाहिए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : कृपया आप अपना प्रश्न पूछें ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, माननीय पासवान जी ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का पता करने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयास के बारे में जो प्रश्न उठाया है तो उस सम्बन्ध में मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमने छठी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति और जनजातियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिये यह निर्णय लिया था कि हम 50 प्रतिशत लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा लेंगे । तो मैं जानना चाहता हूं कि छठी योजना में अब तक कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊंचा उठाया है और उनकी स्थिति में परिवर्तन किया है ?

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा । यह चर्चा 14-3-1984 को माननीय मंत्री द्वारा इस सभा में दिये गए उत्तर से सम्बन्धित है । मंत्री ने बताया है कि अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ खण्डों में मंत्रालय ने एक अध्ययन शुरू किया है और प्रतिवेदन सरकार के परीक्षाधीन है । यह मन्त्री महोदय का स्पष्ट उत्तर था । मैंने इस प्रश्न को नियम 77 के अधीन भी उठाया था । प्रश्न यह था कि क्या कमजोर वर्गों पर विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर, कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन करने तथा मूल्यांकन करने के लिए तथा कोई उपयुक्त तन्त्र बनाया गया है, और क्या सरकार इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर रही है—क्योंकि सरकार ने इन पर करोड़ों रुपये खर्च किये हैं—इसका परिणाम क्या हुआ, इस कम से कम प्रभाव पड़ा, क्या ऐसा अध्ययन किया गया है या सरकार का ऐसा करने का विचार है । यह मेरा गृह मन्त्री से पहला प्रश्न था । उन्होंने 5 अगस्त, 1983 को इस प्रश्न का यह उत्तर दिया था कि सभी कार्यक्रमों के उचित तथा समय पर मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त ध्यान दिया जा रहा है । लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि ऐसा किया जाएगा या कोई मूल्यांकन होगा या नहीं । लेकिन अब यह स्पष्ट उत्तर है कि कुछ राज्यों में ऐसा किया जा रहा है । अतः मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि पहले का अध्ययन समाप्त हो गया था वे प्रभाव का अध्ययन करने हेतु कोई तन्त्र बनाना चाहते है । यदि हां तो इसका आधार क्या है ?

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मुझे खुशी है कि गृह मंत्रालय ने 25 अप्रैल, 1984 को सभा को आश्वासन दिया है कि वे अनुसूचित जातियों के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करने हेतु अनुसूचित जातियों के संसद-सदस्यों को बुलाएंगे । योजना आयोग ने भी कई अध्ययन दल बनाए हैं; जैसे, गरीबी की रेखा की संकल्पना तथा उसके प्राक्कलन सम्बन्धी अध्ययन दल, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यकारी दल और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए कार्यकारी दल । सातवीं योजना बनाते समय सरकार का विचार है कि अनुसूचित जातियों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जाए, विशेष कर ग्रामीण लोगों में उनका पता लगाया जाए । सरकार का विचार है कि अनुसूचित जातियों की सामाजिक; आर्थिक स्थितियों का समुदाय-वार वर्गीकरण किया जाए और इसके लिए योजना बनाई जाए ताकि अनुसूचित जातियों में भी जो गरीब से गरीब हों उन्हें लाभ मिल सकें ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : हरिजनों में मकानों के प्लाट बांटने के लिए भूमि-अर्जन करने पर सरकार करोड़ों रुपये व्यय कर रही है। लेकिन हजारों मामलों में भू-स्वामी न्यायालय में जाकर स्थगनादेश ले लेते हैं। इसके लिए क्या विशेष पीठ नियुक्त करना आवश्यक नहीं है ताकि ऐसे मामले निर्धारित अवधि में तय किये जा सकें ?

(**श्री पी० वेंकटसुब्बया**) : श्री वी० सी० जैन ने जानना चाहा है कि छठी योजना में कितने लोगों को सहायता दी गई ताकि वे गरीब की रेखा पार कर सकें। कुल जनसंख्या 10 करोड़ है और 2 करोड़ परिवार अंतर्ग्रस्त हैं। छठी योजना में हमारा उद्देश्य 96, 44,763 परिवारों का उत्थान करने का है। इन चार वर्षों में गरीबी की रेखा पार करने के लिए इतनी ही जनसंख्या को सहायता दी गई हैं।

श्री अर्जून सेठी के प्रश्न के बारे में, गृह मंत्रालय ने हाल ही में कुछ प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थाओं को देश के विभिन्न भागों में सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने का काम सौंपा है। ऐसा एक अध्ययन कार्य मार्च, 1982 में गिरी विकासात्मक अध्ययन संस्थान, लखनऊ को दिया गया है। इस संस्थान ने उत्तर-प्रदेश में अनुसूचित जातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास शीर्षक से एक प्रारूप प्रतिवेदन हाल में मंत्रालय को प्रस्तुत किया है। इस प्रतिवेदन की जांच की जा रही है। हम इन अनुसंधान अध्ययनों को तेजी से करना चाहते हैं।

श्री ए० सी० दास ने पूछा है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में गहन अनुसंधान किया जाएगा या नहीं ? हमारी योजना में खंड-स्तर से जिला परिषद के स्तर तक इन पहलुओं पर विचार करने के लिए कई समितियों बनाई गई हैं। हम इन संस्थाओं से यह रिपोर्ट मांगेंगे कि क्या वे अपेक्षाओं की पूर्ति कर सकेंगे या नहीं ? यदि कोई कमी नजर आई तो हम उस प्रणाली में सुधार करने का प्रयास करेंगे।

श्री राजगोपाल के विशेष न्यायालय बनाने संबंधी प्रश्न के बारे में इस समय मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। हमें राज्य सरकारों से परामर्श करना होगा। असल में कई मामले न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हैं। मैं कई ऐसे मामले जानता हूं जिनमें इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जैसे ही मकानों के लिए भूमि आबंटित की जाती है, अमीर तथा प्रभावशाली लोग न्यायालय जाकर स्थगनादेश ले लेते हैं हमारे लिए स्थगनादेश को समाप्त करवाना कई वर्ष से कठिन हो रहा है क्या हम देश में यह मत बन रहा है कि इस मामले को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि ये न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से हट जाएं।

सभापति महोदय : इन्हें नौवीं अनुसूची में शामिल करने से ही समस्या हल नहीं हो जाएगी।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : यह तो एक सुझाव था।

सभापति महोदय : यह महत्वपूर्ण मामला है आशा है सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : हम इस पर गम्भीरता से ही विचार करते हैं । हम राज्य-सरकारों को फिर से लिखेंगे कि वे इन लोगों को मकानों के लिए भूमि दिलाने की प्रक्रिया को तेज करें ।

6.36 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 30 अप्रैल, 1984 10 वैशाख, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

———

मुद्रक : सनलाईट प्रिन्टर्स दिल्ली